महानगर नई दिल्ली शुक्रवार 14 अप्रैल, 2023, रु. 6.00 (14 पेज) दिल्ली, कोलकाता, लखनऊ और चंडीगढ़ से प्रकाशित

जनसत्ता

jansatta.com epaper.jansatta.com facebook.com/jansatta twitter.com/jansatta

सुनक के सामने राजनयिक प्रतिष्ठानों की सुरक्षा का मुद्दा उठाया

भारत विरोधी तत्त्वों पर कड़ी कार्रवाई करे ब्रिटेन : मोदी

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 13 अप्रैल।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को अपने ब्रितानी समकक्ष ऋषि सुनक के साथ टेलीफोन पर बात की और ब्रिटेन में भारतीय राजनयिक प्रतिष्ठानों की सुरक्षा का मुद्दा उठाते हुए भारत विरोधी तत्त्वों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई काआह्वान किया।

प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है कि दोनों नेताओं ने कई द्विपक्षीय मुद्दों, विशेष रूप से व्यापार और आर्थिक क्षेत्रों में प्रगति की समीक्षा की।

बयान के अनुसार, 'मोदी ने ब्रिटेन में भारतीय राजनयिक प्रतिष्ठानों की सुरक्षा का मुद्दा उठाया और ब्रिटेन सरकार द्वारा भारत विरोधी तत्त्वों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का आह्वान किया।'

प्रधानमंत्री कार्यालय के अनुसार ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने कहा कि ब्रिटेन भारतीय उच्चायोग पर हमले को पूरी तरह अस्वीकार्य मानता है और उसने भारतीय मिशन और उसके कर्मियों की सुरक्षा का आश्वासन दिया है।

प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है कि दोनों नेताओं ने कई द्विपक्षीय मुद्दों, विशेष रूप से व्यापार और आर्थिक क्षेत्रों में प्रगति की समीक्षा की। *ब्रिटेन* के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने कहा कि ब्रिटेन भारतीय उच्चायोग पर हमले को पूरी तरह अस्वीकार्य मानता है और उसने भारतीय मिशन और उसके कर्मियों की सुरक्षा का आश्वासन दिया है। *बातचीत* के दौरान मोदी ने ब्रिटेन में शरण लेने वाले आर्थिक अपराधियों का मुद्दा भी उठाया। *भारत* ब्रिटेन से उद्योगपति विजय माल्या और भगोड़े हीरा व्यापारी नीरव मोदी के प्रत्यर्पण का प्रयास कर रहा है।

मोदी ने ब्रिटेन में शरण लेने वाले आर्थिक अपराधियों का मुद्दा भी उठाया। उल्लेखनीय है कि भारत ब्रिटेन से उद्योगपति विजय माल्या और भगोड़े हीरा व्यापारी नीरव मोदी के प्रत्यर्पण का प्रयास कर रहा है। बयान में कहा गया कि उन्होंने उन भारतीय भगोड़ों की वापसी पर प्रगति की मांग की ताकि वे भारतीय न्यायिक प्रणाली के समक्ष पेश हो सकें।

मोदी ने सितंबर 2023 में होने वाले जी 20 शिखर सम्मेलन के लिए सुनक को आमंत्रित किया। प्रधानमंत्री सुनक ने जी-20 की भारत की अध्यक्षता में हुई प्रगति की सराहना की और इसकी सफलता के लिए ब्रिटेन के पूर्ण समर्थन को दोहराया।

अतीक के बेटे, उसके साथी को एसटीएफ ने मार गिराया

झांसी के पास हुई मुठभेड़, अत्याधुनिक विदेशी हथियार बरामद

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 13 अप्रैल।

उत्तर प्रदेश विशेष कार्यबल (एसटीएफ) ने गुरुवार को झांसी में माफिया अतीक अहमद के बेटे असद और उसके एक साथी गुलाम को मुठभेड़ में मार गिराया। विशेष अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (कानून व्यवस्था) प्रशांत कुमार ने कहा, प्रयागराज में उमेश पाल हत्याकांड में वांछित असद अहमद और गुलाम पांच-पांच लाख रुपए के इनामी बदमाश थे। दोनों की झांसी में एसटीएफ के साथ मुठभेड़ में मौत हो गई। मुठभेड़ में शामिल एसटीएफ की टीम का नेतृत्व पुलिस उपाधीक्षक नवेंदु कुमार और विमल कुमार सिंह ने किया। यह घटना गुरुवार की दोपहर साढ़े बारह बजे से एक बजे के बीच हुई।

असद अहमद

यह मुठभेड़ उसी दिन हुई, जिस दिन गुजरात की साबरमती जेल से सड़क मार्ग से प्रयागराज ले जाए गए अतीक और उसके भाई अशरफ को उमेश पाल हत्याकांड के सिलसिले में मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में पेश किया गया। एसटीएफ अधिकारियों के मुताबिक, उमेश पाल की हत्या के बाद असद और गुलाम फरार थे और इन दोनों को पकड़ने के लिए एसटीएफ की कई टीमों को लगाया गया था।

अधिकारियों के अनुसार, झांसी में गुरुवार को एसटीएफ की एक टीम ने जब मोटरसाइकिल से भागने की बाकी पेज 8 पर

मुठभेड़ स्थल पर असद की मोटरसाइकिल।

अतीक और उसके भाई अशरफ को पांच दिन की पुलिस रिमांड

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 13 अप्रैल।

माफिया अतीक अहमद ने उमेश पाल हत्याकांड मामले में विवेचक को दिए बयान में पाकिस्तानी खुफिया एजंसी आइएसआइ और आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा से संबंध होने की बात कबूली है।

अतीक ने बुधवार को विवेचक को दिए बयान में कहा, मेरे पास हथियारों की कोई कमी नहीं है क्योंकि मेरे सीधे संबंध पाकिस्तानी एजंसी आइएसआइ और आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा से हैं। उधर, प्रयागराज के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने गुरुवार को उमेश पाल हत्याकांड में नामजद आरोपी तथा माफिया अतीक अहमद और उसके भाई खालिद अजीम उर्फ अशरफ की पांच दिन की पुलिस रिमांड मंजूर की।

जिला शासकीय अधिवक्ता गुलाब चंद्र अग्रहरि ने बाकी पेज 8 पर

राहुल की याचिका पर अदालत 20 अप्रैल को सुनाएगी फैसला

सूरत, 13 अप्रैल (भाषा)।

सूरत की एक सत्र अदालत ने गुरुवार को कहा कि 'मोदी उपनाम' टिप्पणी को लेकर आपराधिक मानहानि के एक मामले में दोषसिद्धि पर रोक लगाने की कांग्रेस नेता राहुल गांधी की याचिका पर 20 अप्रैल को फैसला सुनाएगी। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश आरपी मोगेरा ने कहा कि वे 20 अप्रैल को फैसला सुनाएंगे।

सूरत में एक मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत ने 23 मार्च को कांग्रेस नेता को 2019 में एक चुनावी रैली के दौरान की गई उनकी टिप्पणी 'सभी चोरों का मोदी उपनाम कैसे हो सकता है' के लिए उन्हें दोषी ठहराते हुए दो साल कैद की सजा सुनाई थी। सजा के बाद संसद सदस्य के रूप में अयोग्य ठहराए गए गांधी ने फैसले के खिलाफ सत्र अदालत में अपील दायर की है। उन्होंने इस दौरान दोषसिद्धि पर रोक लगाने की भी प्रार्थना की।

भाजपा विधायक एवं शिकायतकर्ता पूर्णेश मोदी ने इसी अदालत में पहले दाखिल किए गए अपने जवाब में राहुल गांधी की याचिका का विरोध करते हुए कहा था कि कांग्रेस नेता बार-बार अपराध करते हैं और उन्हें अपमानजनक बयान देने की आदत है। गांधी की पैरवी कर रहे वरिष्ठ वकील आरएस चीमा ने न्यायाधीश से कहा कि सुनवाई निष्पक्ष नहीं हुई।पूरा मामला इलेक्ट्रानिक सबूत पर आधारित है, जिसमें मैंने बाकी पेज 8 पर

बीबीसी के खिलाफ फेमा जांच शुरू की प्रवर्तन निदेशालय ने

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 13 अप्रैल।

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने विदेशी मुद्रा विनिमय संबंधी कथित उल्लंघन को लेकर समाचार प्रसारक बीबीसी (ब्रिटिश ब्राडकास्टिंग कारपोरेशन) इंडिया के खिलाफ विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) के तहत मामला दर्ज किया है। जांच एजंसी ने उसके कर्मचारियों को पूछताछ के लिए बुलाया, जिसके बाद प्रसारण कंपनी के उप प्रबंध संपादक गुरुवार को पेश हुए। आयकर विभाग ने फरवरी में दिल्ली में बीबीसी कार्यालय परिसरों का सर्वेक्षण किया था।

अधिकारियों के अनुसार फेमा के प्रावधानों के तहत कंपनी द्वारा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआइ) के कथित उल्लंघन और संबंधित मामलों की अनिवार्य रूप से जांच के लिए लगभग दो सप्ताह पहले मामला दर्ज किया गया था। उन्होंने कहा कि ईडी ने दस्तावेज मांगे हैं और कंपनी के कुछ अधिकारियों के बयान दर्ज किए हैं और कंपनी का प्रतिनिधित्व करने वाले वकीलों की एक टीम ने पिछले सप्ताह कुछ वित्तीय दस्तावेज जमा किए हैं। प्रसारक की ओर से तत्काल कोई प्रतिक्रिया नहीं मिल सकी है। ईडी की कार्रवाई पर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस के प्रवक्ता अंशुल अविजित ने कहा, 'अभिव्यक्ति की आजादी छीनी जा रही है। कानूनों का दुरुपयोग हो रहा है, संस्थाओं को हथियार बनाया जा रहा है। प्रेस की आवाज को दबाया जा रहा है। यह माहौल है। यहां पर कार्यपालिका का आंतक है, और कुछ नहीं।' उन्होंने कहा, 'हम लड़ते रहेंगे, आवाज उठाते रहेंगे।' आयकर विभाग ने इस वर्ष 14 फरवरी को कथित कर अपवंचना की जांच के तहत दिल्ली और मुंबई में बीबीसी के कार्यालयों तथा दो अन्य संबंधित स्थानों पर सर्वेक्षण अभियान चलाया था।

आयकर विभाग के प्रशासनिक निकाय केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने कहा था कि मीडिया समूह बीबीसी की भारत में संचालित विभिन्न संस्थाओं की तरफ से दिखाए गए आय एवं लाभ के आंकड़े भारत में उनके परिचालन के अनुरूप नहीं हैं और उसकी विदेशी इकाइयों ने विदेश भेजी गई कुछ रकम पर कर का भुगतान नहीं किया है।

सर्वे के बाद बीबीसी ने कहा था कि वे अधिकारियों के साथ सहयोग करना जारी रखेंगे और उम्मीद करते हैं कि मामले को जल्द से जल्द सुलझा लिया जाएगा।

बठिंडा सैन्य अड्डे पर हमला करने वालों की तलाश जारी

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 13 अप्रैल।

पंजाब में बठिंडा सैन्य अड्डे पर बुधवार को की गई गोलीबारी के हमलावरों की तलाश जारी है। गोलीबारी की इस घटना में सेना के चार जवान मारे गए थे। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, 'घटना की जांच और हमलावरों की तलाश के लिए हम सेना के साथ संपर्क में हैं।'

इस बीच, पंजाब में बठिंडा सैन्य अड्डे पर बुधवार को हुई गोलीबारी की घटना के 12 घंटे बाद एक अन्य सैनिक की गोली लगने से मौत हो गई। सेना के अनुसार, बुधवार की दोपहर को हुई जवान की मौत का सैन्य अड्डे पर सुबह हुई गोलीबारी से कोई संबंध नहीं है।

बठिंडा सैन्य अड्डे पर बुधवार सुबह करीब साढ़े चार बजे तोपखाना इकाई में भोजनालय के पीछे मौजूद बैरक के पास हुई गोलीबारी में चार सैनिक मारे गए। घटना के समय चारों सैनिक सो रहे थे जिनकी उम्र 24 से 25 साल के बीच थी।

पुलिस द्वारा दर्ज प्राथमिकी के अनुसार, गोलीबारी के बाद एक जवान ने दो अज्ञात लोगों को सफेद कुर्ता पजामा में बैरक से बाहर आते देखा। दोनों के मुंह और सिर कपड़े से ढके हुए थे। इनमे से एक के पास इंसास और दूसरे के पास एक कुल्हाड़ी बाकी पेज 8 पर

कर्नाटक में मुसलिम आरक्षण हटाने का फैसला 'त्रुटिपूर्ण' : न्यायालय

नई दिल्ली 13 अप्रैल (ब्यूरो)।

उच्चतम न्यायालय ने गुरुवार को कहा कि सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में वोक्कालिगा और लिंगायत समुदायों के लिए आरक्षण में दो-दो फीसद वृद्धि करने एवं ओबीसी (अन्य पिछड़ा वर्ग) मुसलमानों के चार फीसद आरक्षण को खत्म करने का कर्नाटक सरकार का फैसला प्रथम दृष्टया 'त्रुटिपूर्ण' प्रतीत होता है।

पीठ ने मामले में अगली सुनवाई के लिए 18 अप्रैल की तारीख तय की और मेहता एवं रोहतगी से अपना जवाब दाखिल करने को कहा।

-पूरी खबर पेज 8

कोरोना के 10,158 नए मामले, आठ माह में सर्वाधिक;15 मौत

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 13 अप्रैल।

देश में एक दिन में कोरोना विषाणु संक्रमण के 10,158 नए मामले सामने आए, जो बीते करीब आठ महीने में दर्ज सर्वाधिक दैनिक मामले हैं। वहीं, देश में उपचाराधीन मरीजों की संख्या बढ़कर 44,998 पर पहुंच गई है।

देश में 230 दिन बाद सामने आए ये सर्वाधिक दैनिक मामले हैं। पिछले साल 26 अगस्त को संक्रमण के 10,256 दैनिक मामले सामने आए थे। देश में बुधवार को संक्रमण के 7,830 दैनिक मामले सामने आए थे।

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से गुरुवार को सुबह आठ बजे जारी अद्यतन आंकड़ों के अनुसार, संक्रमण से महाराष्ट्र के नौ, गुजरात के दो और दिल्ली, केरल, राजस्थान तथा तमिलनाडु के एक-एक मरीज की मौत के बाद देश में कोरोना वायरस संक्रमण से जान गंवाने वाले लोगों की संख्या बढ़कर 5,31,035 हो गई।

वहीं संक्रमण से मौत के आंकड़ों का पुनःमिलान करते हुए केरल ने वैश्विक महामारी से दम तोड़ने वाले मरीजों की सूची में चार नाम और जोड़े हैं।

निर्यात छह फीसद बढ़ कर 447 अरब डालर पर

रोम, 13 अप्रैल (एजंसी)।

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने गुरुवार को कहा कि देश का निर्यात बीते वित्त वर्ष 2022-23 में करीब छह फीसद बढ़ कर रिकार्ड 447 अरब डालर रहा। मुख्य रूप से पेट्रोलियम, औषधि, रसायन व समुद्री उत्पादों के क्षेत्रों में बेहतर प्रदर्शन से निर्यात अच्छा रहा है।

इससे पिछले वित्त वर्ष 2021-22 में निर्यात 422 अरब डालर था। देश का आयात भी आलोच्य वित्त वर्ष में 16.5 फीसद बढ़ कर 714 अरब डालर रहा, जो एक साल पहले 2021-22 में 613 अरब डालर था। गोयल ने कहा कि वस्तुओं और सेवाओं का निर्यात नई ऊंचाई पर पहुंचा है और 2022-23 में 14 फीसद बढ़ कर 770 अरब डालर रहा, जो एक साल पहले 676 अरब डालर था।

मंत्री ने कहा कि भारत के निर्यात का प्रदर्शन शानदार रहा है। देश से कुल निर्यात 2022-23 में 770 अरब डालर की नई ऊंचाई पर पहुंच गया है। पिछले वित्त वर्ष की तुलना में यह 14 फीसद अधिक है। 2020 में यह 500 अरब डालर व 2021-22 में 676 अरब डालर था। देश का सेवा निर्यात भी 2022-23 में 27.16 फीसद बढ़ कर 323 अरब डालर बाकी पेज 8 पर

जम्मू-कश्मीर में जी20 की बैठक पर पाक की आपत्ति खारिज की

नई दिल्ली, 13 अप्रैल (ब्यूरो)।

भारत ने जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में अगले महीने जी-20 पर्यटन कार्यकारी समूह की बैठक आयोजित करने पर पाकिस्तान की आपत्तियों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि ये दोनों केंद्र शासित प्रदेश भारत का अभिन्न और अविभाज्य अंग हैं तथा वहां बैठक आयोजित करना स्वभाविक है।

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने प्रेस वार्ता में कहा कि जी20 की बैठकें देश के हर क्षेत्र में आयोजित की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि जी20 की बैठकों का जम्मू कश्मीर और लद्दाख में आयोजन स्वभाविक है क्योंकि ये क्षेत्र भारत के अभिन्न और अविभाज्य अंग हैं।

गौरतलब है कि पाकिस्तान ने जम्मू-कश्मीर में अगले महीने जी-20 पर्यटन कार्यकारी समूह की बैठक करने के भारत के फैसले पर मंगलवार को आपत्ति जताई थी। बागची ने कहा कि मैं कहूंगा कि हम ये बैठकें हर क्षेत्र में कर रहे हैं। यह स्वाभाविक है कि हम इसका आयोजन जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में भी करें।

बंगाल, ओड़ीशा, आंध्र और बिहार के लिए चेतावनी | पूर्वानुमान | तीन से चार दिनों तक 'लू' चलने के आसार

देश में सामान्य से ज्यादा दिनों तक लू चलने की आशंका

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 13 अप्रैल।

मध्य, पूर्वी और उत्तर-पश्चिमी भारत के ज्यादातर हिस्सों में सामान्य से ज्यादा दिनों तक लू चलने की भी आशंका जताई गई है।

पश्चिम बंगाल के मैदानी हिस्से, ओडीशा, आंध्र प्रदेश और बिहार के कुछ भागों में अगले तीन से चार दिनों तक 'लू' की स्थिति रह सकती है। भारत मौसम विज्ञान विभाग (आइएमडी) ने गुरुवार को यह पूर्वानुमान जारी किया। इससे पहले, अप्रैल की शुरुआत में मौसम विभाग ने उत्तर-पश्चिम के कुछ भाग और प्रायद्वीपीय क्षेत्रों को छोड़ कर देश के अधिकतर हिस्सों में अप्रैल से जून तक अधिकतम तापमान सामान्य से ऊपर रहने का पूर्वानुमान जताया था। इस अवधि में मध्य, पूर्वी और उत्तर-पश्चिमी भारत के ज्यादातर हिस्सों में सामान्य से ज्यादा दिनों तक लू चलने की भी आशंका है।भारत मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक, पश्चिम बंगाल के मैदानी भागों के अलग-अलग हिस्सों में सोमवार (17 अप्रैल) तक, उत्तर तटीय आंध्र प्रदेश और ओडीशा में शनिवार (15 अप्रैल) तक तथा बिहार में शनिवार से सोमवार (15 से 17 अप्रैल) तक लू चलने की संभावना है।

'लू' की स्थिति होने की घोषणा तब की जाती है, जब मैदानी इलाकों में किसी स्थान पर अधिकतम तापमान बढ़ कर कम से कम 40 डिग्री सेल्सियस, तटीय क्षेत्रों में कम से कम 37 डिग्री सेल्सियस और पर्वतीय इलाकों में कम से कम 30 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है, या फिर सामान्य से कम से कम 4.5 डिग्री सेल्सियस अधिक हो जाता है।

मौसम विभाग के अनुसार, मध्य और उत्तर प्रायद्वीपीय भारत में मौजूदा समय में अधिकतम तापमान 40 से 42 डिग्री सेल्सियस के बीच रह रहा है।

विभाग ने कहा कि पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र के कई हिस्सों और पूर्वोत्तर भारत, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, ओडीशा, तटीय आंध्र प्रदेश और केरल में अधिकतम तापमान तीन से पांच डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया जा रहा है।

साल 2023 में, फरवरी का महीना 1901 के बाद से इस माह (फरवरी) का सबसे गर्म महीना रहा था। हालांकि, मार्च में सामान्य या उससे अधिक बारिश के कारण लोगों को गर्मी से राहत मिली। मार्च 2022 अब तक का सबसे गर्म महीना रहा था और पिछले 121 वर्षों में तीसरा सबसे शुष्क महीना था। उस साल अप्रैल महीना भी, 1901 के बाद से तीसरा सबसे गर्म अप्रैल महीना रहा था।

'पूर्व सहमति का प्रमाण दिए बिना अधिक अंशदान का प्रावधान करे ईपीएफओ'

कोच्चि, 13 अप्रैल (एजंसी)।

केरल उच्च न्यायालय ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) से कहा है कि वह कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को पूर्व सहमति का प्रमाणपत्र देने की जरूरत के बिना अधिक अंशदान का विकल्प चुनने की अनुमति देने के लिए अपनी आनलाइन प्रणाली में प्रावधान करे। न्यायमूर्ति जियाद रहमान ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए यह अंतरिम आदेश दिया। याचिका में दावा किया गया था कि अधिक योगदान का विकल्प चुनते समय दिए पूर्व अनुमति की एक प्रति देनी होती है, जो ईपीएफ योजना, 1952 के तहत अनिवार्य है।

-पूरी खबर पेज 8

www.readwhere.com

जनसत्ता क्लासीफाइड

व्यक्तिगत

It is for general information that I, Pankaj Kumar Soni S/o Mathura Prasad Soni, R/o House No-825, Sun Light Colony-2, Baba Shadi Dharam Sala, Ashram, Delhi-110014, declare that name of mine and my wife has been wrongly written as Pankaj Soni and Sudha respectively in my minor son Ashutosh Soni aged 11 years in his School Records. The actual name of mine and my wife are Pankaj Kumar Soni and Sudha Seth Soni respectively, which may be amended accordingly. 0070837208-1

I, Vinod Kumar Patyal, s/o Sh. Mohan Singh R/o. 444, F/F, Near Shiv Mandir, Sector-21D, Hbc Faridabad-121001, Haryana, have Changed my name to Vinod Kumar, permanently. 0040663353-1

I, Sushil Kumar s/o- Ghanshyam Dass,R/o 1/8462, 1st-Floor, Gali. No.1, Near-Ramayan Bhawan, West-Rohtash Nagar, Delhi-110032, have Changed my name to Sushil Gupta, permanently. 0040663353-3

I, Shailja w/o Sushil Gupta, R/o 1/8462, 1st Floor, Gali. No.1, Near-Ramayan Bhawan, West Rohtash Nagar, Delhi-110032, have Changed my name to Shailja Gupta, permanently. 0040663353-4

I, Saraju Prasad S/o Laxmi Narain R/o B-2/313, Varun Apartment Sector-9, Rohini Delhi-110085, changed my name to Saraju Prasad Verma 0040663354-4

I, Sabina Kapoor, w/o Pankaj Wadhwa, R/o F-403, Tower-F, GPL Eden Heights, Sector-70, Gurgaon-122001, Haryana, have Changed my name to Sabina Wadhwa, permanently. 0040663357-5

I, Rudra Vardhan Singh, S/O Tathagat Singh R/O P-64, Sector-11, Noida-Gautam Budha Nagar Pin-201301, Have changed My Minor Son Name to Atharva Vardhan Singh, for all Purpose. 0040663339-8

I, Raghunath Menon,son of, late Sh P Gangadhar Menon, R/o House. no. 268A, G.F-1, Sector-1, Vaishali, Ghaziabad, UP declare that I am known and called as Raghunath Menon@Kakkanatt Raghunath Menon@ K Raghunath Menon. The above names pertain to one and same person. 0040663339-4

I, Rachana Khurana W/o Rajesh Gogia, R/o 12/135, Geeta Colony, Delhi-110031 have changed my name to Rachna Gogia. 0040663357-2

I, RAHUL GUPTA S/O GRISH CHAND R/O H.NO. C-27, FIRST FLOOR, MOLARBAND EXTN., GALI NO. 16-E, BADARPUR, DELHI-110044 declare that name of mine has been wrongly written as KAMAL in my minor daughter PALSHI aged 17 years 10th class marksheet and certificate. The actual name of mine is RAHUL GUPTA 0070837243-1

I, Priyanka Gupta,W/o-GeetanshAddress- Mukesh Trading Corp, Main Bazar Kunihar.Village: Hatkot, PO:Kunihar. Tehsil: Arki, Distt:Solan, Hp-173207, changed my name to Priyanka. 0040663339-2

I, Rohit S/o Surender Gupta R/o D-13/134, Sector-7, Rohini, Delhi, have changed my name to Rohit Gupta. 0040663354-1

I, Poonam Tyagi W/o Anil Kumar Tyagi R/o Flat No.-148, Tower-9, Palm Olympia, Greater Noida West, Sector-16C, Gautam Buddha Nagar, UP-201306 have changed my name to DIKSHA TYAGI for all future purposes. 0070837257-1

I, Pankaj Mani Dhal,S/O-Mohinder Partap, R/O A-3/97, Janakpuri, New Delhi-110058, Have Changed my Minor Daughter Name Christy to Christy Dhal. 0040663339-9

I, PAWAN KUMAR S/O Late BANARSI LAL, D-1-A Radhey puri, Krishna Ngr, Delhi-51 have changed my minor Son's name from SAGAR to SAGAR ARORA. 0040663351-1

I, Nidhi Arora W/o Anant Kishan Mehra R/o A-19, Sector-34, Noida, Gautam Buddha Nagar, UP-201301 have changed my name to NIDHI MEHRA for all future purposes. 0070837258-1

I, Neema,W/o Faisal Zanjani, R/o A-68, Pocket-00, 32 Metar, Sector-2, Rohini, Delhi-110085, have changed my name Neema Zanjani. 0040663354-6

I Meenu Chopra,W/o-Sh.Praveen Kumar Kapoor, R/o-H.No.1792, Rani Bagh, Shakur Basti,Delhi-34 have changed my name to Jyoti Kapoor for all purpose.That Meenu Chopra & Jyoti Kapoor is the-one and same-person. 0040663285-1

I, ANURADHA, W/O GAURAV MEENA, ADD S2-10, SARASWATI APARTMENTS, SEC-D6, VASANT KUNJ, SOUTH-WEST, DELHI-110070, changed my name to ANU-RADHA TAMARIA, for all, future purposes. 0040663339-7

व्यक्तिगत

I, Naresh Singh Bisht S/o Bishan Singh Bisht R/o G-91, Sector-22, Noida, Gautam Buddha Nagar, declare that my name has been wrongly written as Naresh Bisht in my son's 10th Marksheet. 0040663338-1

I, Narender Kumar, S/o Hawa Singh, R/o Flat. No. 201, Second Floor, KH. No.597, Vill. Rangpuri, E-Block Galaxy Appt, Mahipalpur, South West, Delhi-110037, have changed my name to Narender Singh. 0040663354-7

I, Monika Menon, W/o Sh.Raghunath Menon, R/o House. no. 268A, G.F-1, Sector-1, Vaishali, Ghaziabad,UP declare that I am known and called as Monika Menon@ Monika. Both names pertain to one and same person. 0040663339-5

I, Mehrunnisa Quershi W/o Mr. Gulam Sabir R/o Plot No.2, Kh.No.5/4, Between Street No.3&4, Sangam ViharVillage Wazirabad, Burari, Delhi-110084 do hereby solemnly inform that in some documents my name is written as Mrs. Mehrun Nisha instead of Mehrunnisa Quershi, I will be known as Mehrunnisa Quershi for all future purposes. 0040663304-1

I, Mandeep Singh Tikla S/o Baljeet Singh R/o 312, Jagriti Enclave Delhi 110092 have change my name to Mandeep Singh for all future purposes 0040663199-1

I, Madhavi Cherukupalli W/o Chatrati Prasad Rao R/o 60-D, Regal, ShipraSuncity, Indirapuram, Ghaziabad, Uttar Pradesh-201014 have changed my name fromMadhavi Cherukupalli to Chatrati Phani Madhavi for all purposes. 0040663328-1

I, Kiran W/o-Satish Singhal, R/o G-42, New Seelampur, Delhi-110053, have Changed my name to Kiran Singhal, for all, future purposes. 0040663353-2

I, Khurshida W/o-Azhar Khan, R/o:Plot.No-164A, Deep Enclave,Part -1, Gali. No-10, Vikas Nagar, Uttam-Nagar, New Delhi -110059, Have Changed My Name to khur-shida Khanam, for all Purposes. 0040663353-5

I, Kavita W/o Anil Gogia, R/o 12/135, Geeta Colony, Delhi-110031, have changed my name to Kavita Gogia. 0040663357-1

I, Jasvinder Singh S/o Gurdeep Singh, R/o 1683, Outram Line, Kingsway Camp, GTB Nagar, Delhi-110009, have changed my name to Jaswinder Singh, for all purposes. 0040663282-1

I, JATIN SINGH, S/O PREM SINGH, ADD CA-100C, BLOCK DDA FLATS HARI NAGAR, WEST, DELHI-110064, Changed my name to JATIN SINGH SHOUN, for all, future purposes. 0040663339-1

I, Harpreen Kaur Dhir W/o Sajan Phawa R/o FA-37, Shivaji Enclave Rajouri Garden Tagore Garden Delhi-110027, changed my name to Harpreen Kaur 0040663354-3

I, Deepak Kumar S/o Sh. Bhisham Lal Chanana R/o 2069, Outram Line , Near GTB Nagar Metro Station, Delhi-110009, have changed my name to Deepak Kumar Chanana for all future Purposes 0040663287-1

I, Charan Singh, S/o Mam Chand, R/o 273A, Choudhary Mam Chand Marg, Gujjar Chock, Ram Pura, North West, Delhi-35, do hereby declare that I have changed my name from Choudhary Charan Singh Khari to Charan Singh.Choudhary Charan Singh Khari and Charan Singh are the name of same one person. 0040663283-1

I, Babita Devi W/o Manoj Kumar R/o Flat No.473 G.F, C&D Block Kanishka Apartment Shalimar Bagh Delhi-110088 declare that name of mine and my minor son KETAN ANTIL aged-10,years has been wrongly, written as BABITA and KETAN in, his school, record the actual name of mine, and my, minor son are BABITA DEVI and KETAN ANTIL. 0040663354-5

I, Al Sana Iqbal D/o Mohd Iqbal R/o T-257, Sher Ka Pinjra, Idgah Road, Quresh Nagar, Sadar Bazar, Delhi-110006my mother name is not mentioned in my marksheet, and my mother name is Saeeda Begum. 0040663294-1

I, ANITA BHUTANI W/O SUNIL KUMAR R/O HNO. 317, LAL JYOTI APARTMENT, SECTOR-9, ROHINI, DELHI-110085. HAVE CHANGED MY NAME TO ANITA. 0040663339-3

I Sanoj Malik S/o Sh. Sansar Malik R/o H.No.C-4/172, First Floor, Yamuna Vihar, Delhi-110053 have changed the name of my minor son from Shorya to Shorya Malik for all purposes. 0040663275-1

I, CHANDNI D/O SURESH KUMAR R/O 737/3, BHAGWAN GALI KOTLA MUBARAKPUR, NEW DELHI 110003. CHANGED MY NAME TO CHANDNI KUMARI. 0040663354-2

I, MOLY THOMAS MURIKKUM THOTTATHIL /MOLY THOMAS M, W/O JOSE SEBASTIAN, ADD 19/703, NURSES RESIDENTIAL COMPLEX SRINIWASPURI, SOUTH EAST DELHI-110065, changed my name to MOLY JOSE, for all, future purposes. 0040663339-6

I Sandeep S/o Sh. Ram Kishor R/o H.No.5, Bhattachrya Lain, Gali No.1, A-1 Block, Bangali Colony, Sant Nagar, Burari, Delhi-110084 have changed my name to Sandeep Kumar for all purposes. 0040663275-3

I Priyanki Tanwar D/o Praveen Tanwar R/o WZ-513A, Basai Dara Pur, Ramesh Nagar, Delhi-110015, have changed my name to Priyal Tanwar 0070837209-1

I Gullu S/o Mohd Sharif R/o F-251, New Seema Puri, Shahdara, Jhilmil. Delhi-110095, have changed my name to Aryan Shah. I have changed only my name not my Religion 0070837206-1

I Devinder Singh S/o Sh. Narender Singh R/o House No. RZ-748, M-Block, Gali No.7, Prem Nagar, Najafgarh, New Delhi-110043 have changed the name of my minor son from Aditya Singh to Aditya for all purposes. 0040663275-2

I Atul Kumar S/o Jagdish Lal Chhabra R/o WZ-17A, GF, Hind Nagar, Gali No-1, Near MRV School, Tilak Nagar, West Delhi-110018, have changed my name to Atul Chhabra. 0070837203-1

I, SITARA W/O NAEEM AHMAD, ADD B-41, G/F, DDA-COLONY NEW ZAFRABAD NORTH EAST DELHI-110032, changed my name to SITARA BEGUM, for all, future purposes. 0040663357-4

I, NAEEM/NAEEM AHMED S/O MUSTKEEM, ADD B-41, G/F, DDA COLONY, NEW ZAFRABAD NORTH-EAST DELHI 110032, changed my name to NAEEM AHMAD, for all, future purposes. 0040663357-3

I, ABHISHIKA JANARDAN D/O,BHUVNESH JANARDAN EX-W/O ABHISHEK BHARDWAJ R/o,Flat-No.102, U.G.F., Plot-No.H-648, Village Pochanpur,Dwarka, Sector-23, New-Delhi-110075,that I got divorce from my ex-husband VAIBHAV DIXIT vide-decree no.HMA-No.1142/20 dated-21.09.2020 further, I have changed the name of my-minor daughter AVANTIKA DIXIT aged-4-years and she shall hereafter be known as DHRITI JANARDAN. 0040663216-9

It is for general information that I, SHILPA GOEL D/O LATE SHRI SHILADITYA GOELand Ex. Wife of MAYNAK JAIN R/O H. NO. 808, SECTOR-16, FARID-ABAD, HARYANA121002 declare that I got divorce from my husband vide Court Decree HMA No. 99/2023 dated 21.02.2023. Further I have changed myname and shall hereafter be known as SHILLPA. 0040663303-1

खोया+पाया

I, Nivedita Verma, W/o Nikesh Nandan had lost my registry paper of my flat No ASH-12/03, Shipra Suncity, Indirapuram, GZB, Vide book no.1, Volume No.3569 from page no 247 to 280 having Sr. No.27263, Date 25.11.2003, if found please contact Nivedita Verma# 09412780955 0070837248-1

I,Dharmendra Kumar Pappu S/o Late Sh. Kapileshwar Chaudhary R/o-H.No.-I-242, Gali No.-4,Gyan Mandir Road,Ekta Vihar,Jaitpur Extn,Part-1,Badarpur,NEW Delhi-110044,have changed my name from Dharmendra Kumar Pappu to Dharmendra Kumar for all future purposes. 0040663339-11

Lost my original possession letter VCGHS/A-27/2011 of, Flat A27, Vrindavan Apartments, Vrindavan-CGHS Ltd, Sector6, Dwarka, New Delhi-75. FIR at Police Station has been filed. Finder Contact :Varun Juneja-9810232462. 0040663339-10

ORIGINAL PERPETUAL LEASE DEED OF AG-671,SHALIMAR BAGH DELHI HAS BEEN LOST FINDER,CONTACT ARVIND KUMAR ARORA AT ABOVE ADDRESS/7982022210 0040663357-7

खोया और पाया

मैं, नज़मा बेगम, W/o स्वर्गीय जमील अहमद, निवासी डब्ल्यू-304 ताज एन्क्लेव, गीता कॉलोनी, दिल्ली-110031, मेरे तीन (03) शेयर सर्टिफिकेट (कुल 50 शेयर) खो गए हे जो स्वर्गीय जमील अहमद के नाम पर ताज सरताज को- ऑपरेटिव ग्रुप होसिंग सोसाइटी लिमिटेड, गीता कॉलोनी, दिल्ली - 110031 द्वारा जारी किए गए थे। तीन शेयर सर्टिफिकेट में एक (01) शेयर, इकतालीस (41) शेयर और आठ (08) शेयर थे, जारी करने की तारीख 18/12/1980, 30/09/1986 और 28/08/1987 क्रमशः।
खोजकर्ता कृपया उपरोक्त पते पर संपर्क करें। मोबाइल नंबर: 9654664076

PUBLIC NOTICE

Notice is hereby given to public at large that my client Mrs. Nisha Aggarwal who is the owner of Entire Ground Floor, without roof rights, Built on Property Bearing Plot No. 52 area measuring 188.9 Sq. Yds. in Block-A, Property known as 52-A, Situated in Northern City Extension Scheme, Subzi Mandi, Delhi by virtue of Sale Deed dated 16.09.2021 executed by Mr. Dharam Vir as attorney of his real sister Mrs. Santosh Kumari (W/o Late Mr. Vikram Singh) who inherited the said property through Will dated 17.07.2007 after the demise of her husband Mr. Vikram Singh.
If any person(s) has/have any objection(s) or claim(s) with respect to the right, title or interest in the said property may please contact us within 15 days from the date of this notice on the number & address mentioned herein below, failing which my client(s) shall not be held responsible in any manner whatsoever.
Mohd Khairul Hussain (Advocate)
A-38, Kailash Colony, Khaitan & Khaitan New Delhi-48, Mob.-8810391672

सार्वजनिक सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे मुवक्किल (1) श्रीमती सावित्री देवी पत्नी श्री सुखदेव और (2) श्री सुखदेव सुपुत्र श्री रघुवर निवासी मयान संख्या 476, गली न0–7, ए–ब्लॉक, वैशिक एंक्लेव, कुराडी, दिल्ली– 110084, ने अपने अपने पुत्र विरंजीव कुमार और उसकी पत्नी वंदना को उनके द्वारा किए गये कृत्यो, दुराचरण और दुर्व्यवहार के कारण अपनी चल–अचल संपति से बेदखल कर सभी पारिवारिक संबंध विच्छेद कर लिए हैं और आज के बाद इन लोगो का हमारे परिवार से कोई सम्बन्ध नहीं रहेगा तथा इन उपरोक्त लोगो पर हुये लेन देन, पुलिस केस मुकदमेबाजी आदि की जवाब देही मेरे मुव्वकिलो की नही होगी तथा इसके लिये वे स्वयं जिम्मेदार होंगे। मनोज कुमार (अधिवक्ता) चे.न.टी–1ई, तीस हजारी कोर्ट, दिल्ली–110041.

सार्वजनिक सूचना

सर्वसाधारण को विदित हो कि मेरे मुव्वकिल राज कुमार बत्रा पुत्र स्व. किशन लाल बत्रा एंव श्रीमति नीतू बत्रा पत्नी श्री राज कुमार बत्रा, निवासी म.नं. सी – 256, चिन्यौट बस्ती, मुल्तानीढाडा, पहाड़गंज, नई दिल्ली– 110055 ने अपने पुत्र – साहिल बत्रा एंव इसकी पत्नी – भूमिका तुली, को अपनी चल व अचल संपत्ति से बेदखल कर दिया है और अपने समस्त रिश्ते नाते समाप्त कर लिये है क्योंकि वे मेरे मुव्वकिल के आज्ञाकारी नहीं रहे है और उनका व्यवहार मेरे मुव्वकिल एंव उनके परिवार के प्रति ठीक नहीं है। मेरे मुव्वकिल को उनसे खतरा है अतः भविष्य में वे अपने समस्त कार्यो व लेन–देन के लिए स्वयं जिम्मेदार होगें, मेरे मुव्वकिल व उसके अन्य परिवारजनों का कोई लेना–देना नहीं होगा।
हस्ता./–
जी.एल. गोस्वामी
एडवोकेट

सार्वजनिक सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे मुवक्किल अजय मोहन शर्मा पुत्र के. आर. शर्मा निवासीः जी–6/127, सेक्टर–16, रोहिणी, दिल्ली–110089 ने अपने पुत्र अरिल शर्मा को गलत आचरण, दुर्व्यवहार करने तथा बात ना मानने के कारण अपने सभी पारिवारिक संबंध समाप्त कर अपनी समस्त सम्पति से बेदखल कर दिया है और भविष्य में अरिल शर्मा द्वारा किये किसी भी कृत्य/लेन देन के लिए मेरे मुवक्किल व उनके परिवार वाले जिम्मेदार नही होगें। शशी कांत (अधिवक्ता)
चेम्बर नं. डी–209, कड़कड़डूमा कोर्ट, दिल्ली–110032

PUBLIC NOTICE

"My clients Shri Khushal Singh S/o late Kanwar Lal & his wife Smt. Bhagwati Devi both R/o H.No.11/4, Bhogal Road, Jangpura, S.O. South Delhi-110014 have severed all relation from their son Umesh Gautam due to his disobedient, disrespectful behavior towards my clients and their family members. My clients have disclaimed/ debarred/ disinherited him from their movable and immovable properties. My clients shall not be responsible for any kind of his acts and deeds. If any person deals with him shall do so at his/her own risks, costs and consequences."
Sd/-
(Lalit Kumar)
Advocate
Ch. No. C-96, C.L. Joseph Block
Tis Hazari Courts, Delhi-54

PUBLIC NOTICE

Be it known to all concerned that my clients Shri Bhim Singh Taneja S/o Late Shri Bhagwandas and Smt. Kaushalya Taneja W/o Shri Bhim Singh Taneja, both R/o: RZG-82, Mahavir Enclave, Mandir Marg, Near Universal Public School, New Delhi-110045, have severed their relations from their Son Shri Nitin Taneja and his wife Smt. Manisha @ Divyanshi Taneja and my above clients have also disowned and disinherited both of them (Shri Nitin Taneja and his wife Smt. Manisha @ Divyanshi Taneja) from all their (my clients') movable and immovable properties. Henceforth, anybody dealing with the said Shri Nitin Taneja and his wife Smt. Manisha @ Divyanshi Taneja may do so at his/her own risk and consequences and my above said clients shall not be held liable for any of the acts, deeds and things done by their Son Shri Nitin Taneja and his wife Smt. Manisha @ Divyanshi Taneja.
Sd/-
A.N. Pandey (Advocate)
En. No.: D/918/97-R
Ch. No. 552, Lawyers' Chambers,
Dwarka Courts, New Delhi-75

PUBLIC NOTICE

BE IT KNOWN TO ALL THAT my clients Smt. Vijay rani, S/o Bheem Sen, R/o H.No. 5350, Arya Samaj Street, Near Khilona das Mandir Laddu Ghat, Pahar Ganj, Swami Ram Tirth Nagar, Delhi-110055 has disowned her son namely Umesh Kumar and his wife Karuna @ Deepa from their entire property movable and immovable due to his unsocial behavior. Whoever deals with him same shall be entirely at their own risk and consequences and my clients shall not be responsible in any manner for his acts and deeds
Sd/-
HEMANT SINGH
Advocate
Seat No. 150, P.S. Rathi Block,
Tis Hazari Courts Delhi-54

PUBLIC NOTICE

General Public is hereby informed that my client, Smt. Savitri, W/o Late Sh. Dalel Singh, R/o H. No. 340, Pana Dopalan, VPO Tikri Kalan, Delhi-110041, have disinherited and disowned her son and daughter-in-law namely Sh. Jitender and Smt. Pooja, from her all properties situated at Village Tikri Kalan, Delhi-110041 and also other movable and immovable properties as well as from the line of succession and have broken all ties with her son and her daughter-in-law. My client is neither responsible for any liabilities nor responsible for any Acts, Deeds or things done by said son and daughter-in-law or any other person (s) dealing with him or her shall be dealing so at his own risks, costs and consequences.
Sd/- **SUNITA SEVDA** (Advocate)
Ch. No. X-5-A, Civil wing,
Tis Hazari Courts, Delhi-54

PUBLIC NOTICE

General Public is hereby informed that under instructions from and on behalf of my clients KAMALJEET KAUR w/o SURENDER SINGH and SURENDER SINGH s/o BHAGWAN SINGH both r/o S/221/111, KHYALA Road, Vishnu Garden, New Delhi-110018, have disowned/ debarred/ discarded their real son SATINDER SINGH @SUNNY s/o SURENDER SINGH r/o B-1/147, Vishnu Garden, New Delhi-110018 due to his misbehavior, disobedience,illegal activities from all of my client's movable and immovable assets and have also ceased all their relations in every respect with him. It is further declared that anyperson(s) whosoever deals with him shall do that entirely at his/her/their own risks,costs and responsibility and my clients shall not be responsible for dealing with him if any person do so.
J C Trikha, Advocate

PUBLIC NOTICE

Public at large is hereby informed that my client **Shri Hari Chand Saini S/o Lt. Chandu Ram Saini,** resident of House No.218-B2 Hari Nagar Ashram, Jungpura s.o, South Delhi, Delhi-110014, have severed all kind of relations and have debarred their son **Mr. Deepak Saini and his wife Anju Saini** from their all kind of movable and immovable properties due to their misbehavior, misconduct and daily violence with my other family members. My client shall not be responsible for any done acts done by them in future in any manner.
VINAY SONI (ADVOCATE)
Chamber No. G-716
Karkardooma Courts, Delhi

PUBLIC NOTICE

Be it known to general public that my client SMT. MOHINI SANDHU W/O LATE SH. SUKHWINDER SINGH R/O D-11/250- 251, TOP FLOOR, NEAR SAI BABA MANDIR, SECTOR 7, ROHINI, DELHI- 110085, is absolute legal owner and having clear title in the property bearing No. D-11/250-251, TOP FLOOR, NEAR SAI BABA MANDIR, SECTOR-7, ROHINI, DELHI- 85, in all respects.
VINEET LAKHANI (Advocate)
Delhi High Court
Ch. No. D-301, D-Block
Karkardooma Courts, Delhi
Ph. 9811109051

PUBLIC NOTICE

This is to inform the Public at large that Smt. Urmil Malhotra W/o Late Sh. Ravi Malhotra the 'Title Holder' in possession of DDA Flat No. 4-C, on First + Second Floor, Duplex in Block-N, Situated at Malviya Nagar Extn, Known as Saket, New Delhi-110017, hereinafter referred to as 'That the Original Document w.r.t. the Schedule Flat i.e 1. Allocation Letter dated Nil Year 1980, 2. Allocation cum Demand Letter dated 06.12.1980 & 3. Possession Slip dated 13.02.1981 issued by DDA in favour of Sh. Ravi Malhotra have been lost/misplaced and Information Report dated 12.04.2023 is filed with Delhi Police bearing LR. No. 337904/2023. This notice is issued to Public at Large, i.e. any Person(s), Company(ies), Authority(ies), Society(ies), Bank(s), etc., having any knowledge, custody or possession of the lost/misplaced documents as mentioned above or otherwise having any claim, or objection to the sale of the Schedule Flat, may come forward with supporting documents, to be delivered to the undersigned within 10 days from the date of this Publication.
Rahul Mishra, Advocate
Mobile No. 7827702007

PUBLIC NOTICE

TO WHOM IT MAY BE CONCERN that my client **SHRI MOHAN SINGH BHADARI, S/O LATE SHRI PREM SINGH BHANDARI** and Smt Tulsi Bhandari W/o Sh. Mohan Singh Bhandari Both are R/O E-208 Qutub Vihar, Phase II Goyala Dairy, Najafgarh, New Delhi- 110071. Due hereby declare that they have disowned and debarred their son **NAVEEN BHANDARI** R/o House no. 53A, Street no. 9 Nangali Vihar, Najafgarh New Delhi 110043, his wife **SHOBHA BHANDARI** and their granddaughter **VAISHANVI BHANDARI** R/O flat no - 403 fourth floor, Shyam Vihar phase II, Najafgarh, New Delhi 110043 from their movable and immovable properties due to their misconduct, misbehavior, disobedient act, degrade and use filthy language towards my client. Anybody deal with them in that case my client shall not be responsible for any act and deed done by them. He/she will be responsible for that.
Sd/-
Ashok Kumar Sabharwal
Advocate
Ch. No. B-130, B.G.S. Block,
Tis Haari Courts, Delhi-54

PUBLIC NOTICE

It is for the information of general public that our clients **Sh. Santosh Kumar Saraswat S/o Late Sh. Bani Singh** and **Smt. Kamlesh W/o Sh. Santosh Kumar Saraswat** both R/o E-2/104, Shastri Nagar, Delhi-110052, has disowned/ debarred their daughter-in-law namely **Smt. Durgesh Saraswat W/o Late. Sh. Deepak Saraswat** and her minor son namely master **Shivay Saraswat** from all their movable and immovable properties due to their misbehaviour, quarrelsome nature towards our clients and severed all relations with them. Our clients shall not be responsible in future for any acts and deeds of their above-named disowned daughter-in-law and grandson master Shivay Saraswat.
Sd/-
Naveen Gaur
Advocate
Seat No. 120 and 140, GaJanand Block,
Tis Hazari Courts, Delhi-54

PUBLIC NOTICE

MY CLIENTS **KRISHNA DEVI WIFE OF LATE KAILASH BABU RESIDENT OF B-444, JWALAPURI, CAMP NO-4, DELHI**, HEREBY REMOVE HER RELATIONSHIP AND EXPEL HER SON **SANDEEP AGE 28 YRS. AND HIS WIFE GAYATRI VARMA AGE 25 YRS. BOTH ARE RESIDENT OF B-444, JWALAPURI, CAMP NO-4, DELHI**, FROM ALL HER MOVABLE AND IMMOVABLE PROPERTIES BECAUSE THEY ARE OUT OF HER CONTROL. IF ANYBODY DEALS WITH THEM, HE/SHE WILL DO SO ON HIS/HER OWN RISK.
Sd/- **VIJAY LAXMI** (ADVOCATE)
OFFICE:- C-62, CLJ
LAWYER CHAMBERS
TIS-HAZARI COURTS, DELHI-54

PUBLIC NOTICE

My client Jagdish S/o Late Sh. Amar Singh R/o H.No. RZ/39 Mangolpur Khurd Mangolpuri N Block Delhi-83 has disowned/debarred his, son Virender Singh from his all movable, immovable properties due to his bad conduct, behavior towards my client and he is not in my client's control and if any one keeps relation with him it will be on their own risk, cost and consequences and my client have no responsibility for his act, omission etc. in this regard and whereas my client hereby bequeath/declared that his all movable, immovable properties with all right shall go and devolve in favor of, his grand-son Aaryan S/o Virender Singh.
Amardeep Indora (Advocate)
Ch. No. 604, Rohini Court, Delhi-110085

PUBLIC NOTICE

It is to inform to the public at large that my clients namely Mr. Yogesh Sharma S/o Mr. Ramesh Chand, And his wife Mrs. Gurmeet Sharma Both are residence of 66, Navneetam Apartment, Near N.K. Bagrodia, Public School, Rohini Sector-9, New Delhi-110085 have disowned/ debarred his/her Son Mr. Arpit Sharma and his/her daughter-in-law Mrs. Yachna from all their movable and immovable properties and severed all his/her relation with his/her as they are not in control of my clients, If anyone dealing with them may do so at his/her own risk and consequences. Henceforth my clients have no concern/relation with them in their life time.
Sd/- **Mukesh Kr. Solanki**
En. No: D/4168/2015 **Advocate**
Chamber No. 455, Lawyer Chambers, Dwarka Court Complex, New Delhi-110075

PUBLIC NOTICE

It is informed to the public at large that my clients Sh. Rakesh Kumar S/o Shri Banwari Lal, Smt. Sushila Devi W/o Shri Rakesh Kumar Both r/o I-295, JJ Camp, Tigri, New Delhi 110062 has disowned their son Vishal, his wife Sarita, their daughter Mannat from their movable and immovable properties and severed their all relations from them due to their quarrelsome nature bad behaviour. Any one dealing with them shall be doing so at their own risk and responsibility. My clients shall not be liable/responsible for any act done by them in any manner whatsoever.
Sd/- **(Ramesh Kumar)**
Advocate
Ch. No. 325, Saket Court Complex, Saket, New Delhi-17

PUBLIC NOTICE

Know all men by these presents that my client SMT. ANANDJIT KAUR W/O LATE S. SUCHA SINGH R/O II-55/6, SADAR BAZAR, DELHI CANTT, DELHI-110010 is rightful/legal owner and in possession of PROPERTY BEARING NO. C-533, AREA MEASRUING 22.5 SQ. YDS., SITUATED AT HASTSAL, J.J COLONY, UTTAM NAGAR, NEW DELHI-110059 whose original property papers and all other related documents has been lost/misplaced somewhere near Arjun Nagar, New Delhi on dated 13/04/2023 and lodged online FIR vide LR No. 338944/2023 dt. 13/04/2023 in the P.S. Crime Branch, Delhi.
Any person found the above lost documents then inform within one week at 184-A, Arjun Nagar, New Delhi-110029 and also contact on Mobile No. 9773547998, will be suitable rewarded. In case the above said documents misused by any person/s then he/she/they will be liable for the same.
Sd/- **H.K. BABBAR**
Advocate
DG-3/409, Vikas Puri, N.D.-18
M:- 9811674564

PUBLIC NOTICE

To be known to all that I, Bimla Rani D/o Mulkhraj Sachdeva R/o BH-Block, 703A, Shalimar Bagh, Delhi - 110088 have lost my Original Property Documents Demand Letter, & Miscellaneous Documents issued by DDA in respect of the Property No. DDA Housing Flat, F/12/632/80, BH-Block 703A, Shalimar Bagh Delhi-110088. An NCR on this effect has been lodged vide LR No. 312681/2023 Dated 05-04- /2023. in this effect
Any person claiming any right, interest, having any objection or found the same may Write/ Contact with the above named Person / Phone No. # 8860799995 within 15 Days from the publication of this notice. **Sd/-**
R.P. Singh
(Advocate) Enrl. No. D/9718/2019
Ch. L 12-A, Tis Hazari Court, Delhi-54
 # 9810323286

PUBLIC NOTICE

General Public is hereby informed that my client AFASARI W/o LATE. IMAMUDIN, R/o T-19A, Pul Pehladpur, Badarpur, South Delhi, Delhi-110044, have severed all her relations with her sons namely FIROZ KHAN and his wife AMEENA, IDUL GAFFAR @ IDU and his wife NAZREEN and MOHD. SHAHID and his wife SHABNAM, and their children's due to their bad habits/behavior & Physical assault my above named client have also Disowned and Debarred her said sons their wives and their children's from all her movable and immovable properties. If anybody deals with them will do so at his/her/their own risk, cost and responsibilities and my client will not be responsible for any act, deed or dealing done by them with immediate effect.
RAVI KANT UPADHYAY (Advocate)
Ch. No. 486, Saket Court, New Delhi-110017

रिक्त स्थान

LBS LAW COLLEGE

Tiwariganj, Chinhat, Lucknow
Vacancy For LL.B
Principal= 01 Post
Lecturer for **LL.B** (3yrs)= **08 Post**
Lecturer for **LL.B** (5yrs)
06 Post- English, Sociology, Pol Science, Economics, History, Psycology.
Qualification Experience & Percentage as Per Lucknow University/BCI Norms. Applicant Must Apply by Post within 15 days of Advertisement.
Manager

लोकसभा चुनाव के लिए विपक्ष हो रहा एकजुट

मल्लिकार्जुन खड़गे व राहुल गांधी से मिले शरद पवार

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 13 अप्रैल।

राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार ने अगले लोकसभा चुनाव के लिए विपक्षी एकजुटता के प्रयासों के बीच गुरुवार को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी से चर्चा की तथा विपक्ष के दलों को एक मंच पर लाने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया।

पवार ने तृणमूल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी जैसे दलों को साथ लेने पर भी जोर दिया। इस बैठक के बाद खड़गे, पवार और राहुल तीनों नेताओं ने कहा कि विपक्षी दलों को एकजुट करने की जरूरत है और सभी लोग इसको लेकर प्रतिबद्ध हैं। यह बैठक खड़गे के आवास 10 राजाजी मार्ग (नयी दिल्ली) पर हुई।

खड़गे ने संवाददाताओं से कहा, 'कल नीतीश और तेजस्वी ने बात की थी। सभी लोकतंत्र, संविधान और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को बचाने के लिए और महंगाई एवं युवाओं के लिए मिलकर काम करेंगे।' उन्होंने कहा, 'पवार साहब का कहना है कि सबसे मिलकर बात करेंगे और सब एक होने की कोशिश करेंगे। हम सब मिलकर काम करें, देशहित में काम करें।'

खड़गे ने ट्वीट किया, 'एकसाथ और मजबूत हैं। हम जनता के बेहतर, उज्ज्वल और साझा भविष्य के लिए एकजुट हैं। राहुल गांधी जी और शरद पवार जी के साथ आगे के कदमों पर चर्चा हुई।' पवार ने कहा, 'हमारी सोच भी वही है जो खड़गे ने कहा है। परंतु सिर्फ सोच से मदद नहीं मिलेगी। एक प्रक्रिया शुरू करने की जरूरत है। यह सिर्फ शुरुआत है। इसके बाद ममता बनर्जी (टीएमसी) अरविंद केजरीवाल (आप) और अन्य दलों के साथ बातचीत करनी है ताकि इस प्रक्रिया में उन्हें शामिल किया जा सके।' राहुल गांधी ने कहा, 'यह प्रक्रिया आरंभ हुई है। हम सब पार्टियां इस प्रक्रिया को आगे ले जाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।' बैठक में कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल भी मौजूद थे। राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण यह बैठक उस समय हुई है जब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पिछले कुछ दिनों से दिल्ली में विपक्षी नेताओं से मुलाकात कर सबको एक मंच पर लाने का प्रयास कर रहे हैं।

येचुरी से मिले नीतीश कुमार

नई दिल्ली, 13 अप्रैल।

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए व्यापक विपक्षी एकजुटता सुनिश्चित करने के प्रयास के तहत गुरुवार को मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) के महासचिव सीताराम येचुरी के साथ चर्चा की। नीतीश के साथ बैठक के बाद येचुरी ने कहा विपक्षी दलों को एकजुट करने की कवायद गति पकड़ चुकी है। इन बैठकों में यह तय किया गया कि अधिक से अधिक विपक्षी दलों को एक मंच पर लाने के साथ-साथ देश के लिए 'विपक्ष का दृष्टिकोण' सामने रखा जाएगा।

एनसीईआरटी की 11वीं कक्षा की पुस्तक से मौलाना आजाद का उल्लेख हटा

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 13 अप्रैल।

राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) की 11वीं कक्षा की राजनीतिक वि

दिल्ली : कोरोना के 1,527 नए मामले, दो की मौत

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली ,13 अप्रैल

दिल्ली में कोरोना के 1,527 नए मामले आए व संक्रमण की दर 27.77 रही। दिल्ली में गुरूवार को कोरोना की चपेट में आए दो मरीजों की मौत हो गई। इसमें एक मरीज को कोरोना के अलावा अन्य बीमारियां भी थीं। दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य विभाग की ओर से साझा बुलेटिन में यह जानकारी दी गई है।

साझा किए गए आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली में कोरोना से पीड़ित दो लोगों की मौत के साथ ही इसके चपेट में आए कुल मरने वालों की संख्या 26,549 हो गई है। हालांकि, बुलेटिन में साफ किया गया है कि इसमें सभी मामले में कोरोना मृत्यु का प्राथमिक कारण नहीं था। मरीजों की दूसरी बीमारियों के इलाज के दौरान की गई कोरोना की जांच में अचानक इसकी पुष्टि हुई। बुलेटिन में कहा गया है कि नए मामलों के साथ दिल्ली में कोरोना विषाणु के संक्रमितों की संख्या बढ़कर 20,18,777 हो गई है।

बुलेटिन के मुताबिक, सोमवार को दिल्ली में कोरोना के 1,821 नमूनों की जांच की गई। जबकि 231 मरीज अस्पतालों में भर्ती हैं। इनमें से 139 में कोरोना की पुष्टि हो चुकी है बाकी की कोरोना रिपोर्ट आनी है। इनमें से 59 लोगों को आइसीयू की जरूरत पड़ी है जबकि आइसीयू में भर्ती कुल मरीजों में 39 मरीजों को आक्सीजन की जरूरत भी पड़ी है। जबकि 10 मरीजों का वेंटिलेटर के सहारे इलाज किया जा रहा है।

'अगले कुछ सप्ताह में चरम पर पहुंच सकते हैं कोविड के मामले'

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली , 13 अप्रैल।

लोकनायक जयप्रकाश नारायण (एलएनजेपी) अस्पताल के चिकित्सा निदेशक डा सुरेश कुमार ने गुरुवार को बताया कि कोरोना विषाणु से संक्रमित एक नवजात को इस अस्पताल में भर्ती कराया गया है। साथ ही उन्होंने चेतावनी दी कि अगले कुछ सप्ताह में दिल्ली में कोविड के मामले चरम पर पहुंच सकते हैं। स्वास्थ्य विभाग द्वारा साझा किए गए आंकड़ों के अनुसार, दिल्ली में बुधवार को पहली बार एक दिन में संक्रमितों की संख्या 1,000 को पार कर गई।

पिछले सात महीनों में ऐसा पहली बार हुआ। शहर में संक्रमण की दर 23.8 फीसद रही। राष्ट्रीय राजधानी में बुधवार को कोविड के 1,149 नए मामले आए थे जबकि संक्रमण से एक व्यक्ति की मौत हुई थी। एलएनजेपी के चिकित्सा निदेशक डा कुमार ने बातचीत के दौरान बताया कि अस्पताल में मास्क लगाना अनिवार्य है।

दो हजार बिस्तरों वाला यह अस्पताल दिल्ली सरकार के मातहत आने वाला शहर का सबसे बड़ा अस्पताल है। डा कुमार ने कहा, बच्चों का टीकाकरण नहीं हुआ है, ऐसे में हमें उनके लिए एहतियात बरतने की जरूरत है क्योंकि उनमें बुखार, खांसी-सर्दी, आंखों में संक्रमण और पेट के संक्रमण जैसे लक्षण नजर आ रहे हैं।हमारे अस्पताल में 18 दिन के नवजात को भर्ती कराया गया है और वह कोरोना से संक्रमित है। उन्होंने बताया कि अस्पताल में चार और बच्चे भर्ती हैं। उन्होंने कहा कि स्कूलों और सार्वजनिक जगहों पर मास्क पहनना सही है, वरिष्ठ नागरिकों को भी मास्क लगाना चाहिए।

'बच्चों के लिए मास्क हानिकारक'

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली , 13 अप्रैल।

कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच एक जन स्वास्थ्य विशेषज्ञ का कहना है कि बच्चों के लिए मास्क अनिवार्य किया जाना अवैज्ञानिक और हानिकारक है।

उन्होंने कहा कि सही ढंग से मास्क नहीं लगाने से संक्रमण फैलने का खतरा बढ़ सकता है और कोविड के स्थानिक बनने के कारण मास्क की सीमित भूमिका रह गई है। हालांकि, सरकार ने फिलहाल कोविड संबंधी कोई दिशानिर्देश या मास्क लगाने का आदेश नहीं दिया है, लेकिन राष्ट्रीय राजधानी में लगभग 200 निजी स्कूलों ने मामलों की बढ़ती संख्या को देखते हुए पहले ही छात्रों और कर्मचारियों के लिए मास्क अनिवार्य कर दिया है। कार्य चिकित्सा विशेषज्ञ व संक्रामक रोग विशेषज्ञ डा चंद्रकांत लहरिया ने कहा कि जब बीमारी स्थानिक होती है, तो सभी आयु समूहों व बच्चों के लिए मास्क का लाभ और भी कम हो जाता है।

फिर, हमें यह याद रखने की आवश्यकता है कि मास्क सही ढंग से नहीं लगाने से संक्रमण फैलने का खतरा बढ़ जाता है। यदि बच्चे मास्क को छूते रहेंगे, तो यह उन्हें संक्रमण के प्रति संवेदनशील बना देगा। लहरिया ने कहा कि महामारी के दौरान भी, डब्ल्यूएचओ ने पांच साल से कम उम्र के बच्चों के लिए मास्क की सलाह नहीं दी थी।

जल्द बढ़ेगी स्कूलों में सख्ती

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 13 अप्रैल।

दिल्ली में तेजी से कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ते जा रहे हैं। इन मामलों पर दिल्ली सरकार नजर रखे हुए है और जल्द ही कोरोना से बचाव के लिए कुछ सख्तियां लौट सकती है। गुरुवार को दिल्ली की शिक्षा मंत्री आतिशी ने ये संकेत दिए हैं। आतिशि ने कहा कि जल्द ही इस बाबत दिल्ली सरकार की तरफ से दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे।

दिल्ली में बुधवार को पहली बार एक दिन में संक्रमितों की संख्या 1,000 को पार कर गई। पिछले सात महीनों में ऐसा पहली बार हुआ। शहर में संक्रमण की दर 23.8 फीसद रही। आतिशी ने बताया कि दिल्ली सरकार कोरोना स्थिति की समीक्षा कर रही है और इस संबंध में सभी स्कूलों के लिए दिशा-निर्देश जल्द जारी किए जाएंगे।

बीते पांच दिनों से बीस फीसद से अधिक है दर

अप्रैल	संक्रमण दर
12	23.8
11	25.98
10	26.58
09	21.15
08	23.05

बच्चों में गंभीर संक्रमण का संकेत नहीं

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 13 अप्रैल।

दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज ने गुरूवार को कहा कि ऐसा कोई संकेत नहीं मिला है कि जिससे कोरोना के ओमीक्रोन स्वरूप 'एक्सबीबी.1.16' के कारण बच्चों में गंभीर संक्रमण हो रहा है।

भारद्वाज ने कहा कि सरकार मौजूदा स्थिति पर नजर बनाए हुए है और कोरोना महामारी की किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है।

विशेषज्ञों ने ऐसी कोई जानकारी नहीं दी है, जिससे यह पता चले कि कोरोना के ओमीक्रोन स्वरूप 'एक्सबीबी.1.16' के कारण बच्चों में गंभीर संक्रमण हो रहा है। मैं कमजोर प्रतिरोधक क्षमता वाले या गंभीर बीमारियों से पीड़ित लोगों को भीड़भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचने और मास्क पहनने की सलाह दूंगा।

कर्मचारियों को मास्क पहनने कोविड-उपयुक्त व्यवहार का पालन करने की सलाह

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली , 13 अप्रैल।

कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच राजधानी दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) ने एक परामर्श जारी कर अस्पताल के सभी कर्मचारियों के लिए परिसर के अंदर मास्क पहनना और कोविड-उपयुक्त व्यवहार का पालन करना अनिवार्य कर दिया है। जारी परामर्श में कहा गया है, कार्यस्थल पर पुनः उपयोग किए जा सकने वाले कपड़े के फेस कवर/सर्जिकल मास्क का उपयोग करना चाहिए। कैंटीन या कार्यालयों में पांच या उससे अधिक लोगों के एकत्र होने से बचना चाहिए। इसमें कहा गया है कि जिन लोगों को अधिक जोखिम है, उनमें बुजुर्ग कर्मचारी, गर्भवती कर्मचारी और जो बीमारियों से ग्रसित हैं, वह लोग शामिल हैं।

आंबेडकर जयंती पर आज बंद रहेंगे सरकारी कार्यालय

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 13 अप्रैल।

दिल्ली सरकार के विभिन्न विभागों, उपक्रमों और स्वायत्त निकायों के सभी कार्यालय शुक्रवार को डा. बीआर आंबेडकर की जयंती के अवसर पर बंद रहेंगे। सामान्य प्रशासन की ओर से गुरुवार को जारी किया गया है। आदेश में कहा गया है कि उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने आंबेडकर की जयंती के अवसर पर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के सभी सरकारी कार्यालयों, स्वायत्त निकायों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में 14 अप्रैल को अवकाश घोषित किया है।

किसानों को मिलेगा अंगूर की खेती का प्रशिक्षण

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 13 अप्रैल।

जल्द ही दिल्ली के किसानों को अंगूर की खेती का प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस पहल से किसानों को अमरूद और अंगूर की स्थानीय खेती से किसानों को वित्तीय रूप से आत्मनिर्भर बनाया जा सकता है। गुरुवार को उपराज्यापाल ने कुतुबगढ़ गांव में अधिकारियों को इस बाबत आदेश जारी किए। अभी दिल्ली में अधिकतर अमरुद की ही खेती होती है। उपराज्यपाल ने बताया कि किसानों को अंगूर की खेती वैज्ञानिक तरीके से करने के लिए कृषि विज्ञान केंद्र में प्रशिक्षण दिया जाएगा। उपराज्यपाल ने किसानों को वित्तीय रूप से मजबूत बनाने के लिए 1000 अंगूर और 1000 अमरूद के पौधे (सैपलिंग) वितरित किए। इससे गांव के आसपास अंगूर और अमरूद की खेती को बढ़ावा मिलेगा।

'बिजली छूट मामले में समय देना अब भी विचाराधीन'

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 13 अप्रैल।

ऊर्जा मंत्री आतिशी के बयान के बाद उपराज्यपाल कार्यालय ने मंत्री के बयान को झूठा और गुमराह करने वाला बयान बताया है। उपराज्यपाल कार्यालय के मुताबिक बिजली छूट मामले में ऊर्जा मंत्री कार्यालय से गुरुवार सुबह साढ़े बारह बजे के करीब मुलाकात का समय मांगा गया है और अभी तक उपराज्यपाल द्वारा मंत्री द्वारा किए गए मुलाकात के आग्रह को अस्वीकार नहीं किया है।

बुधवार को बिजली छूट संबंधित मामले को लेकर ऊर्जा मंत्री आतिशी ने उपराज्यपाल वीके सक्सेना से मुलाकात के लिए समय मांगा है। इस मामले में उपराज्यपाल को भेजे गए एक पत्र के माध्यम से यह जानकारी सामने आई है। मामले में आतिशी ने अपने ट्वीट में लिखा कि उपराज्यपाल से मुलाकात के लिए पांच मिनट के लिए समय मांगा था और बिजली छूट मामले में चर्चा करना चाहती थी लेकिन समय नहीं मिलने से उन्हें बेहद दुख हुआ।

'आप' ने 12 कालेजों के लिए पहली तिमाही में 100 करोड़ रुपए जारी किए

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 13 अप्रैल।

केजरीवाल सरकार ने दिल्ली विश्वविद्यालय के अपने पूर्णतः वित्तपोषित 12 कालेजों के लिए पहली तिमाही में 100 करोड़ रुपए जारी किए है। गुरुवार को एक संवाददाता सम्मेलन के माध्यम से उच्च शिक्षा मंत्री आतिशी ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने साझा किया कि दिल्ली में केजरीवाल सरकार के आने के बाद से इन पांच कालेजों को दिए जाने वाले बजट में 300 से ज्यादा की बढोत्तरी हुई है, जो शिक्षा के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि जल्द ही आइपी यूनिवर्सिटी का पूरा परिसर शुरू होने वाला है। मइ में मुख्यमंत्री इसका उद्घाटन करेंगे।

आतिशी ने कहा कि केजरीवाल सरकार के लिए शिक्षा हमेशा सबसे बड़ी प्राथमिकता रही है। जबसे दिल्ली में केजरीवाल के नेतृत्व की सरकार आई है हर साल बजट में शिक्षा को सबसे बड़ा हिस्सा दिया जाता है। दिल्ली की उच्च शिक्षा की व्यवस्था में दिल्ली सरकार के कई विश्वविद्यालय शामिल है।

जेसीबी से कुचलकर कूड़ा बीनने वाले की मौत

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली , 13 अप्रैल।

जेसीबी चालक की लोगों ने पिटाई की, आरोपी गिरफ्तार, मृतक पप्पू सिंह बिहार के पटना का रहने वाला था।

बाहरी दिल्ली के रणहौला इलाके में कथित तौर पर जेसीबी के नीचे आने के बाद कूड़ा बीनने वाले व्यक्ति की मौत हो गई। पुलिस के अनुसार, जेसीबी चालक ने व्यक्ति की मौत को छिपाने के लिए उसके शव को एक प्लास्टिक की थैली में डालने की कोशिश की, लेकिन लोगों ने उसे पकड़ लिया और पिटाई की।

मृतक की पहचान पप्पू सिंह के रूप में हुई है, जो बिहार के पटना का रहने वाला था। घटना सुबह करीब छह बजे हुई और शव विकास नगर में एक खेत के सामने मैदान में मिला। पुलिस उपायुक्त ने कहा कि उसका सिर कुचला हुआ था और आधा शरीर प्लास्टिक बैग के अंदर पाया गया। वहां हरियाणा पंजीकरण संख्या वाली जेसीबी खड़ी मिली।

जेसीबी चालक की लोगों ने पिटाई कर दी और उसे मेडिकल जांच के लिए भेजा गया है। उन्होंने कहा कि द्वारका के निवासी जेसीबी चालक सन्नी कुमार सफाई करने वहां गया था। उन्होंने कहा कि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और सिंह के शव को पोस्टमार्टम के लिए दीन दयाल उपाध्याय अस्पताल भेज दिया गया।

Criminal Courts, Ludhiana
In The Court Of Ms. Divya Sharma JMIC Ludhiana
next date, purpose of case, orders and judgments as well as other case information is available on http://districts.ecourts.gov.in/ludhiana
Kotak Mahindra Bank Ltd
Vs.
Shamdas Vishnu Tandale
CNR NO : PBLD03-036204-2019
DATE: 15-05-2023
Publication Issued To: Shamdas Vishnu Tandale Address- R/o Sule Wadi Road, Tandale Mala Ma, Nasik 422003 Maharashtra 02. Vishnu Bhikaji Tandale R/o Sule Wadi Road Tandale Mala Ma Nasik 422003 Maharashtra
Whereas it has proved to the satisfaction of this court that you, the above named accused/accused persons can't be served in the ordinary way of service. Hence this proclamation under 82 of code of criminal procedure is hereby issued against you with a direction that you should appear personally before this court on 15-05-2023 at 10:00 a.m. or within 30 day sfrom the date of publication of this proclamation. Take notice that, in case of default on your part to appear as directed above the above said case will be heard and determined as per law, in your absence. for details logon to: https://highcourtchd.gov.in/?trs=district_notice&district=ludhiana
JMIC Ludhiana

Criminal Courts, Ludhiana
In The Court Of Ms. Divya Sharma JMIC Ludhiana Date: 15-05-2023
next date, purpose of case, orders and judgments as well as other case information is available on http://districts.ecourts.gov.in/ludhiana
Kotak Mahindra Bank Ltd Vs. M/s Kulkarni Enterprises
CNR NO : PBLD03-036202-2019
Publication Issued To: M/s Kulkarni Enterprises Address- Through Its Prop manohar venkatesheao kulkarni sr no 29 pl no 117, manmohan ap nagar, dhankwadi, distt pune 411043 maharashtra 02. manohar venkatesherao kulkarni prop m/s kulkarni enterprises sr no 20 pl no 117 manmohan ap nagar dhankwadi district pune 411043 Maharashtra
Whereas it has proved to the satisfaction of this court that you, the above named accused/accused persons can't be served in the ordinary way of service. Hence this proclamation under 82 of code of criminal procedure is hereby issued against you with a direction that you should appear personally before this court on 15-05-2023 at 10:00 a.m. or within 30 day sfrom the date of publication of this proclamation. Take notice that, in case of default on your part to appear as directed above the above said case will be heard and determined as per law, in your absence. for details logon to: https://highcourtchd.gov.in/?trs=district_notice&district=ludhiana
JMIC Ludhiana

केनरा बैंक Canara Bank
शाखाः गोविन्दपुरम
ई-मेलः cb18909@canarabank.com

कब्जा नोटिस (अचल सम्पत्ति के लिए) नियम 13(4) के तहत

जैसा कि अधोहस्ताक्षर कर्ता ने वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (2002 का अधिनियम 54) के अंतर्गत केनरा बैंक, गोविन्दपुरम शाखा का प्राधिकृत अधिकारी होते हुए तथा धारा 13(4) सहपठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 3 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 18.01.2022 को मांग नोटिस जारी किया था जिसमें उधारकर्ता 1. श्री सुभाष चन्द्र मित्तल पुत्र श्री बुद्ध प्रकाश मित्तल, 2. श्री राहुल मित्तल पुत्र श्री सुभाष चन्द्र मित्तल, 3. श्री मोहित मित्तल पुत्र श्री सुभाष चन्द्र मित्तल (उधारकर्ता) को मांग नोटिस की प्राप्ति के 60 दिनों के भीतर धनराशि रू.- 45,40,999.27 (रुपये पैंतालिस लाख चालिस हजार नौ सौ निन्यानवे और सत्ताईस पैसे केवल) दिनांक 10.01.2023 को तथा ब्याज व अन्य खर्चा दिनांक 01.01.2023 से अदा करने को कहा गया था।
ऋणी द्वारा धनराशि अदा न करने पर ऋणी/गारण्टर/सम्पत्ति के मालिक तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने उक्त अधिनियम की धारा 13(4) सपठित उक्त अधिनियम के नियम 8 एवं 9 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 13 अप्रैल 2023 को निम्नलिखित वर्णित संपत्तियों का कब्जा ले लिया है। विशेष रूप से उधारकर्ता/गारण्टर/सम्पत्ति के मालिक तथा आम तौर पर जनता को इस संपत्ति के संबंध में कोई भी लेन-देन न करने की चेतावनी दी जाती है। इस संपत्ति के साथ कोई भी सौदा रूपये की राशि के लिए केनरा बैंक, गोविन्दपुरम शाखा के प्रभार धनराशि रू.- 45,40,999.27 (रुपये पैंतालिस लाख चालिस हजार नौ सौ निन्यानवे और सत्ताईस पैसे केवल) दिनांक 02.11.2022 को तथा ब्याज व अन्य खर्चा दिनांक 01.01.2023 से अदा करने को कहा गया था।
सुरक्षित संपत्तियों को भुनाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में, अधिनियम की धारा 13(8) के प्रावधानों के लिए उधारकर्ता का ध्यान आकर्षित किया जाता है।

अचल संपत्ति का विवरण

बंधक आवासीय फ्लैट, भूमि तल बिना सीधी छत के, प्लॉट नं. बी-281, ब्लॉक-बी, स्वर्ण जयंती पुरम गाजियाबाद, बीयरिंग क्षेत्रफल 97.90 वर्ग मीटर और चौहद्दीः उत्तरः प्लॉट नं. 306, दक्षिणः रोड़ 9 मीटर, पूर्वः प्लॉट नं. 280, पश्चिमः प्लॉट नं. 282.

दिनांकः 13.04.2023 स्थानः गाजियाबाद प्राधिकृत अधिकारी, केनरा बैंक

नई दिल्ली नगरपालिका परिषद,
कार्यालय निदेशक (कर)
पालिका केन्द्र, नई दिल्ली

सार्वजनिक सूचना

1. आम जनता और सभी संबंधितों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि एनडीएमसी अधिनियम, 1994 की धारा–70 (यहां के बाद अधिनियम के रूप में संदर्भित) के अनुसरण में एनडीएमसी एरिया में सभी भूमि एवं भवनों की वर्ष 2022–2023 के लिए मूल्यांकन सूची निरीक्षण के लिए कमरा नं. 9006, 9वां तल, पालिका केन्द्र, संसद मार्ग, नई दिल्ली में उपलब्ध है। अधिनियम की धारा 72 के अंतर्गत कोर्ट के आदेश के अधीन उचित संशोधन, यदि कोई हो, के बाद या करयोग्य मूल्य के मूल्यांकन के बाद अधिनियम की धारा 73 के अंतर्गत 10.04.2023 तक संशोधित अनुसार मूल्यांकन सूची को धारित करने का प्रस्ताव है।

2. मूल्यांकन सूची में शामिल किए गए एनडीएमसी एरिया में किसी भी भूमि या भवन के मालिक, पट्टेदार या अधिवासी होने का दावा करने वाला प्रत्येक व्यक्ति और ऐसे व्यक्तियों को कोई भी अधिकृत प्रतिनिधि एनडीएमसी के संपत्ति कर विभाग में सूची का निरीक्षण कर सकता है और निःशुल्क इसका उद्धरण प्राप्त कर सकता है। मालिकगण एनडीएमसी बिल्डिंग का दौरा किए बिना भी पहले से दिये गये आई.डी. (पीआईडी नं.) और पासवर्ड (डीएंडसी नं.) के साथ एनडीएमसी वेबसाइट www.ndmc.gov.in पर उपलब्ध अपने विवरणों की जांच कर सकते हैं।

3. मालिकगण सूची के खिलाफ अपनी आपत्ति, यदि कोई हो, को दर्ज करा सकते हैं। इस सार्वजनिक सूचना के उत्तर में 13.05.2023 तक प्राप्त होने वाली आपत्तियों पर ही विचार किया जाएगा। तथापि, 13.04.2023 से पहले या 13.05.2023 के बाद प्राप्त होने वाली आपत्तियों पर इस संबंध में विचार नहीं किया जाएगा। आपत्तियां एनडीएमसी वेबसाइट पर उपलब्ध निर्धारित प्रपत्र में होनी चाहिए और इन्हें कमरा नं. 9006, 9वां तल, पालिका केन्द्र, एनडीएमसी, नई दिल्ली में सभी कार्यदिवसों पर प्रातः 10.00 बजे से अप. 1.00 बजे के बीच जमा किया जा सकता है या ई–मेल पते director.tax@ndmc.gov.in पर भी भेजा जा सकता है।

4. मूल्यांकन सूची पर आपत्तियां उन मामलों पर आवश्यक नहीं हैं जहां अधिनियम की धारा 72 के तहत जारी लंबित नोटिस पर निर्णय के परिणामस्वरूप या रिमांड बैक मामले या किसी भी मामले में सक्षम न्यायालय द्वारा पारित किसी भी निर्देश/आदेश के साथ पूर्वव्यापी प्रभाव से करयोग्य मूल्य को संशोधित किए जाने की संभावना है। ऐसे सभी मामलों में मूल्यांकन सूची केवल वैकल्पिक है और यह कानूनी प्रावधानों के अनुसार अंतिम रूप दिये जाने के अधीन है।

(पराग के. सिंह)
निदेशक (कर)
दिनांकः 12.04.2023 नई दिल्ली नगरपालिका परिषद

इण्डियन ओवरसीज बैंक
आस्ति वसूली प्रबन्धन शाखा चौथी मंजिल, रचना बिल्डिंग, 2, राजेन्द्र प्लेस, दिल्ली-110008
दूरभाष : 011-25758124, ई-मेलः iob1997@iob.in

अचल सम्पत्तियों की बिक्री हेतु विक्रय सूचना
[प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम के नियम 8(6) के प्रावधानों के तहत]

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) के साथ पठित वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित अधिनियम, 2002 के प्रवर्तन के तहत अचल आस्तियों की बिक्री हेतु ई-नीलामी बिक्री सूचना
एतद्वारा जनसामान्य को एवं विशेष रूप से कर्जदार(रों) तथा जमानती(यों) को सूचना दी जाती है कि इण्डियन ओवरसीज बैंक के पास बंधक/प्रभारित नीचे वर्णित अचल सम्पत्तियों, जिस पर इण्डियन ओवरसीज बैंक के अधिकृत प्राधिकारी द्वारा कब्जा कर लिया गया है, की बिक्री निम्नलिखित विवरणों के अनुसार ''जहाँ है वहाँ है'' ''जो है यही है'' ''जो कुछ भी है वहीं है'' के आधार पर की जायेगी।

क्र. सं.	कर्जदारों का नाम / जमानतियों के नाम	इण्डियन ओवरसीज बैंक की बकाया राशि	अचल सम्पत्ति का विवरण / ज्ञात ऋण भार, यदि कोई हो : ज्ञात नहीं	कब्जे का प्रकार	आरक्षित मूल्य / जमा धरोहर राशि / संविदा गुणक	नीलामी की तिथि / ईएमडी जमा करने की अन्तिम तिथि / सम्पर्क व्यक्ति
1.	मैसर्स श्री हरि ओवरसीज 1. श्रीमती पल्लवी गुप्ता 2. श्री दीपक गुप्ता 3. श्री आलोक गुप्ता 4. श्रीमती शारदा गुप्ता	रु. 37,53,50,490.60 तिथि 30.09.2022 तक तथा भावी ब्याज एवं लागतें	फ्रीहोल्ड वाणिज्यिक सम्पत्ति, यूनिट नं. जी-24, भूतल, एनडीएम-2 बिल्डिंग, नेताजी सुभाष प्लेस, प्लॉट नं. डी-1, 2, 3, वजीरपुर डिस्ट्रिक्ट सेंटर, पीतमपुरा, नई दिल्ली-34 स्वामित्व श्रीमती पल्लवी गुप्ता, क्षेत्रफल : 560.44 वर्ग फीट (सम्पत्ति आईडी : IOBA1997SHRIHARI) कोई नहीं सोसाइटी के दिसम्बर, 2022 तक रखरखाव एवं बिजली प्रभार का बकाया रु. 25.00 लाख/- (लगभग)	भौतिक कब्जा	रु. 1,43,71,000/- रु. 14,37,100.00 रु. 50000/-	29.04.2023 28.04.2023 को 5.00 बजे अप. तक

- विधिक/अन्य/मिश्रित बकाया : हमें ज्ञात नहीं
- जहाँ प्रयोज्य हो आईटी अधिनियम 194(आईए) के तहत 1% कर आरक्षित मूल्य में शामिल।
- विक्रय के विस्तृत नियम एवं शर्तों के लिए कृपया इण्डियन ओवरसीज बैंक की वेबसाइट में प्रावधानित लिंक https://iob.in [www.iob.in [https://www.iob.in/TenderDetails.aspx?Tendertype=E_Auction] या https://ibapi.in देखें।
- इसे उपर्युक्त तिथि पर ई-नीलामी के संचालन के विषय में इसे कथित ऋण के कर्जदार/रों तथा जमानती/यों/बंधककर्ता/ओं के लिए प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, ,2002 के नियम 8(6)/नियम 9(1) के तहत सूचना भी मानी जाये।
- ईएमडी जमा करने की प्रारम्भिक तिथि 14.04.2023 से।

तिथि : 12.04.2023 स्थान : नई दिल्ली अधिकृत प्राधिकारी

इण्डियन ओवरसीज बैंक
जंगपुरा शाखा, 115 मस्जिद रोड, भोगल, नई दिल्ली-110014
दूरभाष : 24375115, ई-मेल : iob2792@iob.in

अचल सम्पत्तियों की बिक्री हेतु विक्रय सूचना
[प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम के नियम 8(6) के प्रावधानों के तहत]

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) के साथ पठित वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित अधिनियम, 2002 के प्रवर्तन के तहत अचल आस्तियों की बिक्री हेतु ई-नीलामी बिक्री सूचना
एतद्वारा जनसामान्य को एवं विशेष रूप से कर्जदार(रों) तथा जमानती(यों) को सूचना दी जाती है कि इण्डियन ओवरसीज बैंक के पास बंधक/प्रभारित नीचे वर्णित अचल सम्पत्तियों, जिस पर इण्डियन ओवरसीज बैंक के अधिकृत प्राधिकारी द्वारा कब्जा कर लिया गया है, की बिक्री निम्नलिखित विवरणों के अनुसार ''जहाँ है वहाँ है'' ''जो है यही है'' ''जो कुछ भी है वहीं है'' के आधार पर की जायेगी।

क्र. सं.	कर्जदारों का नाम / जमानतियों के नाम	इण्डियन ओवरसीज बैंक की बकाया राशि	अचल सम्पत्ति का विवरण / ज्ञात ऋण भार, यदि कोई हो : ज्ञात नहीं	कब्जे का प्रकार	आरक्षित मूल्य / जमा धरोहर राशि / संविदा गुणक	नीलामी की तिथि / ईएमडी जमा करने की अन्तिम तिथि / सम्पर्क व्यक्ति
1.	श्री आशीष (कर्जदार/बंधककर्ता) श्री प्रदीप कुमार (जमानती)	रु. 21,86,339.28 (रुपये इक्कीस लाख छियासी हजार तीन सौ उनतालीस एवं अट्ठाईस पैसे मात्र) तिथि 31.03.2023 तक	फ्लैट संख्या टीएफ-2 तीसरी मंजिल प्लॉट संख्या 898 सेक्टर 1 वसुंधरा गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में श्री आशीष के नाम से संपत्ति का इक्विटेबल बंधक सीमाएं : उत्तरः 9 मीटर चौड़ी सड़क दक्षिणः प्लॉट संख्या 1/899 पूर्वः 15 मीटर चौड़ी सड़क पश्चिमः निजी फ्लैट संख्या टीएफ-3	सांकेतिक कब्जा	रु. 21,47,000/- रु. 2,14,700/- रु. 25000/-	19.05.2023 18.05.2023 श्री नितिन मान दूरभाष : +91 7060099632
2.	(1) श्रीमती विनीता त्यागी (कर्जदार/बंधककर्ता) (2) श्री मुकेश कुमार त्यागी (कर्जदार/बंधककर्ता)	रु. 70,40,245.31 (रुपये सत्तर लाख चालीस हजार दो सौ पैंतालीस एवं इकतीस पैसे मात्र) तिथि 26.03.2023 तक	फ्लैट नंबर 903 9वीं मंजिल टावर नंबर ई1 भारत सिटी, ग्राम निस्तोली और अफजापुर, परगना लोनी, इंद्रप्रस्थ योजना, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश 201003 का इक्विटेबल बंधक, विनीता त्यागी और मुकेश कुमार त्यागी के नाम पर उत्तरः खुला दक्षिणः खुला पूर्वः खुला पश्चिमः गलियारा	सांकेतिक कब्जा	रु. 77,35,000/- रु. 7,73,500/- रु. 25000/-	19.05.2023 18.05.2023 श्री नितिन मान दूरभाष : +91 7060099632

- जहाँ प्रयोज्य हो आईटी अधिनियम 194(आईए) के तहत 1% कर आरक्षित मूल्य में शामिल।
- विक्रय के विस्तृत नियम एवं शर्तों के लिए कृपया लिंक ॅ३३स्र२:ॅ्रस्र.ल्ल देंखे।
- इसे उपर्युक्त तिथि पर ई-नीलामी के संचालन के विषय में इसे कथित ऋण के कर्जदार/रों तथा जमानती/यों/बंधककर्ता/ओं के लिए प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, ,2002 के नियम 8(6)/नियम 9(1) के तहत सूचना भी मानी जाये।
- ईएमडी जमा करने की प्रारम्भिक तिथि 18.04.2023 से।
- निरीक्षण की तिथि : 15.05.2023

तिथि : 13.04.2023 स्थान : नई दिल्ली अधिकृत प्राधिकारी

टैंकर से बस टकराई, सात लोग घायल

नोएडा, 13 अप्रैल (भाषा)।

नोएडा एक्सप्रेस-वे पर बुधवार दोपहर एक बस ने पानी से भरे टैंकर को पीछे से टक्कर मार दी, जिससे बस में सवार सात लोग घायल हो गए।

पुलिस के एक प्रवक्ता ने बताया कि हादसा बुधवार दोपहर करीब साढ़े तीन बजे हुआ। बस नोएडा होते हुए दिल्ली जा रही थी। घायलों में कुछ की हालत गंभीर बतायी जा रही है। घायलों की पहचान दिल्ली के रहने वाले योगेश, ब्रज मोहन, मोनिका, मंशाराम और शीतल के रूप में हुई है।

घायलों की पहचान दिल्ली के रहने वाले योगेश, ब्रज मोहन, मोनिका, मंशाराम और शीतल के रूप में हुई है।

उन्होंने बताया कि घायलों में से दो लोगों को अधिक चोट नहीं आई थी और उन्हें प्राथमिक उपचार देने के बाद घर भेज दिया गया।

अन्य घायलों का इलाज जारी है। पुलिस ने बताया कि घायलों के परिवार वालों को हादसे की जानकारी दे दी गई है। हादसे की वजह का पता लगाया जा रहा है।

सार्वजनिक शौचालयों की दुर्दशा को लेकर

महिला आयोग की रपट के बाद नगर निगम के दो सफाई कर्मचारी निलंबित

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 13 अप्रैल।

दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) ने गोकुलपुरी इलाके में सार्वजनिक शौचालयों की खराब स्थिति के लिए महिला आयोग की रिपोर्ट के बाद निगम के दो सफाई कर्मचारियों को निलंबित कर दिया गया है और दूसरे अधिकारियों के खिलाफ विभागीय जांच शुरू की गई है।

दिल्ली महिला आयोग ने गुरुवार को यह जानकारी दी। बीते पांच अप्रैल को दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने स्थानीय पार्षदों और निवासियों की एक टीम के साथ कई सार्वजनिक शौचालयों की पड़ताल की थी। आयोग ने कहा था कि इस पड़ताल के दौरान पाया गया कि मौके पर कोई देखभाल करने वाला नहीं था और अंदर एवं बाहर गंदगी पड़ी थी। बाद में महिला आयोग ने एमसीडी के वरिष्ठ अधिकारियों को तलब किया ताकि जवाबदेही तय की जा सके।

दिल्ली महिला आयोग ने गुरुवार को यह जानकारी दी। बीते पांच अप्रैल को दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने स्थानीय पार्षदों और निवासियों की एक टीम के साथ कई सार्वजनिक शौचालयों की जांच की थी।

बताया जा रहा है कि रिपोर्ट के बाद एमसीडी के शाहदरा उत्तर जोन के वरिष्ठ अधिकारियों ने आयोग को सूचित किया कि दो सफाई कर्मचारियों को निलंबित किया गया है और अन्य लोगों के खिलाफ विभागीय जांच शुरू की गई है। सहायक स्वच्छता निरीक्षक, स्वच्छता निरीक्षक, मुख्य स्वच्छता निरीक्षक, जूनियर इंजीनियर, सहायक इंजीनियर और कार्यकारी इंजीनियर को कारण बताओ नोटिस जारी किए हैं।

दिल्ली के एक स्कूल में आग लगी, सभी सुरक्षित

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 13 अप्रैल।

दिल्ली के एक स्कूल में आग लगी, कोई हताहत नहीं दक्षिण पश्चिम दिल्ली स्थित एक स्कूल में गुरुवार को आग लग गई। इस घटना के बाद स्कूल परिसर को खाली करा लिया गया। अधिकारियों ने यह जानकारी दी।

दिल्ली दमकल सेवा के अधिकारियों ने बताया कि सुबह करीब 11 बजकर 50 मिनट पर स्कूल में आग लगने की सूचना मिलने के बाद दमकल की दो गाड़ियों को मौके पर भेजा गया। एक वरिष्ठ अग्निशमन अधिकारी ने बताया कि सभी छात्रों और शिक्षकों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। उन्होंने बताया कि आग मीटर बोर्ड से शुरू हुई थी और फिलहाल उस पर काबू पा लिया गया है। अधिकारी ने बताया कि हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है।

डीडीए की पीएम-उदय योजना पर जन सुनवाई

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 13 अप्रैल।

दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने गुरूवार को पीएम उदय योजना पर एक जन सुनवाई का आयोजन किया।

दिल्ली में अनधिकृत कालोनियां आवास अधिकार योजना (पीएम-उदय) दिल्ली के निवासियों के लिए 2019 में भारत सरकार द्वारा बनाई गई थी। डीडीए उपाध्यक्ष सुभासीष पंडा की अध्यक्षता में मुख्यालय में आयोजित इस सुनवाई में सभी आवेदकों के योजना से सम्बन्धित प्रश्न, शिकायतें सुनी गई। जन सुनवाई में 100 से अधिक आवेदकों ने भाग लिया और पीएम उदय विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ-साथ उपाध्यक्ष ने प्रत्येक आवेदक के प्रश्नों, शिकायतों को विस्तार से सुना।

अदालत ने कंझावला मामले में दाखिल आरोप पत्र का संज्ञान लिया

नई दिल्ली, 13 अप्रैल (भाषा)।

दिल्ली के एक मेट्रोपालिटन अदालत ने 'हिट-एंड-रन' के एक मामले में सात आरोपियों के खिलाफ दाखिल पुलिस के आरोप पत्र का गुरुवार को स्वतः संज्ञान लिया। नववर्ष की रात राष्ट्रीय राजधानी में हुई इस घटना में 20 वर्षीय युवती की कार के नीचे फंसकर घिसटने से मौत हो गई थी। मेट्रोपालिटन मजिस्ट्रेट सान्या दलाल ने 800 पृष्ठ के आरोप पत्र का संज्ञान लिया और मामले को जांच तथा सत्र अदालत को सौंपने के लिए 18 अप्रैल को सूचीबद्ध कर दिया।

अदालत के संज्ञान लेने के बाद आरोप पत्र की एक प्रति आरोपियों को सौंपी गई। पुलिस ने घटना के संबंध में दो जनवरी को दीपक खन्ना (26), अमित खन्ना (25), कृष्ण (27), मिथुन (26) और मनोज मित्तल को गिरफ्तार किया था। दो अन्य सह-आरोपी आशुतोष भारद्वाज और अंकुश को सत्र अदालत ने जमानत दे दी थी, जबकि आरोपी दीपक खन्ना की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। आरोप पत्र के अनुसार अमित खन्ना, कृष्ण, मिथुन और मनोज मित्तल पर हत्या का आरोप लगाया गया है, जबकि अमित खन्ना और आशुतोष पर मोटर वाहन अधिनियम के तहत आरोप लगाए गए हैं।

गोकुलपुरी में दंपति की हत्या मामले में एक और आरोपी गिरफ्तार

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 13 अप्रैल।

पूर्वोत्तर दिल्ली के गोकुलपुरी में एक बुजुर्ग दंपति की कथित हत्या के मामले में 29 वर्षीय एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है।

पुलिस ने गुरुवार को यह जानकारी दी। पुलिस के अनुसार, दंपति सोमवार को अपने आवास पर मृत पाए गए थे, जिसके बाद उनकी बहू मोनिका वर्मा को उसके प्रेमी आशीष भार्गव और सहयोगी विकास की मदद से उनकी हत्या करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था।

पुलिस ने बताया कि भार्गव गाजियाबाद का निवासी है, जिसे बुधवार शाम वहां से गिरफ्तार किया गया। उसे अदालत में पेश किया जाएगा और आगे की जांच के लिए दिल्ली लाया जाएगा। मामले में आरोपी मोनिका पहले ही चार दिन की पुलिस हिरासत में है। पुलिस उपायुक्त (उत्तर-पूर्व) जाय टिर्की ने बताया कि मामले में वांछित भार्गव के एक दोस्त विकास की तलाश जारी है।

महिला की हत्या के मामले में घरेलू सहायिका व सहयोगी गिरफ्तार

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 13 अप्रैल।

द्वारका के बिंदापुर इलाके में 66 वर्षीय एक बुजुर्ग महिला की उसके घर में चाकू मार कर हत्या कर दी गई। पुलिस ने गुरुवार को इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पुलिस ने हत्या के मामले में 17 वर्षीय घरेलू सहायिका और उसके पुरुष सहयोगी (21) का पता लगा लिया है। दोनों ने लूट के इरादे से हत्या की थी।

पुलिस ने बताया कि नाबालिग घरेलू सहायिका को पकड़ लिया गया है और उसके सहयोगी को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से गिरफ्तार कर लिया गया है। द्वारका के पुलिस उपायुक्त एम. हर्षवर्धन ने कहा कि पुलिस को बिंदापुर के ओमविहार इलाके में उषा कौल (66) की हत्या की जानकारी बुधवार की दोपहर ढाई बजे मिली थी। उन्होंने बताया कि सीसीटीवी कैमरे के फुटजे के आधार पर संदेह हुआ कि परिवार की घरेलू सहायिका और उसके पुरुष सहयोगी ने यह अपराध किया है। उन्होंने बताया कि वारदात के वक्त कौल घर में अकेली थीं।

भाजपा चली 'आप' की राह, बुजुर्गों को कराएगी मुफ्त तीर्थयात्रा

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 13 अप्रैल।

अब भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) भी बुजुर्गों और महिलाओं को एक मुफ्त तीर्थयात्रा कराएगी। गुरुवार को भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने इस योजना की शुरुआत की और मथुरा-वृंदावन के लिए चार बसों को हरी झंडी दिखाई। उन्होंने कहा कि 2024 में राम मंदिर का निर्माण होने के बाद रामलला के दर्शन के लिए भी दिल्ली के बुजुर्गों को भेजा जाएगा।

ज्ञात हो कि भाजपा का मुफ्त तीर्थयात्रा कार्यक्रम दिल्ली की आम आदमी पार्टी (आप) नीत सरकार की 'मुख्यमंत्री तीर्थयात्रा योजना' की तर्ज पर है, जिसके तहत बुजुर्ग नागरिकों को देश भर में मुफ्त तीर्थयात्रा कराई जाती है।

Criminal Courts, Ludhiana
In The Court Of Ms. Divya Sharma JMIC Ludhiana Date: 15-05-2023
next date, purpose of case, orders and judgments as well as other case information is available on http://districts.ecourts.gov.in/ludhiana
Kotak Mahindra Bank Ltd Vs. M/s Bandi Rocks
CNR NO : PBLD03-031913-2019
Publication Issued To: M/s Bandi Rocks Address- through its auth sign b. Chandra reddy sy no 308-p and 310-b aushapur ghatkesar rr district rangareddy andhra pradesh 02. B chandra reddy auth sign of m/s bandi rocks llp r/o house no 2-20-4-1-74 sai ram nagar ciny chilakanagr road uppal hyderabad 500039 andhra pradesh
Whereas it has proved to the satisfaction of this court that you, the above named accused/accused persons can't be served in the ordinary way of service. Hence this proclamation under 82 of code of criminal procedure is hereby issued against you with a direction that you should appear personally before this court on 15-05-2023 at 10:00 a.m. or within 30 days from the date of publication of this proclamation. Take notice that, in case of default on your part to appear as directed above the above said case will be heard and determined as per law, in your absence. for details logon to: https://highcourtchd.gov.in/?trs=district_notice&district=ludhiana
JMIC Ludhiana

Criminal Courts, Ludhiana
In The Court Of Ms. Divya Sharma JMIC Ludhiana
next date, purpose of case, orders and judgments as well as other case information is available on http://districts.ecourts.gov.in/ludhiana
Kotak Mahindra Bank Ltd Vs Bhola Ram Sharma
CNR NO: PBLD03-026124-2019 Date: 15-05-2023
Publication Issued To: Bhola Ram Sharma Address- R/o 33-90 Jatpura, Agra Uttar Pradesh (282001)
Whereas it has proved to the satisfaction of this court that you, the above named accused/ accused persons can't be served in the ordinary way of service. Hence this proclamation under 82 of code of criminal procedure is hereby issued against you with a direction that you should appear personally before this court on 15-05-2023 at 10:00 a.m. or within 30 days from the date of publication of this proclamation. Take notice that, in case of default on your part to appear as directed above the above said case will be heard and determined as per law, in your absence . for detail logon to: https://highcourtchd.gov.in/?trs=district_notice&district=ludhiana
JMIC Ludhiana

Criminal Courts, Ludhiana
In The Court Of Ms. Divya Sharma JMIC Ludhiana
next date, purpose of case, orders and judgments as well as other case information is available on http://districts.ecourts.gov.in/ludhiana
Kotak Mahindra Bank Ltd Vs Raghunath Ravba Bhajane
CNR NO: PBLD03-036261-2019 Date: 15-05-2023
Publication Issued To: Raghunath Ravba Bhojane Address- R/o At Post Otur Tambe Mala, Tal Junnar, Distt Pune 412409 Maharashtra
Whereas it has proved to the satisfaction of this court that you, the above named accused/ accused persons can't be served in the ordinary way of service. Hence this proclamation under 82 of code of criminal procedure is hereby issued against you with a direction that you should appear personally before this court on 15-05-2023 at 10:00 a.m. or within 30 days from the date of publication of this proclamation. Take notice that, in case of default on your part to appear as directed above the above said case will be heard and determined as per law, in your absence . for detail logon to: https://highcourtchd.gov.in/?trs=district_notice&district=ludhiana
JMIC Ludhiana

Criminal Courts, Ludhiana
In The Court Of Ms. Divya Sharma JMIC Ludhiana
next date, purpose of case, orders and judgments as well as other case information is available on http://districts.ecourts.gov.in/ludhiana
Kotak Mahindra Bank Ltd Vs Vyankat Govind Tompe
CNR NO: PBLD03-036215-2019 Date: 15-05-2023
Publication Issued To: Vyankat Govind Tompe Address- R/o Room No 10, Murkute Chowl, Pancard Club, Road Nr Beqwati Baner, Pune 411045 Maharashtra
Whereas it has proved to the satisfaction of this court that you, the above named accused/ accused persons can't be served in the ordinary way of service. Hence this proclamation under 82 of code of criminal procedure is hereby issued against you with a direction that you should appear personally before this court on 15-05-2023 at 10:00 a.m. or within 30 days from the date of publication of this proclamation. Take notice that, in case of default on your part to appear as directed above the above said case will be heard and determined as per law, in your absence . for detail logon to: https://highcourtchd.gov.in/?trs=district_notice&district=ludhiana
JMIC Ludhiana

Criminal Courts, Ludhiana
In The Court Of Ms. Divya Sharma JMIC Ludhiana
next date, purpose of case, orders and judgments as well as other case information is available on http://districts.ecourts.gov.in/ludhiana
Kotak Mahindra Bank Ltd Vs. Ashok Jaydatta Toge
CNR NO : PBLD03-036218-2019 DATE: 15-05-2023
Publication Issued To: Ashok Jaydatta Toge Address- Sr No 161-1, Hundekari, Vasti , Phursungi, Pune 412307 Maharashtra 02. Shaukatali Salim Mujawar @ Shaukat Salim Mujawar R/o Ale Phat Rajuri Junnar District Pune 412205 Maharashtra
Whereas it has proved to the satisfaction of this court that you, the above named accused/accused persons can't be served in the ordinary way of service. Hence this proclamation under 82 of code of criminal procedure is hereby issued against you with a direction that you should appear personally before this court on 15-05-2023 at 10:00 a.m. or within 30 day sfrom the date of publication of this proclamation. Take notice that, in case of default on your part to appear as directed above the above said case will be heard and determined as per law, in your absence. for details logon to: https://highcourtchd.gov.in/?trs=district_notice&district=ludhiana
JMIC Ludhiana

Criminal Courts, Ludhiana
In The Court Of Ms. Divya Sharma JMIC Ludhiana
next date, purpose of case, orders and judgments as well as other case information is available on http://districts.ecourts.gov.in/ludhiana
Kotak Mahindra Bank Ltd Vs Sudam Ramkrishan Pawar
CNR NO: PBLD03-036201-2019 Date: 15-05-2023
Publication Issued To: Sudam ramkrishan pawar address- r/o ap shingave tukai tal newasa, distt ahmednagar 414606 maharashtra
Whereas it has proved to the satisfaction of this court that you, the above named accused/ accused persons can't be served in the ordinary way of service. Hence this proclamation under 82 of code of criminal procedure is hereby issued against you with a direction that you should appear personally before this court on 15-05-2023 at 10:00 a.m. or within 30 days from the date of publication of this proclamation. Take notice that, in case of default on your part to appear as directed above the above said case will be heard and determined as per law, in your absence . for detail logon to: https://highcourtchd.gov.in/?trs=district_notice&district=ludhiana
JMIC Ludhiana

Criminal Courts, Ludhiana
In The Court Of Ms. Divya Sharma JMIC Ludhiana
next date, purpose of case, orders and judgments as well as other case information is available on http://districts.ecourts.gov.in/ludhiana
Kotak Mahindra Bank Ltd Vs Arun Kumar
CNR NO: PBLD03-031953-2019 Date: 15-05-2023
Publication Issued To: Arun Kumar Address- R/o 278 Barahan Etmadpur Agra 283201 Uttar Pradesh
Whereas it has proved to the satisfaction of this court that you, the above named accused/ accused persons can't be served in the ordinary way of service. Hence this proclamation under 82 of code of criminal procedure is hereby issued against you with a direction that you should appear personally before this court on 15-05-2023 at 10:00 a.m. or within 30 days from the date of publication of this proclamation. Take notice that, in case of default on your part to appear as directed above the above said case will be heard and determined as per law, in your absence . for detail logon to: https://highcourtchd.gov.in/?trs=district_notice&district=ludhiana
JMIC Ludhiana

पार्किंसन बीमारी की शुरुआत में ही जांच : एक ताजा अध्ययन में कहा गया है कि पार्किंसन रोग से संबद्ध असमान्य प्रोटीन जमा होने की पहचान करने वाली एक तकनीक इस बीमारी की शुरूआत में ही पहचान करने में मददगार हो सकती है। अध्ययन 'द लांसेट न्यूरोलाजी' जर्नल में प्रकाशित किया गया है। यह अध्ययन 1,123 प्रतिभागियों पर किया गया। (जसं)

COURT NOTICE
In The Court Of Ms. Rasveen Kaur Judicial Magistrate First Class-19, Jalandhar
Chinar Forge Limited Vs Shabir Ahmed
CNR NO. PBJL03-013857-2021
Next Date: 15-05-2023
NACT/3901/2021
Publication Issued To: Shabir Ahmed R/o Prop M/s Shabir Blankets, Bawyara Sadpora, Eid- Gha, Srinagar
In above titled case, the accused could not be served. It is ordered that accused should appear in person or through counsel on 15-05-2023 at 10:00 a.m.for details logon to: https://highcourtchd.gov.in/?trs=district_notice&district=Jalandhar
JMIC-19, Jalandhar

COURT NOTICE
In The Court Of Sh Jaibir Singh, PCS, Civil Judge Junior Division, Amritsar
CS/751/2023
CNR NO: PBAS02-001161-2023
Next Date: 28-04-2023
Sant Amandeep Aged 52 Years Chela Late Sant Baba Makhan Singh Ji Dera Sant Amir Singh Ji Bazar Satto Wala Near Katra Karam Singh Amritsar
Versus
General Public And Etc.
Suit For Declaration
Notice To: 1. General Public
In above titled petition the defendants could not be served. It is ordered that the defendant should appear in person or through counsel on 28-04-2023 at 10:00 a.m. for details logon to: https://highcourtchd.gov.in/?trs=district_notice&district=amritsar
Sh Jaibir Singh (PCS) Civil Judge Junior Division

Criminal Courts, Ludhiana
In The Court Of Ms. Divya Sharma JMIC Ludhiana
next date, purpose of case, orders and judgments as well as other case information is available on http://districts.ecourts.gov.in/ludhiana
Kotak Mahindra Bank Ltd Vs Harriram Kashinath Jadhav
CNR NO: PBLD03-036206-2019
Date: 15-05-2023
Publication Issued To: Hariram Kashinath Jadhav Address- R/o At Post Jadhwavwadi Girim Tal, Distt Pune 413801 Maharashtra
Whereas it has proved to the satisfaction of this court that you, the above named accused/ accused persons can't be served in the ordinary way of service. Hence this proclamation under 82 of code of criminal procedure is hereby issued against you with a direction that you should appear personally before this court on 15-05-2023 at 10:00 a.m. or within 30 days from the date of publication of this proclamation. Take notice that, in case of default on your part to appear as directed above the above said case will be heard and determined as per law, in your absence . for detail logon to: https://highcourtchd.gov.in/?trs=district_notice&district=ludhiana
JMIC Ludhiana

आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड
(पूर्व का कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित तथा वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के नाम से)
सीआईएन : L65110TN2014PLC097792
पंजीकृत कार्यालय : केआरएम टॉवर्स, 8वीं मंजिल, हैरिंगटन रोड, चेटपेत, चेन्नई-600031.
दूरभाष : +91 44 4564 4000 । फैक्स : +91 44 4564 4022.

वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) के तहत सूचना

निम्नलिखित कर्जदारों ने आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्व का कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित तथा वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के नाम से) से निम्नलिखित प्रतिभूत ऋण ग्रहण किया। निम्नलिखित कर्जदारों तथा सह-कर्जदारों के ऋण उनकी सम्बन्धित सम्पत्तियों के बंधक द्वारा प्रतिभूत हुए हैं। चूंकि वे सम्बन्धित ऋण अनुबंधों के नियम एवं शर्तों का पालन करने में असफल रहे और अनियमित हो गये थे अतः भा.रि.बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार उनके ऋण एनपीए वर्गीकृत कर दिये गये। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्व का कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित तथा वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के नाम से) द्वारा उनकी ओर बकाया राशि जारी की गयी सम्बन्धित सूचनाओं के अनुसार वर्णित हैं जो निम्नलिखित तालिका में अधिक स्पष्ट रूप से वर्णित हैं तथा कथित राशियों पर भावी ब्याज भी प्रयोज्य होगा और इसे उनकी सम्बन्धित तिथियों से अनुबन्ध दर के अनुसार प्रभारित किया जायेगा।

क्र. सं.	ऋण खाता सं.	ऋण का प्रकार	कर्जदारों/सह-कर्जदारों/जमानतियों के नाम	धारा 13(2) सूचना तिथि	धारा 13(2) के अनुसार बकाया राशि	सम्पत्ति का पता
1	22712134	गृह ऋण	1. श्री बलराम सिंह 2. श्री हितेश बलराम सिंह 3. श्रीमती शीतल शर्मा 4. श्रीमती सुनीता बलराम सिंह	18.01.2023	33,16,170.04/-	आवासीय मकान नंबर 629/13, (पुराना मकान नंबर 328/13 और विशिष्ट संपत्ति आईडी नंबर 96C245U11OZ) का समस्त भाग, माप 50 वर्ग गज, गली नं. 17, आवासीय कॉलोनी प्रताप नगर, छावनी, गुड़गांव, तहसील और जिला गुड़गांव, हरियाणा 122001 में स्थित और, सीमाएं: पूर्वः गली 15 फीट चौड़ा, पश्चिमः 15 फीट, ज्ञान चंद का घर, उत्तरः 30 फीट, गली, दक्षिणः 30 फीट, राजाराम का घर
2	23823451	सम्पत्ति के विरुद्ध ऋण	1. डीएस पोद्दार 2. नीलम पोद्दार 3. नीलेश कुमार	18.01.2023	9,61,730.52/-	सम्पत्ति/प्लॉट माप 100 वर्ग गज का समस्त भाग, खेवत नं. 122/112, खतौनी नं. 143, म्यू. नं. 11, किला नं. 12(8-0) म्यू 12, किला नं. 1/1 (4-17), 1/2 (3-3) 10, (8-0), वाका मौजा पल्ला, तहसील और जिला फरीदाबाद (हरियाणा) में स्थित, और सम्पत्ति की सीमाएं : पूर्व : संजय पोद्दार और वीरेंद्र सिंह, पश्चिमः गली, उत्तरः तेजवीर की संपत्ति, दक्षिणः अशोक पोद्दार की संपत्ति
3	19107267	गृह ऋण	1. जितेंद्र कुमार 2. सरिता राजीव कश्यप	22.03.2023	11,69,737.24/-	प्लॉट/मकान नं. 229, (छत के अधिकार के साथ) का समस्त भाग, खसरा सं. 229, गांवः धरगल, परगनाः जलालाबाद, तहसील और जिला गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश - 201206 में स्थित, और विलेख के अनुसार सीमाएंः पूर्वः दीगर मालिक का प्लॉट पश्चिमः अशोक कुमार शर्मा का प्लॉट, उत्तरः दीगर मालिक का प्लॉट दक्षिणः रास्ता 13 फीट चौड़ा
4	16270540	गृह ऋण	1. सावित्री रामभजन 2. रामभजन 3. संतोष कुमार	22.03.2023	18,71,558.48/-	ऊपरी भूतल (एलएचएस फ्रंट साइड) का समस्त भाग, छत के अधिकारों के बिना, नं. 17-ए में से, भूमि क्षेत्रफल 50 वर्ग गज, खसरा सं. 20/20, गाँव मटियाला, राज्य दिल्ली, कॉलोनी जैन कॉलोनी पार्ट-III, उत्तम नगर, नई दिल्ली, दिल्ली- 110059 के क्षेत्र में स्थित है, जो सामान्य स्थिति में बिजली, पानी और सीवरेज कनेक्शन से पूरी तरह से सुसज्जित है पार्किंग फ्लोर पर बाइक पार्किंग, जमीन से ऊपर की मंजिल तक जाने वाली आम सीढ़ी के साथ, और नीचे की जमीन के आनुपातिक फ्री होल्ड राइट्स के साथ, सीमाएं इस प्रकार हैं: - पूर्वः रियर यूनिट फिर गली 5 फीट, पश्चिमः सड़क 20 फीट, उत्तर : पुराना नं. 17/आरजेड-15ए दक्षिणः पुराने नंबर 16/आरजेड 9 और 15 पर आरएचएस यूनिट।
5	33952568 तथा 30558854	सम्पत्ति के विरुद्ध ऋण	1. विनोद कुमार 2. रामादेवी	03.03.2023	16,18,207.40/-	संपत्ति एम.सी.एफ. नं. 2932 का समस्त भाग, माप 100 वर्ग गज, संपत्ति संख्या डी-42 का हिस्सा, माप 300 वर्ग गज, अराजी खसरा मुस्तातिल नं. 49, किला नं. 5/2(1-17), 6(7-9), 14(8-0), 15/1(6-19), खसरा मुस्तातिल नं. 50, किला नं. 10/2(1-8), 11/1(0-0) वाका मौजा-सारण, जवाहर कॉलोनी, तहसील और जिला फरीदाबाद, हरियाणा-121005 में स्थित है और सीमाएं इस प्रकार हैं: पूर्वः सुरेश का घर पश्चिमः गुरदीप सिंह का घर , उत्तरः रास्ता 15 फीट, दक्षिणः दिगर संपत्ति

एतद्वारा आपसे सम्बन्धित तिथि से से अनुबन्ध दर पर ब्याज सहित तथा अन्य लागतों, प्रभारों आदि का उपर्युक्त तालिका में प्रदर्शित विवरण के अनुसार इस प्रकाशन की तिथि से 60 दिनों के भीतर आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्व का कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित तथा वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के नाम से) को राशि का भुगतान करने के लिए कहा जाता है, जिसमें असफल रहने पर अधोहस्ताक्षरी सरफैसी अधिनियम की धारा 13(4) तथा धारा 14 के तहत आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्व का कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित तथा वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के नाम से) के बकाया राशि की वसूली के लिए यहां ऊपर उल्लिखित बंधक सम्पत्तियों के विरुद्ध कार्यवाही प्रारम्भ करने के लिए बाध्य होगा। पुनः कथित अधिनियम की धारा 13(13) के तहत आपको विक्रय/पट्टे अथवा अन्य रीति से कथित किसी भी प्रतिभूत आस्ति को हस्तान्तरित करने से निषिद्ध किया जाता है।

ह./-
अधिकृत प्राधिकारी
आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड
(पूर्व का कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित तथा वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के नाम से)

तिथि : 14.04.2023
स्थान : नई दिल्ली

Criminal Courts, Ludhiana
In The Court Of Ms. Divya Sharma JMIC Ludhiana
next date, purpose of case, orders and judgments as well as other case information is available on http://districts.ecourts.gov.in/ludhiana
Kotak Mahindra Bank Ltd Vs Sameer Kisanrao Manjare
CNR NO: PBLD03-036199-2019 Date: 15-05-2023
Publication Issued To: Sameer Kisanrao Manjare Address- R/o Mhalar Raod, Uruli, Kanchan State Bank Of India Pune 412202 Maharashtra
Whereas it has proved to the satisfaction of this court that you, the above named accused/ accused persons can't be served in the ordinary way of service. Hence this proclamation under 82 of code of criminal procedure is hereby issued against you with a direction that you should appear personally before this court on 15-05-2023 at 10:00 a.m. or within 30 days from the date of publication of this proclamation. Take notice that, in case of default on your part to appear as directed above the above said case will be heard and determined as per law, in your absence . for detail logon to: https://highcourtchd.gov.in/?trs=district_notice&district=ludhiana
JMIC Ludhiana

Criminal Courts, Ludhiana
In The Court Of Ms. Divya Sharma JMIC Ludhiana
next date, purpose of case, orders and judgments as well as other case information is available on http://districts.ecourts.gov.in/ludhiana
Kotak Mahindra Bank Ltd Vs Abhijit Chandrakant Jagpat
CNR NO: PBLD03-036217-2019 Date: 15-05-2023
Publication Issued To: Abhijit Chandrakant Jagpat Address- R/o At Post Shivaji Chownk, Randulla Tal, Loregaon, Distt Sataara 415525 Maharashtra
Whereas it has proved to the satisfaction of this court that you, the above named accused/ accused persons can't be served in the ordinary way of service. Hence this proclamation under 82 of code of criminal procedure is hereby issued against you with a direction that you should appear personally before this court on 15-05-2023 at 10:00 a.m. or within 30 days from the date of publication of this proclamation. Take notice that, in case of default on your part to appear as directed above the above said case will be heard and determined as per law, in your absence . for detail logon to: https://highcourtchd.gov.in/?trs=district_notice&district=ludhiana
JMIC Ludhiana

Criminal Courts, Ludhiana
In The Court Of Ms. Divya Sharma JMIC Ludhiana
next date, purpose of case, orders and judgments as well as other case information is available on http://districts.ecourts.gov.in/ludhiana
Kotak Mahindra Bank Ltd Vs Shivaji Namdev Gandal
CNR NO: PBLD03-036263-2019 Date: 15-05-2023
Publication Issued To: Shivaji Namdev Gandal Address- R/o At Post Anandwadi Tal Junnar Distt Pune 412410 Maharashtra
Whereas it has proved to the satisfaction of this court that you, the above named accused/ accused persons can't be served in the ordinary way of service. Hence this proclamation under 82 of code of criminal procedure is hereby issued against you with a direction that you should appear personally before this court on 15-05-2023 at 10:00 a.m. or within 30 days from the date of publication of this proclamation. Take notice that, in case of default on your part to appear as directed above the above said case will be heard and determined as per law, in your absence . for detail logon to: https://highcourtchd.gov.in/?trs=district_notice&district=ludhiana
JMIC Ludhiana

NHHFDL New Habitat Housing Finance and Development Limited
न्यू हैबिटेट हाउसिंग फाइनेंस एंड डेवलपमेंट लिमिटेड
कार्यालयः न्यू हैबिटेट हाउसिंग फाइनेंस एंड डेवलपमेंट लिमिटेड, यूनिट नंबर 761, 7वीं मंजिल वेगास मॉल, प्लॉट नंबर 06, सेक्टर-14, द्वारका, नई दिल्ली-110075, ई-मेलः info@newhabitat.in, वेबः www.newhabitat.in, मो.: +91-9999694526
SAVE Inclusion Growth Prosperity

ई-नीलामी बिक्री सूचना

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन एवं प्रतिभूत हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अन्तर्गत **NBFC/HFC** के प्रभारित चल/अचल आस्तियों की बिक्री न्यू हैबिटेट हाउसिंग फाइनेंस एंड डेवलपमेंट लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में अधोहस्ताक्षरी ने निम्नलिखित संपत्ति को भौतिक कब्जा ले लिया है। व्यापक रूप से आम लोगों को सूचित किया जाता है कि NBFC/HFC बकाया की वसूली हेतु निम्नवर्णित मामले में प्रभारित संपत्तियों की ई-नीलामी (सरफासी अधिनियम 2002 के अंतर्गत) **"जैसा है जहां है आधार, जैसा है वैसा ही आधार है, और जो कुछ भी है"** के आधार पर की जाएगी।

क्र. सं.	कर्जदारों का नाम	संपत्ति का विवरण	आरक्षित मूल्य धरोहर राशि बोली वृद्धि राशि	ई-नीलामी की तिथि व समयः समयः 60 मिनट	वसूली हेतु बकाया राशि जिसके लिए संपत्ति बेची जा रही है।
1.	श्री गोपाल कुमार पुत्र श्री रवींद्र प्रसाद सिंह और श्रीमती चित्ररुपा कुमारी पत्नी श्री गोपाल कुमार ऋण खाता संख्या- HSG/N/HEA/NOI/1120/0001	एफ-ब्लॉक, स्कूल रोड, खानपुर, नई दिल्ली, ग्राम खानपुर के राजस्व संपत्ति, तहसील हौजखास, नई दिल्ली-110062 में स्थित संपत्ति सं. एफ-107-ए पर निर्मित, खसरा सं. 417, द्वितीय तल का हिस्सा, पीछे की तरफ (40 वर्ग गज का कवर एरिया) जिसमें एक कमरा सेट (बिना छत के अधिकार के) नीचे की भूमि में आनुपातिक, अविभाजित, अविभाज्य और निष्पक्ष स्वामित्व अधिकारों के साथ, प्रवेश द्वार, सीढ़ी, मार्ग, दो पहिया पार्किंग और ऊपर में पानी की टंकी के लिए छत का उपयोग करने का सामान्य अधिकारों के साथ टीवी/डिश एंटीना और अन्य सामान्य सेवाओं को बनाए रखा और स्थापित किया। संपत्ति, जो सामान्य रहेगी और भवन के अन्य रहने वालों के साथ उक्त सामान्य सेवाओं के लिए समय-समय पर किए गए रखरखाव के खर्चों को आनुपातिक रुप से साझा करेगी (इसके बाद उक्त संपत्ति का उक्त भाग/यूनिट कहा जाएगा) (भौतिक कब्जा के अंतर्गत)	आर. पी. रुपये 10,50,000.00 ईएमडी रुपये 1,05,000.

RELAXO FOOTWEARS LIMITED
CIN:- L74899DL1984PLC019097
Registered Office: Aggarwal City Square, Plot No. 10, Manglam Place, District Centre, Sector -3, Rohini, Delhi - 110085
Ph: 91-11-46800600, 46800700; Fax No: 91-11-46800692
E-mail: cs@relaxofootwear.com, Website: www.relaxofootwear.com

NOTICE

Notice is hereby given that the under mentioned share certificates pertaining to shares of the Company have been reported lost and request(s) for issue of duplicate Certificates in lieu thereof have been received by the Company.

FOLIO NO.	NAME OF HOLDER	CERTIFICATE NO(S).	DISTINCTIVE NOS.	NO. OF SHARES	FACE VALUE OF SHARES (in ₹)
RNE0000391	Surjeet Singh	100242	440821-442820	2000	1.00
		103377	60256991-60258990	2000	
		221051	247798447- 247802446	4000	

Any person having any claim / objection in respect of the above requests should lodge such claim / objection with Kfin Technologies Limited, Company's Registrar and Share Transfer Agent at its office situated at Karvy Selenium Tower B, Plot 31-32, Gachibowli, Financial District, Hyderabad - 500032 or with the Company at its registered office at Aggarwal City Square, Plot No. 10, Manglam Place, District Centre, Sector - 3, Rohini, Delhi - 110 085 within 15 days of the publication of this notice, failing which the Company will consider to give effect to the above requests.

For **Relaxo Footwears Limited**
Sd/-
Ankit Jain
Company Secretary & Compliance Officer

Place: Delhi
Date: 13th April, 2023

अभियुक्त व्यक्ति की हाजिरी की अपेक्षा करने वाली उद्घोषणा

धारा 82 Cr. P.C. देखिए

मेरे समक्ष परिवाद किया गया है कि अभियुक्त **आजम पुत्र** कमल उर्फ जमाल **पता** इरशाद कॉलोनी गरिमा गार्डन भोपुरा गाजियाबाद उ.प्र ने **प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 547/2022 धारा 379/338/304–ए आईपीसी पुलिस थाना नंद नगरी, दिल्ली** के अधीन दण्डनीय अपराध किया है (या संदेह है कि उसने किया है) और उस पर जारी किए गए गिरफ्तारी के वारण्ट को यह लिख कर लौटा दिया गया है कि उक्त **आजम** मिल नहीं रहा है और मुझे समाधान पद रूप में दर्शित कर दिया गया है कि उक्त **आजम** फरार हो गया हैं (या उक्त वारण्ट की तामील से बचने के लिए अपने आपको छिपा रहा है)।

इसलिए इसके द्वारा उदघोषणा की जाती हैं। **प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 547/2022 धारा 379/338/304–ए आईपीसी पुलिस थाना नंद नगरी, दिल्ली** के अभियुक्त **आजम** से अपेक्षा की जाती है कि वह इस न्यायालय के समक्ष (या मेरे समक्ष) उक्त परिवाद का उत्तर देने के लिए दिनांक **30.06.2023** को या उससे पहले हाजिर हों।

आदेशानुसार
श्री अनिमेष भास्कर मणि त्रिपाठी
महानगर दण्डाधिकारी, कमरा सं. 19
कड़कड़डूमा कोर्ट, दिल्ली

DP/3888/NE/2023

दक्षिण रेलवे

पालाक्कड़ मंडल

ई-निविदा सूचना सं. पीजीटी/ओटी/11/2023 तिथि 06.4.2023

भारत के राष्ट्रपति की ओर से वरिष्ठ मंडल अभियंता/समन्वय/दक्षिण रेलवे/पालाक्कड़ द्वारा निम्न कार्यों के लिये ई-निविदा आमंत्रित है

क्रम सं.	कार्य का नाम एवं विवरण
1	अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत पालाक्कड़ मंडल के नीलाम्बुर रेलवे स्टेशन का पुनर्विकासः अनुमानित नगदी मूल्य (लाख में): 538.51 ; बोली प्रतिभूति राशि : रु. 4,19,300; पूर्णता अवधि माह में : आठ
2	अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत पालाक्कड़ मंडल के अंगाडीपुरम रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास, अनुमानित मूल्य रु. (लाख में) : 578.78, बोली प्रतिभूति राशि : रु. 4,39,400/-पूर्णता अवधि माह में : आठ

क्रम सं. 1 एवं 2 : निविदा बंद होने की तिथिः 28.4.2023 के 15.00 मे
1. कार्यों/वस्तुओं/सेवाओं पर सभी अनुबंध समय-समय पर लागू नये जीएसटी अधिनियम के अधीन होंगे।
2. ठेकेदारों/आपूर्तिकताओं को जीएसटी प्राधिकरणों में स्वयं का पंजीकरण कराना होगा तथा 1.7.2017 में आगे बिलों को प्रोसेस करने के लिये जीएसटी पंजीकरण संख्या प्रस्तुत करना होगा।

उक्त निविदा के सम्पूर्ण विवरणों के लिये कृपया वेबसाइट ''http://www.ireps.gov.in'' देखें।
टिप्पणी : बेबसाइट में बाद में अपलोड की की गई किसी भी सुधार अथवा संशोधन के लिये जारी किसी भी शुद्धिपत्र की जाँच करने का दायित्व निविदाकारों का होगा तथा निविदा जमा करने के समय उसका ध्यान रखा जायेगा।

Follow us on : twitter.com/GMSRailway

Fullerton India Credit Company Limited
कॉर्पोरेट कार्यालयः सुप्रीम बिजनेस पार्क, 5 और 6 तल, बी विंग, पवई, मुंबई 400076

कब्जा–सूचना (अचल संपत्ति हेतु)
(प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(1) के तहत)

चूंकि अधोहस्ताक्षरी वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (2002 का 54) के तहत, फुलर्टन इंडिया क्रेडिट कंपनी लिमिटेड, जिनका मेघ टावर्स, तीसरी मंजिल, पुराना नंबर 307, नया नंबर 165, पूनमल्ली हाई रोड मदुरवॉयल, चेन्नई, तमिलनाडु–600095 में पंजीकृत कार्यालय और मंजिल 5 और 6, बी विंग, सुप्रीम आईटी पार्क, सुप्रीम सिटी, लेक कैस्टल के पीछे, पवई, मुंबई 400076 में कॉर्पोरेट कार्यालय है, के अधिकृत अधिकारी होने के नाते, और प्रतिभूति ब्याज (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 27.09.2021 को मांग नोटिस जारी किया जिसमें ऋण खाता संख्या (ओं) रु 166503710271469 के तहत उधारकर्ता(ओं) 1) अवधेश मित्तल, 2) रीना मित्तल, 3) अक्षय मित्तल से नोटिस में उल्लिखित राशि रु. 6,80,80,775/– (रुपये छह करोड़ अस्सी लाख अस्सी हजार सात सौ पचहत्तर मात्र)को उक्त नोटिस की प्राप्ति की तारीख से 60 दिनों के भीतर चुकाने के लिए कहा गया था।

ऋणकर्ता (ऋणकर्ताओं) ने उक्त राशि का भुगतान करने में विफल रहे हैं, एतद्वारा ऋणकर्ता(ओं) और आम जनता को नोटिस दिया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 के तहत उप–धारा (4) के तहत उसे प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे वर्णित संपत्ति का 11 अप्रैल,2022 को कब्जा ले लिया है।

विशेष रूप से उधारकर्ता और आम जनता को एतद्वारा सावधान किया जाता है कि वे संपत्ति के साथ कोई भी लेनदेन न करें और संपत्ति के साथ कोई भी लेनदेन रु. 6,80,80,775/– (रुपये छह करोड़ अस्सी लाख अस्सी हजार सात सौ पचहत्तर मात्र)और उस पर ब्याज की राशि के लिए फुलर्टन इंडिया क्रेडिट कंपनी लिमिटेड के शुल्क के अधीन होगा।

प्रतिभूति परिसंपत्तियों को भुनाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में, अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (8) के प्रावधानों के लिए उधारकर्ता का ध्यान आकर्षित किया जाता है।

अचल संपत्ति का विवरण: संपूर्ण बेसमेंट मंजिल और भूतल "कथित हिस्सा" संपत्ति संख्या, बीबी–17 का हिस्सा, क्षेत्रफल 577.40 वर्ग गज , ग्रेटर कैलाश एन्क्लेव–II, नई दिल्ली–110048

स्थानः दिल्ली **हस्ता /– अधिकृत अधिकारी**
दिनांकः 14.04.2023 **फुलर्टन इंडिया क्रेडिट कंपनी लिमिटेड**

दक्षिण रेलवे

पालाक्कड़ मंडल

ई-निविदा सूचना सं. पीजीटी/ओटी/12/2023 तिथि 7.4.2023

भारत के राष्ट्रपति की ओर से वरिष्ठ मंडल अभियंता/समन्वय । दक्षिण रेलवे (पालाक्कड़ द्वारा निम्न कार्यों के लिये ई-निविदा आमंत्रित हैः

क्रम सं.	कार्य का नाम एवं विवरण
1	अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत पालाक्कड़ मंडल के थालासेरी रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास; अनुमानित नगदी मूल्य (लाख में): 362.53; बोली प्रतिभूति राशि : रु 3,31,300/-; पूर्णता केवल माह में : आठ
2	अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत पालाक्कड मंडल के पोल्लाची रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास, अनुमानित मूल्य रु. (लाख में): 633.71, बोली प्रतिभूति राशि : 4,66,900/- ; पूर्णता केवल माह में : आठ
3	मंडल अभियंता/पूर्व/पालाक्कड़ क्षेत्राधिकार : पारापाननगाडी, तिरूर, कुट्टीपुरम, शोरानूर, ओट्टापलम एवं पोलाची स्टेशनों पर अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत (प्लेटफार्म शेल्टर्स (सुपरस्ट्रक्चर पोर्शन मात्र) का प्रावधान : अनुमानित नगदी मूल्य (लाख में): 486.45; बोली प्रतिभूति राशि : रु. 3,93,200/-पूर्णता अवधि माह में : आठ
4	मंडल अभियंता/पश्चिम/पालाक्कड क्षेत्राधिकार : फेरोके, बाटाकारा, माहे, थालास्सेरी, कासरागोड तथा मैंग्लोर जंक्शन पर अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत (प्लेटफार्म शेल्टर्स (सुपरस्ट्रक्चर पोर्शन मात्र) (लाख में) : 575.79, बोली प्रतिभूति राशिः रु. 4,37, 900/- पूर्णता अवधि माह में : आठ

क्रम सं. 1,2,3 एवं 4 : निविदा बंद होने की तिथि : 2.5.2023 के 15.00 बजे
1. कार्यों/वस्तुओं/सेवाओं पर सभी अनुबंध समय-समय पर लागू नये जीएसटी अधिनियम के अधीन होंगे।
2. ठेकेदारों/आपूर्तिकताओं को जीएसटी प्राधिकरणों में स्वयं का पंजीकरण कराना होगा तथा 1.7.2017 से आगे बिलों को प्रॉसेस करने के लिये जीएसटी पंजीकरण संख्या प्रस्तुत करना होगा।

उक्त निविदा के सम्पूर्ण विवरणों के लिये कृपया वेबसाइट ''http://www.ireps.gov.in.'' देखें।
टिप्पणी: वेबसाइट में बाद में अपलोड की गई किसी भी सुधार अथवा संशोधन के लिये जारी किसी भी शुद्धिपत्र की जाँच करने का दायित्व निविदाकारों का होगा तथा निविदा जमा करने के समय उसका ध्यान रखा जायेगा।

Follow us on : twitter.com/GMSRailway

हीरो हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालयः 09, कम्युनिटी सेंटर, वसंत लोक, वसंत विहार, नई दिल्ली 110057,
शाखा कार्यालय : 27 कम्युनिटी सेंटर, वसन्त लोक, वसन्त विहार, नई दिल्ली-110057

सार्वजनिक सूचना (अचल संपत्ति की बिक्री हेतु ई-नीलामी)

[प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) के तहत]

वित्तीय संपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत हीरो हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (प्रतिभूत लेनदार) के पास बंधक अचल संपत्ति की बिक्री हेतु सूचना

एतद्द्वारा आम जनता को और विशेष रूप से कर्जदार(रों) और गारंटर(रों) या उनके कानूनी उत्तराधिकारियों/प्रतिनिधियों को नोटिस दिया जाता है कि प्रतिभूत लेनदार के पास गिरवी/प्रभारित नीचे वर्णित अचल संपत्तियां, जिनका कब्जा हीरो हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (प्रतिभूत लेनदार) के अधिकृत प्राधिकारी द्वारा ले लिया गया है, नीचे उल्लिखित कर्जदारों, सह-कर्जदारों अथवा जमानतियों से बकायों की वसूली के लिए 19 मई, 2023 (ई-नीलामी तिथि) को ''जैसा है जहां है'', ''जो है यही है'' और ''जो कुछ भी है वहीं है'' आधार पर बेचा जाएगा। आरक्षित मूल्य और जमा धरोहर राशि नीचे उल्लिखित है। सार्वजनिक नीलामी में भाग लेने के लिए ईएमडी के डिमांड ड्राफ्ट वाले सीलबंद लिफाफे को हीरो हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के अधिकृत प्राधिकारी के पास 18 मई, 2023 को शाम 5 बजे तक शाखा कार्यालयः 27 कम्युनिटी सेंटर, वसन्त लोक, वसन्त विहार, नई दिल्ली-110057 में जमा करना होगा।

ऋण खाता सं.	कर्जदार(रों)/सह-कर्जदार(रों)/जमानती(यों)/विधिक उत्तराधिकारी/विधिक प्रतिनिधि के नाम	मांग सूचना की तिथि/ तिथि तक राशि	कब्जे का प्रकार (रचनात्मक/भौतिक कब्जे के तहत)	आरक्षित मूल्य / जमा धरोहर राशि
HHFDEL HOU2100 0014732	मोहिनी पत्नी राजेश, राजेश पुत्र राम मोहन वर्मा	26/05/2022 रु. 9,28,924/- तिथि 11/04/2023 तक	भौतिक कब्जा	रु. 7,50,000/- / रु. 75,000/-

संपत्ति का विवरणः फ्लैट सं. एसएफ-03, द्वितीय तल, एलआईजी पीछे की ओर एलएचएस, छत के अधिकार सहित, कवर्ड एरिया माप 25.64 वर्ग मीटर अर्थात 276 वर्ग फीट, प्लॉट नंबर बी-164 पर निर्मित, खसरा नंबर 233, रेल विहार कॉलोनी, गांव सादुल्लाबाद, परगना और तहसील लोनी, जिला गाजियाबाद-201010, सीमाएं: उत्तरः अन्य की संपत्ति, पूर्वः खुली जगह/खाली प्लॉट, दक्षिणः प्रवेश/खाली प्लॉट, पश्चिमः फ्लैट नंबर एस.एफ.-2/सड़क

HHFNSPHOU 19000004609	विकास कुमार कोमल रानी	19/09/2022 रु. 29,66,972/- तिथि 11/04/2023 तक	भौतिक कब्जा	रु. 22,00,000/- / रु. 2,20,000/-

संपत्ति का विवरणः छत/टेरेस के अधिकार के साथ तीसरी मंजिल के सामने की ओर का समस्त भाग, निर्मित संपत्ति संख्या 181, खसरा संख्या 105/11 में से, गांव पालम, दिल्ली के राजस्व एस्टेट में स्थित, कॉलोनी विश्वास पार्क, ब्लॉक-ई, भूमि के आनुपातिक अधिकारों के साथ और बिक्री विलेख में उल्लिखित अन्य सुविधाओं के साथ। क्षेत्रफल माप 60 वर्ग गज अर्थात 50.16 वर्ग मीटर। सीमाएं : पूर्व-अन्य संपत्ति; उत्तर - सड़क 18 फीट; पश्चिम - अन्य संपत्ति; दक्षिण-संपत्ति का भाग।

नियम एवं शर्तें : -नीलामी पोर्टल **https://sarfaesi.auctiontiger.net** के माध्यम से 19 मई, 2023 (ई-नीलामी की तिथि) को 2.00 बजे अप. के बाद 10 मिनट प्रत्येक के असीमित विस्तार के साथ सम्पन्न होगी। (1) निर्धारित निविदा /संविदा प्रपत्र और बिक्री के नियम तथा शर्तें शाखा कार्यालयः 27 कम्युनिटी सेंटर, वसन्त लोक, वसन्त विहार, नई दिल्ली-110057 पर किसी भी कार्य दिवस पर सुबह 10.00 बजे से शाम 5.00 बजे के बीच उपलब्ध होंगी। (2) अचल संपत्ति को आरक्षित मूल्य से कम पर नहीं बेचा जाएगा। (3) बोली वृद्धि राशि 10,000/- (रुपये दस हजार मात्र) होगी। (4) उपरोक्त संपत्ति की खरीद के लिए जमा की गई सभी बोली/निविदाओं के साथ ''हीरो हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड'' के पक्ष में दिल्ली में देय डिमांड ड्राफ्ट के रूप में ऊपर वर्णित जमा धरोहर राशि संलग्न होनी चाहिए। नीलामी के बाद असफल बोलीदाताओं को डिमांड ड्राफ्ट वापस कर दिए जाएंगे। (5) उच्चतम बोलीदाता को सफल बोलीदाता के रूप में घोषित किया जाएगा, बशर्ते कि वह कानूनी रूप से बोली लगाने के लिए योग्य हो और बशर्ते कि बोली की राशि आरक्षित मूल्य से कम न हो। जब प्रस्तावित कीमत इतनी स्पष्ट रूप से अपर्याप्त हो कि ऐसा करना अनुचित हो तो प्राधिकृत अधिकारी अपने विवेक से उच्चतम बोली को अस्वीकार/स्वीकार कर सकता है। (6) संभावित बोलीदाता पूर्व अनुमति के साथ 10 मई, 2023 को पूर्वाह्न 11.00 बजे से दोपहर 2.00 बजे अप. के बीच संपत्ति का निरीक्षण कर सकते हैं। (7) सफल बोलीदाता के रूप में घोषित व्यक्ति, घोषणा के तुरंत बाद, खरीद राशि/उच्चतम बोली की राशि का 25% जिसमें ईएमडी राशि शामिल होगी, प्राधिकृत अधिकारी के पास 24 घंटे के भीतर जमा करेगा और ऐसी जमा राशि में चूक करने पर, संपत्ति को निजी संधि द्वारा तत्काल नई नीलामी/बिक्री के लिए रखा जाएगा। (8) यदि प्रारंभिक जमा उपरोक्त के रूप में किया जाता है, तो क्रेता द्वारा देय शेष राशि का भुगतान क्रेता द्वारा अधिकृत अधिकारी को संपत्ति की बिक्री की पुष्टि की तारीख से 15वें दिन या उससे पहले और यदि 15वें दिन रविवार या अन्य अवकाश हो, तो 15वें दिन के बाद पहले कार्यालय दिवस पर जमा करना होगा। ((9) उपरोक्त वर्णित अवधि के भीतर किसी भी भुगतान में चूक की स्थिति में, संपत्ति को निजी संधि द्वारा नई नीलामी/बिक्री के लिए रखा जाएगा। ईएमडी सहित जमा राशि हीरो हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड द्वारा जब्त कर ली जाएगी और चूककर्ता खरीदार का संपत्ति पर कोई दावा नहीं होगा। (10) उपरोक्त बिक्री हीरो हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के अंतिम अनुमोदन के अधीन होगी। (11) हीरो हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के संज्ञान में ज्ञात ऋणभारों, यदि कोई हो, का विवरण जिसके लिए सम्पत्ति उत्तरदायी है : ज्ञात नहीं। दावा, यदि कोई, जो सम्पत्ति पर किया गया हो या इसकी प्रकृति तथा मूल्य का कोई अन्य विवरण : ज्ञात नहीं। (12) इच्छुक पार्टियों से अनुरोध है कि वे संबंधित विभागों / कार्यालयों से वैधानिक और अन्य देय जैसे बिक्री/संपत्ति कर, बिजली बकाया, और सोसायटी बकाया का सत्यापन/पुष्टि कर लें। यह कंपनी संपत्ति पर किसी भी देय राशि के भुगतान की कोई जिम्मेदारी नहीं लेती है। (13) 1% का टीडीएस, यदि कोई हो, उच्चतम बोलीदाता द्वारा उच्चतम घोषित बोली राशि के अतिरिक्त देय होगा। भुगतान को उच्चतम बोलीदाता द्वारा कंपनी के पैन में जमा करना होगा और चालान की प्रति कंपनी को जमा करनी होगी। (14) यह बिक्री पूरी तरह से इस विज्ञापन में शामिल नियमों और शर्तों तथा निर्धारित निविदा फॉर्म के अधीन है। (15) सफल बोलीदाता/क्रेता को कानून के अनुसार लागू बिक्री प्रमाण पत्र को पंजीकृत कराने के लिए सभी स्टाम्प शुल्क, पंजीकरण शुल्क और आकस्मिक खर्च वहन करना होगा। (16) प्राधिकृत अधिकारी को बिना कोई कारण बताए बोली को स्वीकार या अस्वीकार करने या निविदा को स्थगित / आस्थगित / रद्द करने और बिना किसी पूर्व सूचना के इस बिक्री के किसी भी नियम और शर्तों को संशोधित करने का पूर्ण अधिकार है। (17) इच्छुक बोलीदाता श्री राज मिश्रा से मो. नं. 9971808985 पर कार्यालय समय के दौरान (सुबह 10.00 बजे से शाम 6.00 बजे तक) संपर्क कर सकते हैं या सम्पत्ति/कर्जदार का खाता नं. का उल्लेख करते हुए **asset-disposal@herohfl.com** पर समन्वय/मेल करें। (18) किसी अन्य विवरण या ई-नीलामी पर ऑनलाइन प्रशिक्षण हेतु सम्भावित बोलीदाता सेवा प्रदाता मैसर्स ई-प्रोक्योरमेंट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड (ऑक्शन टाइगर), ई-मेल आईडी : **support@auctiontiger.net** से सम्पर्क कर सकते हैं।

कर्जदार/जमानती/बंधककर्ता को 30 दिनों की बिक्री सूचना

उपर्युक्त कर्जदार/बंधककर्ता/जमानती को एतद्द्वारा धारा 13(2) के अंतर्गत मांग सूचना में उल्लिखित राशि का भुगतान नीलामी की तिथि से पहले ब्याज और व्यय के साथ करने के लिए कहा जाता है, ऐसा न करने पर संपत्ति की नीलामी की जाएगी और बकाया राशि, यदि कोई भी, आपसे ब्याज और लागत के साथ वसूल किया जाएगा।
बिक्री के विस्तृत नियमों और शर्तों के लिए, कृपया हीरो हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (प्रतिभूत लेनदार) की वेबसाइट वेबसाइट **www.herohousingfinance.com** पर लिंक **https://uat.herohomefinance.in/hero_housing/other-notice** देखें।

दिनांकः 14 अप्रैल, 2023
स्थानः दिल्ली/रा.रा.क्षे.

कृते हीरो हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड
अधिकृत प्राधिकारी श्री सुनील यादव, मो. 9818840495
ई-मेल : assetdisposal@herohfl.com

दक्षिण रेलवे

स्टोर संख्या ई– 07/2023 की आपूर्ति के लिए
ई–निविदा सूचना

निम्नलिखित ई–निविदाएँ आईआरईपीएस वेबसाइट में प्रकाशित की गई हैं। फर्मों से अनुरोध है कि वे **http://www.ireps.gov.in & लॉगिन›ई. टेंडर–गुड्स एंड सर्विसेज (नई)** पर लॉग इन करें और इन टेंडरों के लिए बोली लगाएं। इन निविदाओं के लिए मैनुअल कोटेशन पर विचार नहीं किया जाएगा। सभी निविदाओं के बंद होने का समय 14:30 घंटे है।

क्रं. सं.	निविदा संख्या	विवरण	नियत तिथि
1	03225107B	सीएमएस 60 केजी 1 आईएन 8.5	17/04/2023
2	03225124B	11200 मिमी ओवर राइडिंग स्विच	17/04/2023
3	11231041	एलईडी लाइट फिटिंग	17/04/2023
4	78235386	एडॉप्टर वाइड जॉ	19/04/2023
5	03225115B	मेटल लाइनर	21/04/2023
6	26231063	एक्सल बॉक्स बियरिंग	21/04/2023
7	11220369	सिंगल कोर ई–बीम किरणित केबल	21/04/2023
8	15230189A	प्योर आयरन फ्लैटस	24/04/2023
9	15230188A	प्योर आयरन फ्लैटस	24/04/2023
10	68235605	शिम कॉइल स्प्रिंग	24/04/2023
11	03225127A	10125 मिमी ओवर राइडिंग स्विच	25/04/2023
12	11235002A	डिजाइन, भारी शुल्क यात्री लिफ्ट का निर्माण	25/04/2023
13	15230024	लो मेंटेनेंस लेड एसिड	25/04/2023
14	03225123A	नव विकसित उन्नत स्विच	25/04/2023
15	26232059	एब्यूमेंट पीस	25/04/2023
16	78215015	बोगी फ्रेम	27/04/2023
17	03225122A	नव विकसित उन्नत स्विच	28/04/2023
18	03225145A	6400 मिमी ओवर राइडिंग स्विच	28/04/2023
19	15220177C	पॉलीकार्बोनेट मोल्डिंग पाउडर	28/04/2023
20	53235104	ऑप्टिकल बायोमीटर	28/04/2023
21	78235535	पाइप थ्रेडिंग मशीन	28/04/2023
22	90235644	स्वचालित ट्विस्ट लॉक	28/04/2023
23	90235314	मास्ट–टी–150	28/04/2023
24	68235571	बुशिंग ट्रैक्शन रॉड	28/04/2023
25	04230959	लेटरल बंप स्टॉप	02/05/2023
26	78235550	10 इंच ब्रेक सिलेंडर	04/05/2023
27	44230595	किट लगातार संपर्क के लिए	05/05/2023
28	78235428	कास्ट स्टील बोल्स्टर	05/05/2023
29	44230516	गैर एस्बेस्टस "एल" टाइप	08/05/2023
30	78235531	1) ऑटोमेटेड बियरिंग 2) ऑटोमेटेड एक्सल एंड	08/05/2023
31	68235385	रिंग पिस्टन, बियरिंग आदि	09/05/2023
32	68235493	कनेक्टिंग रॉड, पाइपिंग ग्रुप, सिलेंडर	09/05/2023
33	68235496	वाटर पाइपिंग असेंबली, पिस्टन के लिए पुर्जों का सेट	10/05/2023
34	68235606	क्रैंकशाफ्ट असेंबली, सिलेंडर	10/05/2023
35	78235081A	60 केवीए का ट्रांसफार्मर	10/05/2023
36	78235551	4.5 किलोवाट अंडर स्लंग कांस्टेंट वोल्टेज	10/05/2023
37	82235053	मेन एलईडी सिग्नल	10/05/2023
38	82235002A	रिमोट टर्मिनल यूनिट की आपूर्ति	10/05/2023
39	68235555	कम रखरखाव वाली लीड एसिड बैटरी	11/05/2023
40	52225649B	जर्नल बियरिंग असेंबली	11/05/2023
41	78227103A	हूपर डोर	11/05/2023

प्रधान मुख्य सामग्री प्रबंधक

Follow us on : twitter.com/GMSRailway

उम्मीद हाउसिंग फाइनेंस प्रा. लिमिटेड

पंजीकृत और कॉर्पोरेट कार्यालयः यूनिट 809–815, 8वीं मंजिल, टॉवर–ए, एएमएएआर डिजिटल ग्रीन्स, गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड, सेक्टर–61, गुरुग्राम–122002 (हरियाणा) सीआईएनः U65922HR2016PTC057984

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8 और 9 के अधीन
निजी संधि द्वारा अचल संपत्ति की बिक्री हेतु कर्जदार को सूचना

अमित कुमार पुत्र लल्लन यादव (उधारकर्ता), लल्लन सिंह पुत्र सिपाही सिंह (सह–उधारकर्ता), आशा देवी पत्नी लल्लन सिंह (सह–उधारकर्ता)। उपरोक्त सभी का निवास स्थान : मकान नं. 1062/सी, चित्रकूट कॉलोनी, अर्थला, गली नंबर 4, मोहन नगर, गाजियाबाद– यूपी 201007
विजय शंकर पुत्र माहेश्वरी दीन (सह कर्जदार) निवासी : मोहन नगर, चित्रकूट कॉलोनी, अर्थला, गाजियाबाद–उ.प्र. 201007

चित्रकूट कॉलोनी, अर्थला, मोहन नगर, गाजियाबाद उत्तर प्रदेश – 201007, प्लॉट एरिया 50 वर्ग गज (लैंड मार्क–विजय पब्लिक स्कूल) में स्थित संपत्ति सुरक्षित / गिरवी अचल संपत्ति वाली ख.सं.1012 के संबंध में आपका लोन एग्रीमेंट सं .LXLAX02017-180000421,

हम सार्वजनिक नीलामी नोटिस दिनांक 26.09.2022 द्वारा हमारी शीर्षक वाली बिक्री का उल्लेख करते हैं, आपको यह सूचित करना उचित है कि उक्त नीलामी वित्तीय संस्थान द्वारा "किसी भी व्यक्ति द्वारा बोली न लगाने " के कारण विफल/असफल रही है । बिक्री नोटिस के उक्त प्रकाशन के अनुसार, अब एक इच्छित खरीदार ने वित्तीय संस्थान से संपर्क किया है और नीचे दी गई अनुसूची संपत्ति के अनुसार सुरक्षित संपत्ति खरीदने की पेशकश की है, इसलिए वित्तीय संस्थान इसके द्वारा सूचित, जानकारी , 15 दिनों का नोटिस दें रहा है(जैसा कि दूसरी/बाद की बिक्री किया जा रहा है) और 23.09.2022 के अनुसार देय राशि/बकाया राशि यानी रु.11,48,065/– के साथ 24.09.2022 से प्रति वर्ष अतिरिक्त ब्याज के साथ, हमारे पिछले बिक्री नोटिस में मांगे गए शुल्कों को 15 दिनों की अवधि के भीतर चुकाने के लिए आपसे अनुरोध करते हैं। यदि उपरोक्त देय राशि/बकाया राशि को चुकाने में विफल होने पर, सुरक्षित संपत्ति निजी संधि (जैसा है जहां है और जो कुछ भी है आधार पर और मौजूदा ऋणभारों के साथ, यदि कोई हो के अनुसार प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियम, 2002 की धारा 6(डी) के प्रावधान के तहत निर्धारित अनुसार)के माध्यम से उल्लेखित/प्रस्तावित खरीदार को बेची जाएगी कृपया ध्यान दें:– किसी भी कमी के मामले में (उपरोक्त बिक्री की कार्यवाही के समायोजन के बाद) सरफेसी अधिनियम 2002 के अनुसार आप प्राप्तकर्ताओं से वह धनराशि वसूल की जाएगी ।

प्राधिकृत अधिकारी, उम्मीद हाउसिंग फाइनेंस प्रा.लि.
स्थान : गुरुग्राम, हरियाणा, दिनांक : 14.04.2023 **गौरव त्रिपाठी फ़ोनः 9811329550**

दक्षिण रेलवे

पालाक्कड़ मंडल

ई-निविदा सूचना सं. पीजी टी/ओटी/13/2023 तिथि 8.4.2023

भारत के राष्ट्रपति की ओर से वरिष्ठ मंडल अभियंता/समन्वय/दक्षिण रेलवे/पालाक्कड़ द्वारा निम्न कार्यों के लिये ई-निविदा आमंत्रित है

क्रम सं.	कार्य का नाम एवं विवरण
1	अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत पालाक्कड़ मंडल के मंगलोर जंक्शन रेलवे स्टेशन का पुनर्विकासः अनुमानित नगदी मूल्य (लाख में): 718.23 ; बोली प्रतिभूति राशि : रु. 5,08,100; पूर्ण अवधि माह में : आठ
2	अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत पालाक्कड़ मंडल के शोरानूर रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास, अनुमानित मूल्य रु. (लाख में) : 896.07, बोली प्रतिभूति राशि : रु. 5,98,000/-पूर्ण अवधि माह में : आठ

क्रम सं. 1 : निविदा बंद होने की तिथिः 03.05.2023 के 15.00 मे
1. कार्यों/वस्तुओं/सेवाओं पर सभी अनुबंध समय-समय पर लागू नये जीएसटी अधिनियम के अधीन होंगे।
2. ठेकेदारों/आपूर्तिकताओं को जीएसटी प्राधिकरणों में स्वयं का पंजीकरण कराना होगा तथा 1.7.2017 में आगे बिलों को प्रॉसेस करने के लिये जीएसटी पंजीकरण संख्या प्रस्तुत करना होगा।

उक्त निविदा के सम्पूर्ण विवरणों के लिये कृपया वेबसाइट ''http://www.ireps.gov.in'' देखें।
टिप्पणी : बेबसाइट में बाद में अपलोड की गई किसी भी सुधार अथवा संशोधन के लिये जारी किसी भी शुद्धिपत्र की जाँच करने का दायित्व निविदाकारों का होगा तथम निविदा जमा करने के समय उसका ध्यान रखा जायेगा।

Follow us on : twitter.com/GMSRailway

डीसीबी बैंक लिमिटेड
ए-सेट हाउस, 7/56, देशबन्धु गुप्ता रोड, करोल बाग, नई दिल्ली-110005

DCB BANK

ई-नीलामी बिक्री सूचना
(प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 9(1) के तहत)

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) के परन्तुक के साथ पठित वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण तथा पुनर्निर्माण एवं प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अचल आस्तियों की बिक्री हेतु ई-नीलामी विक्रय सूचना।
एतद्वारा जनसामान्य को एवं विशेष रूप से कर्जदार(रों), सह-कर्जदारों तथा जमानतियों को अधिकृत प्राधिकारी द्वारा सूचना दी जाती है कि अधोलिखित सम्पत्ति डीसीबी बैंक लिमिटेड के पास बंधक है। बैंक के अधिकृत प्राधिकारी ने
वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण तथा पुनर्निर्माण एवं प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के प्रावधानों के तहत भौतिक कब्जा कर लिया है। निम्नलिखित विवरणों के अनुसार निम्नलिखित बकायों तथा भावी ब्याज, प्रभारों एवं लागत आदि की वसूली के लिए नीचे वर्णित के अनुसार निविदा सह सार्वजनिक नीलामी द्वारा सम्पत्ति की बिक्री की जायेगी : सम्पत्ति की बिक्

जनसत्ता

14 अप्रैल, 2023

सुरक्षा में सेंध

बठिंडा सैन्य ठिकाने में हुई गोलीबारी और उसके बाद एक संतरी की कथित खुदकुशी को लेकर वहां की सुरक्षा व्यवस्था पर स्वाभाविक ही सवाल उठ रहे हैं। यह देश के सबसे बड़े सैन्य ठिकानों में से एक है। यह इसलिए भी संवेदनशील है कि बिल्कुल पाकिस्तान की सीमा से लगा है और यहां तैनात सैनिक सदा अभियान के लिए तैयार रखे जाते हैं। जाहिर है, वहां सुरक्षा को लेकर खासी चौकसी बरती जाती है। ऐसे में अगर दो अज्ञात लोग उस सैन्य ठिकाने के भीतर घुस कर सो रहे चार जवानों को गोलियों से भून डालते हैं, तो चिंता स्वाभाविक है। हालांकि अभी तक घटना की असली वजह ठीक-ठीक पता नहीं चल सकी है, मगर अधिकारियों का कहना है कि सैनिकों की आपसी रंजिश के चलते यह घटना घटी। घटना से दो दिन पहले एक इंसास राइफल और अट्ठाईस कारतूस चोरी चले गए थे। इस घटना में उसी राइफल के इस्तेमाल की आशंका जताई जा रही है। हालांकि वह चोरी गई राइफल घटना के बाद बरामद कर ली गई है। इस घटना की असल वजह जांच के बाद पता चल जाएगी, मगर वहां की सुरक्षा से जुड़े सवाल शायद अनुत्तरित ही रहेंगे। इस घटना के अगले ही दिन एक संतरी की सिर में गोली लगने से मौत हो गई, जिसे खुदकुशी बताया जा रहा है।

दोनों घटनाओं के आपस में जुड़े होने से इनकार किया जा रहा है, मगर कथित खुदकुशी की घटना भी संदेह और सवालों से परे नहीं है। सैन्य छावनियों में बाहरी लोगों का प्रवेश आसान नहीं होता। पुख्ता जांच के बाद ही वे प्रवेश कर सकते हैं, इसलिए इस तर्क को सिरे से खारिज नहीं किया जा सकता कि चार जवानों की हत्या करने वाले सेना के भीतर के ही लोग थे। मगर यह समझना थोड़ा कठिन है कि वे कैसे नकाब पहन कर आए और वारदात को अंजाम देने के बाद बड़ी आसानी से निकल भागे। छावनियों में सेना की टुकड़ियां किसी वरिष्ठ अधिकारी की निगरानी में रहती हैं। जगह-जगह आंतरिक सुरक्षा के इंतजाम होते हैं। निगरानी चौकियां बनी होती हैं। बठिंडा में इसे लेकर अधिक ही चौकसी की उम्मीद की जाती है। फिर कैसे दो नकाबपोश राइफल और कुल्हाड़ी लेकर भोजनालय वाले इलाके में पहुंचे और चार जवानों को मारने में कामयाब रहे। कैसे उन पर सुरक्षा में तैनात किसी सिपाही की नजर नहीं पड़ी या फिर जब गोलियां चलीं, तब भी कोई सक्रिय क्यों नहीं हुआ।

इस घटना को मामूली चूक या आपसी वैमनस्य बता कर हल्के में नहीं लिया जा सकता। अगर कुछ सैनिकों की आपस में रंजिश थी, तो उसके बारे में उनके अधिकारियों को जानकारी कैसे नहीं थी। फिर उन लोगों की पहचान करने और उन्हें तलाशने में इतना वक्त कैसे लगा। यह घटना बड़े शातिराना ढंग से अंजाम दी गई। ऐसे लोग सेना के लिए किसी भी रूप में उचित नहीं माने जा सकते। सिपाहियों के बीच ऐसी आपसी रंजिश, जो खूंरेजी तक पहुंच जाए, सेना के अनुशासन पर सवाल खड़े करती है। फिर उस संतरी की मानसिक स्थिति का अंदाजा कैसे नहीं लगाया जा सका, जिसने पहरा देते हुए खुद को गोली मार ली। इन दोनों घटनाओं से यही रेखांकित हुआ है कि बठिंडा सैन्य ठिकाने में सब कुछ ठीक नहीं है। फिर यह भी कि सैनिकों की मानसिक स्थिति का आकलन करने के लिए जो सुझाव दिए गए थे, उनका सही ढंग से पालन नहीं हो रहा।

चौकसी और चुप्पी

उमेश पाल हत्याकांड में जिस तरह उत्तर प्रदेश पुलिस ने सक्रियता दिखाई है, निस्संदेह उससे अपराधियों पर मानसिक दबाव बना है। फरवरी में उमेश पाल की दिन दहाड़े घेर कर हत्या कर दी गई थी। वे अपने बहनोई और विधायक राजूपाल की हत्या के एकमात्र प्रत्यक्षदर्शी थे। राजूपाल की हत्या में माफिया अतीक अहमद का हाथ बताया गया था। फिर उमेश पाल की हत्या में भी अतीक के ही लोग देखे गए थे। उनमें खुद अतीक अहमद का बेटा भी शामिल था। इस हत्याकांड में शामिल दो बदमाश पहले ही मुठभेड़ में मारे जा चुके थे। अब अतीक अहमद का बेटा और उसका एक साथी बदमाश भी मुठभेड़ में मार गिराए गए हैं। दोनों पर पांच-पांच लाख रुपए का इनाम घोषित था। उमेशपाल की हत्या के बाद ये दोनों विभिन्न शहरों में छिपते फिर रहे थे। इसी क्रम में वे दिल्ली भी पहुंचे थे। दिल्ली पुलिस ने इन्हें पनाह देने वाले कुछ हथियार तस्करों को पकड़ा और उत्तर प्रदेश के विशेष पुलिस दल को सौंप दिया था। उनसे पूछताछ के आधार पर ही उत्तर प्रदेश पुलिस इन दोनों बदमाशों तक पहुंची थी। स्वाभाविक ही उमेशपाल हत्याकांड से जुड़े बदमाशों के इस तरह मुठभेड़ों में मारे जाने से उत्तर प्रदेश में सक्रिय दूसरे संगठित अपराधियों को कड़ा सबक मिला है।

पुलिस अगर अपराधियों पर शिकंजा कसने में संजीदगी दिखाए, तो सचमुच अपराधमुक्त समाज बनाया जा सकता है। मगर हकीकत यह है कि हर सरकार अपराधमुक्त समाज बनाने का दम तो भरती है, मगर हर बार कुछ नए किस्म के अपराधी भी पनपते देखे जाते हैं। अतीक अहमद का इतिहास किसी से छिपा नहीं है। पिछले दिनों उसके अलग-अलग ठिकानों पर पड़े छापों से जो नगदी और बेनामी संपत्ति के कागजात जब्त हुए, उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि उसने अपने बाहुबल से किस तरह कानून-व्यवस्था को पंगु बना रखा था। फिलहाल वह जेल में है और उसके खिलाफ अदालत में सुनवाई चल रही है, मगर इससे पहले वह किस तरह न सिर्फ बेखौफ आपराधिक गतिविधियों को अंजाम दे रहा था, बल्कि कानून-व्यवस्था पर भी दबाव बनाए हुए था। अतीक अहमद के गुनाहों और उसकी दबंगई से पुलिस भी अनजान नहीं थी, मगर वह बेखौफ विचरता रहा, तो इसलिए कि उसे राजनीतिक संरक्षण मिला हुआ था। वह खुद भी राजनीति में प्रवेश कर चुका था। अतीक अकेला ऐसा माफिया नहीं है, ऐसे अनेक बाहुबली हैं, जो राजनीतिक संरक्षण में संगठित अपराध करते रहे हैं।

अच्छी बात है कि योगी आदित्यनाथ सरकार ने उत्तर प्रदेश को अपराधमुक्त बनाने के अपने संकल्प पर अडिग रहते हुए राजनीतिक संरक्षण में अपराध कर रहे बाहुबलियों पर शिकंजा कसना शुरू किया और उसी के फलस्वरूप उमेशपाल हत्याकांड में शामिल बदमाशों के मारे जाने की यह ताजा घटना हुई। मगर यह सवाल फिर भी बना हुआ है कि आखिर राजनीतिक दल ऐसे अपराधियों से दूरी बनाना कब शुरू करेंगे। जब तक राजनीतिक दलों में आपराधिक वृत्ति के लोगों की पैठ नहीं रुकेगी, ऐसे बदमाश पनपते ही रहेंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि विपक्षी खेमे के बदमाशों को लेकर चौकसी बरती जाए और अपने करीबियों को लेकर चुप्पी। यह अकारण नहीं है कि हर विधानसभा और लोकसभा चुनाव के बाद सदन में पहुंचने वाले प्रतिनिधियों में आपराधिक पृष्ठभूमि के सदस्यों की संख्या कुछ बढ़ी हुई ही दर्ज होती है। जब तक राजनीतिक संरक्षण मिलता रहेगा, न तो इस तरह की राजनीतिक हत्याओं का सिलसिला रुकेगा और न पूरी तरह अपराधियों पर लगाम लगाना संभव हो सकेगा।

कल्पमेधा

शिक्षा प्राप्त करने के तीन आधार-स्तंभ हैं- अधिक निरीक्षण करना, अधिक अनुभव करना और अधिक अध्ययन करना।

– केथराल

बदलते वक्त में प्राकृतिक खेती की जरूरत

नृपेंद्र अभिषेक नृप

उत्पादन और मूल्य प्राप्ति में अनिश्चितता की वजह से किसान उच्च लागत वाली कृषि के दुश्चक्र में फंस गया है। लगातार गिरता उत्पादन और फसलों में बढ़ती बीमारियां कृषि क्षेत्र की जटिलताओं को और बढ़ा रही हैं। इस स्थिति से किसानों को बाहर निकालने और उनके दीर्घकालिक कल्याण के लिए प्राकृतिक खेती की तरफ रुख करने से सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं।

कृषि में बढ़ते रासायनिक खादों और दवाओं के उपयोग से फसलों और फिर इसका सीधा प्रतिकूल प्रभाव स्वास्थ्य पर पड़ रहा है। प्राकृतिक खेती एक रासायनिक खाद मुक्त यानी पारंपरिक कृषि पद्धति है। इसे कृषि-पारिस्थितिकी आधारित विविध कृषि प्रणाली माना जाता है, जो जैव विविधता के साथ फसलों, पेड़ों और पशुधन को एकीकृत करती है। सरकार ने देश भर में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति यानी बीपीकेपी को प्रश्रय देकर राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन की शुरुआत की है, ताकि किसान खेतों में रासायनिक खादों का उपयोग कम कर सकें।

राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन के तहत पंद्रह हजार क्लस्टर यानी समूह विकसित करके साढ़े सात लाख हेक्टेयर क्षेत्र को इसकी परिधि में लाया जाएगा। प्राकृतिक खेती शुरू करने के इच्छुक किसानों को क्लस्टर सदस्य के रूप में पंजीकृत किया जाएगा और इसके साथ ही प्रत्येक क्लस्टर में पचास हेक्टेयर भूमि के साथ पचास या उससे अधिक किसानों को शामिल किया जाएगा। क्लस्टर एक गांव भी हो सकता है और उसमें दो-तीन आसपास के गांवों को भी शामिल किया जा सकता है।

इस मिशन के तहत बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए तीन वर्ष तक प्रति वर्ष पंद्रह हजार रुपए प्रति हेक्टेयर की वित्तीय सहायता मिलेगी। इस वित्त पोषण में इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि किसान प्राकृतिक खेती के लिए प्रतिबद्ध हों। अगर कोई किसान प्राकृतिक खेती का उपयोग नहीं करता है, तो उसे बाद की किस्तों का भुगतान नहीं किया जाएगा। इन सबके अलावा, प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए क्रियान्वयन ढांचे, संसाधनों, क्रियान्वयन की प्रगति, किसान पंजीकरण, ब्लाग आदि की जानकारी प्रदान करने वाला एक वेब पोर्टल भी शुरू किया गया है।

देश में गैर-रासायनिक खेती को प्रोत्साहित करने के लिए खरीद पर भले जोर दिया जा रहा हो, पर हकीकत में सारे प्रयास अभी तक आधे-अधूरे हैं। सरकार ने 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य रखा था, लेकिन इसमें अभी तक कोई विशेष सफलता हाथ नहीं लगी है। उत्पादन और मूल्य प्राप्ति में अनिश्चितता की वजह से किसान उच्च लागत वाली कृषि के दुष्चक्र में फंस गया है। लगातार गिरता उत्पादन और फसलों में बढ़ती बीमारियां कृषि क्षेत्र की जटिलताओं को और बढ़ा रही हैं। इस स्थिति से किसानों को बाहर निकालने और उनके दीर्घकालिक कल्याण के लिए प्राकृतिक खेती की तरफ रुख करने से सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं।

दुनिया की बढ़ती जनसंख्या एक गंभीर समस्या है। लोगों को भोजन की आपूर्ति के लिए मानव द्वारा अधिक से अधिक उत्पादन करने के लिए तरह-तरह के रासायनिक खादों, जहरीले कीटनाशकों का उपयोग, प्रकृति के जैविक और अजैविक पदार्थों के बीच आदान-प्रदान के चक्र यानी 'इकोलाजी सिस्टम' को प्रभावित करता है, जिससे भूमि की उर्वरा शक्ति खराब हो जाती है, साथ ही वातावरण प्रदूषित होता और मानव स्वास्थ्य में गिरावट आती है।

भारत में ग्रामीण अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि है और यह बड़ी आबादी की आय का मुख्य साधन भी है। हरित क्रांति के समय बढ़ती जनसंख्या और आय के मद्देनजर उत्पादन बढ़ाने पर जोर दिया गया। तब अधिक उत्पादन के लिए खेती में अधिक मात्रा में रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के उपयोग पर जोर दिया गया। अब इसकी वजह से सीमांत और छोटे किसानों के पास कम जोत में अत्यधिक लागत आ रही है और जल, भूमि, वायु प्रदूषित हो रहा है, खाद्य पदार्थ भी जहरीले हो रहे हैं। इसलिए इन सभी समस्याओं से निपटने के लिए प्राकृतिक कृषि पर सरकार बल दे रही है।

प्राकृतिक खेती एक अनूठा माडल है, जो कृषि-पारिस्थितिकी पर निर्भर है। इसका उद्देश्य उत्पादन की लागत को कम करना और सतत कृषि को बढ़ावा देना है। प्राकृतिक खेती मिट्टी की सतह पर सूक्ष्म जीवों और केंचुओं द्वारा कार्बनिक पदार्थों के विखंडन को प्रोत्साहित करती और धीरे-धीरे मिट्टी में पोषक तत्त्वों को जोड़ती है। हालांकि, जैविक खेती में जैविक खाद, वर्मी-कंपोस्ट और गाय के गोबर की खाद का उपयोग किया जाता है तथा इन्हें जोते हुए खेत में प्रयोग किया जाता है।

भारत सरकार द्वारा सहायता प्राप्त प्राकृतिक कृषि क्षेत्र अब 4.09 लाख हेक्टेयर तक पहुंच गया है। इस कार्य के लिए आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और केरल सहित आठ राज्यों में 49.81 करोड़ रुपए का आबंटन किया गया है। भारत में वर्तमान में शून्य बजट प्राकृतिक कृषि पर ध्यान दिया जा रहा है। इसके तहत प्राकृतिक खेती के तरीकों का एक समूह तथा एक जमीनी किसान आंदोलन तैयार हो रहा है, जो भारत के विभिन्न राज्यों में फैल रहा है। शून्य बजट प्राकृतिक कृषि एक ऐसी पद्धति है, जो लागत कम करने के साथ ही जलवायु पर निर्भर कृषि तथा किसानों को स्थानीय संसाधनों का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करती और कृत्रिम उर्वरकों और कीटनाशकों के उपयोग को समाप्त करती है। इस तरह मृदा स्वास्थ्य और मानव स्वास्थ्य को नुकसान से बचाती है।

शून्य बजट प्राकृतिक खेती, एक अनूठा तरीका है, जिसमें बाजार से बीज, उर्वरक और पौधों के संरक्षण, रसायनों जैसे महत्त्वपूर्ण उपादानों की खरीद के लिए कोई मौद्रिक निवेश करने की आवश्यकता नहीं होती है। यह व्यापक, प्राकृतिक और आध्यात्मिक कृषि प्रणाली है। किसान उर्वरकों और कीटनाशकों के बिना फसल की स्थानीय किस्मों को उगा सकते हैं। चूंकि यह शून्य बजट खेती है, इसलिए इसमें किसी संस्थागत ऋण की आवश्यकता नहीं होगी और मानव श्रम पर निर्भरता भी कम से कम हो जाएगी। शून्य बजट प्राकृतिक खेती विभिन्न कृषि सिद्धांतों के माध्यम से मिट्टी की उर्वरता में सुधार लाने की एक कारगर पद्धति है।

प्राकृतिक खेती कई अन्य लाभों, जैसे कि मिट्टी की उर्वरता और पर्यावरणीय स्वास्थ्य की बहाली, और ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन का शमन या उनमें कमी लाते हुए किसानों की आय बढ़ाने का मजबूत आधार प्रदान करती है। यह प्राकृतिक या पारिस्थितिकीय प्रक्रियाओं, जो खेतों में या उसके आसपास मौजूद होती हैं, पर आधारित होती है। किसानों की आमदनी दोगुना करने के साथ ही अनाज का उत्पादन भी वर्तमान की तुलना में दोगुना करने के सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्य खेती की इसी विधि से हासिल किए जा सकते हैं। यही नहीं, शून्य बजट प्राकृतिक खेती के तहत जो फसल उगाई जाती है उसकी पैदावार भी काफी अच्छी होती है।

'भारत में आर्गेनिक और प्राकृतिक खेती से संपूर्ण लाभ के प्रमाण' नामक रिपोर्ट प्राकृतिक खेती के दृष्टिकोण और फायदे के बारे में सबूतों के आधार पर बताती है कि गैर-रासायनिक खेती को व्यापक विस्तार दिया जा सकता है। यह रिपोर्ट भविष्य की नीतियों के लिए एक स्पष्ट रास्ता दिखाती है कि सिर्फ पैदावार के बजाय जैविक या प्राकृतिक खेती के विभिन्न फायदों को समग्रता से देखा जाना चाहिए। वैज्ञानिक समुदाय और नीति निर्माता इन तथ्यों पर ध्यान देंगे और गैर-रासायनिक खेती को प्रोत्साहित करेंगे। 2014-19 के बीच 504 बार दर्ज पैदावार के परिणाम बताते हैं कि प्राकृतिक खेती के जरिए उच्चतम पैदावार इकतालीस फीसद, आंशिक रसायन आधारित एकीकृत खेती में पैदावार तैंतीस फीसद और रासायनिक खेती में महज छब्बीस फीसदी पैदावार रही। इन सबके अलावा एक अच्छी बात यह है भी कि इस बार के आम बजट में रासायनिक खेती की जगह प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने की घोषणा की गई है। इसमें राज्यों को भी प्रोत्साहित करने की बात कही है, ताकि वे अपने कृषि विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम को नए सिरे से प्राकृतिक खेती के आधार पर तैयार कर सकें। समय की मांग है कि इस दिशा में और बड़े कदम उठाए जाने चाहिए।

भाव संप्रेषण की कला

अनिता वर्मा

दुनिया मेरे आगे

अपने भावों को दूसरे तक सही रूप में पहुंचाना ही संप्रेषण कला है। आज अधिकांश रिश्तों में दरार, टूटन, अनबोला होना, सब कुछ इसी कला की अपूर्णता से हो रहा है। बहस, तकरार, शब्द बाण, व्यंग्य बाण, सब कुछ इस कला के अभाव में सामने आते हैं। कई बार हम जो कहना चाहते हैं, उस भाव की मूल संवेदना सामने वाले तक संप्रेषित नहीं हो पाती और वक्ता की बात का श्रोता अपने हिसाब से अर्थ लगा लेता है। मूल बात का स्वरूप कई बार विकृत हो जाता है। अर्थ का अनर्थ भी हो जाता है। 'मेरा मतलब यह नहीं था... मैंने यह कहना चाहा था... आप शायद गलत समझ गए..!' इस प्रकार संवाद होता रहता है। सामान्य बहस क्रोध में बदल जाती है। कई बार बातचीत बंद हो जाती है और रिश्तों की मिठास में अजीब-सी कड़वाहट घुल जाती है।

अलंकारों में वक्रोक्ति अलंकार में वक्ता की बात का श्रोता जब अपने अनुसार अर्थ निकाल ले तो कई बार भाव संप्रेषण सही नहीं हो पाता। यह हो सकता है वक्ता ने तो बात अपनी दृष्टि से सही कही हो, पर सामने वाला कई बार उस बात को अनेक संदर्भों और अर्थों के साथ ग्रहण कर लेता है। प्रत्यक्ष रूप में तो सब ठीक रहता है, पर जहां संवाद फोन पर है, तो कई बार बात कहने का लहजा, सुनने और बोलने वाले की मनःस्थिति सब का महत्त्व होता है। भाव संप्रेषण सही रूप में श्रोता तक पहुंचना जरूरी होता है। कई बार पता ही नहीं चलता कि कही गई बात का श्रोता पर क्या प्रभाव पड़ा, क्योंकि फोन पर चेहरे के भाव उसके उतार-चढ़ाव दिखाई नहीं देते और कहनेवाला भाव पढ़ नहीं पाता। सही बात और सही भावना से प्रस्तुत विचार और कथन भी कभी गलत रूप में समझने, उसका गलत भाव ग्रहण करने पर आपस में गलतफहमी पैदा हो जाती है। बात कहने वाले को पता ही नहीं चल पाता कि आखिर हुआ क्या! क्या गलत कह दिया! हां, कटु शब्दावली का प्रयोग जरूर आहत करता है। लेकिन सरलमना व्यक्ति कई बार जो भाव प्रकट करना चाहता है, जो समझाना चाहता है या कहें अपना पक्ष रखना चाहता है, पर कई बार शब्द सामर्थ्य के अभाव में वह कसूरवार सिद्ध हो जाता है। जबकि वह अपनी जगह सही होता है। यहां बात सही रूप में भावों के संप्रेषण की हो रही है जो उसे नहीं आती।

कहने को यह सामान्य-सी बात है और दो लोगों में जब संवाद होता है, उसमें किसी एक की जब असहमति होती है तो वह सही बात को भी समझने को तैयार नहीं होता और हमेशा की तरह बात इस वाक्य पर आकर समाप्त होती है कि 'तुम्हें बात करने का ढंग नहीं है'। बस अंतिम निर्णयात्मक वाक्य जो हमेशा के लिए उस व्यक्ति को उस बात की तकलीफ देता है, जो उसने कही नहीं। कई बार मोबाइल पकड़े हुए घूमते-घूमते अपनी बात को जोर देकर कहते हुए, फोन पर चिल्लाते हुए लोगों को देखा-सुना जा सकता है। इस प्रकार के व्यवहार के पीछे एक ही कारण होता है। या तो सामने वाला सुनना नहीं चाहता या भाव संप्रेषण की कला का अभाव है।

अनुभूतियां महसूस करने का विषय होती हैं। भाव उमड़ते-घुमड़ते हैं। जीवन में संवाद बहुत जरूरी होता है। बिना संवाद के जीवन के सब रंग फीके हैं। संप्रेषण वह प्रक्रिया है, जो भावों विचारों का संवाहक होती है, जहां विचारों का आदान-प्रदान होता है। सामाजिक सरोकार, संबंधों के निर्वहन के लिए सार्थक, शिष्ट और प्रभावी संवाद या भाव संप्रेषण जरूरी होता है। अति संवेदनशील व्यक्ति बहुत जल्दी इन सबसे प्रभावित हो जाता है। इसका अर्थ यह नहीं कि अन्य प्रभावित नहीं होते हैं। पर कई बार उसे सामान्य रूप में ग्रहण कर लिया जाता है या हंसकर टाल दिया जाता है। या अपने अनुसार समझ लिया जाता है कि शायद कहने वाले का मतलब यह नहीं रहा होगा। तब स्थितियां सामान्य रहती हैं, संबंध बना रहता है। पर अति संवेदनशील कहे जाने वाले लोगों के दिल और दिमाग में कोई बात इतनी गहराई से जम जाती है कि वे अपने अलावा किसी की बात न मानना चाहते हैं, न सुनना। यही तकलीफदेह हो जाता है।

भाव संप्रेषण के मूल में विचारों का आदान-प्रदान होता है। कुछ सूचनाएं होती हैं, कुछ आसपास के समाचार होते हैं। सवाल-जवाब होते हैं। प्रत्येक मनुष्य के साथ यह प्रक्रिया भिन्न होती है। जैसे दफ्तर में काम करने वाले अपने दफ्तर से संबंधित बात करेंगे। घर में, समाज, परिवार मित्रों में भाव संप्रेषण के विविध प्रकार होते है। लेकिन आत्मीय रिश्तों में जरा सावधानी जरूरी होती है। अन्यथा कही गई बात सही रूप में प्रेषित नहीं हुई तो बात बिगड़ जाने की संभावना रहती है। नतीजतन, विवाद की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए आत्मीय भाव बनाए रखना चाहिए। इस भागदौड़ भरी जिंदगी में खुशियां जहां से मिले, बटोरते चलना चाहिए। अच्छा याद रखा जाए, बुरा भूलते रहा जाए। भाव प्रधान होता है। कहने का तरीका, लहजा अवश्य भिन्न हो सकता है।

चौपाल

किसी भी मुद्दे या लेख पर अपनी राय हमें भेजें। हमारा पता है : ए-8, सेक्टर-7, नोएडा 201301, जिला : गौतमबुद्धनगर, उत्तर प्रदेश

आप चाहें तो अपनी बात ईमेल के जरिए भी हम तक पहुंचा सकते हैं। आइडी है : chaupal.jansatta@expressindia.com

ठगी के पांव

वर्तमान समय में विश्व भर में फैले इंटरनेट का सहारा लेकर ही साइबर अपराधों को अंजाम दिया जा रहा है। तकनीक ने लोगों की जिंदगी को जितना आसान और सुविधाजनक बनाया है, उसी अनुपात में जोखिम भी पैदा किए हैं। अकेले इस वर्ष दो लाख से अधिक साइबर धोखाधड़ी की शिकायतें दर्ज कराई गई हैं। आज कल लोगों के पास एक अज्ञात यानी की अनजान नंबर से काल आता है और बाद में संदेश में एक लिंक भेजा जाता है। जैसे ही व्यक्ति उस लिंक पर क्लिक करता है, वैसे ही उसके बैंक से पैसे गायब हो जाते हैं। हाल ही में नोएडा पुलिस ने ठगी करने वाले एक गिरोह को पकड़ा हैं, जिन्होंने लोगों से करोड़ों की ठगी की।

साइबर अपराध का सबसे जटिल पक्ष यह है कि विश्व के किसी भी कोने में बैठकर इस अपराध को अंजाम दिया जा सकता है। वर्तमान में आनलाइन धोखाधड़ी, हैकिंग, फिशिंग बुलिंग आदि समस्या से पूरा विश्व पीड़ित है। यहां तक कि विश्व का सर्वाधिक शक्तिशाली देश अमेरिका भी इससे अछूता नहीं है। हैकिंग को लोगों ने आज रुचि और व्यवसाय बना लिया है। विश्व के सभी देशों के सरकारी संस्थानों की वेबसाइट को कभी-कभी हैक करने का प्रयास किया जाता है। साइबर अपराध के माध्यम से आज धार्मिक-राजनीतिक उन्माद भी पैदा कर दिया जाता है। आतंकवादी भी इसके माध्यम से विश्व में दहशत फैला रहे हैं।

इसलिए जरूरी है कि अपने ईमेल का पासवर्ड इंटरनेट पर कहीं पर न लिखा जाए और न ही कोई मोबाइल नोटपैड ऐप पर। इसकी सुरक्षा के लिए हर स्तर पर सजगता बरतनी चाहिए। मसलन, पासवर्ड बदलते रहना, मोबाइल फोन और लैपटाप में एंटीवायरस रखना, अनजान संदेश, लिंक या मोबाइल पर आई सूचना पर बिना जानकारी के क्लिक न करना, उसे हटा देना, फर्जी नंबर को तुरंत ब्लाक करना जैसी छोटी सावधानियां बरतने की जरूरत है। किसी भी सरकारी योजना या बैंक के नाम से आए फर्जी काल से सावधान रहना चाहिए। जल्दबाजी और ऐसे फोन पर विश्वास करना मतलब किसी का डेटा चोरी हो सकता है, जैसा कि आजकल खूब हो रहा है।

साइबर अपराधी बड़े शातिर तरीके से ऐसी घटनाओं को अंजाम देते हैं। हालांकि साइबर सेल का गठन होने से कई गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। जरूरी है इन पर प्रशासन पैनी नजर लगातार बनाए रखे। देश में सूचना प्रौद्योगिकी कानून के तहत किसी भी तरह का साइबर अपराध दंडनीय अपराध है। बावजूद इसके हर दिन इस तरह के मामले सामने आते हैं। सूचना प्रौद्योगिकी का आगमन एक ओर जहां वरदान साबित हुआ है, वहीं उसका सहारा लेकर कई गिरोह अपराध भी कर रहे हैं। देश के कई शहर साइबर अपराध का गढ़ बन चुके हैं। बहरहाल, एक जागरूक समाज ही साइबर अपराधियों के हौसले को तोड़ सकता है। तकनीकी जानकारी और थोड़ी-सी समझदारी तथा लालच पर संयम रखकर साइबर अपराध की गिरफ्त में आने से बचा जा सकता है।

– वर्षा, गुरुग्राम

वोट के बदले

चुनाव के दौरान इस तरह वादे आम हो चुके हैं- 'तुम हमें वोट दो, हम तुम्हें लैपटाप देंगे, साइकिल देंगे, स्कूटी देंगे, मुफ्त बिजली देंगे, कर्ज माफ कर देंगे...!' यह खुलेआम रिश्वत नहीं तो क्या है? क्या इससे चुनाव प्रक्रिया बाधित नहीं होती है? क्या इन सब प्रलोभनों से चुनाव निष्पक्ष होंगे? यह जनता की गाढ़ी कमाई के टैक्स का पैसा है। इसकी जवाबदेही होनी चाहिए।

होना यह चाहिए कि लोगों के टैक्स से सर्वजन हिताय काम हों, देश के विकास का काम हों, रोजगारोन्मुखी कल-कारखाने हों, खेती लहलहाती हो, तो सबको टैक्स चुकाना अच्छा लगता।

लेकिन इसके उलट हो रहा है। लोगों के लिए रोजगार सृजन के अनूकूल परिस्थिति बनाने के बजाय तथाकथित सामाजिक कल्याण योजनाओं के माध्यम से वोट बैंक बनाए जा रहे हैं। इस बर बंदिश लगाई जानी चाहिए।

– अरविंद जैन 'बीमा', उज्जैन

कर्नाटक का मैदान

कर्नाटक के विधानसभा चुनाव इस बार बेहद खास होने वाले हैं। कांग्रेस, भाजपा और जनता दल (एस) ने वहां अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। हाल ही में कर्नाटक में भाजपानीत सरकार ने मुसलिमों को दिए जाने वाले चार फीसद आरक्षण को समाप्त कर दिया और उसे दो हिस्सों में बांट कर राज्य की सबसे मजबूत दो पिछड़ी जातियों के बीच बांट दिया है। लेकिन कांग्रेस भी इस बार पीछे नहीं है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान मिले जनसमर्थन से गद्गद कांग्रेस ने भी पूरी तैयारी कर ली है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे अपनी भूमिका पूरी तरह मजबूती से निभाने की कोशिश में हैं। जनता दल (एस) अकेले चुनाव लड़ेगा तो इसका फायदा भाजपा को मिल सकता है। इसके अलावा, बहुजन समाज पार्टी और आम आदमी पार्टी भी यहां अपनी जोर-आजमाइश करने वाली है। हिजाब और मुसलिम आरक्षण चुनावी मुद्दा होने वाले हैं। दलित मतदाताओं को अपने पाले में किया जाए, इसलिए आंबेडकर जयंती के अवसर पर सामाजिक न्याय यात्रा और कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। जाहिर है, इस बार कर्नाटक का चुनाव बाकी चुनावों के मुकाबले अलग साबित होने वाला है।

– वीरेंद्र कुमार जाटव, देवली, दिल्ली

जुए का जाल

आज के युग में जुआ-सट्टा का कारोबार दिन-प्रतिदिन तेजी से बढ़ रहा है। इसके लिए अब सोशल मीडिया, ऐप और फोन का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। इंटरनेट पर युवाओं पर कई गेम आ गए हैं, जो हर साल लाखों लोगों को मानसिक बीमारी का शिकार बना रहे हैं। कुछ लोग सट्टेबाजी में पैसा जीतकर मालामाल हो जाते हैं और कई लोग हार कर कंगाल हो रहे हैं। विडंबना यह है कि इस वहम में पड़ कर लोग बिना काम किए पैसा कमाने के चक्कर में बहुत बड़ा नुकसान कर ले रहे हैं। युवा पीढ़ी बिना मेहनत के करोड़पति और अमीर बनने का ख्वाब देखने लगी है। हारे पैसे को निकालने के चक्कर में व्यक्ति कितना पैसा डुबा देता है, यह उसे पता नहीं चलता हैं। वह लोगों से कर्ज भी ले लेता है और कर्ज समय पर न देने पर अवसाद में चला जाता है या खुदकुशी कर लेता हैं। यह देश में बढ़ रहे जुआ-सट्टा कारोबार एक बहुत बड़ी समस्या बन गई हैं।

– सूर्यांश सिंह, लालगंज अझारा, प्रतापगढ़

www.readwhere.com

धनुष और मारी सेल्वराज एक बार फिर करेंगे साथ काम

सोशल मीडिया

अभिनेता धनुष और फिल्मकार मारी सेल्वराज 2021 की हिट तमिल फिल्म कर्णन की सफलता के बाद एक बार फिर साथ काम करने को तैयार हैं। एक प्रेस विज्ञप्ति के मुताबिक, दोनों की आगामी फिल्म जी स्टूडियो साउथ और वंडरबार फिल्म्स के बैनर तले बनेगी। फिल्म निर्माताओं के अनुसार, यह फिल्म धनुष के करिअर की 'सबसे अधिक बजट' वाली फिल्मों में से एक होगी। अभिनेता धनुष ने ट्विटर पर यह जानकारी साझा करते हुए रविवार रात लिखा, एक बड़ा 'प्रोजेक्ट' जो कई कारणों से खास है। ओम नमः शिवाय। वहीं मारी सेल्वराज ने कहा, 'मैं एक बार फिर धनुष सर के साथ काम करने को उत्साहित हूं। 'जी स्टूडियोज' की दक्षिण भारतीय फिल्मों का काम संभालने वाले अक्षय केजरीवाल ने कहा कि कंपनी 'वंडरबार फिल्म्स' के साथ अपनी आने वाली फिल्म की घोषणा करते हुए खुश व गौरवान्वित है।

खबर कोना

उम्मीद है कि लोग 'किसी का भाई किसी की जान' को सराहेंगे : सलमान

सलमान खान चार साल बाद फिल्म 'किसी का भाई किसी की जान' के साथ मुख्य भूमिका में बड़े पर्दे पर वापसी करने के लिए तैयार हैं और अभिनेता को उम्मीद है कि दर्शक उनके प्रयास की सराहना करेंगे। सलमान खान फिल्म (एसकेएफ) के बैनर तले बनी 'किसी का भाई किसी की जान' फरहाद सामजी द्वारा निर्देशित है। अभिनेता (58) ने कहा कि फिल्म एक्शन, रोमांस और पारिवारिक ड्रामे के साथ एक संपूर्ण मनोरंजन पैकेज है। सलमान ने यहां फिल्म का ट्रेलर जारी होने के कार्यक्रम में कहा, 'मुझे उम्मीद है कि लोग फिल्म की सराहना करेंगे, फिल्म को पसंद करेंगे और जाकर देखेंगे। यह ठेठ हिंदुस्तानी फिल्म है। इसमें एक्शन है और इसमें सूरज बड़जात्या की फिल्म की तरह दृश्य हैं (पारिवारिक ड्रामा) तथा इसमें संजय लीला भंसाली की फिल्मों वाला रोमांस है। यह आज की फिल्म है।' ईद 2023 पर रिलीज होने वाली इस फिल्म में तेलुगु अभिनेता वेंकटेश भी महत्त्वपूर्ण भूमिका में हैं।

शाहरुख ने अपनी बेटी सुहाना की तारीफ की

बालीवुड अभिनेता शाहरुख खान ने अपनी बेटी सुहाना की उनकी विरासत को आगे बढ़ाने के लिए सराहना की है। मंगलवार शाम, सुहाना को एक सौंदर्य उत्पाद कंपनी का 'ब्रांड अंबेसडर' घोषित किया गया। शाहरुख ने 22 वर्षीय बेटी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर साझा किया। वीडियो में सुहाना लाल पोशाक पहनी नजर आ रही है। अभिनेता ने अपने आधिकारिक ट्विटर पेज पर बुधवार को लिखा, ''मेबलिन (सौंदर्य उत्पाद ब्रांड) के लिए बधाई हो बेटा। अच्छे कपड़े पहने हैं...अच्छा बोल रही हो...बहुत खूब। क्या मैं अच्छी परवरिश करने का कुछ श्रेय ले सकता हूं !!'' कार्यक्रम में सुहाना ने संवाददाताओं से कहा, ''इस ब्रांड का हिस्सा बनकर मैं बहुत उत्साहित और खुश हूं।'' सुहाना अमेरिकी 'कामिक सीरिज' पर आधारित जोया अख्तर की 'द आर्चीज' के साथ भारतीय फिल्म उद्योग में पदार्पण कर रही हैं। नेटफ्लिक्स ने इस परियोजना के लिए 'आर्ची कामिक्स' के साथ साझेदारी की है।

'बालीवुड' शब्द थोपा हुआ लगता है : संजय मिश्रा

'बालीवुड' शब्द को 'थोपा हुआ' बताते हुए मशहूर अभिनेता संजय मिश्रा ने जोर देकर कहा कि इसके स्थान पर 'भारतीय सिनेमा' या 'हिंदी सिनेमा' सरीखे संबोधनों का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। मिश्रा ने कहा कि बालीवुड नाम थोपा हुआ लग रहा है। यह बालीवुड कौन-सा शहर है भाई? यह नाम एक तरह की नकल है। उन्होंने कहा कि 'बालीवुड' के स्थान पर ठीक उसी तरह भारतीय सिनेमा या हिंदी सिनेमा शब्द का इस्तेमाल किया जाना चाहिए जिस तरह भारत की टीम को भारतीय टीम कहा जाता है। 59 वर्षीय अभिनेता ने एक सवाल पर इस बात से इनकार किया कि बालीवुड को भारतीय सिनेमा या हिंदी सिनेमा कहे जाने की वकालत करना उनका दक्षिणपंथी रुझान प्रदर्शित करता है। यह पूछे जाने पर कि ओटीटी मंच पर प्रसारित कई फिल्मों और कार्यक्रमों में गाली-गलौज, सेक्स और हिंसा के दृश्यों की भरमार के चलते क्या इस माध्यम को लेकर सख्त सेंसरशिप की जरूरत है, मिश्रा ने फौरन जवाब दिया कि मैं शुरू से मानता रहा हूं कि यह आपको खुद तय करना होगा कि आपको ओटीटी मंच का कोई कार्यक्रम देखना है या नहीं? अगर मुझे कोई कार्यक्रम गड़बड़ लग रहा है, तो मैं इसे क्यों देखूं और मेरा गड़बड़ कार्यक्रम देखने का मन है, तो मैं देखूंगा। उन्होंने कहा कि ओटीटी मंच के कारण नई विषयवस्तु के साथ ही नए अभिनेता, निर्देशक और कैमरामैन सामने आ रहे हैं और इन लोगों को काम का पूरा मौका मिल रहा है।

विशाल और रेखा भारद्वाज के साथ काम करने का सपना सच हुआ : लारा दत्ता

अभिनेत्री लारा दत्ता ने रविवार को कहा कि निर्देशक विशाल भारद्वाज और गायिका रेखा भारद्वाज के साथ आगामी वेब श्रृंखला चार्ली चोपड़ा एंड द मिस्ट्री आफ सोलांग वैली के लिए काम करना उनके लिए सपने के सच होने जैसा है। अभिनेत्री ने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम खाते पर लिखा, विशाल सर और रेखा जी दोनों के साथ काम करना एक सपने के सच होने जैसा है। मैं लंबे समय से यह चाह रही थी। दोनों के लिए प्यार, प्रशंसा और सम्मान। निर्माता एवं निर्देशक विशाल भारद्वाज इस वेब श्रृंखला के साथ ओटीटी (ओवर द टाप) मंच पर पदार्पण कर रहे हैं। यह अगाथा क्रिस्टी के उपन्यास द सिटाफोर्ड मिस्ट्री पर आधारित है, जिसका प्रसारण ओटीटी मंच सोनी लिव पर होगा। इस श्रृंखला में लारा दत्ता के अलावा वामिका गब्बी, प्रियांशु पेन्युली, नसीरुद्दीन शाह, नीना गुप्ता, रत्ना पाठक शाह, गुलशन ग्रोवर, चंदन राय सान्याल और पाओली डैम भी नजर आएंगे। चार्ली चोपड़ा एंड द मिस्ट्री आफ सोलांग वैली अगाथा क्रिस्टी लिमिटेड के सहयोग से प्रीति शाहनी की टस्क टेल फिल्म्स और विशाल भारद्वाज पिक्चर्स के बैनर तले बन रही है।

कमाई

'भोला' ने कमाए 100 करोड़

अजय देवगन की 'भोला' को प्रदर्शित हुए दो हफ्ते हो चुके हैं। दुनिया भर में इस फिल्म ने बाक्स आफिस पर शतक का आंकड़ा पार कर लिया है। 'भोला' 2023 में विश्व स्तर पर 100 करोड़ फिल्मों के क्लब में शामिल होने वाली बालीवुड की नई फिल्म बन गई है। मारधाड़ वाली इस फिल्म की कमाई की रफ्तार बनी हुई है। आठ दिनों के पहले हफ्ते में 52.97 करोड़ रुपए की कमाई करने वाली 'भोला', अपने दूसरे हफ्ते में भी हर दिन करोड़ों में कमा रही है। बुधवार को प्रदर्शन के 14वें दिन भी इस फिल्म ने 1.09 करोड़ रुपए की कमाई की है। इससे पहले मंगलवार को 'भोला' ने 1.25 करोड़ कमाए थे। यानी फिल्म एक नीयत रफ्तार से मजबूती के साथ आगे बढ़ रही है। 'भोला' ने 14 दिनों में भारतीय बाक्स आफिस पर 67.96 करोड़ रुपए की कमाई कर ली है।

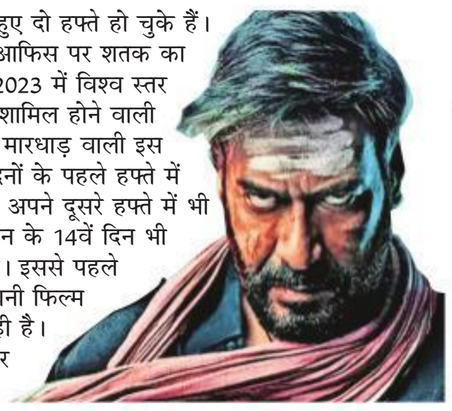

बोल

'हमेशा मुस्कुराते ही देखा'

बालीवुड अभिनेत्री भूमिका चावला ने दिवंगत निर्देशक और अभिनेता सतीश कौशिक को उनके जन्मदिन पर याद किया और कहा कि मैंने उन्हें हमेशा मुस्कुराते हुए देखा है। निर्देशक सतीश कौशिक का नौ मार्च को दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। अभिनेत्री ने कहा कि वे कौशिक के संपर्क में थीं और वे लोग अगली फिल्म की योजना बना रहे थे। चावला ने कहा कि वे खुशमिजाज व्यक्ति थे। मुझे नहीं लगता कि मैंने कभी उन्हें बिना मुस्कुराए देखा। मुझे नहीं लगता कि किसी ने कभी उन्हें उदास या परेशान देखा है।

'लड़कियों की सुरक्षा की चिंता'

अभिनेत्री पलक तिवारी जल्द ही सलमान खान की फिल्म 'किसी का भाई किसी की जान' में नजर आने वाली हैं। पलक का कहना है कि सलमान की फिल्मों के सेट पर कुछ कायदे कानून होते हैं, जिसका पालन सभी को करना होता है। वहां लड़कियों के लिए ज्यादा खुले कपड़े पहनना वर्जित है। पलक के मुताबिक, सलमान हमेशा यही चाहते हैं कि लड़कियां ऐसे कपड़े पहनें जिससे वे खुद को सुरक्षित महसूस करें।

ताजातरीन

रामचरण, जगपति, अल्लू अर्जुन, यश कुमार दिखेंगे बालीवुड में

हिंदी सिनेमा की तरफ बढ़े दक्षिण भारत के नए सितारे

आरती सक्सेना

एक समय था जब देश का सिनेमा अलग-अलग भाषाओं में बंटा हुआ था। जैसे हिंदी, भोजपुरी और दक्षिण फिल्म उद्योग। बालीवुड कलाकारों का अपना अलग अंदाज था। जैसे अमिताभ बच्चन, शाहरुख, सलमान के करोड़ों प्रशंसक हैं वैसे ही दक्षिण में प्रभास, अल्लू अर्जुन, महेश बाबू आदि कलाकारों के भी प्रशंसकों की बड़ी संख्या है। लेकिन ये सारे बेहतरीन कलाकार अपने क्षेत्र तक ही सीमित थे। कोई भी कलाकार अपनी भाषा छोड़कर दूसरी भाषा में काम करने को तैयार नहीं था। पर अब ये दायरा खत्म हो रहा है। अब कोई भी कलाकार दूसरी भाषा की फिल्मों में काम करने से कतरा नहीं रहा। बल्कि गर्व महसूस कर रहे हैं। हालांकि दक्षिण के कलाकार पहले भी बालीवुड फिल्मों में काम कर चुके हैं। फिर चाहे वह कमल हसन हों, रजनीकांत हों, प्रभु देवा हों या वेंकटेश रामचरण और आर माधवन ही क्यों ना हों। दक्षिण के कई नामी कलाकार हिंदी फिल्मों में दस्तक देने वाले हैं। एक नजर.....

जहां एक और दक्षिण के बड़े कलाकार बालीवुड फिल्मों में भी काम कर रहे हैं, वहीं बालीवुड के कलाकार दक्षिण की फिल्मों में काम कर रहे हैं। वैसे तो दक्षिण और हिंदी फिल्मों का संगम हमेशा से ही रहा है। लेकिन यह धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। दक्षिण के कई कलाकार बालीवुड फिल्मों में नजर आ रहे हैं। कई सारे दक्षिण के कलाकार आने वाली फिल्मों में नजर आने वाले हैं।

1980 और 90 की फिल्मों में दक्षिण के कलाकारों का दौर काफी जोर-शोर से चला था जिसमें कमल हासन, नागार्जुन, रजनीकांत, वेंकटेश आदि दक्षिण के कलाकारों को ना सिर्फ पसंद किया गया था, बल्कि उनकी फिल्में सफल भी हुई थीं। उसके बाद धनुष, आर माधवन, प्रभु देवा, मोहनलाल, प्रकाश राज, सूर्या, विजय देवरकोंडा, राणा दुर्गावती, विजय सेतुपति जैसे अनगिनत कलाकार बालीवुड फिल्मों की शान बढ़ाते रहे हैं। आज भी कई सारे दक्षिण के कलाकार बालीवुड फिल्मों में काम कर रहे हैं और दर्शकों द्वारा सराहे जा रहे हैं।

बालीवुड की कई आने वाली फिल्मों में दक्षिण के कलाकार धमाल मचाने जा रहे हैं। जिन में कोई नायक की भूमिका निभा रहा है तो कोई खलनायक की। जैसे कि सलमान खान की ईद पर प्रदर्शित होने वाली फिल्म 'किसी का भाई, किसी की जान' में दक्षिण के कलाकार रामचरण वेंकटेश और जगपति बाबू नजर आने वाले हैं। हाल ही में प्रदर्शित शाकुंतलम तेलुगु फिल्म है। और वह हिंदी में भी बनाई गई।

इसी तरह बालीवुड में भी कई सारी फिल्मों की पुनर्कृति बन रही है। फिर चाहे वह जल्द ही प्रदर्शित होने वाली फिल्म किसी का भाई किसी की जान हो, या अजय देवगन की फिल्म भोला या दृश्यम ही क्यों ना हो। आज हर क्षेत्र के कलाकार अपनी फिल्म को दक्षिण या हिंदी फिल्म नहीं बल्कि भारतीय फिल्म के नाम से जाने जाना पसंद करते हैं।

शकुंतलाम में मलयालम कलाकार देव मोहन, अल्लू आरहा, मोहन बाबू नजर आएंगे, शाहरुख खान की फिल्म जवान में दक्षिण के हास्य कलाकार योगी बाबू और थलापति विजय नजर आएंगे। जवान फिल्म में खास किरदार, जो अल्लू अर्जुन को प्रस्ताव हुआ था अब वही किरदार कन्नड़ कलाकार शिवा राजकुमार निभा रहे हैं। रामायण फिल्म में रावण का अभिनय यश कुमार करने वाले हैं।

बड़े मियां छोटे मियां में पृथ्वीराज सुकुमारन खलनायक की भूमिका में नजर आएंगे। शंकर की अगली अनाम फिल्म जो हिंदी में भी बन रही है उसमें थलापति विजय अहम भूमिका में नजर आएंगे। फिल्म प्रोजेक्ट के में अमिताभ बच्चन, दीपिका पादुकोण के साथ प्रभास नजर आएंगे। यह फिल्म टाइम मशीन पर आधारित है जो दो भागों में बन रही है। फिल्म मुंबईकर में विजय सेतुपति अहम भूमिका में नजर आएंगे।

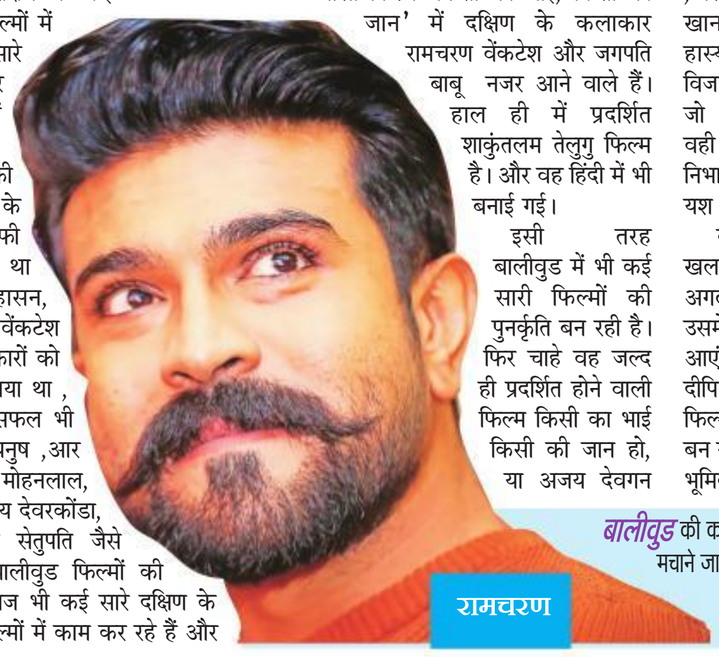

रामचरण

बालीवुड की कई आने वाली फिल्मों में दक्षिण के कलाकार धमाल मचाने जा रहे हैं। सलमान खान की ईद पर प्रदर्शित होने वाली फिल्म 'किसी का भाई, किसी की जान' में रामचरण और जगपति बाबू नजर आने वाले हैं।

बातचीत

तिग्मांशु धूलिया

इरफान के जाने के बाद थम सा गया हूं

निर्देशक तिग्मांशु धूलिया का मानना है कि उनके करीबी मित्र और अभिनेता इरफान खान की मौत के बाद मायानगरी में उनका सफर थम सा गया है। धूलिया की पहली निर्देशित फिल्म 'हासिल' (2003) और बाद में 'पान सिंह तोमर' (2012) में इरफान खान मुख्य किरदार में थे। वे मानते हैं कि कुछ किरदार केवल इरफान ही निभा सकते थे।

फिल्म 'पान सिंह तोमर' के लिए धूलिया को पहला राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था, जबकि इरफान खान को उनके शानदार अभिनय के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला। देश में बनी कुछ सर्वश्रेष्ठ आत्मकथात्मक फिल्म में से एक समझी जानी वाली इस फिल्म में इरफान ने डाकू पान सिंह का किरदार निभाया था। धूलिया ने कहा कि इरफान एक ऐसे अभिनेता थे, जिनके लिए किरदार लिखना बहुत अच्छा लगता था। मैं उनके लिए जटिल किरदारों और स्थितियों को गढ़ना पसंद करता था, क्योंकि मुझे पता था कि वह इसे समझने और इसे निभाने में सक्षम थे। मेरा मानना है कि ऐसा कोई और अभिनेता नहीं है, जिसके पास यह समझ हो।

उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है कि उनके जीवन के आखिरी दो सालों में हमने साथ काम करने की बात नहीं की थी। हालांकि उस दौरान इरफान काफी व्यस्त थे। लेकिन अब अगर मुझे कुछ करने की महत्त्वाकांक्षा भी है, तो मैं इसे कभी नहीं कर पाऊंगा क्योंकि वह अब हमारे साथ नहीं हैं। धूलिया ने कहा कि एक कलाकार के रूप में वह मुझे और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते थे। जब से वह हमें छोड़कर गए हैं, मैं थम सा गया हूं। यह सबसे बड़ी समस्या है।

उन्होंने कहा कि मैं युवा निर्देशकों से हमेशा यह कहता हूं कि आप शुरू में जो भी करें, उसे पैसे के लिए न करें, बस उसे सर्वश्रेष्ठ तरीके से करें। चाहे वह कारगर हो या न हो, यह अलग बात है। आप हमेशा अपनी पहली फिल्म के लिए याद किए जाओगे। तिग्मांशु धूलिया की पहली फिल्म 'हासिल' 16 मई को बीस साल पूरे कर लेगी। इस फिल्म को अपने करिअर के लिए मील का पत्थर बताते हुए उन्होंने कहा कि 'हासिल' की प्रदर्शन के बाद कई निर्माताओं ने बड़ी फिल्मों के लिए उनके साथ अनुबंध किए लेकिन वे फिल्में नहीं चलीं। उन्होंने कहा कि मुझे पता नहीं कि मेरे साथ क्या हुआ। 'चरस' के बाद सात साल तक मेरे पास कोई फिल्म नहीं थी। कुछ फिल्मों के 'साइनिंग अमाउंट' की वजह से मैंने इतना समय गुजार लिया। जो काम मिला, वह इसलिए मिला क्योंकि मैंने 'हासिल' बनाई थी। वरना लोग मुझे भूल गए होते।

टिप्पणी

निर्माताओं में रचनात्मकता और व्यापक सोच की कमी

हंसी-मजाक के नाम पर दशकों से फूहड़ता परोस रहा हिंदी सिनेमा

वन्दना यादव

हिंदी सिनेमा की इतनी दीवानगी के बावजूद हिंदी फिल्मों में 'हास्य' के नाम पर कुछ 'विशेष' नहीं किया। बल्कि कहा जाए कि हिंदी सिनेमा, अपने पुराने और घिसे-पिटे सूत्र को लेकर आज भी चल रहा है, तो गलत नहीं होगा। कुछ दशक पहले की फिल्मों ने स्थूलकाय महिलाओं को हंसी का पात्र बनाए रखा। इसके उलट बहुत पतले या बेहद मोटे, श्याम वर्णी, केशहीन पुरुष की भी सिनेमा ने जी-भर कर हंसी उड़ाई।

कभी पहनावा तो कहीं पात्रों की बोली-भाषा के चलते, उनके बोलने के तरीके का मजाक बनाया जाता रहा। इस मंच पर असहिष्णुता की हद तब पार हो जाती है कि हास्य पैदा करने के लिए कलाकार की स्वास्थ्यगत अक्षमता का भी इस्तेमाल कर लिया जाता है।

जातिसूचक शब्दों, क्षेत्रीयता का माखौल उड़ाना, लिंग आधारित शब्दों से या द्विअर्थी संवाद से हास्य पैदा करना असल में हास्य नहीं है। बल्कि यह हास्य के स्थान पर फूहड़ता है। हिंदी फिल्मों ने द्विअर्थी संवादों, लिंग आधारित संवाद और शारीरिक बनावट पर टिप्पणी करते हुए अशिक्षित या अल्प शिक्षित दर्शकों को लंबे समय तक सस्ता हास्य परोसा। समय बदलने के साथ सिनेमा की तकनीक में बदलाव आए मगर हास्य के लिए रचनात्मक लेखन इस उद्योग से आज भी गायब है। जब कुछ नया तलाशना था तब भी अपने ही देश की अन्य भाषाओं को फूहड़ हास्य के तौर पर पेश कर दिया गया।

यहां तक कि चेहरे-मोहरे से अलग दिखने वाले चरित्रों को क्षेत्रीयता के नाम पर या शारीरिक विविधता के नाम पर हंसी का पात्र बना दिया। हास्य में रचनात्मक लेखन की कमी के चलते नामी कलाकारों से लेकर अन्य फिल्मी सितारे भी इसी तरह के सस्ते हास्य से दर्शकों का मनोरंजन करते रहे हैं। भारत एक सिनेमा प्रेमी देश है। एक शोध के अनुसार 140.76 करोड़ की आबादी वाले देश में प्रतिवर्ष पच्चीस अलग-अलग भाषाओं में लगभग अठारह सौ फिल्मों का निर्माण होता है। इसमें से अकेले हिंदी फिल्मों की संख्या 350 से अधिक रहती है। सवाल यह है कि इतनी बड़ी तादाद में उपलब्ध दर्शकों के लिए बन रही फिल्में, पैसा और समय खर्च करके आए लोगों को मनोरंजन के नाम पर असल में क्या परोस रही हैं?

हैरानी होती है कि देश का हिंदी फिल्म उद्योग कुछ नया करने के विचार से भी घबराती क्यों है। इस कड़ी में क्षेत्रीयता के नाम पर किसी को कांचा, मल्लू या सेठजी पुकारा गया और उनके चरित्रों को कंजूस, बुद्धू या चतुर-चालाक बना कर संवाद या फिल्मांकन से हास्य डालने का प्रयास किया गया। असल जीवन में जब आप इस तरह के किसी क्षेत्र के लोगों से मिलते हैं तब सबसे पहले फिल्म में देखे चरित्र की छवि मन में कौंधती है।

फिल्म निर्माता यहीं पर नहीं रुके। उन्होंने शारीरिक तौर पर अलग दिखने वालों की मजबूरी का जम कर दोहन किया। असंवेदनशीलता की हद पार करते हुए ऐसे चरित्रों को मोटे, गंजे, नाटे, कालू, पेटू कह कर फूहड़ हंसी का पात्र बनाया। संस्कृति पर अश्लीलता की हद तक पहुंचते हुए हिंदी सिनेमा ने अपने असंवेदनशील होने का सबूत बारबार पेश किया है। अपने-अपने दौर के सफलतम सितारों को लेकर बनाई फिल्में, क्षेत्रीय पहनावे और भाषाओं का मजाक उड़ाती हुई मिल जाती हैं।

तस्वीर

मुंबई में अभिनेत्री अमृता खानविलकर बुधवार को एक कार्यक्रम में तस्वीर खिंचवाती हुईं।

www.readwhere.com

'मुद्रा' ऋण परियोजना से तैयार हुए आठ करोड़ से अधिक नव उद्यमी : मोदी

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 13 अप्रैल।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को कहा कि 'नया भारत' नई नीतियों और रणनीतियों के साथ आगे बढ़ रहा है और उनकी सरकार अतीत के 'प्रतिक्रिया आधारित दृष्टिकोण' को छोड़ प्रौद्योगिकी एवं बुनियादी ढांचे के मामलों में सक्रिय दृष्टिकोण अपनाकर काम कर रही है। उन्होंने 'रोजगार मेले' को वीडियो कांफ्रेंस के जरिए संबोधित करते हुए कहा कि लघु एवं सूक्ष्म उद्यमों के लिए 'मुद्रा' ऋण परियोजना से आठ करोड़ से अधिक नए उद्यमी तैयार हुए हैं और सरकार की नीतियों एवं रणनीतियों ने नई संभावनाओं के द्वार खोले हैं।

उन्होंने उन लोगों पर भी निशाना साधा जो खुद को 'बड़ा अर्थशास्त्री' मानते हैं, और ये लोग बड़े कारोबारियों को 'फोन पर' कर्ज देते थे और आज मुद्रा योजना का मजाक उड़ा रहे हैं। हालांकि उन्होंने किसी का नाम नहीं

रोजगार मेले को वीडियो कांफ्रेंस के जरिए संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि मुद्रा योजना का मजाक उड़ाने वालों को सामान्य जन की क्षमताओं का एहसास नहीं है।

लिया, लेकिन उनका कटाक्ष स्पष्ट रूप से कांग्रेस के दिग्गज नेता एवं पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम पर था। चिदंबरम ने हाल में 'मुद्रा' योजना पर सवाल उठाया था और आश्चर्य जताया था कि 50,000 रुपए के ऋण के साथ किस तरह के व्यवसाय शुरू किए जा सकते हैं।

मोदी ने कहा कि इस योजना के तहत 23 लाख करोड़ रुपएका ऋण दिया गया है, जिसमें 70 फीसद लाभार्थी महिलाएं हैं। उन्होंने कहा कि कुछ लोग जो खुद को बड़ा अर्थशास्त्री मानते हैं, उन्हें कभी इसका एहसास नहीं हुआ और वे आम आदमी की क्षमताओं को नहीं समझते हैं। उन्होंने कहा कि इस योजना ने आठ करोड़ नए उद्यमी तैयार किए हैं। ये वे लोग हैं जिन्होंने पहली बार मुद्रा योजना की मदद से अपना कारोबार शुरू किया है। कार्यक्रम में विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में 71,506 भर्तियों के लिए अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिए गए। मोदी ने कहा कि 2014 तक सात दशकों में केवल 20,000 किलोमीटर रेल लाइन का विद्युतीकरण किया गया था, लेकिन पिछले नौ वर्षों में यह आंकड़ा 40,000 किलोमीटर हो गया है। 2014 तक ग्रामीण सड़क की लंबाई चार लाख किलोमीटर थी लेकिन अब यह 7.25 लाख किलोमीटर हो गई है जबकि गांवों में छह लाख किलोमीटर 'आप्टिकल फाइबर' बिछाई गई है। मोदी ने कहा कि देश में 148 हवाई अड्डे हैं जबकि पहले यह संख्या 74 थी।

'पूर्व सहमति का प्रमाण दिए बिना अधिक अंशदान का प्रावधान करे ईपीएफओ'

कोच्चि, 13 अप्रैल (भाषा)।

केरल उच्च न्यायालय ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) से कहा है कि वह कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को पूर्व सहमति का प्रमाणपत्र देने की जरूरत के बिना अधिक अंशदान का विकल्प चुनने की अनुमति देने के लिए अपनी आनलाइन प्रणाली में प्रावधान करे। न्यायमूर्ति जियाद रहमान एए ने कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह अंतरिम आदेश दिया।

याचिका में दावा किया गया था कि अधिक योगदान का विकल्प चुनते समय दिए पूर्व अनुमति की एक प्रति देनी होती है, जो ईपीएफ योजना, 1952 के तहत अनिवार्य है। याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि इस तरह की अनुमति देने के लिए ईपीएफओ ने कभी भी जोर नहीं दिया और वह उच्च योगदान को स्वीकार कर रहा है।

उन्होंने कहा कि वे आनलाइन विकल्प फार्म में उक्त कालम को नहीं भर पा रहे हैं, और पूर्व सहमति का प्रमाण दिए बिना वे सफलतापूर्वक आनलाइन विकल्प जमा नहीं कर पाएंगे। यदि वे तीन मई की अंतिम समयसीमा से पहले ऐसा

न्यायाधीश ने कहा कि यदि याचिकाकर्ताओं को अंतिम तारीख से पहले अपने विकल्प प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं दी गई, तो वे न्यायालय के फैसले के तहत लाभ का दावा करने के अवसर से हमेशा के लिए वंचित हो जाएंगे।

नहीं करते हैं, तो वे योजना के लाभ से वंचित हो जाएंगे। उच्चतम न्यायालय उच्च पेंशन का विकल्प चुनने के लिए तीन मई तक का समय दिया है। ईपीएफओ ने दलीलों का विरोध करते हुए तर्क दिया कि लाभ पाने के लिए अनुमति महत्त्वपूर्ण आवश्यकता है। सभी की दलीलों को सुनने के बाद उच्च न्यायालय ने कहा कि याचिकाकर्ताओं को अंतरिम राहत मिलनी चाहिए।

अदालत ने कहा, 'उच्चतम न्यायालय ने विकल्प जमा करने के लिए अंतिम तारीख तीन मई, 2023 तय की है। अब ईपीएस योजना के पैरा 26(6) के तहत विकल्प का विवरण प्रस्तुत करने के लिए ईपीएफओ पूर्व सहमति के प्रमाण पर जोर दे रहा है। साथ ही इसके लिए प्रदान की गई आनलाइन सुविधा की विशिष्ट प्रकृति को देखते हुए, उन्हें उक्त विकल्प को लेकर आवेदन जमा करने से एक तरह से रोका जा रहा है।'

चार राज्यों के लिए मार्ग परियोजनाओं को मंजूरी

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 13 अप्रैल।

देश के चार राज्यों में राजमार्ग निर्माण का कार्य तेज होगा। इन राज्यों में जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और पंजाब राज्य शामिल है। गुरुवार को इन राज्यों के लिए केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्रालय ने निर्माण कार्य के लिए धनराशि को मंजूरी दी है।

केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने यह जानकारी दी। यह कार्य गति शक्ति योजना के तहत पूर्ण होगा। केंद्र सरकार की रिपोर्ट के मुताबिक इस साल देश में दस हजार किलोमीटर से अधिक मार्ग निर्माण किया गया है, जो कि तय लक्ष्य से कम है। गडकरी ने ट्वीट कर बताया कि उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर, आजमगढ़ और आंबेडकर नगर जिलो में राष्ट्रीय राजमार्ग 135ए पैकेज-तीन पर जौनपुर-अकबरपुर खंड और अकबरपुर बाईपास को 4-लेन तक चौड़ा किया जाएगा। इसके लिए 1653.15 करोड़ रुपए की लागत के साथ स्वीकृति दी गई है। इसी प्रकार पंजाब में राष्ट्रीय राजमार्ग 254 पर पट्टी-जवाहर सिंह वाला-कांगर-सलाबतपुरा खंड के कांगर बाईपास से रामपुरा बाईपास तक के मार्ग का सुधार किया जाएगा। इस कार्य पर के तहत नई दो लेन बढ़ाई जाएंगी। जिसके लिए मंत्रालय ने 174.50 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है। वहीं केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीरके बारामूला जिले में मौजूदा श्रीनगर-बारामूला-उरी (एक-01) मार्ग का 2-लेन के साथ चौड़ीकरण और मजबूतीकरण करने के लिए 702.10 करोड़ रुपए की लागत के साथ स्वीकृति दी गई है। इसके अतिरिक्त छत्तीसगढ़ के सूरजपुर और सरगुजा जिलों में राष्ट्रीय राजमार्ग 343 पर अंबिकापुर रामानुजगंज गढ़वा रोड के अंबिकापुर बाईपास (संजयनगर से राजपुरी खुर्द गांव खंड तक) का भी निर्माण होगा। इस निर्माण कार्य क लिए 143.94 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है।

एक साल में लक्ष्य से कम बने नए राजमार्ग

देश में वित्त वर्ष 2022-2023 के दौरान 10,993 किलोमीटर नए राष्ट्रीय राजमार्ग बनाए गए। यह सरकार के 12,500 किमी के लक्ष्य से 13.70 फीसद कम है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के ताजा आंकड़ों से यह जानकारी मिली है। मंत्रालय ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए राजमार्ग निर्माण का लक्ष्य 12,375 किलोमीटर रखा था। वित्त वर्ष 2020-21 में देश में राजमार्ग निर्माण की गति 37 किलोमीटर प्रतिदिन थी। यह वित्त वर्ष 2022-23 में कम होकर 30.11 किमी प्रति दिन रही। मंत्रालय ने 2019-20 में 10,237 किमी राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण किया था।

न्यायालय ने ललित मोदी को माफी मांगने का दिया निर्देश

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली 13 अप्रैल।

सुप्रीम कोर्ट ने सोशल मीडिया पोस्ट में न्यायपालिका के खिलाफ की गई टिप्पणी को लेकर आइपीएल के पूर्व कमिश्नर ललित मोदी की गुरुवार को जमकर खिंचाई की और उन्हें बिना शर्त माफी मांगने का निर्देश दिया।

यह देखते हुए कि ललित मोदी कानून और संस्था से ऊपर नहीं हैं, न्यायमूर्ति एमआर शाह और न्यायमूर्ति सीटी रविकुमार की पीठ ने कहा कि अदालत उनके द्वारा दायर जवाबी हलफनामे से संतुष्ट नहीं है। शीर्ष अदालत ने पूर्व-आइपीएल आयुक्त को सोशल मीडिया और प्रमुख राष्ट्रीय समाचार पत्रों में भी माफी मांगने का निर्देश दिया। शीर्ष अदालत ने उन्हें माफी मांगने से पहले एक हलफनामा दायर करने का भी निर्देश दिया और कहा कि भविष्य में ऐसी कोई पोस्ट नहीं की जाएगी जो भारतीय न्यायपालिका की छवि को धूमिल करने के लिए दूर-दूर तक समान हो।

इससे पहले ललित मोदी ने बुधवार को एक ट्वीट किया था। जिसमें उन्होंने लिखा था कि केवल यह स्पष्ट करने के लिए कि ये दलाल झूठ फैलाकर भारत और इसकी न्यायपालिका को बदनाम करते हैं। वे दिखावे के अलावा और कुछ नहीं कर सकते और फिक्सिंग के लिए पैसे की मांग करते हैं। हालांकि यह ट्वीट किस बारे में था अब तक इस बात की पुष्टि नहीं हो सकी है। ऐसा बताया जा रहा है कि ललित मोदी ने अपने ऊपर लगे मामलों को लेकर टिप्पणी की है।

बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री अमित शाह से मिले, मांझी को भारत रत्न की मांग

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 13 अप्रैल।

बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व वाले सत्तारूढ़ महागठबंधन में शामिल हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा (सेक्युलर) के प्रमुख जीतन राम मांझी ने गुरुवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। इस घटनाक्रम के बाद राज्य में नए सियासी समीकरण बनने की अटकलें लगाई जा रही हैं।

मांझी ने शाह से यह मुलाकात ऐसे समय में की है, जब जनता दल (एकी) के नेता नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के खिलाफ गठबंधन बनाने के अपने प्रयास के तहत राष्ट्रीय राजधानी में हैं, जहां वह कई विपक्षी नेताओं के साथ बातचीत कर रहे हैं। हालांकि, पूर्व मुख्यमंत्री मांझी ने किसी भी तरह की अटकलों पर विराम लगाने की कोशिश की और अपने इस दावे को दोहराया कि नीतीश में देश का प्रधानमंत्री बनने के सभी गुण हैं।

मांझी ने कहा कि उन्होंने नीतीश के साथ बने रहने की शपथ ली है। भाजपा के साथ हाथ मिलाने की किसी भी संभावना को खारिज करते हुए उन्होंने कहा कि उसने 'हम' जैसे छोटे दलों के अस्तित्व के खिलाफ बोला है। दलित नेता मांझी के बेटे राज्य में राजद-जद(यू)-कांग्रेस और वामपंथी दलों की महागठबंधन सरकार में मंत्री हैं। मांझी की शाह से मुलाकात, दशरथ मांझी को भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान 'भारत रत्न' से सम्मानित करने की 'हम' की मांग की पृष्ठभूमि में हुई है।

उल्लेखनीय है कि दशरथ मांझी ने पहाड़ की दो दशक तक खुदाई कर एक मार्ग बनाया था। उनकी इस उपलब्धि पर एक फिल्म भी बनी है। शाह के साथ अपनी बैठक के बाद हम प्रमुख, नीतीश से मिलने भी पहुंचे ताकि ऐसी किसी भी धारणा को दूर किया जा सके कि वह फिर से अपना रुख बदल सकते हैं। वहीं, भाजपा 2024 के लोकसभा चुनावों के मद्देनजर बिहार में छोटे दलों को साधने में जुटी हुई है।

निर्यात छह फीसद बढ़ कर 447 अरब डालर पर

पेज 1 का बाकी

रहा, जो इससे पिछले वित्त वर्ष में 254 अरब डालर था। उन्होंने कहा कि यह वास्तव में भारत के अंतरराष्ट्रीय बाजार में विस्तार का संकेत है। देश का कुल वस्तुओं और सेवाओं का आयात आलोच्य तिमाही में 892 अरब डालर रहा।

यह बताता है कि देश की आर्थिक गतिविधियां बढ़ रही हैं और इससे निर्यात को समर्थन मिल रहा है। गोयल ने कहा कि निर्यात में वृद्धि से चालू खाते के घाटे को नियंत्रित करने में मदद मिलेगी। सेवा क्षेत्र में सूचना प्रौद्योगिकी, लेखा और 'बिजनेस प्रोसेसिंग' सहित विभिन्न क्षेत्रों में अच्छी वृद्धि हुई है। वस्तुओं की श्रेणी में जिन क्षेत्रों में वृद्धि दर्ज की गई, उनमें आयल मील, इलेक्ट्रानिक सामान, तंबाकू, तिलहन, चावल, काफी, फल और सब्जियां, चमड़े का सामान, सेरेमिक, औषधि, समुद्री उत्पाद, रसायन और तैयार वस्त्र शामिल हैं। सेवा आयात 2022-23 में 178 अरब डालर रहने का अनुमान है, जो इससे पिछले वित्त वर्ष में 147 अरब डालर था। गोयल ने कहा कि चुनौतीपूर्ण समय में वस्तुओं और सेवाओं का निर्यात लगभग 100 अरब डालर बढ़ कर 770 अरब डालर को पार कर गया है।

यह तब हासिल किया गया है, जब दुनिया में अंतरराष्ट्रीय व्यापार में नरमी है। विकसित देशों में मंदी की स्थिति और कई देशों में महंगाई की ऊंची दर देखी जा रही है। उन्होंने कहा कि रूस, यूक्रेन में संघर्ष के कारण चिंताएं थीं। इस बात को लेकर भी चिंता थी कि विकसित दुनिया में माल भंडार हमें इस तरह के 'शानदार' प्रदर्शन को हासिल करने में मदद नहीं कर सकता है।

गोयल ने कहा कि यह वास्तव में संतोष की बात है कि हमने वस्तुओं और सेवाओं दोनों के निर्यात में वृद्धि दर्ज की है।

जब हम पूरे आर्थिक परिदृश्य को देखते हैं, जहां जीएसटी संग्रह ऊंचा है, निर्यात रिकार्ड ऊंचाई पर है और जहां मुद्रास्फीति की दर घटी है- 600 अरब डालर से अधिक विदेशी मुद्रा भंडार वास्तव में देश के रुख को बताता है। जब दुनिया वैश्विक मूल्य श्रृंखला में बढ़ रही है तो भारत आयात व निर्यात दोनों में अपने विस्तार की संभावना देखेगा।

राहुल की याचिका पर अदालत 20 अप्रैल को सुनाएगी फैसला

पेज 1 का बाकी

चुनाव के दौरान एक भाषण दिया और 100 किलोमीटर दूर बैठे एक व्यक्ति ने समाचारों में इसे देखने के बाद शिकायत दर्ज कराई। इस मामले में अधिकतम सजा दिए जाने की आवश्यकता नहीं थी। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में गांधी की (राफेल अवमानना मामले में) बिना शर्त माफी को शिकायतकर्ता ने इस मामले के साथ गलत तरीके से जोड़ा।

गांधी ने यह भाषण कर्नाटक में दिया था, इसके मद्देनजर मामले के क्षेत्राधिकार को लेकर चीमा के तर्क का जवाब देते हुए पूर्णेश मोदी के वकील हर्षित तोलिया ने कहा कि मजिस्ट्रेट के सामने मुकदमे के दौरान पहले ऐसी कोई आपत्ति नहीं जताई गई थी, लेकिन अब इस मुद्दे को उठाया जा रहा है।

पर्यावरण शिक्षा को बढ़ावा देगी केंद्र सरकार

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली 13 अप्रैल।

देश भर में युवाओं को पर्यावरण से जोड़ने के लिए नई योजनाओं व रणनीति को लागू किया जाएगा। कालेज व स्कूलों के जरि युवाओं को जोड़ने के लिए केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने यह पहल शुरू की है। इसके तहत गुरुवार को राष्ट्रीय प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय नई दिल्ली और राज्य संग्रहालय, लखनऊ ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके तहत पर्यावरण संरक्षण और पर्यावरण शिक्षा की दिशा दोनों संस्थाएं मिलकर काम करेंगी।

राष्ट्रीय प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय की स्थापना देश की प्राकृतिक विरासत पर जागरूकता को चित्रित करने और बढ़ावा देने के लिए स्वतंत्रता की रजत जयंती समारोह पर की गई थी। इसका उद्देश्य देश की समृद्ध

राष्ट्रीय प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय नई दिल्ली और राज्य संग्रहालय, लखनऊ ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके तहत पर्यावरण संरक्षण और पर्यावरण शिक्षा की दिशा दोनों संस्थाएं मिलकर काम करेंगी। संग्रहालय का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरण शिक्षा को बढ़ावा देना है।

प्राकृतिक विरासत और प्राकृतिक इतिहास (भू-विज्ञान, वनस्पति विज्ञान और जीव विज्ञान) को चित्रित करना है। राष्ट्रीय प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरण शिक्षा को बढ़ावा देना है। इस समझौता ज्ञापन पर राष्ट्रीय प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय की निदेशक नाज रिजवी और राज्य संग्रहालय, लखनऊ के निदेशक डा आनंद कुमार सिंह ने पर्यटन भवन, गोमती नगर, लखनऊ में संस्कृति और पर्यटन के प्रमुख सचिव मुकेश मिश्रा की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए। राष्ट्रीय प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय ने देश के दक्षिणी, मध्य, पूर्वी और पश्चिमी क्षेत्रों में अपने चार क्षेत्रीय संग्रहालयों के माध्यम से अपनी सेवाओं और अपने दृष्टिकोण को एक राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम तैयार किया है। उत्तर पूर्वी क्षेत्र में एक आगामी क्षेत्रीय केंद्र स्थापित किया जाएगा। इसी प्रकार राज्य संग्रहालय, लखनऊ राज्य का एक प्रतिष्ठित और सबसे पुराना बहुउद्देश्यीय संग्रहालय है जिसमें पुरातत्व, प्राकृतिक इतिहास, सजावट, कला और मुद्राशास्त्र से संबंधित कलाकृतियों का अद्भुत संग्रह है। कलाकृतियों के संरक्षण, प्रदर्शन, अनुसंधान और प्रकाशन के साथ संग्रहालय समय-समय पर अस्थायी- स्थायी प्रदर्शनी दीर्घाओं, तकनीकी कार्यशाला, बुद्धिजीवियों- शोधकर्ताओं के लिए सेमिनार, कला प्रशंसा पाठ्यक्रम और अन्य शैक्षिक कार्यक्रमों का आयोजन करता है।

अतीक और उसके भाई अशरफ को पांच दिन की पुलिस रिमांड

पेज 1 का बाकी

प्रयागराज जनपद न्यायालय परिसर में बताया कि उमेश पाल की हत्या के मामले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) दिनेश गौतम की अदालत ने अपराध प्रक्रिया संहिता की धारा 167 के तहत अतीक अहमद और अशरफ की 13 अप्रैल से 17 अप्रैल तक पुलिस रिमांड स्वीकृत की।

उन्होंने बताया कि इस मामले में सुनवाई की अगली तारीख 26 अप्रैल निर्धारित की गई है। पुलिस कस्टडी की अवधि पूरी होने के बाद अतीक अहमद को साबरमती जेल के लिए और अशरफ को बरेली जेल भेजना सुनिश्चित किया जाएगा। गुरुवार को भारी सुरक्षा के बीच अतीक अहमद और अशरफ को नैनी स्थित केंद्रीय कारागार से जनपद न्यायालय लाया गया। इस दौरान, अदालत परिसर में वकीलों ने अतीक और अशरफ के खिलाफ नारेबाजी करते हुए अपशब्द कहे। अदालत कक्ष में मौजूद एक अधिवक्ता ने बताया कि झांसी में अतीक के बेटे असद की पुलिस मुठभेड़ में मौत की खबर फैलते ही अतीक और अशरफ गमगीन नजर आए।

उधर, विवेचक द्वारा अतीक और अशरफ की पुलिस रिमांड के लिए अदालत में पेश रिमांड प्रपत्र में अतीक के बयान का हवाला देते हुए बताया गया कि अतीक को यदि ले जाएं तो वह घटना में प्रयुक्त असलहों और कारतूसों को बरामद करा सकता है।

अतीक के बेटे, उसके साथी को एसटीएफ ने मार गिराया

पेज 1 का बाकी

कोशिश कर रहे असद और गुलाम को रोका, तो दोनों ने उन पर गोलियां चलाईं। उन्होंने बताया कि एसटीएफ की जवाबी कार्रवाई में असद और गुलाम मारे गए। मौके की तस्वीरों और वीडियो में जमीन पर दो शव और उनके पास एक मोटरसाइकिल नजर आ रही है।

बाद में एक एंबुलेंस से दोनों शवों को अस्पताल ले जाया गया।मुठभेड़ के बारे में अपर पुलिस महानिदेशक (एसटीएफ) अमिताभ यश ने पुलिस मुख्यालय में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस अभियान में दो पुलिस उपाधीक्षक, दो निरीक्षक, एक उप निरीक्षक, पांच हेड कांस्टेबल तथा दो कमांडो शामिल थे। मुठभेड़ में मारे गए आरोपियों के पास से अत्याधुनिक विदेशी हथियार बरामद किए गए हैं। इनमें ब्रिटिश बुलडाग रिवाल्वर तथा वाल्थर पिस्तौल शामिल है।

अमिताभ यश के मुताबिक, ऐसी खुफिया जानकारी मिली थी कि अतीक अहमद को साबरमती जेल से झांसी के रास्ते प्रयागराज लाने वाले वाहन पर हमला किया जा सकता है। इसके बाद ही एसटीएफ की टीम ने तलाशी शुरू कर दी थी। वर्ष 2005 में बसपा के विधायक राजू पाल की हत्या के मामले के मुख्य गवाह उमेश पाल और उसके दो सुरक्षा गार्ड की इस साल 24 फरवरी को प्रयागराज के धूमनगंज इलाके में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। उमेश पाल की पत्नी जया पाल की तहरीर पर 25 फरवरी को अतीक, उसके भाई अशरफ, पत्नी शाइस्ता परवीन, असद सहित दो बेटों, शूटर गुड्डू मुस्लिम व गुलाम तथा नौ अन्य लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। मुठभेड़ के बाद जया पाल ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रशासन का आभार जताया। जया पाल ने कहा, उन्होंने जो कुछ भी किया है, सही है। उन्होंने (मुख्यमंत्री ने) अपनी बेटी के पति के हत्यारे को सजा दी है। मैं अपना आभार व्यक्त करती हूं। वह पिता के समान हैं। न्याय हुआ है। जया पाल ने उम्मीद जताई कि मामले के अन्य आरोपियों के खिलाफ भी कठोर कार्रवाई की जाएगी। यह पूछे जाने पर कि वह किन अन्य लोगों के खिलाफ कार्रवाई चाहती है, जया ने कहा, मैं यह सरकार पर छोड़ती हूं। सरकार मुझे न्याय दे रही है। इस बीच, सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने मुठभेड़ के बाद ट्वीट कर कहा, झूठे मुठभेड़ करके भाजपा सरकार सच्चे मुद्दों से ध्यान भटकाना चाह रही है। भाजपाई न्यायालय में विश्वास ही नहीं करते हैं। आजके व हालिया मुठभेड़ की भी गहन जांच-पड़ताल हो तथा दोषियों को नहीं छोड़ा जाए। सही-गलत के फैसलों का अधिकार सत्ता का नहीं होता है। भाजपा भाईचारे के खिलाफ है। बसपा प्रमुख मायावती ने ट्वीट कर कहा, अतीक अहमद के बेटे व एक अन्य की आज पुलिस मुठभेड़ में हुई हत्या पर अनेकों प्रकार की चर्चाएं गर्म हैं। लोगों को लगता है कि विकास दुबे कांड के दोहराए जाने की उनकी आशंका सच साबित हुई है। अतः घटना के पूरे तथ्य एवं सच्चाई जनता के सामने आ सके इसके लिए उच्च-स्तरीय जांच जरूरी है। वहीं, उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट किया, उप्र एसटीएफ को बधाई देता हूं। अधिवक्ता उमेश पाल और पुलिस के जवानों के हत्यारों का यही हश्र होना था। मौर्य ने कहा, अगर आप अपराध नहीं करते हैं, तो कोई आपको हाथ तक नहीं लगाएगा। लेकिन, अगर आप अपराध करते हैं, तो आपको किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि यह भाजपा की सरकार है, न कि सपा की, जिसमें अपराधियों को बख्शा जाएगा।

आइएनएस ने तथ्यों की जांच संबंधी नए नियम वापस लेने की मांग की

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 13 अप्रैल।

इंडियन न्यूजपेपर सोसाइटी ने इलेक्ट्रानिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा छह अप्रैल 2023 को अधिसूचित 'सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश एवं डिजिटल मीडिया आचार संहिता) संशोधन नियम, 2023' (आइटी संशोधन नियम, 2023) को लेकर नाराजगी जताई है। आइएनएस ने अधिसूचित सूचना प्रौद्योगिकी नियमों में संशोधन को वापस लेने की मांग की है। नए अधिसूचित नियमों के अनुसार, मंत्रालय को तथ्य-जांच इकाई गठित करने का अधिकार होगा। यह इकाई केंद्र सरकार के किसी भी काम के संबंध में फर्जी या भ्रामक खबर का पता लगाएगी। इस इकाई के पास सोशल मीडिया मंच, इंटरनेट सेवा प्रदाता,अन्य सेवा प्रदाताओं को निर्देश जारी करने का अधिकार होगा कि वे अपनी संबंधित सामग्री को हटा दें।

इंडियन न्यूजपेपर सोसाइटी (आइएनएस)की महासचिव मैरी पाल की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि सरकार या उसकी नामित एजंसी को यह तय करने का पूरा और एकतरफा अधिकार होगा कि कोई खबर फर्जी है या नहीं। वह इसे हटाने का आदेश दे सकती है। इस प्रावधान का उपयोग संबंधित पक्षों को सुने बिना किया जाना है। यह प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन है। आइएनएस के बयान में कहा गया है, 'अधिसूचित नियमों में यह स्पष्ट नहीं है कि ऐसी इकाई का प्रशासनिक ढांचा क्या होगा, उसकी निगरानी के लिए किस प्रकार की न्यायिक व्यवस्था उपलब्ध होगी, अपील करने का क्या अधिकार होगा?' आइएनएस ने कहा, 'यह सब देखते हुए हम कहने के लिए विवश हैं कि यह प्रेस की सेंसरशिप के समान है और इस प्रकार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के सिद्धांत का उल्लंघन है।' आइएनएस ने याद दिलाया मीडिया संगठनों की व्यापक आलोचना के बाद जनवरी 2023 में पेश किए गए मसविदा संशोधनों को वापस लेने के लिए मजबूर होना पड़ा था। तब मंत्रालय ने मीडिया संगठनों और मीडिया निकायों के साथ विचार-विमर्श करने का वादा किया था। आइएनएस ने कहा कि मंत्रालय द्वारा इस संशोधन को अधिसूचित करने से पहले हितधारकों के साथ सार्थक परामर्श करने का कोई प्रयास नहीं किया गया।

कर्नाटक में मुसलिम आरक्षण हटाने का फैसला प्रथम दृष्टया 'त्रुटिपूर्ण': उच्चतम न्यायालय

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली 13 अप्रैल।

उच्चतम न्यायालय ने गुरुवार को कहा कि सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में वोक्कालिगा और लिंगायत समुदायों के लिए आरक्षण में दो-दो फीसद वृद्धि करने एवं ओबीसी (अन्य पिछड़ा वर्ग) मुसलमानों के चार फीसद आरक्षण को खत्म करने का कर्नाटक सरकार का फैसला प्रथम दृष्टया 'त्रुटिपूर्ण' प्रतीत होता है। पीठ ने मामले में अगली सुनवाई के लिए 18 अप्रैल की तारीख तय की और मेहता एवं रोहतगी से अपना जवाब दाखिल करने को कहा।

न्यायमूर्ति केएम जोसेफ और न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना की पीठ ने कहा कि अदालत के सामने पेश किए गए रिकार्ड से ऐसा प्रतीत होता है कि कर्नाटक सरकार का फैसला 'पूरी तरह से गलत धारणा' पर आधारित है। कर्नाटक के मुस्लिम समुदाय के सदस्यों की ओर से पेश वरिष्ठ वकीलों कपिल सिब्बल, दुष्यंत दवे और गोपाल शंकरनारायणन ने कहा कि कोई अध्ययन नहीं किया गया था और मुसलमानों का आरक्षण खत्म करने के लिए सरकार के पास कोई वास्तविक आंकड़ा नहीं था। कर्नाटक की ओर से पेश सालिसिटर जनरल तुषार मेहता ने इन याचिकाओं पर जवाब दाखिल करने के लिए कुछ समय देने का अनुरोध किया और पीठ को आश्वासन दिया कि 24 मार्च के सरकारी आदेश के आधार पर कोई नियुक्ति और दाखिला नहीं दिया। वोक्कालिगा और लिंगायत समुदायों के सदस्यों की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने कहा कि उन्हें याचिकाओं पर अपना जवाब देने की अनुमति दिए बिना कोई अंतरिम आदेश पारित नहीं किया जाना चाहिए। पीठ ने मामले में अगली सुनवाई के लिए 18 अप्रैल की तारीख तय की और मेहता एवं रोहतगी से अपना जवाब दाखिल करने को कहा।

कर्नाटक सरकार ने राज्य में मुसलमानों को हासिल चार फीसद आरक्षण को हाल ही में खत्म करने का फैसला किया था। कर्नाटक सरकार ने अन्य पिछड़ा वर्ग के मुसलमानों के लिए चार फीसदी कोटा समाप्त करते हुए सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में आरक्षण की दो नई श्रेणियों की घोषणा की थी। ओबीसी मुसलमानों के चार फीसद कोटे को वोक्कलिगा और लिंगायत समुदायों के बीच बांट दिया गया है।

बठिंडा सैन्य अड्डे पर हमला करने वालों की तलाश जारी

पेज 1 का बाकी

थी। प्राथमिकी के अनुसार, संदिग्ध, मध्यम कद काठी के थे और जवान को देखकर बैरक के पास एक जंगली इलाके की ओर चले गए।

इसके बाद सेना के दो अधिकारी बैरक में गए तो एक कमरे में सागर बन्नी (25) और योगेश कुमार जे (24) को खून से लथपथ देखा जबकि दूसरे कमरे में कमलेश आर (24) और संतोष एम नागराल (25) के शव मिले। उनके शरीर पर गोलियों के निशान थे। पुलिस ने बताया कि जवानों के शवों का बुधवार शाम पोस्टमार्टम किया गया। संदेह है कि गोलीबारी में इस सप्ताह गायब हो गई इंसास राइफल और 28 गोलियों का इस्तेमाल किया गया। पुलिस ने बुधवार को बताया था कि मौके से इंसास की गोली के 19 खाखे बरामद हुए।बठिंडा सैन्य अड्डा देश के सबसे बड़े सैन्य ठिकानों में से एक है और इसमें बड़ी संख्या में बल की परिचालन इकाइयां हैं।

www.readwhere.com

दिल्ली जल बोर्ड: रा.रा. क्षेत्र दिल्ली सरकार

कार्यालय: एसीई (डीआर) परियोजना-111
द्वारा कार्यपालक अभियंता (सी) डीआर-VIII, यमुना विहार, सीवेज ट्रीटमेंट प्लान्ट
(डा. अम्बेडकर कॉलेज के समीप) दिल्ली-110094
फोन. नं. 011-22813593, ईमेल : eecdr8@gmail.com

आज़ादी का अमृत महोत्सव

प्रैस एन.आई.टी. सं. 01 (2023-24)

क्रम सं.	कार्य का विवरण	अनुमानित अनुबंध मूल्य (ईसीबी) निविदा राशि (रु.)	धरोहर राशि ईएमडी (रु.)	निविदा प्रॉसेसिंग शुल्क अप्रतिदेय (रु.)	निविदा जारी की तिथि निविदा आईडी	निविदा प्राप्ति की अंतिम तिथि/समय
1.	7 एमजीडी एसटीपी सोनिया विहार से 25 एमजीडी एसटीपी यमुना विहार तक 150 एमएम डाया स्लुज लाइन का प्रावधान/बिछाना/जोड़ना	64722822/-	रु. 1295000/-	1500/-	2023_DJB_239632_1 तिथि : 13.4.2023	28.04.2023 के 3.00 बजे अप. तक

इस संदर्भ में अधिक विवरण वेबसाईट **https://govtprocurement.delhi.gov.in** पर देखें।

हस्ता/-
आर.के. जैन
कार्यपालक अभियंता (सी) डीआर-VIII

पी.आर.ओ. (जल) द्वारा जारी
विज्ञा. सं. जे.एस.वी. 11 (2023-24)

''कोरोना रोकें; मास्क पहनें, शारीरिक दूरी का पालन करें; हाथों को स्वच्छ रखें''

ल्यूटैक रिसोर्सेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड

सीआईएन: U74140HR2011PTC042861
पंजीकृत कार्यालय: चौथी मंजिल, इन्फिनिटी टॉवर बी, डीएलएफ साइबर सिटी, फेज II, सैक्टर 25-ए, गुड़गाँव - 122002, हरियाणा
दूरभाष: +91 124 490 5800; **फैक्स:** +91 124 490 5888

सूचना

1. मैं/हम ल्यूटैक रिसोर्सेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, उत्प्रवासन अधिनियम, 1983 के अंतर्गत जनशक्ति के निर्यात हेतु पंजीकरण प्रमाण पत्र क्रमांक B-0739/HAR/COM/1000+/5/9147/2015 के धारक हैं। दिनांक 31 मार्च 2021 से प्रभाव के साथ मेरा/हमारा कार्य बंद कर दिया गया है।
2. यदि मेरे/ हमारे विरुद्ध कोई शिकायत/दावा है, तो उसे इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 30 दिनों के भीतर प्रेषित किया जा सकता है। शिकायत की प्रतियां उत्प्रवासी महासंरक्षी, विदेश मंत्रालय, अकबर भवन, चाणक्यपुरी नई दिल्ली-110021 को भी प्रेषित की जा सकती है।

दिनांक : 13.04.2023
स्थान : गुड़गांव

हस्ता/-
कार्तिक टक्कर (निदेशक)

प्रपत्र सं. आईएनसी-26
(कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के अनुसरण में)
केंद्र सरकार उत्तरी क्षेत्र बेंच, दिल्ली के समक्ष
कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 13 की उप-धारा 4 और कंपनी (निगमन) नियम 2014 के नियम 30 की उप-धारा (5) के खंड (ए) के मामले में
और
मैसर्स अबन्डन्स टौर्जोस प्राइवेट लिमिटेड,
जिसका पंजीकृत कार्यालय: 13-ए, यूएनवी ब्लॉक शालीमार बाग दिल्ली-110088 में है, के मामले में
.....**आवेदक कंपनी**

एतद्द्वारा सार्वजनिक सूचना दी जाती है कि यह कंपनी केंद्र सरकार के समक्ष कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के अधीन आवेदन करने का प्रस्ताव करती है, जिसमें कंपनी पंजिकृत कार्यालय **"रा. रा. क्षेत्र (एनसीटी) दिल्ली"** से **"हरियाणा राज्य"** में स्थानांतरित करने के लिए शुक्रवार, 07 अप्रैल, 2023 के दिन आयोजित असाधारण आमसभा में पारित विशेष प्रस्ताव के अनुसार कम्पनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के परिवर्तन की पुष्टि करने की मांग की गई है।

कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के प्रस्तावित स्थानांतरण से यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता है तो वह व्यक्ति या तो **निवेशक शिकायत प्ररूप फाइल कर एमसीए पोर्टल (www.mca.gov.in) में शिकायत दर्ज कर** सकता है या एक शपथ पत्र जिसमें उनके हित का प्रकार और उसके विरोध का कारण उल्लिखित हो, के साथ अपनी आपत्ति क्षेत्रीय निदेशक को इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से चौदह (14) दिनों के भीतर **क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, कारपोरेट कार्य मंत्रालय, बी-2 विंग, दूसरा तल, पंडित दीनदयाल अंत्योदय भवन, सीजीओ कॉम्पलैक्स, नई दिल्ली -110003** पर पंजीकृत डाक द्वारा भेज सकता है और इसकी एक प्रति आवेदक कंपनी को उनके निम्नलिखित पंजीकृत कार्यालय पते पर भी भेजें।

13-ए, यूएनवी ब्लॉक शालीमार बाग, दिल्ली-110088

आवेदक के लिए और आवेदक की ओर से
वास्ते अबन्डन्स टौर्जोस प्राइवेट लिमिटेड
हस्ता/-
निखिल जैन
(निदेशक)
दिनांक : 13.04.2023
स्थान : दिल्ली
डीआईएन: 07210256

प्रपत्र सं. आईएनसी-26
(कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के अनुसरण में)
केंद्र सरकार उत्तरी क्षेत्र बेंच, दिल्ली के समक्ष
कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 13 की उप-धारा 4 और कंपनी (निगमन) नियम 2014 के नियम 30 की उप-धारा (5) के खंड (ए) के मामले में
और
मैसर्स अबन्डन्स एस्टेट्स प्राइवेट लिमिटेड,
जिसका पंजीकृत कार्यालय: 13-ए, ब्लॉक-बी, पाकेट यू एंड वी, शालीमार बाग वेस्ट, दिल्ली-110088 में है, के मामले में
.....**आवेदक कंपनी**

एतद्द्वारा सार्वजनिक सूचना दी जाती है कि यह कंपनी केंद्र सरकार के समक्ष कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के अधीन आवेदन करने का प्रस्ताव करती है, जिसमें कंपनी पंजिकृत कार्यालय **"रा. रा. क्षेत्र (एनसीटी) दिल्ली"** से **"हरियाणा राज्य"** में स्थानांतरित करने के लिए शुक्रवार, 07 अप्रैल, 2023 के दिन आयोजित असाधारण आमसभा में पारित विशेष प्रस्ताव के अनुसार कम्पनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के परिवर्तन की पुष्टि करने की मांग की गई है।

कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के प्रस्तावित स्थानांतरण से यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता है तो वह व्यक्ति या तो **निवेशक शिकायत प्ररूप फाइल कर एमसीए पोर्टल (www.mca.gov.in) में शिकायत दर्ज कर** सकता है या एक शपथ पत्र जिसमें उनके हित का प्रकार और उसके विरोध का कारण उल्लिखित हो, के साथ अपनी आपत्ति क्षेत्रीय निदेशक को इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से चौदह (14) दिनों के भीतर **क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, कारपोरेट कार्य मंत्रालय, बी-2 विंग, दूसरा तल, पंडित दीनदयाल अंत्योदय भवन, सीजीओ कॉम्पलैक्स, नई दिल्ली -110003** पर पंजीकृत डाक द्वारा भेज सकता है और इसकी एक प्रति आवेदक कंपनी को उनके निम्नलिखित पंजीकृत कार्यालय पते पर भी भेजें।

13-ए, ब्लॉक-बी, पाकेट यू एंड वी, शालीमार बाग दिल्ली-110088

आवेदक के लिए और आवेदक की ओर से
वास्ते अबन्डन्स एस्टेट्स प्राइवेट लिमिटेड,
हस्ता/-
निखिल जैन
(निदेशक)
दिनांक : 13.04.2023
स्थान : दिल्ली
डीआईएन: 07210256

प्रपत्र सं. आईएनसी-26
(कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के अनुसरण में)
केंद्र सरकार उत्तरी क्षेत्र बेंच, दिल्ली के समक्ष
कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 13 की उप-धारा 4 और कंपनी (निगमन) नियम 2014 के नियम 30 की उप-धारा (5) के खंड (ए) के मामले में
और
मैसर्स अबन्डन्स फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड,
जिसका पंजीकृत कार्यालय: 13-ए, ब्लॉक-बी, पाकेट यू एंड वी, शालीमार बाग वेस्ट, नई दिल्ली-110088 में है, के मामले में
.....**आवेदक कंपनी**

एतद्द्वारा सार्वजनिक सूचना दी जाती है कि यह कंपनी केंद्र सरकार के समक्ष कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के अधीन आवेदन करने का प्रस्ताव करती है, जिसमें कंपनी पंजिकृत कार्यालय **"रा. रा. क्षेत्र (एनसीटी) दिल्ली"** से **"हरियाणा राज्य"** में स्थानांतरित करने के लिए शुक्रवार, 07 अप्रैल, 2023 के दिन आयोजित असाधारण आमसभा में पारित विशेष प्रस्ताव के अनुसार कम्पनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के परिवर्तन की पुष्टि करने की मांग की गई है।

कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के प्रस्तावित स्थानांतरण से यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता है तो वह व्यक्ति या तो **निवेशक शिकायत प्ररूप फाइल कर एमसीए पोर्टल (www.mca.gov.in) में शिकायत दर्ज कर** सकता है या एक शपथ पत्र जिसमें उनके हित का प्रकार और उसके विरोध का कारण उल्लिखित हो, के साथ अपनी आपत्ति क्षेत्रीय निदेशक को इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से चौदह (14) दिनों के भीतर **क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, कारपोरेट कार्य मंत्रालय, बी-2 विंग, दूसरा तल, पंडित दीनदयाल अंत्योदय भवन, सीजीओ कॉम्पलैक्स, नई दिल्ली -110003** पर पंजीकृत डाक द्वारा भेज सकता है और इसकी एक प्रति आवेदक कंपनी को उनके निम्नलिखित पंजीकृत कार्यालय पते पर भी भेजें।

13-ए, ब्लॉक-बी, पाकेट यू एंड वी, शालीमार बाग वेस्ट, नई दिल्ली-110088

आवेदक के लिए और आवेदक की ओर से
वास्ते अबन्डन्स फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड
हस्ता/-
निखिल जैन
(निदेशक)
दिनांक : 13.04.2023
स्थान : दिल्ली
डीआईएन: 07210256

(This is only an advertisement for information purposes and is not a prospectus announcement)

sancode SANCODE TECHNOLOGIES LIMITED

Corporate Identification Number: U74900MH2016PLC280315

Our company was originally incorporated as a Private Limited company under the name "ZNL Startup Advisory Private Limited" under the provisions of the Companies Act, 2013 vide Certificate of Incorporation dated April 28, 2016 issued by the Central Registration Centre for and on behalf of the jurisdictional Registrar of Companies. Subsequently, the name of our Company was changed to "Sancode Technologies Private Limited" vide special resolution passed by the Shareholders at the Extra Ordinary General Meeting held on October 04, 2022 and a Fresh Certificate of Incorporation pursuant to change of name was issued by Registrar of Companies, Mumbai, Maharashtra dated November 18, 2022. The status of our Company was changed to public limited and the name of our Company was changed to "Sancode Technologies Limited" vide special resolution dated December 12, 2022. The fresh certificate of incorporation consequent to conversion was issued on January 02, 2023 by the Registrar of Companies, Mumbai. The Corporate Identification Number of our Company is U74900MH2016PLC280315. For further details on Incorporation and changes in the registered office of our company, please refer to the chapter titled *"History and Certain Corporate Matters"* beginning on page 122 of the Prospectus.

Registered Office: 107, Prime Plaza, J.V. Patel Compound, B.M. Road, Opp. Elphinstone Station, Mumbai – 400013, Maharashtra, India;
Tel: 022-49622853 | **E-mail:** investor@sancodetech.com | **Website:** https://www.sancodetech.com/;
Contact Person: Narendra Gupta, Company Secretary and Compliance Officer

PROMOTERS OF OUR COMPANY: AMIT VIJAY JAIN, KHUSHBOO JAIN, MIHIR DEEPAK VORA AND ZNL STARTUP ACCELERATOR LLP

BASIS OF ALLOTMENT

INITIAL PUBLIC OFFERING OF 10,95,000 EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹10/- EACH ("EQUITY SHARES") OF SANCODE TECHNOLOGIES LIMITED ("SANCODE" OR "OUR COMPANY" OR "THE ISSUER") FOR CASH AT A PRICE OF ₹47/- PER EQUITY SHARE (INCLUDING A PREMIUM OF ₹37/- PER EQUITY SHARE) ("ISSUE PRICE") AGGREGATING TO ₹514.65 LAKHS ("THE ISSUE") OF WHICH 57,000 EQUITY SHARES AGGREGATING TO ₹26.79 LAKHS WILL BE RESERVED FOR SUBSCRIPTION BY MARKET MAKER ("MARKET MAKER RESERVATION PORTION"). THE ISSUE LESS THE MARKET MAKER RESERVATION PORTION I.E. NET ISSUE OF 10,38,000 EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹10/- EACH AT AN ISSUE PRICE OF ₹47/- PER EQUITY SHARE AGGREGATING TO ₹487.86 LAKHS ("NET ISSUE"). THE ISSUE AND THE NET ISSUE WILL CONSTITUTE 26.91% AND 25.51% OF THE POST-ISSUE PAID-UP EQUITY SHARE CAPITAL OF OUR COMPANY.

THE FACE VALUE OF THE EQUITY SHARES IS ₹10/- AND THE ISSUE PRICE IS 4.7 TIMES OF THE FACE VALUE

ISSUE
ISSUE OPENED ON: MARCH 31, 2023
ISSUE CLOSED ON: APRIL 06, 2023

RISK TO INVESTORS:

1. **Our Equity Shares have never been publicly traded, and may experience price and volume fluctuations following the completion of the Issue. Further, our Equity Shares may not result in an active or liquid market and the price of our Equity Shares may be volatile and you may be unable to resell your Equity Shares at or abovethe IssuePrice or at all.**
2. **The average cost of acquisition of Equity Shares by our Promoters is set forth in the table below:**

S. No.	Name of the Promoters	No. of Equity Shares held	Average cost of Acquisition (in ₹)
1.	Amit Vijay Jain	2,02,293	0.77
2.	Khushboo Jain	11,83,000	0.77
3.	Mihir Deepak Vora	74,347	10.28
4.	ZNL Startup Accelerator LLP	14,38,881	0.04

Investors are required to refer section titled "Risk Factors" beginning on page 25 of the Prospectus.

Our Company has filed the Prospectus dated March 25, 2023 with the ROC, Mumbai, Maharashtra (the **"Prospectus"**). The Equity Shares of the Company are proposed to be listed on the SME Platform of BSE i.e., **BSE SME**, in terms of the Chapter IX of the SEBI (ICDR) Regulations, 2018 as amended from time to time. Our Company has received an In-Principle approval from BSE for the listing of the Equity Shares pursuant to letter dated March 24, 2023. **BSE is the Designated Stock Exchange for the purpose of this Issue. The trading is to be commenced on April 18, 2023** (Subject to receipt of listing and trading approvals from the BSE).

The Issue is being made through the Fixed Price process, the allocation in the Net Issue to the Public category is made pursuant to Regulation 253(2) of the SEBI (ICDR) Regulations, 2018, as amended from time to time, wherein a minimum of 50% of the Net Issue of shares to the Public is initially made available for allotment to Retail Individual Investors. The balance of Net Issue of Shares to the public is made available for allotment to Individual Applicants other than Retail Individual Investors and other Investors, including Corporate Bodies / Institutions irrespective of number of shares applied for. If the Retail Individual Investor category is entitled to more than 50% on proportionate basis, they shall be allotted that higher percentage. Under subscription, if any, in any of the categories, would be allowed to be met with spill-over from any of the other categories or a combination of categories at the discretion of our Company in consultation with the Lead Manager and the Designation Stock Exchange. Such inter-se spill over, if any, would be affected in accordance with applicable laws, rules, regulations and guidelines. All potential investors shall participate in the Issue only through an Application Supported by Blocked Amount (**"ASBA"**) process including through UPI mode (as applicable) by providing details of the irrespective bank accounts and / or UPI IDs, in case of RIIs, if applicable, which will be blocked by the Self Certified Syndicate Banks (**"SCSBs"**) for the same.

SUBSCRIPTION DETAILS

The Net Issue has received 663 applications before technical rejections for 37,71,000 Equity Shares resulting in times 3.63 subscription. The details of the applications received in the Net Issue (before and after technical rejections & withdrawal) are as follows:

Detail of the Applications Received

Category	Before Technical Rejections & Withdrawals		After Technical Rejections & Withdrawals	
	No. of Applications	No. of Equity Shares	No. of Applications	No. of Equity Shares
Retail Individual Investors	587	17,61,000	567	17,01,000
Other than Retail Individual Investors	76	20,10,000	75	19,68,000
Total	**663**	**37,71,000**	**642**	**36,69,000**

Note:
1. The Net Issue does not include 57,000 Equity Shares reserved for Market Maker, which was subscribed by 1.00 time.
2. There were 21 Technical Rejections for 1,02,000 Equity Shares & no withdrawal of any application in any category.

The shares available for allotment have been arrived in the equal proportion of the respective over subscription ratio of Retail Individual Investors and Other than Retail Individual Investors category. In view of the explanation provided under regulations 253 (2) of the SEBI (ICDR) Regulations, 2018, the Retail Individual Investors Category has applied for 46.36% and 53.64% by Other than Retail Individual Investors; accordingly, we have derived the issue size for different categories. Further, owing to rounding off, an additional share has been proportioned to be allotted in retail investors.In other than Retail Individual Investor Category there was over subscription of 20,10,000 Equity Shares before technical rejection and 19,68,000 Equity Shares after technical rejection. In Retail Individual Investors Category there was over subscription of 17,61,000 Equity Shares before technical rejection and 17,01,000 Equity Shares after technical rejection. The Basis of Allotment was finalised in consultation with the Designated Stock Exchange – BSE on April 12, 2023.

A) Allocation to Market Maker (After Technical Rejections & Withdrawals): The Basis of Allotment to the Market Maker, at the Issue Price of ₹47/- per Equity Share, was finalised in consultation with BSE. The category was subscribed by 1.00 time. The total number of shares allotted in this category is 57,000 Equity Shares. The category-wise details of the Basis of Allotment are as under:

No. of Shares Applied for	No. of Applications Received	% to Total	Total No. of Shares Applied	% to Total	Allocation per Applicant	Ratio of Allottees to the Applicant	Total No. of Shares Allotted
57,000	1	100	57,000	100	57,000	1:1	57,000

B) Allocation to Retail Individual Investors (After Technical Rejections & Withdrawals): The Basis of Allotment to the Retail Individual Investors, at the Issue Price of ₹47/- per Equity Share, was finalised in consultation with BSE. Pursuant to Regulation 253(2) of the SEBI (ICDR) Regulations, 2018, the total number of shares allocated in this category is 5,19,000 Equity Shares. The category was subscribed by 3.28 times. The category-wise details of the Basis of Allotment are as under:

No. of Shares Applied for	No. of Applications Received	% to Total	Total No. of Shares Applied	% to Total	Allocation per Applicant	Ratio of Allottees to the Applicant	Total No. of Shares Allotted
3,000	567	100	17,01,000	100	3,000	173:567	5,19,000

C) Allocation to Other than Retail Category (After Technical Rejections & Withdrawals): The Basis of Allotment to the Non-Retail Investors, at the IssuePrice of ₹47/- per Equity Share, was finalised in consultation with BSE. Pursuant to Regulation 253(2) of the SEBI (ICDR) Regulations, 2018, the total number of shares allocated in this category is 5,19,000 Equity Shares. The category was subscribed by 3.79 times. The category-wise details of the Basis of Allotment are as under:

No. of Shares applied for (Category Wise)	No. of Applications Received	% to Total	Total No. of Shares applied in each category	% to Total	Allocation per Applicant	Ratio of Allottees to the Applicant	Total No. of Shares allocated/ allotted
6,000	10	13.33	60,000	3.05	3,000	1:2	15,000
9,000	15	20.00	1,35,000	6.86	3,000	4:5	36,000
12,000	3	4.00	36,000	1.83	3,000	1:1	9,000
15,000	7	9.33	1,05,000	5.34	3,000	1:1	21,000
18,000	6	8.00	1,08,000	5.49	3,000	1:1	18,000
21,000	3	4.00	63,000	3.20	6,000	1:1	18,000
24,000	6	8.00	1,44,000	7.32	6,000	1:1	36,000
30,000	7	9.33	2,10,000	10.67	6,000	1:1	42,000
36,000	1	1.33	36,000	1.83	9,000	1:1	9,000
39,000	1	1.33	39,000	1.98	9,000	1:1	9,000
42,000	8	10.67	3,36,000	17.07	9,000	1:1	72,000
45,000	2	2.67	90,000	4.57	12,000	1:1	24,000
54,000	1	1.33	54,000	2.74	15,000	1:1	15,000

The Board of Directors of the Company at its meeting held on April 12, 2023, has taken on record the Basis of Allotment of Equity Shares, as approved by the Designated Stock Exchange viz. BSE and has authorized the corporate action for the allotment of the Equity Shares to various successful applicants.

The CAN and allotment advice and/ or notices shall be dispatched to the address of the investors as registered with the depositories on or before April 13, 2023. Further, the instructions to Self-Certified Syndicate Banks has been processed on April 12, 2023 for unblocking of funds. The Equity Shares allotted to successful applicants are being credited to their beneficiary accounts subject to validation of the account details with the depositories concerned. In case the same is not received within prescribed time, investors may contact the Registrar to the Issueat the address given below. The Company is taking steps to get the Equity Shares admitted for trading on the SME Platform of BSE within 5 working days from the Closure of the Issue. The trading is proposed to be commenced on April 18, 2023 subject to receipt of listing and trading approvals from BSE.

Note: All capitalized terms used and not defined herein shall have the respective meanings assigned to them in the Prospectus dated March 25, 2023 (**"Prospectus"**).

INVESTORS, PLEASE NOTE

The details of the allotment made has been hosted on the website of the Registrar to the Issue, Bigshare Services Private Limited at www.bigshareonline.com.

All future correspondence in this regard may kindly be addressed to the Registrar to the Issue quoting full name of the First/Sole Applicant, Serial number of the Application Form, Number of Shares Applied for and Bank Branch where the Application had been lodged and payment details at the address given below:

BIGSHARE SERVICES PRIVATE LIMITED
Office No. S6-2, 6th Floor, Pinnacle Business Park, Next to Ahura Centre, Mahakali Caves Road, Andheri East, Mumbai – 400 093, Maharashtra, India.
Telephone: 022 - 6263 8200 | **E-mail:** ipo@bigshareonline.com
Investor grievance E-mail: investor@bigshareonline.com
Website: www.bigsharesonline.com
Contact Person: Swapnil Kate
SEBI Registration No.: INR000001385

For SANCODE TECHNOLOGIES LIMITED
Sd/-
Mihir Deepak Vora
Designation: Managing Director
DIN: 08602271

Place: Mumbai
Date: April 13, 2023

LEVEL OF SUBSCRIPTION SHOULD NOT BE TAKEN TO BE INDICATIVE OF EITHER THE MARKET PRICE OF THE EQUITY SHARE ON LISTING OR THE BUSINESS PROSPECTS OF SANCODE TECHNOLOGIES LIMITED.

SANCODE TECHNOLOGIES LIMITED is proposing, subject to applicable statutory and regulatory requirements, receipt of requisite approvals, market conditions and other considerations, to make a Public Issue of its Equity Shares and has filed Prospectus with the Registrar of Companies, Mumbai, Maharashtra on March 25, 2023. The Prospectus is available on websites of the Company, the BSE and the Lead Manager at https://www.sancodetech.com/, www.bseindia.com, www.shreni.in respectively. Applicants should note that investment in equity shares involves a high-risk and for details relating to the same, see the Prospectus, including section titled "Risk Factors" beginning on page 25 of the Prospectus.

The Equity Shares have not been and will not be registered under the U.S.Securities Act of 1933, as amended (the "U.S. Securities Act and applicable U.S. state securities law. Accordingly, the Equity Shares are offered or sold (i) within the United States to persons reasonably believed to be qualified institutional investors (as defined in Rule 144A under the U.S. Securities Act and (ii) Outside the United States in offshore transactions in reliance on Regulation S under the U.S. Securities act and applicable laws of the jurisdiction where such offers and sales occur.

Raka

SHARES LOST NOTICE

Notice is Hereby Given That Share Certificate(s) No.539 For 880 Equity Shares Of RS.1/- (Rupees One Only) Each Bearing Distinctive Nos 156901525 to 156902404 Under Folio No. 00029854 Of **Kajaria Ceramics Limited** (Name of the company) , Registered In The Name Of **Yogesh Agiwal Has Been Lost** Has applied to the company to issue duplicate certificate(s). any person who has any claim in respect of the said shares certificate should lodge such claim with the company at its registered **Office Sf-11, Second Floor,,JMD Regent Plaza, Mehrauli Gurgaon Road Haryana 122001** (Company address) , Within 15 Days Of The Publication Of This Notice, After Which No Claim Will Be Entertained And The Company Will Proceed To Issue Duplicate Share Certificate(s).

R SYSTEMS INTERNATIONAL LIMITED

Corporate Identification Number: L74899DL1993PLC053579
Registered Office : GF-1–A, 6, Devika Tower, Nehru Place, New Delhi- 110019
Tel: +91 (120) 430-3500; Website : www.rsystems.com

Recommendations of the Committee of Independent Directors ("**IDC**") formed by the Board of R Systems International Limited ("**Company**") under Regulation 26(7) of the Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011, as amended ("**SEBI (SAST) Regulations**") and Regulation 28 of the Securities and Exchange Board of India (Delisting of Equity Shares) Regulations, 2021, as amended ("**SEBI Delisting Regulations**") in relation to the delisting cum open offer ("**Composite Offer**") to the Public Shareholders of the Company made by BCP Asia II TOPCO II Pte. Ltd. ("**Acquirer**") along with Blackstone Capital Partners Asia II L.P. ("**PAC**").

1.	Date	April 13, 2023
2.	Name of the Target Company (TC)	R Systems International Limited
3.	Details of the Offer pertaining to TC	Composite Offer is being made by the Acquirer and PAC to the Public Shareholders of the Company to acquire up to 5,71,73,476 (Five Crore Seventy One Lakh Seventy Three Thousand Four Hundred Seventy Six) Equity Shares of the Company, representing up to 48.33% (Forty Eight decimal three three percent) of the Voting Share Capital ("**Offer Shares**") at the price of INR 262/- (Indian Rupees Two Hundred Sixty Two only) per Offer Share ("**Offer Price**"), subject to the terms and conditions mentioned in the Public Announcement, the Detailed Public Statement, the Corrigendum and the Letter of Offer in accordance with Regulations 3(1), 4 and 5A and other applicable provisions of the SEBI (SAST) Regulations and the SEBI Delisting Regulations. Assuming full acceptance of the Offer, the total consideration payable by the Acquirer will be INR 14,97,94,50,712/- (Indian Rupees One Thousand Four Hundred and Ninety Seven Crore Ninety Four Lakh Fifty Thousand Seven Hundred Twelve only) ("**Composite Offer Consideration**"). The Composite Offer is a fixed price delisting offer at INR 262/- (Indian Rupees Two Hundred Sixty Two only) per Equity Share. The Offer is made in accordance with Regulation 5A of the SEBI (SAST) Regulations and therefore, the delisting price will not be determined by the reverse book building process as per the SEBI Delisting Regulations. If the delisting offer is not successful, the Acquirer and PAC shall provide a withdrawal window in accordance with the Regulation 5A(5) of the SEBI (SAST) Regulations and then complete the open offer by acquiring up to 3,07,58,896 (Three Crore Seven Lakh Fifty Eight Thousand Eight Hundred Ninety Six) Equity Shares representing 26.00% (Twenty Six percent) of the voting share capital of the Company at the Base Price of INR 245/- (Indian Rupees Two Hundred Forty Five only) per Equity Share in accordance with Regulation 7(1) and other applicable provisions of the SEBI (SAST) Regulations. Public Announcement dated November 16, 2022 ("**PA**"), Detailed Public Statement dated November 22, 2022 ("**DPS**"), the Draft Letter of Offer dated November 30, 2022 ("**DLOF**"), the Corrigendum to the PA, DPS and DLOF dated March 21, 2023 ("**Corrigendum**") and Letter of Offer dated April 10, 2023 ("**LOF**") have been issued by Kotak Mahindra Capital Company Limited, the Manager to the Composite Offer on behalf of the Acquirer and the PAC.
4.	Name(s) of the acquirer and PAC with the acquirer	Acquirer: BCP Asia II Topco II Pte. Ltd. PAC: Blackstone Capital Partners Asia II L.P.
5.	Name of the Manager to the offer	Kotak Mahindra Capital Company Limited 27BKC, 1st Floor, Plot No. C-27, 'G' Block, Bandra Kurla Complex, Bandra (East), Mumbai 400 051 Tel: +91 22 4336 0128, Fax: +91 22 6713 2447 Email: rsystemsoffer@kotak.com Contact person: Mr. Ganesh Rane SEBI Registration Number: INM000008704
6.	Members of the Committee of Independent Directors *(Please indicate the chairperson of the Committee separately)*	Mrs. Ruchica Gupta - Chairperson and Member; Mr. Kapil Dhameja - Member; and Mr. Aditya Wadhwa - Member
7.	IDC Member's relationship with the TC (Director, Equity shares owned, any other contract / relationship), if any	All the members of the IDC are Independent and Non-Executive Directors of the Company. None of the Non-Executive Independent Director of the Company holds equity share in the Company. None of the members of the IDC have any contract/ relationship with the Company except as mentioned below: 1. Mrs. Ruchica Gupta is a Non-Executive Independent Director of the Company. She is the Chairperson of the Audit Committee, Nomination & Remuneration Committee, Risk Management Committee and Compensation Committee. She is also a member of the Stakeholders Relationship Committee and Corporate Social Responsibility Committee. 2. Mr. Kapil Dhameja is a Non-Executive Independent Director of the Company. He is the Chairman of the Stakeholders Relationship Committee and Corporate Social Responsibility Committee. He is also a member of the Audit Committee, Nomination & Remuneration Committee, Risk Management Committee and Compensation Committee. 3. Mr. Aditya Wadhwa is a Non-Executive Independent Director of the Company. He is the member of Audit Committee, Nomination & Remuneration Committee and Compensation Committee. Apart from the sitting fees paid for attending the Board and Committee(s) meeting, the Company has no other pecuniary relationship with any of its Non-Executive Independent Director.
8.	Trading in the Equity shares/other securities of the TC by IDC Members	None of the IDC members have traded in the equity shares of the Company.
9.	IDC Member's relationship with the acquirer (Director, Equity shares owned, any other contract / relationship), if any.	None of the members of the IDC is a Director of the Acquirer or the PAC. The members of the IDC neither have any contracts or relationship with the Acquirer nor the PAC nor hold any equity shares or other securities of the Acquirer or the PAC.
10.	Trading in the Equity shares/other securities of the acquirer by IDC Members	None of the IDC Members have traded in equity shares / other securities of the Acquirer or the PAC during: a) the period of 12 months preceding the PA; or b) the period from the PA till the date of this recommendation.
11.	Recommendation on the ~~Open offer~~ Composite Offer, as to whether the offer is fair and reasonable	After reviewing following documents: a) Public Announcement dated November 16, 2022; b) Floor Pricing Certificate issued by M/s. S.V. Shah & Associates dated November 16, 2022; c) Detailed Public Statement dated November 22, 2022; d) Due Diligence Report issued by M/s. PI & Associates dated November 25, 2022; e) Outcome of Meeting of Board of Directors of the Company held on November 25, 2022; f) Draft Letter of Offer dated November 30, 2022; g) Postal Ballot Notice dated November 25, 2022 and Scrutinizer's Report dated January 02, 2023. h) Corrigendum to the PA, DPS and DLOF dated March 21, 2023; i) Letter of Offer dated April 10, 2023; (Collectively referred as "**Offer Documents**") the IDC is of the opinion that the Composite Offer made to the public shareholders of the Company for the Offer Price of INR 262/- (Indian Rupees Two Hundred Sixty Two only) per Equity Shares and the Base Price of INR 245/- (Indian Rupees Two Hundred Forty Five only): a) is in the interest of the Public Shareholders as it will provide all the Public Shareholders an opportunity to exit from the Company and providing immediate liquidity ; b) is in accordance with applicable provisions of the SEBI (SAST) Regulations; c) is in accordance with applicable provisions of the SEBI Delisting Regulations; and d) appears to be fair and reasonable.
12.	**Summary of reasons for recommendation** *(IDC may also invite attention to any other place, e.g. company's website, where its detailed recommendations along with written advice of the independent adviser, if any can be seen by the shareholder*	Based on the review of the Offer Documents, the members of the IDC have considered the following reasons for making recommendations in paragraph 11 above: a) The Offer Price of Rs. 262/- represents premium of 12.25% (Twelve decimal Two Five percent) and the Base Price of INR 245/- per Equity Share represent premium of 4.97% to the average of the closing price of the Equity Shares on NSE during the 6 (six) months period preceding the date of the Public Announcement; b) The Composite Offer is in the interest of the Public Shareholders as it will provide all the Public Shareholders an opportunity to exit from the Company and providing immediate liquidity; and c) In the event that the total shares validly tendered and accepted in the Offer are less than 38.33% of the Voting Share Capital and the delisting offer fails than the Public Shareholders of the Target Company shall have a right to withdraw any Equity Shares (including all the Equity Shares) tendered under the Offer within 5 Working Days from the date of announcement of failure of the Delisting Offer and the Acquirer and PAC shall complete the Open Offer by acquiring up to 26.00% of the Voting Share Capital of the Target Company at the Base Price of INR 245/- per Equity Share. After reviewing the Offer Documents referred in paragraph 11 above, the IDC believe that the Composite Offer is in accordance with SEBI (SAST) Regulations, SEBI Delisting Regulations and to that extent, is fair and reasonable. The detailed reasoned recommendation is also available on the website of the Company i.e. www.rsystems.com. However, the shareholders should independently evaluate the offer, market performance of the Company's script and take informed decision.
13.	Disclosure of the voting pattern	All 3 members of the IDC were present in the meeting and the recommendations were unanimously approved by the IDC members.
14.	Details of Independent Advisors, if any.	IDC has not appointed any Independent Advisor(s).
15.	Any other matter(s) to be highlighted	None

To the best of our knowledge and belief, after making proper enquiry, the information contained in or accompanying this statement is, in all material respect, true and correct and not misleading

खबर कोना

प्रत्यक्ष कर संग्रह 173 फीसद उछल कर 19.68 लाख करोड़ से अधिक

नई दिल्ली, 13 अप्रैल (भाषा)।

देश में सकल प्रत्यक्ष कर संग्रह बीते वित्त वर्ष 2022-23 में 173 फीसद उछल कर 19.68 करोड़ रुपए से अधिक रहा। कर वापसी के समायोजन के बाद शुद्ध रूप से प्रत्यक्ष कर संग्रह वित्त वर्ष 2013-14 से 2022-23 के दौरान 160 फीसद बढ़ कर 16.61 लाख करोड़ रुपए रहा। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने 2021-22 के लिए अद्यतन आंकड़े जारी किए हैं। साथ ही 2022-23 के लिए अस्थायी आंकड़े दिए है। जीडीपी में बदलाव के संदर्भ में प्रत्यक्ष कर राजस्व में वृद्धि वित्त वर्ष 2021-22 में 2.52 फीसद रही। यह पिछले 15 साल में सर्वाधिक है। प्रत्यक्ष कर संग्रह जीडीपी के अनुपात में 2013-14 के 5.62 फीसद से बढ़ कर 2021-22 में 5.97 फीसद रहा। सीबीडीटी ने कहा कि कर संग्रह लागत वित्त वर्ष 2013-14 में 0.57 फीसद थी, जो घट कर 2021-22 में 0.53 फीसद रही।

रुपया 27 पैसे की तेजी के साथ 81.84 प्रति डालर पर

मुंबई, 13 अप्रैल (भाषा)।

विदेशी बाजारों में डालर के कमजोर रुख के साथ अंतरबैंक विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में गुरुवार को डालर के मुकाबले रुपया 27 पैसे की तेजी के साथ 81.84 (अस्थायी) प्रति डालर पर पहुंच गया। अंतरबैंक विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में रुपया अमेरिकी डालर के मुकाबले 81.99 प्रति डालर पर खुला। कारोबार के अंत में रुपया अपने पिछले बंद भाव की तुलना में 27 पैसे की तेजी के साथ 81.84 (अस्थायी) प्रति डालर पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान रुपए में 81.83 के उच्च स्तर और 82.01 के निम्न स्तर के बीच घट-बढ़ हुई। इससे पिछले कारोबारी सत्र में डालर के मुकाबले रुपया 82.11 प्रति डालर पर बंद हुआ था। इस बीच, दुनिया की छह प्रमुख मुद्राओं के मुकाबले अमेरिकी डालर की स्थिति को दर्शाने वाला डालर सूचकांक 0.23 फीसद घट कर 101.26 रह गया।

सोना 340 रुपए मजबूत, चांदी 1,110 रुपए उछली

नई दिल्ली, 13 अप्रैल (भाषा)।

वैश्विक बाजार में बहुमूल्य धातुओं की कीमतों में तेजी के बीच राष्ट्रीय राजधानी के सर्राफा बाजार में गुरुवार को सोने का भाव 340 रुपए की मजबूती के साथ 61,280 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। एचडीएफसी सिक्योरिटीज ने यह जानकारी दी। पिछले कारोबारी सत्र में सोना 60,940 रुपए प्रति 10 ग्राम के भाव पर बंद हुआ था। चांदी की कीमत भी 1,110 रुपए की तेजी के साथ 77,150 रुपए प्रति किलोग्राम हो गई। एचडीएफसी सिक्योरिटीज के वरिष्ठ विश्लेषक सौमिल गांधी ने कहा कि दिल्ली के बाजार में सोने का हाजिर भाव 340 रुपए बढ़ कर 61,280 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गया। अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोना तेजी के साथ 2,027 डालर प्रति औंस हो गया, जबकि चांदी भी बढ़त के साथ 25.61 डालर प्रति औंस पर पहुंच गई।

भाजपा विधायक एमपी कुमारस्वामी ने पार्टी छोड़ी

बंगलुरु, 13 अप्रैल (भाषा)।

आगामी विधानसभा चुनाव के लिए टिकट ना मिलने से नाराज भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेता और मुडिगेरे से तीन बार के विधायक एमपी कुमारस्वामी ने गुरुवार को पार्टी से इस्तीफा देने की घोषणा की। कुमारस्वामी ने भाजपा द्वारा टिकट काटे जाने के लिए पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव सी टी रवि को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि वह विधायक के तौर पर भी विधानसभा अध्यक्ष को जल्द ही अपना इस्तीफा सौंप देंगे। भाजपा ने बुधवार रात 23 उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी थी। इसके मुताबिक भाजपा ने कुमारस्वामी के स्थान पर दीपक डोड्डैया को मुडिगेरे से अपना उम्मीदवार बनाया है। कुमारस्वामी ने टिकट नहीं मिलने पर भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव सीटी रवि पर निशाना साधा और कहा कि वह अपने समर्थकों और अपने निर्वाचन क्षेत्र के लोगों के साथ चर्चा करने के बाद अपने अगले कदम पर फैसला करेंगे। विधायक ने टिकट नहीं मिलने का कारण उनके और रवि के बीच व्यक्तिगत प्रतिद्वंद्विता को बताया।

'यात्री वाहनों की बिक्री बढ़ कर 38.9 लाख इकाई पर पहुंची'

नई दिल्ली, 13 अप्रैल (भाषा)।

देश के यात्री वाहनों की बीते वित्त वर्ष 2022-23 में घरेलू थोक बिक्री 26.73 फीसद बढ़ कर 38.9 लाख इकाई से अधिक की ऊंचाई पर पहुंच गई। वाहन विनिर्माताओं के संगठन सोसायटी आफ इंडियन आटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स (सियाम) ने गुरुवार को यह जानकारी दी।

सियाम के ताजा आंकड़ों के अनुसार, 31 मार्च को समाप्त वित्त वर्ष में यात्री वाहनों की घरेलू बिक्री बढ़ कर 38,90,114 इकाई रही, जबकि 2021-22 में यह 30,69,523 इकाई थी। यात्री वाहनों की पिछली सबसे अधिक थोक बिक्री वित्त वर्ष 2018-19 में 33,77,436 इकाई थी। आलोच्य अवधि के उपयोगी (यूटिलिटी) वाहनों की अच्छी बिक्री से यात्री वाहनों की बिक्री वृद्धि को मदद मिली है। इस दौरान यूटिलिटी वाहनों की बिक्री 34.55 फीसद बढ़ कर 20,03,718 इकाई रही। वित्त वर्ष 2021-22 में 14,89,219 वाहन बिके थे। इस श्रेणी में यात्री वाहन का हिस्सा 51.5 फीसद है।

सियाम के अध्यक्ष विनोद अग्रवाल ने कहा कि कोविड महामारी के बाद वित्त वर्ष 2022-23 बिक्री के लिहाज से अच्छा वर्ष रहा है।

> *सियाम* के अध्यक्ष विनोद अग्रवाल ने कहा कि कोविड महामारी के बाद वित्त वर्ष 2022-23 बिक्री के लिहाज से अच्छा वर्ष रहा है। हालांकि, यूक्रेन पर रूस के हमले के कारण आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान फिर से शुरू हो गया। *उन्होंने* ने कहा कि पिछले महीने घरेलू बाजार में दोपहिया वाहनों की बिक्री 12,90,553 इकाई रही, जबकि एक साल पहले की इसी अवधि में यह 11,98,825 इकाई थी।

हालांकि, यूक्रेन पर रूस के हमले के कारण आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान फिर से शुरू हो गया। उन्होंने कहा, हालांकि, आपूर्ति श्रृंखला के कुशल प्रबंधन और उत्पादों की बेहतर उपलब्धता के साथ, विशेष रूप से इलेक्ट्रानिक वस्तुओं की कीमतों में सालाना आधार पर नरमी आई है, बहरहाल यह एक चिंता का विषय बना हुआ है।

उन्होंने कहा कि जहां यात्री वाहन खंड ने नई रिकार्ड घरेलू बिक्री दर्ज की, वहीं वाणिज्यिक वाहनों ने दूसरी सबसे बड़ी घरेलू बिक्री दर्ज की। यह वित्त वर्ष 2018-19 के अपने रिकार्ड उत्पादन स्तर के करीब है। इस दौरान वाणिज्यिक वाहनों की बिक्री 7,16,566 इकाई से बढ़ कर 9,62,468 इकाई हो गई।

सियाम के महानिदेशक राजेश मेनन ने कहा कि वाणिज्यिक, दोपहिया और तिपहिया वाहन खंड अभी महामारी से पहले के स्तर तक नहीं पहुंच सके हैं।

आंकड़ों के अनुसार, वित्त वर्ष 2022-23 में दोपहिया वाहनों की कुल बिक्री 17 फीसद बढ़ कर 1,58,62,087 इकाई रही, जबकि 2021-22 में यह 1,35,70,008 इकाई थी। वित्त वर्ष 2022-23 में विभिन्न श्रेणियों में वाहनों की कुल बिक्री 20.36 फीसद बढ़ कर 2,12,04,162 इकाई पर पहुंच गई, जो 2021-22 में 1,76,17,606 इकाई थी। आंकड़ों के अनुसार, यात्री वाहनों की घरेलू थोक बिक्री मार्च में सालाना आधार पर 4.47 फीसद बढ़ कर 2,92,030 इकाई हो गई। पिछले साल मार्च महीने में यह 2,79,525 इकाई थी।

सियाम ने कहा कि पिछले महीने घरेलू बाजार में दोपहिया वाहनों की बिक्री 12,90,553 इकाई रही, जबकि एक साल पहले की इसी अवधि में यह 11,98,825 इकाई थी। इसने कहा कि पिछले महीने वाहनों की कुल थोक बिक्री 16,37,048 इकाई रही, जबकि मार्च, 2022 में 15,10,534 वाहन बिके थे।

शेयर बाजार नौवें दिन भी बढ़त में, सूचकांक 38 अंक चढ़ा

मुंबई, 13 अप्रैल (भाषा)।

खुदरा मुद्रास्फीति में नरमी के बीच बैंक, वित्तीय और रियल्टी शेयरों में लिवाली के कारण प्रमुख शेयर सूचकांक बीएसई और एनएसई निफ्टी गुरुवार को लगातार नौवें दिन तेजी के साथ बंद हुए। दूसरी ओर आइटी शेयरों में कमजोर रुख और मंदी की ताजा चिंताओं के चलते अमेरिकी शेयर बाजारों में बुधवार को हुई गिरावट के कारण घरेलू शेयर बाजारों में बढ़त सीमित रही।

तीस शेयरों वाला बीएसई सूचकांक 38.23 अंक यानी 0.06 फीसद की मामूली बढ़त के साथ 60,431 अंक पर बंद हुआ। दिन के कारोबार में यह 60,486.91 के ऊपरी और 60,081.43 के निचले स्तर तक पहुंचा। वहीं, नेशनल स्टाक एक्सचेंज का निफ्टी 15.60 अंक यानी 0.09 फीसद चढ़ कर 17,828 पर बंद हुआ।

रेलिगेयर ब्रोकिंग लिमिटेड के उपाध्यक्ष (शोध) अजीत मिश्रा ने कहा कि सपाट शुरुआत के बाद आइटी कंपनियों के कमजोर रुख के कारण निफ्टी में गिरावट आई। हालांकि प्रमुख कंपनियों विशेष रूप से बैंक शेयरों की लिवाली से नुकसान की भरपाई हुई और सूचकांक लगभग स्थिर बंद हुआ। सूचकांक की कंपनियों में इंडसइंड बैंक, पावर ग्रिड, एक्सिस बैंक, बजाज फिनसर्व, कोटक महिंद्रा बैंक, आइसीआइसीआइ बैंक, भारतीय स्टेट बैंक और टाटा मोटर्स बढ़ने वाले प्रमुख शेयरों में शामिल रहे। दूसरी ओर इंफोसिस, टेक महिंद्रा, एचसीएल टेक्नोलाजीज, एनटीपीसी, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, लार्सन एंड टुब्रो, विप्रो और अल्ट्राटेक सीमेंट में गिरावट रही। इंफोसिस के शेयर में तिमाही नतीजों की घोषणा से पहले लगभग तीन फीसद की गिरावट हुई। देश की सबसे बड़ी आइटी कंपनी टीसीएस ने बुधवार को उत्तरी अमेरिका के अपने प्रमुख बाजार को लेकर चिंता व्यक्त की थी। जियोजित फाइनेंशियल सर्विसेज के शोध प्रमुख विनोद नायर ने कहा कि देश में खुदरा मुद्रास्फीति घट कर 5.66 फीसद पर आ गई। इससे रिजर्व बैंक के नीतिगत दर में बदलाव न करने के फैसले को समर्थन मिला है। हालांकि, अमेरिका में मुद्रास्फीति घट कर पांच फीसद पर आ गई, लेकिन फेडरल ओपन मार्केट कमेटी (एफओएमसी) के हल्की मंदी के संकेत देने के बाद दुनिया भर में बेचैनी बढ़ गई। कुल नौ कारोबारी सत्रों में, बीएसई सूचकांक 2,817.28 अंक यानी 4.88 फीसद तक उछल गया।

गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध अभी जारी रहेगा : गोयल

रोम, 13 अप्रैल (भाषा)।

केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने गुरुवार को कहा कि गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध जारी रहेगा, क्योंकि भारत को अपने घरेलू बाजार के लिए इस खाद्यान्न की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने के साथ महंगाई पर नियंत्रण रखना है।

उन्होंने कहा कि गेहूं की खरीद शुरू हो गई है और खरीद के पहले सप्ताह के आंकड़े 'बेहद' संतोषजनक हैं।

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री व उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री ने कहा कि मुझे भरोसा है कि बेमौसम बारिश के बावजूद फसल अच्छी होगी- हमें भारतीय बाजार के लिए पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करनी होगी और एक बार खरीद की अवधि समाप्त हो जाने के बाद, यह महत्त्वपूर्ण होगा कि देश में मुद्रास्फीति को कम किया जाए और इसलिए यह जरूरी है कि गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध लगा रहे। वह भारत और इटली के बीच आर्थिक संबंधों को बढ़ाने के लिए नेताओं और औद्योगिक घरानों से मिलने के लिए दो दिवसीय दौरे पर यहां हैं। दुनिया के दूसरे सबसे बड़े गेहूं उत्पादक देश, भारत ने बढ़ती घरेलू कीमतों को नियंत्रित करने के उपायों के तहत मई 2022 में गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया था। कृषि मंत्रालय के दूसरे अनुमान के अनुसार फसल वर्ष 2023-24 (जुलाई-जून) में 11 करोड़ 21.8 लाख टन गेहूं के रिकार्ड उत्पादन की उम्मीद है।

ईसाइयों पर हमलों के सुप्रीम कोर्ट में पेश आंकड़ों को गलत बताया केंद्र ने

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली 13 अप्रैल।

उच्चतम न्यायालय में सुनवाई के दौरान वार को केंद्र सरकार ने ईसाई संस्थानों और पादरियों पर कथित हमलों से जुड़े आंकड़ों को 'गलत' बताते हुए दावा किया कि आवेदक विदेशों में देश की छवि खराब करने के लक्ष्य से 'मामले को तूल देते रहना चाहते हैं।'

शीर्ष अदालत नेशनल सालिडेरिटी फोरम के रेवरंड पीटर मकाडो, इवानजेलिकल फेलोशिप आफ इंडिया के रेवरेड विजयेश लाल और अन्य लोगों द्वारा ईसाई समुदाय के खिलाफ हिंसा का दावा करते हुए दायर जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी। प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति धनंजय

वाई. चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला की पीठ को याचिकाकर्ताओं ने पहले बताया था कि 2021 से मई 2022 के बीच ईसाई समुदाय के सदस्यों के खिलाफ हिंसा की 700 घटनाओं में मामला दर्ज हुआ है और गिरफ्तार किए गए ज्यादातर लोग एक पंथ के अनुयायी हैं। केंद्र सरकार की ओर से पेश हुए सालिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बिहार और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों से प्राप्त ऐसी घटनाओं के आंकड़ों का संदर्भ देते हुए कहा कि इनमें से ज्यादातर पड़ोसियों के साथ हुए झगड़े हैं और यह सिर्फ संयोग है कि दोनों पक्षों में से एक ईसाई है। उन्होंने कहा कि पीठ ने जनहित याचिका दायर करने वाले द्वारा मुहैया कराए गए आंकड़ों के आधार पर मामले में संज्ञान लिया है, जो (आंकड़े) गलत हैं। मेहता ने कहा कि याचिका दायर करने वाले का दावा है कि करीब 500 घटनाएं ऐसी हैं जिनमें ईसाइयों पर हमला हुआ है। हमने सारी जानकारी राज्य सरकारों को भेज दी है। हमने जितनी जानकारी मिल सकती थी, जुटाई है। पहले हमें बिहार पर बात करने दें। याचिकाकर्ता ने जो मामलों की कुल संख्या बताई है वह पड़ोसियों के बीच के झगड़ों की है, जिनमें (पड़ोसियों में) से एक संयोगवश ईसाई है। उन्होंने कहा कि उनके द्वारा उपलब्ध कराए गए जिस आंकड़े ने आपकों संज्ञान लेने पर बाध्य किया, वह सही नहीं है।

धर्मांतरित दलितों के आरक्षण की वैधता को परखेगा सुप्रीम कोर्ट

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली 13 अप्रैल।

दलित ईसाइयों और मुसलमानों को आरक्षण देने के लिए अनुसूचित जाति वर्ग में शामिल करने के मुद्दे पर तीन सदस्यीय आयोग की रिपोर्ट का इंतजार करने की केंद्र की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को खारिज कर दिया। पीठ ने कहा कि अदालत देखेगी कि मिश्रा आयोग के रिपोर्ट के निष्कर्षों या अनुभवजन्य आंकड़ों से क्या कुछ हो सकता है। न्यायमूर्ति अमानुल्लाह ने कहा कि सरकार बहुत सामान्य बयान दे रही है और उसे रंगनाथ मिश्रा आयोग की रिपोर्ट पर एक बार फिर से गौर करना चाहिए।

केंद्र की तीन सदस्यीय आयोग की रिपोर्ट का इंतजार करने की दलील को खारिज करते हुए पीठ

> *न्यायमूर्ति* अमानुल्लाह ने कहा कि सरकार बहुत सामान्य बयान दे रही है और उसे रंगनाथ मिश्रा आयोग की रिपोर्ट पर एक बार फिर से गौर करना चाहिए।

ने कहा कि वह इस मामले की सुनवाई करेगी। केंद्र ने पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट के पूर्व प्रधान न्यायाधीश केजी बालकृष्णन के नेतृत्व में एक पैनल नियुक्त किया था। जो यह जांचने के लिए था कि क्या अनुसूचित जाति का दर्जा उन लोगों को दिया जा सकता है, जिन्होंने ऐतिहासिक रूप से समुदाय विशेष से संबंधित होने का दावा किया था, लेकिन अन्य धर्मों में परिवर्तित हो गए। न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्रा आयोग के निष्कर्षों को खारिज करने के बाद इस मामले में दूसरा पैनल स्थापित किया गया।

न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्रा आयोग ने अपनी रिपोर्ट में हिंदू धर्म से इस्लाम या ईसाई धर्म अपनाने वाले दलितों को अनूसूचित जाति/जनजाति का दर्जा दिए जाने की सिफारिश की थी।

अदालत में सरकार का पक्ष रख रहे एएसजी केएम नटराजन ने कहा कि रंगनाथ मिश्रा आयोग की रिपोर्ट बिना किसी फील्ड और कंसल्टेशन के तैयार की गई थी। इस पर न्यायमूर्ति संजय किशन कौल, न्यायमूर्ति अहसानुद्दीन अमानुल्लाह और न्यायमूर्ति अरविंद कुमार की पीठ ने कहा कि रिपोर्ट 'लापरवाही' नहीं थी। केंद्र ने पहले अदालत से कहा था कि ईसाई और इस्लाम धर्म अपनाने वाले दलितों को अनुसूचित जाति का दर्जा नहीं दिया जा सकता क्योंकि उन धार्मिक समुदायों में कोई पिछड़ापन या उत्पीड़न नहीं है।

अधिसूचना जारी होने के साथ ही

कर्नाटक विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया औपचारिक तौर पर शुरू

बंगलुरु, 13 अप्रैल (भाषा)।

कर्नाटक में 10 मई को होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर गुरुवार को अधिसूचना जारी होने के साथ ही चुनावी प्रक्रिया की औपचारिक रूप से शुरुआत हो गई। निर्वाचन आयोग (ईसी) के कार्यक्रम के अनुसार, नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 20 अप्रैल है। नामांकन पत्रों की जांच 21 अप्रैल को होगी और नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि 24 अप्रैल है।

राज्य के कुल 224 निर्वाचन क्षेत्रों में से 36 सीटें अनुसूचित जाति और 15 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित की गई हैं। वोटों की गिनती 13 मई को होगी। राज्य में 5.24 करोड़ मतदाता हैं और वे 58,282 मतदान केंद्रों पर मतदान कर सकेंगे। कर्नाटक में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा), कांग्रेस और जनता दल (सेक्युलर) के बीच त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिलेगा।

भाजपा ने 212 निर्वाचन क्षेत्रों में उम्मीदवारों की घोषणा की जबकि कांग्रेस ने 165 और जद (एस) ने 93 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा की है। कांग्रेस ने कहा कि वह मेलुकोट क्षेत्र में कर्नाटक सर्वोदय पार्टी के दर्शन पुत्तनैया का समर्थन करेगी। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई शिगांव से फिर से चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया (कांग्रेस) और जद (एस) के एचडी कुमारस्वामी क्रमशः वरुणा और चन्नापटना से चुनाव लड़ रहे हैं।

नए उपकरण पर वाट्सऐप का इस्तेमाल करने के लिए पुराने फोन पर करना होगा सत्यापन

नई दिल्ली, 13 अप्रैल (भाषा)।

सोशल मीडिया मंच वाट्सऐप के उपयोगकर्ताओं को नए उपकरण पर ऐप का इस्तेमाल करने के लिए पुराने उपकरण पर अपना सत्यापन कराना पड़ सकता है। कंपनी ने गुरुवार को यह जानकारी दी।

कंपनी इसके अलावा दो नए 'फीचर' भी लाएगी, जिसमें उपकरण सत्यापन शामिल है। यह उपयोगकर्ता की जानकारी या अनुमति के बिना संदेश भेजने वाले मालवेयर के हमले को रोकने में मदद करेगा।

वाट्सऐप ने एक बयान में कहा कि अगर आप अपने वाट्सऐप खाते को एक नए उपकरण पर खोल रहे हैं, तो हम दोबारा जांचना चाहेंगे कि यह वास्तव में आप ही हैं। अब से, हम आपसे आपके पुराने उपकरण पर इस बात को सत्यापित करने के लिए कह सकते हैं। आप चाहें तो अतिरिक्त सुरक्षा के रूप में यह कदम उठा सकते हैं।

शराब की खपत घटने के संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार से किया सवाल

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली 13 अप्रैल।

सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार से सवाल किया कि राज्य में मद्यनिषेध कानून लागू किए जाने से पहले क्या उसने कोई अध्ययन किया था या इसके बाद शराब की खपत घट जाने का उसके पास कोई आंकड़ा है।

न्यायमूर्ति केएम जोसेफ, न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी और न्यायमूर्ति बीवी नागरत्न की पीठ ने कहा कि हालांकि वह इस कानून को लेकर राज्य सरकार की मंशा पर सवाल नहीं उठा रही है, लेकिन अदालत इस बारे में चिंतित है कि उसके पास काफी संख्या में जमानत के लिए अर्जियां आ रही हैं। जिसका एक बड़ा हिस्सा मद्यनिषेध कानून से संबद्ध है। बिहार के मधुबनी जिला निवासी अनिल कुमार को अग्रिम जमानत देते हुए राज्य सरकार से पीठ ने यह सवाल किया। कुमार के वाहन से 2015 में कथित तौर पर 25 लीटर से अधिक शराब बरामद की गई थी। शीर्ष न्यायालय ने राज्य सरकार के वकील की आरोपी अनिल कुमार की अग्रिम जमानत अर्जी के खिलाफ दलील खारिज कर दी। पीठ ने राज्य सरकार के वकील से सवाल किया-क्या आप जानते हैं कि कितनी संख्या में बिहार से जमानत अर्जियां इस अदालत में आ रही हैं? इन जमानत अर्जियों का एक बड़ा हिस्सा राज्य के मद्यनिषेध अधिनियम से संबद्ध है।

अधिसूचना हर संस्थान छात्रों की शिकायतों पर विचार करने के लिए उतनी संख्या में शिकायत निवारण समितियों का गठन करेगा

छात्रों की शिकायतों के निपटारे के लिए नया तंत्र

नई दिल्ली, 13 अप्रैल (भाषा)।

यूजीसी ने छात्रों की शिकायतों के सरल एवं प्रभावी निपटारे के लिए एक तंत्र स्थापित करने के प्रावधान वाले विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (छात्रों की शिकायतों का निवारण) विनियम 2023 की अधिसूचना जारी की है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के सचिव मनीष जोशी ने सभी विश्वविद्यालय के कुलपतियों एवं कालेजों के प्राचार्यों को 12 अप्रैल को इस विषय पर पत्र लिखा। पत्र के साथ विनियम की अधिसूचना को भी संलग्न किया गया है। पत्र में जोशी ने कहा कि छात्रों की शिकायतों के सरल एवं प्रभावी निपटारे के लिए एक प्रभावी तंत्र स्थापित करने के उद्देश्य से यूजीसी ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (छात्रों की शिकायतों का निवारण) विनियम 2023 पेश किया है।

नए विनियम में सभी उच्च शिक्षण संस्थानों को छात्र शिकायत निपटरा समिति (एसजीआरसी) स्थापित करने व विश्वविद्यालय स्तर पर लोकपाल नियुक्त करने का प्रावधान किया गया है। इसमें कहा गया है कि उच्च शिक्षण संस्थानों से आग्रह किया जाता है कि वे विनियम के प्रावधानों का पालन करें और छात्र शिकायत निपटारा समिति (एसजीआरसी) का गठन करें जो अधिसूचना जारी करने की तिथि से 30 दिनों के भीतर हो तो बेहतर होगा।

इसमें कहा गया है कि प्रत्येक संस्थान अपने पाठ्यक्रम या अध्ययन के किसी भी कार्यक्रम में प्रवेश आरंभ करने की तिथि से कम से कम साठ दिन की समाप्ति के पूर्व अपनी वेबसाइट पर एक विवरणिका प्रकाशित करेगा या अपलोड करेगा। इसमें (विवरणिका) संस्थान में प्रवेश लेने के इच्छुक अभ्यर्थियों और आम जनता की जानकारी के लिए सूचनाएं उपलब्ध हों। इसमें प्रत्येक पाठ्यक्रम के शिक्षण के घंटों, व्यावसायिक सत्रों और अन्य कार्य के साथ-साथ अध्ययन के कार्यक्रमों की सूची आदि हो।

इसमें कार्यक्रम के लिए अनुमोदित सीटों की संख्या, न्यूनतम व अधिकतम आयु, शैक्षणिक योग्यता, आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के चयन की प्रक्रिया, परीक्षा का विवरण, शुल्क या जमा राशि की सूचना होनी चाहिए।

इसके साथ संस्थान के भौतिक व शैक्षणिक बुनियादी ढांचे, छात्रावास एवं इसके शुल्क, पुस्तकालय, चिकित्सालय, छात्रों के व्यवहासिक प्रशिक्षण सुविधा, अनुशासन बनाए रहने के निर्देश आदि का ब्योरा भी होना चाहिए।

अधिसूचना के अनुसार, इसमें छात्र शिकायत निपटारा समितियां गठित करने की बात कही गई है। इसमें कहा गया है कि संस्थान से संबंधित किसी पीड़ित छात्र की शिकायत छात्र शिकायत निपटारा समिति के अध्यक्ष को संबोधित की जाएगी। प्रत्येक संस्थान छात्रों की शिकायतों पर विचार करने के लिए उतनी संख्या में शिकायत निवारण समितियों का गठन करेगा जितनी की जरूरत होगी। इसका अध्यक्ष एक प्रोफेसर व चार प्रोफेसर या वरिष्ठ संकाय सदस्य होंगे।

कोकिंग कोयले का उत्पादन 17 फीसद बढ़ाया कोल इंडिया ने

नई दिल्ली, 13 अप्रैल (भाषा)।

दुनिया की सबसे बड़ी कोयला खनन कंपनी कोल इंडिया लिमिटेड (सीआइएल) ने गुरुवार को कोकिंग कोयले के उत्पादन में 17.2 फीसद की वृद्धि दर्ज की।

इससे लोहा और इस्पात के उत्पादन के लिए जरूरी ईंधन के आयात को कम करने में मदद मिलेगी। कोल इंडिया ने बयान में कहा कि कोकिंग कोयले का उत्पादन 2022-23 में सालाना आधार पर 17.2 फीसद वृद्धि के साथ 5.46 करोड़ टन हो गया, जो पिछले वित्त वर्ष में 4.66 करोड़ टन रहा था। बयान के अनुसार, साल में सबसे बड़ी छलांग 80 लाख टन की थी। कंपनी ने कहा कि उत्पादन लक्ष्य का 107.3 फीसद था।

www.readwhere.com

PUBLIC NOTICE

Notice is hereby given that the share certificates No(s) 656500, 715255 for 1000 shares bearing distinctive No(s) 267929951-267930450, 537290 901 - 537291400 standing in the name(s) of GURBAX SINGH SEHGAL in the book of M/s BAJAJ FINANCE LIMITED, has/have been lost/misplaced/destroyed and the advertiser has/have applied to the company for issue of duplicate share certificate(s) in lieu thereof. Any person(s) who has/have claim(s) on the said shares should lodge such claim with the company at its registered office 4th Floor, Bajaj Finserv Corporate Office, Off Pune-Ahmednagar Road, Viman Nagar, Pune-411 014 within 15 days from the date of this notice failing which the company will proceed to issue duplicate share certificate(s) in respect of the said shares.

Name(s) of the Claimant(s) :
Satish Chander Sehgal
Suresh Chander Sehgal

Date : 14.04.2023
Place : Delhi

"IMPORTANT"
Whilst care is taken prior to acceptance of advertising copy, it is not possible to verify its contents. The Indian Express (P) Limited cannot be held responsible for such contents, nor for any loss or damage incurred as a result of transactions with companies, associations or individuals advertising in its newspapers or Publications. We therefore recommend that readers make necessary inquiries before sending any monies or entering into any agreements with advertisers or otherwise acting on an advertisement in any manner whatsoever.

इंडियन बैंक Indian Bank
इलाहाबाद ALLAHABAD

शाखाः- मेरठ विश्वविद्यालय, मेरठ

कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति के लिए)

जबकि, अधोहस्ताक्षरी, प्राधिकृत अधिकारी, इंडियन बैंक (पूर्ववर्ती इलाहाबाद बैंक) वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (2002 का 54 के अधीन और धारा 13(12) तथा सपठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 3 के अधीन प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में उधारकर्ता/जमानतकर्ता का विवरण नीचे दिये गये कोलम में सूचना में उल्लिखित रकम को कथित सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर पुनसंदत्त करने के लिए बुलाते हुए एक मांग देय सूचना निम्नलिखित दिनांक को जारी किया ।

उधारकर्ता/ जमानतकर्ता द्वारा राशि का पुनर्भुगतान करने में असफल रहने पर, प्रतिभूत हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 की धारा 8 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (4) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा उधारकर्ता और आम लोगों को यह नोटिस दिया जा रहा है कि अधोहस्ताक्षरी ने नीचे उल्लेख की गई सम्पत्ति पर दिनांक से सांकेतीक कब्जा कर लिया है ।

ऋणी को विशेष रूप से और लोक को सामान्य रूप से एतद्द्वारा सम्पत्ति से संव्यवहार न करने के लिए सावधान किया जाता है और सम्पत्ति का कोई संव्यवहार **इंडियन बैंक** के प्रभार के अधीन होगा । उधारकर्ता / गारंटीकर्ता का ध्यान प्रतिभूत आस्तियों के मोचन के लिए उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) के उपबंधों की ओर आकृष्ट किया जाता है।

ऋणी / गारंटर का नाम व पता	बंधक सम्पत्ति का विवरण	मांग नोटिस की तिथि	बकाया राशि
1. श्रीमती अन्नू सिंह पत्नी श्री बलबीर सिंह निवासी 407/2, शास्त्री नगर, मेरठ –250004. 2. श्री बलबीर सिंह पुत्र श्री भवर सिंह निवासी 407 सेक्टर 2, शास्त्री नगर, मेरठ –250004. 3. श्रीमती लता शर्मा पत्नी श्री अशकीन शर्मा निवासी मकान नंबर 169/4, शास्त्री नगर, सेक्टर 4, मेरठ– 250004	ईडब्ल्यूएस मकान नं. 407/2, (क्षेत्रफल 24.56 वर्ग मीटर) स्थित सेक्टर 2, योजना संख्या 07, शास्त्री नगर, मेरठ और सीमायें:– पूर्व 5.55 मीटर/मकान संख्या 408/2, पश्चिमः 5.55 मीटर/मकान संख्या 406/2, उत्तरः 4.425 मीटर/ संपत्ति संख्या 310/2, दक्षिणः 4.425 मीटर / खुला क्षेत्र मालिक/शीर्षक धारकः श्रीमती अन्नू पत्नी श्री बलबीर सिंह	08.12.2022 कब्जा नोटिस की तारीख 13.04.2023	रू 2,41,411.00 + ब्याज + अन्य खर्चे

दिनांक– 13.04.2023 स्थान –मेरठ प्राधिकृत अधिकारी

पहचान की अपील

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि एक अज्ञात व्यक्ति जिसका **नामः** नामालूम **पुत्र** नामालूम **निवासी** नामालूम, **उम्र** : लगभग 35 साल, **कद** : 5'4", **रंग** : सांवला, **चेहरा** : अण्डाकार, **शरीर** : सामान्य, **कपड़े** : क्रीम रंग की शर्ट और नीले रंग का लोवर पहने हुए है, जो दिनांक 06.04.2023 को सदर लायन्स आई हॉस्पिटल के सामने फुटपाथ पर, ए–ब्लॉक, जहांगीर पुरी, दिल्ली में मृत अवस्था में पाया गया है। इस संदर्भ में डीडी सं. 8ए दिनांक 06.04.2023 थाना महेन्द्र पार्क, दिल्ली में दर्ज है।

यदि किसी भी व्यक्ति को इस मृत व्यक्ति के बारे में कोई जानकारी या सुराग मिले तो निम्नलिखित को सूचित करने की कृपा करें–

थानाध्यक्ष :
थाना महेन्द्र पार्क, दिल्ली
उत्तर पश्चिमी जिला, दिल्ली

DP/3972/NW/2023 दूरभाष सं. 011-27632501, 7428139095

फॉर्म ए

सार्वजनिक सूचना
(भारतीय दिवाला एवं शोधन अक्षमता बोर्ड के विनियम 6 के अंतर्गत)
(कॉर्पोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) विनियम, 2016)

डी.डी. इंडस्ट्रीज लि. (डीडी मोटर्स के नाम से जाना जाने वाला डिवीजन)के लेनदारों के ध्यानार्थ

प्रासंगिक विवरण

1.	कॉर्पोरेट देनदार का नाम	डी.डी. इंडस्ट्रीज लि. (डीडी मोटर्स के नाम से जाना जाने वाला डिवीजन)
2.	कॉर्पोरेट के निगमन की तिथि	30 मार्च 1974
3.	प्राधिकरण जिसके तहत कॉर्पोरेट देनदार निगमित/पंजीकृत है	कंपनी रजिस्ट्रार, नई दिल्ली
4.	कॉर्पोरेट पहचान संख्या / कॉर्पोरेट देनदार की सीमित देयता पहचान संख्या	U74899DL1974PLC007169
5.	कॉर्पोरेट देनदारों के पंजीकृत कार्यालय और प्रधान कार्यालय (यदि कोई हो) का पता	बी–84, मायापुरी इंडस्ट्रियल एरिया फेज–1, नई दिल्ली–110064
6.	कॉरपोरेट देनदार के संबंध में दिवाला प्रारंभ होने की तिथि	12 अप्रैल 2023
7.	दिवाला समाधान प्रक्रिया के बंद होने की अनुमानित तिथि	9 अक्टूबर 2023 (समाधान प्रक्रिया शुरू होने की तारीख से 180वां दिन)
8.	अंतरिम समाधान पेशेवर के रूप में कार्य करने वाले दिवाला पेशेवर का नाम और पंजीकरण संख्या	मनोज कुमार आनंद पंजी सं.: IBBI/IPA-001/IP-P00084/2017-2018/10180
9.	अंतरिम समाधान पेशेवर के साथ पत्राचार के लिए उपयोग किया जाने वाला पता और ई–मेल	पंजीकृत पताः 2, सामुदायिक केंद्र, तीसरी मंजिल, (पीवीआर/मैकडॉनल्ड के पास), नारायणा ,नई दिल्ली–110028 ईमेल– anandmanoja@gmail.com
10.	अंतरिम समाधान पेशेवर के साथ पत्राचार के लिए उपयोग किया जाने वाला पता और ई–मेल	2, सामुदायिक केंद्र, तीसरी मंजिल, (पीवीआर/मैकडॉनल्ड के पास), नारायणा ,नई दिल्ली–110028 ईमेल– ddindustriescirp@gmail.com
11.	दावे प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि	28 अप्रैल, 2023
12.	अंतरिम समाधान पेशेवर द्वारा सुनिश्चित धारा 21 की उप–धारा (6ए) के खंड (बी) के तहत लेनदारों के वर्ग, यदि कोई हो,	वर्गों का नामः लागू नहीं
13.	ऋणशोधन अक्षमता पेशेवरों के नाम जिन्हें एक वर्ग में ऋणदाताओं के अधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने के लिए चिह्नित किया गया है।(प्रत्येक वर्ग के लिए तीन नाम)	लागू नहीं
14.	(क) प्रासंगिक प्रपत्र और (ख)अधिकृत प्रतिनिधियों का विवरण यहां उपलब्ध है	क) वेब लिंकः https://ibbi.gov.in/downloadform.html (ख) लागू नहीं

एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि राष्ट्रीय कंपनी कानून ट्रिब्यूनल, नई दिल्ली, बेंच–VI, नई दिल्ली ने बुधवार, 12 अप्रैल, 2023 को कंपनी याचिका संख्या आईबी –663/पीबी /2022 के विरुद्ध आदेश के अनुसार मैसर्स डी.डी. इंडस्ट्रीज लि.(डीडी मोटर्स के नाम से जाना जाने वाला डिवीजन) की कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दिया है।

1. मैसर्स डी.डी. इंडस्ट्रीज लि.(डीडी मोटर्स के नाम से जाना जाने वाला डिवीजन) के लेनदारों को सबूत के साथ अपने दावे प्रस्तुत करने के लिए शुक्रवार, 28 अप्रैल, 2023 को या उससे पहले प्रविष्टि संख्या 10 के सामने उल्लिखित पते पर अंतरिम समाधान पेशेवर को कहा जाता है।
2. वित्तीय लेनदारों को अपने दावों को केवल इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से प्रमाण के साथ प्रस्तुत करना होगा। अन्य सभी लेनदार कॉलम 14 में उल्लिखित वेब लिंक से डाउनलोड किए जाने वाले प्रासंगिक प्रपत्रों में व्यक्तिगत रूप से, डाक द्वारा या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से प्रमाण के साथ दावे प्रस्तुत कर सकते हैं।
3. दावे के झूठे या भ्रामक प्रमाण प्रस्तुत करने पर दंड लगाया जाएगा।

हस्ता /–
मनोज कुमार आनंद
मैसर्स डी.डी. इंडस्ट्रीज लि
(डीडी मोटर्स के नाम से जाना जाने वाला डिवीजन) के अंतरिम समाधान पेशेवर
पंजीकरण संख्याः IBBI/IPA-001/IP-P00084/2017-2018/10180

दिनांकः 14.04.2023.
स्थान : नई दिल्ली

indianexpress.com
The Indian EXPRESS — JOURNALISM OF COURAGE —
I look at every side before taking a side.
Inform your opinion with insightful observations.
The Indian Express. For the Indian Intelligent.

SALE NOTICE

(For Sale of Assets through e-auction mode in accordance with the provision of the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 and rules & regulations made thereunder)

In the matter of:
AMITECH TEXTILES LIMITED – IN LIQUIDATION

[THE CORPORATE DEBTOR HAVING ITS REGISTERED OFFICE AT ARAZI NO. 153, AMITECH INDUSTRIES COMPLEX, VILLAGE KHANCHANDRAPUR, TEHSIL AKBARPUR, POST RANIA, KANPUR DEHAT, UTTAR PRADESH-209304UNDER GOING LIQUIDATION PROCESS VIDE ORDER DATED 16-03-2022 PASSED BY THE HON'BLE NATIONAL COMPANY LAW TRIBUNAL, ALLAHABAD BENCHAT ALLAHABAD IN ACCORDANCE WITH THE PROVISIONS OF THE INSOLVENCY AND BANKRUPCTY CODE, 2016]

NAME OF LIQUIDATOR: CS SHRAVAN KUMAR VISHNOI

Date of e-auction: 12th May, 2023
Timing: 12:00 PM to 03:00 PM (*with unlimited extension of 5 minutes each*)

Contact Person : Mr. Shravan Kumar Vishnoi @ +91-9839443555

Notice is hereby given to the public in general that the subject matter detailed as below, forming part of the Liquidation Estate in the matter of M/s Amitech Textiles Limited – In Liquidation, which is prepared by the Liquidator, appointed vide order dated 16-03-2022, passed by the Hon'ble NCLT, Allahabad Bench at Allahabad and will be sold on "AS IS IT IS" "AS IS WHERE IS" "AS IS WHAT IS" and "WITHOUT RECOURSE BASIS" through e-auction in accordance with the provisions of the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 and related rules & regulations made thereunder.

Block	Subject Matter of Sale	Reserve Price (In Rs.)	Earnest Money Deposit (In Rs.)
A	The Liquidator in consultation with the stakeholders has decided for sale of the corporate debtor as going concern i.e. the corporate identity of the corporate debtor will continue to exist. The following transaction will take place to the effect. a. Acquisition of the business of the corporate debtor as going concern. b. Acquisition of all immovable /movable / tangible/intangible assets of the corporate debtor. c. Acquisition of all investments made by the corporate debtor. **Description of Assets:** a. Factory Land and Building situated at Vill: Khanchandpur, Tehsil: Akbarpur, District: Kanpur Dehat :	Rs. 11,25,11,317/-	Rs. 1,12,51,132/-

Sale Deed	Gata No.	Area (in Hectare)
8084/ 02.11.2012	237, 152, 157, 159kha, 160, 161, 162, 163 & 164ka	1.491
6028/ 25.09.2012	155min, 156min,	0.60922
	155ga, 158, 85/418, 183ga, 138chha	
6865/ 06.11.2012	153, 159min	0.378
7187/ 26.11.2012	183ga, 155ga, 158, 85/418, 164ga	0.313
		2.79122

b. Plant and Machinery of Textile Unit

The eligible participants/interested parties may express/submit their interest and participate in e-auction process for sale of the assetsin the manner & subject to terms & conditions detailed below:

Important Terms and Condition of the E-Auction:

1. E-Auction will be conducted on "AS IS IT IS" "AS IS WHERE IS", "AS IS WHAT IS" "WHATEVER IS THERE IS" and "WITHOUT RECOURSE BASIS" through approved service provider Linkstar Infosys Private Limited.
2. This Sale Notice shall be read in conjunction with the complete E-Auction Process Document containing details of the assets, online e-auction bid form, declaration and undertaking forms, general terms and conditions of the e-auction Sale, which can be downloaded from www.eauctions.co.in or may be obtained by sending an e-mail to liquidatoramitech@gmail.com
3. The intending bidders, subject to Point No.3 and 4 of important terms and conditions of this sale notice, should submit EoI documents to the office of the Liquidator on or before 29th April 2023 either electronically via e-mail at liquidatoramitech@gmail.com or physically at the address given below:

Address for Communication:
BCC Tower, 1008,10th Floor, Arjun Ganj, Near Shaheed Path, Lucknow, Uttar Pradesh ,226002

4. The Name of the Eligible Bidders will be identified by the Liquidator to participate in E-Auction on or before 1st May, 2023. The E-Auction Service Provider will provide User ID and Password through E-mail to all the Eligible Bidders.
5. The eligible participants may inspect/visit the properties/assets, at their own expenses, from date 1st May, 2023 to 8th May, 2023, after taking a prior approval/appointment from the office of the Liquidator.
6. The intending bidders are required to deposit Earnest Money Deposit (EMD) amount, on or before 10th May, 2023, either by deposit of amount through Cheque/or NEFT/ or RTGS, in the bank account as detailed hereunder; or through DD drawn on any Scheduled Bank in the name of AMITECH TEXTILES TLIMITED- IN LIQUIDATION.

Bank Name and Branch: Bank of India, Kanpur SSI Branch
Name of Account: AMITECH TEXTILES LIMITED IN LIQUIDATION.
Account Number: 695920110000651 IFSC Code: BKID0006959

7. The intending bidders, prior to submitting their bid, shall make their independent inquiries and satisfy themselves in every possible manner; and thereafter the Liquidator cannot be held liable to bear/reimburse any expense, loss or damage incurred, if any, in any manner, to the intending/ prospective bidders in the process.
8. The Liquidator has absolute right to accept or reject any or all bids or adjourn/postpone/cancel the E-Auction or withdraw any property or portion thereof from the E-Auction at any stage without assigning any reason thereof.
9. The Bidder/s hereby agrees, jointly and/or severally, to indemnify and save the Liquidator, harmless from and against any claims, demands, actions, causes of action, damage, loss, deficiency, cost, liability and expense which may be made or brought against the Liquidator or which the Liquidator may suffer or incur as a result of, in respect of or arising out of any non-performance or non - fulfilment of any covenant or agreement on the part of the Vendors contained in this Agreement or any misrepresentation, inaccuracy, incorrectness or breach of any representation or warranty made by the Bidder/s.
10. The Sale shall be subject to the provisions of the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 and Regulations made thereunder.

SD/-
(CS Shravan Kumar Vishnoi)
Liquidator in the matter of Amitech Textiles Limited
Reg. No.: IBBI/IPA-002/IP-N00040/2016-2017/10079
AFA No: AA2/10079/02/221123/202367
Address: BCC Tower, 1008, 10thFloor, Arjun Ganj, Near Shaheed Path, Lucknow, Uttar Pradesh,226002
Email ID: shravan.vishnoi@yahoo.com, liquidatoramitech@gmail.com

Place: Lucknow
Date: 14-04-2023

"IMPORTANT"
Whilst care is taken prior to acceptance of advertising copy, it is not possible to verify its contents. The Indian Express (P) Limited cannot be held responsible for such contents, nor for any loss or damage incurred as a result of transactions with companies, associations or individuals advertising in its newspapers or Publications. We therefore recommend that readers make necessary inquiries before sending any monies or entering into any agreements with advertisers or otherwise acting on an advertisement in any manner whatsoever.

कार्यालय नगर पालिक निगम, खण्डवा (म.प्र.) 450001

(स्वच्छता एवं ठोस अपशिष्ट प्रबंधन विभाग)

कमांक- 268/ स्वा.वि./ ई-टेण्डरिंग/2023/24 खण्डवा, दिनांक-13/04/2023

-:: निविदा विज्ञप्ति ::-

निम्नलिखित कार्य हेतु निविदा ऑनलाईन आमंत्रित की जाती है, उल्लेखित कार्य की निविदा का विस्तृत वेबसाईट http://www.mptenders.gov.in पर देखा जा सकता है।

क्र.	ऑन लाईन पोर्टल	कार्य का नाम	अनुमानित लागत (लाख में)	धरोहर राशि	निविदा प्रपत्र की राशि	कार्य पूर्ण करने की अवधि
1	2	3	4	5	6	7
1	2023_UAD_267456_1	Selection of Contractor for The Work of "Legacy Waste Dumpsite Remediation through Bioremediation, Biomining and disposal of Residual waste" in Nagar Nigam Khandwa.	698.49 Lacs	3,49,247/-	20,000/-	240 दिन

निविदा ऑनलाईन क्रय एवं प्रस्तुत करने की अंतिम दिनांक :- 15/05/2023 (शाम 5:30 बजे तक)
निविदा खोलने की दिनांक :- 17/05/2023 (प्रातः 10:30 बजे)

निविदा संबंधी समस्त जानकारी वेबसाईट http://www.mptenders.gov.in पर देखी जा सकती है। निविदा में यदि किसी भी प्रकार का संशोधन किया जाता है तो वह वेबसाइट पर देखा जा सकता हैं।

आयुक्त
नगर पालिक निगम, खण्डवा

TOSHA INTERNATIONAL LIMITED

CIN:L32101DL1988PLC119284;
Regd. Office : E-34 Second Floor, Connaught Circus, New Delhi 110001;
Tel No. : +91 9266673204/05/06, +91-11-42670495; **Email** : toshainternational@yahoo.com;
Website : www.toshainternational.com;

NOTICE

Notice is hereby given to all the public shareholders of Tosha International Limited ("**Company**") that the Company has initiated the process of voluntary delisting of its equity shares from the Calcutta Stock Exchange Limited i.e., the only Stock Exchange where the equity shares of the Company are listed. The delisting proposal has been approved by the shareholders through postal ballot and remote e-voting results of which were declared on 15.07.2022. The Promoter Acquirer has given a Delisting Offer at the Floor Price of Rs. 3/- (Rupees Three Only) for each fully paid-up equity share and Rs. 1.50 (Rupee One and Fifty Paise Only) for each partly paid-up equity share for providing an exit opportunity to all the public shareholders. Thus, the public shareholders of the Company are hereby requested to kindly update their address, contact details and email IDs with the Company/ Skyline Financial Services Private Limited ("**Registrar**" of the Company) within thirty days from the date of this notice, i.e., latest by 13.05.2023 to facilitate them to take steps for effective participation of public shareholders in the Delisting Offer.

We would also like to bring to the notice of the public shareholders that the Securities and Exchange Board of India vide its circular no. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/144 dated July 31, 2020 has clarified that shareholders holding equity shares in physical form are now also allowed to tender their equity shares in the Delisting Offer. Otherwise, public shareholders holding their shares in physical mode will not be able to transfer them unless they get their shares dematerialized.

Shareholders are also requested to kindly refer to SEBI Circular SEBI/HO/MIRSD/MIRSD-PoD-1/P/CIR/2023/37 dated March 16, 2023 towards the common and simplified norms for processing investor's service request by RTAs and norms for furnishing PAN, KYC details and Nomination.

The shareholders can contact the below mentioned personnel for their queries:

Tosha International Limited	Skyline Financial Services Private Limited
Akshat (Company Secretary & Compliance Officer)	(Mr. Anuj Kumar)
Tel No.: +91 9266673204/05/06, +91-11-42670495	Tel No.: 011-26812682-83, 40450193 to 97
Email Id: toshainternational@yahoo.com;	Email id : ipo@skylinert.com;

For **Tosha International Limited**
Sd/-
Akshat
Company Secretary
Mem No.: A45376

Place: New Delhi
Date: 13.04.2023

सुप्रीम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

कब्जा–नोटिस
[(परिशिष्ट IV) नियम 8(1)]

जबकि, अधोहस्ताक्षरी, वित्तीय संपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित अधिनियम, 2002 (2002 का 54) (इसके बाद "सरफेसी अधिनियम, 2002" के रूप में संदर्भित) के तहत मैसर्स सुप्रीम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम के तहत एक हाउसिंग फाइनेंस बैंक कंपनी, वर्तमान में यह दूसरी मंजिल, 13/29, ब्लॉक–ई, हर्ष भवन, मध्य सर्कल, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली –110001 में पंजीकृत है, (इसके बाद "एसएचएफएल" के रूप में संदर्भित))के अधिकृत अधिकारी होने के नाते और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए नोटिस में उल्लिखित राशि को चुकाने के लिए निम्नलिखित (उधारकर्ताओं) और (सह उधारकर्ताओं) को उक्त नोटिस की प्राप्ति की तारीख से 60 दिनों के भीतर चुकाने के लिए कहा गया है। ऋणीध गारंटरों ने राशि चुकाने में विफल रहे हैं, ऋणकर्ता और आम जनता को एतद्वारा नोटिस दिया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियम 2002 के नियम 8 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (4) के तहत उसे प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे वर्णित संपत्ति पर निम्नलिखित तारीखों के अनुसार कब्जा ले लिया है।

विशेष रूप से ऋणीध गारंटरों और आम जनता को एतद्वारा आगाह किया जाता है कि उक्त संपत्तियों के साथ सौदा न करें और संपत्ति के साथ किसी भी तरह का लेन–देन "एसएचएफएल" को राशि ,उस पर ब्याज ,अन्य व्यय के प्रभार के अधीन होगा। प्रतिभूति संपत्तियों को भुनाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में अधिनियम की धारा 13 के उप–धारा (8) के प्रावधानों के तहत ऋणकर्ता का ध्यान आकर्षित किया जाता है।

उधारकर्ता/सह–उधारकर्ता का नाम और पताः 1. मेहराम गुर्जर पुत्र नंदा राम गुर्जर, रामनगर, नितूटी, अजमेर, रूपनगढ़, राजस्थान – 305814, फोन नं. 9521274345, यहां भीः – ग्राम पंचायत, पनेर, पंचायत, समिति, रूपनगढ़– 305814, 2. संतोष पत्नी मेहराम गुर्जर, गणु, रामनगर, नितूटी, अजमेर, राजस्थान 305814, फोन नं. 7568347153, 3.राजुराम पुत्र देवकरण, मकान नं. 411, उगुनी धानी, टायोड, ग्राम टायोड, तेह.– रूपनगढ़, जिला – अजमेर, राजस्थान – 305814, फोन नं. 8769287957
मांग नोटिसः 24–जनवरी–23
मांग नोटिस की राशिः रु.7,06,976/– (रुपये सात लाख छह हजार नौ सौ छिहत्तर मात्र)
संपत्ति का विवरणः ग्राम रामनगर, ग्राम पंचायत पनेर, जिला अजमेर, राजस्थान में स्थित आबादी भूमि का वह सभी टुकड़ा और अंश। पूर्व की ओर से 31 फीट, पश्चिम की ओर से 31 फीट, 86 फीट उत्तर की ओर से और दक्षिण की ओर से 86 फीट यानी कुल 296.22 वर्ग गज में, चौहद्दी इस प्रकार : पूर्वः श्री किशन पुत्र गंगाराम गुर्जर का मकान, पश्चिमः आम रास्ता , उत्तरः श्री राजू पुत्र हीरालाल जाट का मकान , दक्षिणः रामदेव पुत्र काना का मकान,
कब्जे की तिथिः 12 अप्रैल, 2023

उधारकर्ता/सह–उधारकर्ता का नाम और पताः 1. बाबू लाल कुमावत पुत्र किशन लाल कुमावत, बोदियों की ढाणी, खारदिया, नागौर, राजस्थान– 341509, फोन नं. 9983665032, यहां भीः– बी.एल.के.कांट्रेक्टर बोदियों की ढाणी, खारदिया, नागौर, राजस्थान– 341509, 2. मोहनी देवी पत्नी बाबू लाल कुमावत, बोदियों की ढाणी, खारदिया, नागौर, राजस्थान – 341509, फोन नं. 9828877135, 3. फत्तू राम पुत्र जीवन राम, 108, नागा की धानी, कसेडा, नागौर, राजस्थान – 341509., फोन नं. 9571423169
मांग नोटिस दिनांकः 21–दिसंबर–22
मांग नोटिस की राशिः रु. 16,48,404/– (रुपये सोलह लाख अड़तालीस हजार चार सौ चार मात्र)
संपत्ति का विवरणः 333.33 वर्ग गज मापक्षेत्र के भूखंड के सभी टुकड़े और अंश। खसरा सं. 393 के (हिस्से का हिस्सा,ग्राम खारदिया, तहसीलः नावा, जिला नागौर, राजस्थान।
कब्जे की तिथिः 11 अप्रैल, 2023

दिनांक : 14/04/2023, स्थान : राजस्थान प्राधिकृत अधिकारी–कृते सुप्रीम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

SUZLON
POWERING A GREENER TOMORROW

Suzlon Energy Limited

Registered Office: "Suzlon", 5, Shrimali Society, Near Shri Krishna Complex, Navrangpura, Ahmedabad - 380 009, Gujarat, India; **Tel:** +91 79 6604 5000; **Corporate Office:** One Earth, Hadapsar, Pune - 411 028, Maharashtra, India **Tel:** +91 20 6702 2000, **Contact Person:** Geetanjali S. Vaidya, Company Secretary and Compliance Officer **E-mail:** investors@suzlon.com; **Website:** www.suzlon.com; **Corporate Identity Number:** L40100GJ1995PLC025447

This is only an Advertisement for the information purpose and not for publication, distribution, or release, directly or indirectly, in the United States of America or otherwise outside India. This is not an offer document. All capitalised terms used and not defined herein shall have the meaning assigned to them in the Letter of Offer dated 28th September 2022 read with addendum dated 10th October 2022 filed with BSE Limited ('**BSE**') and the National Stock Exchange of India Limited ('**NSE**'), the stock exchanges where the Equity Shares of the Company are presently listed (BSE and NSE hereinafter together referred to as the "**Stock Exchanges**") and Securities and Exchange Board of India ('**SEBI**').

FIRST REMINDER-CUM-FORFEITURE NOTICE TO THE HOLDERS OF PARTLY PAID-UP EQUITY SHARES ON WHICH CALL MONEY IS TO BE PAID (ISIN :IN9040H01011)

In terms of provisions of the Companies Act, 2013 ('**Act**'), read with the relevant rules made thereunder, the First and Final Call Notice has been issued to such persons who were members of the Company on 2nd March 2023, being the Record Date. The call payment period has since expired on 23rd March 2023.

In this connection, the Securities Issue Committee of the Board of Directors of the Company (the "**Committee**"), duly authorised by the Board of Directors of the Company, at its meeting held on 29th March 2023, approved sending Reminder-cum-Forfeiture Notice from time to time for payment of the First and Final Call amount of ₹2.50 per partly-up equity share (comprising ₹1.00 towards face value and ₹1.50 towards securities premium) ("**Reminder-cum-Forfeiture Notice**"), to the holders of such partly paid-up equity shares on which the First and Final Call Money remains unpaid for payment of such unpaid First and Final Call along with interest **@ 8% p.a., from 24th March 2023 till date of actual payment of the First and Final Call**.

Accordingly, sending of First Reminder-cum-Forfeiture Notice to all the members who have not paid the call money has been initiated on 13th April 2023.

The payment period is from Saturday, 15th April 2023 to Saturday, 29th April 2023 (both days inclusive). Payment is to be made as under:

a) By net-banking / UPI through the R-WAP portal: https://rights.kfintech.com/callmoney. Kindly note that the interest amount is pre-computed when you make payment through the R-WAP portal.
b) By demand draft made payable to "Suzlon Energy Limited – Right Allotment Account"

Please note that, failure to pay the First and Final Call Money, as aforesaid, shall render the partly paid-up equity shares of the Company, including the amount already paid thereon, liable to be forfeited in accordance with the provisions of the Act, the Articles of Association of the Company and the Letter of Offer. Further, interest @8.00% (Eight percent only) p.a. will continue to be charged for delay in payment of the First and Final Call from 24th March 2023 till date of actual payment of the First and Final Call. The Company shall be entitled to deduct from any dividend payable to such members, if any, all sums of money outstanding on account of calls and interest due thereon in relation to the partly paid-up equity shares of the Company.

All correspondence in this regard may be addressed to: KFin Technologies Limited, Unit: Suzlon Energy Limited, Selenium Tower B, Plot No. 31 and 32, Financial District, Nanakramguda, Rangareddi - 500032, Telangana, India; Contact person: Mr. M. Murali Krishna Tel: +91 40 6716 2222; Toll Free No. 1800 309 4001 (operational from Monday to Saturday between 9 a.m. and 5 p.m.) E-mail id: einward.ris@kfintech.com.

For Suzlon Energy Limited

Sd/-
Geetanjali S. Vaidya
Company Secretary

Date: 13th April 2023
Place: Pune

यू ग्रो कैपिटल लिमिटेड

UGRO CAPITAL
चौथी मंजिल, टॉवर 3, इक्विनॉक्स बिजनेस पार्क, एलबीएस रोड, कुर्ला, मुंबई 400070

अचल संपत्तियों की बिक्री के लिए बिक्री सूचना

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 और 9 के परंतुक के साथ पठित वित्तीय संपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत अचल संपत्ति(यों) ['प्रतिभूत आस्ति(यों)'] की बिक्री के लिए 15 दिनों की ई–नीलामी बिक्री सूचना

जनसामान्य को और विशेष रूप से कर्जदारों और गारंटरों को नोटिस दिया जाता है कि यू ग्रो कैपिटल लिमिटेड ('प्रतिभूत लेनदार') के पास बंधक/प्रभारित नीचे वर्णित प्रतिभूत आस्ति(यां), जिसका कब्जा प्रतिभूत लेनदार के अधिकृत प्राधिकारी द्वारा कर लिया गया है, यहां नीचे उल्लिखित बकायों तथा भावी ब्याज एवं अन्य व्यय और राशि की वसूली तक यहां नीचे उल्लिखित कर्जदार(रों) तथा जमानती(यों) से प्रतिभूत लेनदार के बकाये की वसूली के लिए सम्पत्ति की बिक्री ''जैसा है जहां है'', ''जहां है जैसे'' तथा ''जो कुछ भी है वहीं है'' आधार पर की जायेगी। आरक्षित मूल्य, जमा धरोहर राशि (ईएमडी) तथा ईएमडी जमा करने की अन्तिम तिथि नीचे उल्लिखित है :

कर्जदार(रों)/जमानती(यों) का विवरण	मांग सूचना का विवरण	नीलामी की विवरण	
1. ग्लोबल एजेंसीज 2. श्रीमती स्नेहलता बस्सी 3. कपलिश पॉलीमर इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड... कर्जदार 4. श्रीमती सनेहलता बस्सी 5. सुश्री विधि बस्सी ..कानूनी वारिस ऋण खाता संख्याः HCFDELSEC00001003925	सूचना की तिथि : 19-07-2022	आरक्षित मूल्य (आवासीय फ्लैट)	रु. 37,80,000/-
		आरक्षित मूल्य (वाणिज्यिक दुकान)	रु. 55,80,000/-
		ईएमडी (आवासीय फ्लैट)	रु. 3,78,000/-
	बकाया राशि : रु. 95,71,158/- तिथि 19-07-2022 तक	ईएमडी (वाणिज्यिक दुकान)	रु. 5,58,000/-
		ईएमडी जमा की अंतिम तिथि	29-04-2023
		नीलामी की तिथि 08-05-2023	
		नीलामी का समय 10 बजे पूर्वा. - 1 बजे अप.	
		वृद्धि मूल्य	रु. 1,00,000/-

प्रतिभूत आस्तियों का विवरणः
आवासीय फ्लैट : फ्लैट नं. 203, प्रथम तल, ब्लॉक नं. 5, सेक्टर ओमिक्रॉन–1ए, ग्रेटर नोएडा–201306
वाणिज्यिक दुकान : 120, प्रथम तल, एलएससी पॉकेट डी एवं ई, मार्केट सरिता विहार, दिल्ली–110 076

कर्जदार(रों)/जमानती(यों) का विवरण	मांग सूचना का विवरण	नीलामी की विवरण	
1. प्रवीण इन्फोटेक 2. श्री मोहित गुप्ता 3. श्रीमती पुनीता गुप्ता ऋण खाता संख्या : HCFDELSEC00001005148	सूचना की तिथि : 14-02-2022	आरक्षित मूल्य	रु. 55,00,000/-
		ईएमडी	रु. 5,50,000/-
		ईएमडी जमा की अंतिम तिथि	29-04-2023
	बकाया राशि : रु. 22,63,305/

खबर कोना

नई दिल्ली: भारतीय सेना गुरुवार को अभ्यास के दौरान मोर्चा संभाले हुए।

सेना, वायुसेना ने पूर्वी सेक्टर में अभ्यास किया

नई दिल्ली, 13 अप्रैल (भाषा)।

पूर्वी लद्दाख में जारी सीमा विवाद के बीच भारतीय सेना और वायुसेना के सामरिक बलों ने पूर्वी सेक्टर में एक बहु-क्षेत्रीय अभ्यास किया। सूत्रों ने गुरुवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस अभ्यास का उद्देश्य निर्दिष्ट क्षेत्रों में संयुक्त योजनाओं पर काम कर इनकी पुष्टि करना था।

युगांडा में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए जयशंकर ने कहा

सीमा पार से पैदा की जा रही सुरक्षा चुनौतियों से निपटने में सक्षम भारत

कंपाला, 13 अप्रैल (भाषा)।

विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि दशकों से भारत के खिलाफ सीमा पार से आतंकवाद को अंजाम दे रही ताकतें अब जान गई हैं कि यह एक 'नया भारत' है जो उन्हें जवाब देगा। साथ ही, उन्होंने जोर देते हुए कहा कि देश पाकिस्तान और चीन द्वारा इसकी (भारत की) राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए पैदा की गई चुनौतियों से आज निपट सकता है।

युगांडा में बुधवार को भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए जयशंकर ने देश के एक नए भारत में तब्दील होने का उल्लेख किया। अपनी सीमाओं पर भारत द्वारा सामना की जा रही चुनौतियों के बारे में जयशंकर ने कहा कि आज, लोग एक नया भारत देख रहे हैं जो सामना करने को इच्छुक है और चाहे यह उरी हो या बालाकोट, भारत अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा की चुनौतियों से निपटेगा। विदेश मंत्री ने कहा कि भारत के खिलाफ दशकों से सीमा पार से आतंकवाद में संलिप्त ताकतें, जिन्हें भारत ने सहन किया है, अब जान चुकी हैं कि यह एक नया भारत है और यह भारत उन्हें जवाब देगा। उन्होंने चीन से लगी सीमा पर मौजूद चुनौतियों के बारे में भी बात की। जयशंकर ने कहा कि पिछले तीन वर्षों से, समझौतों का उल्लंघन करते हुए, चीनियों ने बड़ी संख्या में सैनिक जमा किए हैं। उन्होंने कहा कि आज भारतीय सैनिक बहुत ही विषम परिस्थितियों वाले अत्यधिक ऊंचे स्थानों पर तैनात हैं। उन्होंने कहा कि स्थिति अतीत से बिल्कुल अलग है क्योंकि भारतीय सैनिकों को अब 'पूरा समर्थन' प्राप्त है और उनके पास सही उपकरण तथा बुनियादी ढांचा है। विदेश मंत्री ने स्वीकार किया कि चीन से लगी सीमा पर बुनियादी ढांचे के विकास के लिए और अधिक कार्य करने की जरूरत है क्योंकि अतीत में इसकी अनदेखी की गई है। उन्होंने कहा कि यह एक नया भारत है जो अपने हितों के लिए खड़ा होगा और विश्व उसे मान्यता देगा। जयशंकर ने कहा कि भारत पर अन्य देशों द्वारा यह दबाव नहीं बनाया जा सकता कि हमें कहां से अपना तेल खरीदना है और कहां से तेल नहीं खरीदना है।

कहा पिछले तीन वर्षों से, समझौतों का उल्लंघन करते हुए, चीनियों ने बड़ी संख्या में सैनिक जमा किए हैं। उन्होंने कहा कि आज भारतीय सैनिक बहुत ही विषम परिस्थितियों वाले अत्यधिक ऊंचे स्थानों पर तैनात हैं। उन्होंने कहा कि स्थिति अतीत से बिल्कुल अलग है क्योंकि भारतीय सैनिकों को अब 'पूरा समर्थन' प्राप्त है और उनके पास सही उपकरण तथा बुनियादी ढांचा है।

दुनिया के सौ प्रभावशाली लोगों में शाहरुख भी

टाइम पत्रिका की सूची में राजामौली व रुश्दी शामिल

न्यूयार्क, 13 अप्रैल (भाषा)।

भारतीय अभिनेता शाहरुख खान, फिल्म निर्देशक एसएस राजामौली, लेखक सलमान रुश्दी और टेलीविजन प्रस्तोता और निर्णायक पद्मा लक्ष्मी 2023 के दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों में शामिल हैं। टाइम पत्रिका ने गुरुवार को यह जानकारी दी।

सूची में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, महाराजा चार्ल्स, सीरिया में जन्मीं तैराक और कार्यकर्ता सारा मर्दिनी और युसरा मर्दिनी, माडल बेला हदीद, अरबपति सीईओ एलन मस्क और प्रतिष्ठित गायिका और कलाकार ब्योंसे भी शामिल हैं। सह कलाकार दीपिका पादुकोण द्वारा लिखे गए खान के परिचय में कहा गया है, 'किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जिसे वह बहुत करीब से जानती हैं और जो उनकी तहेदिल से देखभाल करता है, 150 शब्द कभी भी शाहरुख खान के साथ न्याय नहीं करेंगे।'

पादुकोण ने कहा कि खान को सार्वकालिक महान अभिनेताओं में से एक के रूप में जाना जाएगा। उन्होंने कहा कि लेकिन जो वास्तव में उन्हें अलग करता है, वह उनका दिमाग, उनकी शिष्टता, उनकी उदारता है। फेहरिस्त लंबी है। खान ने 2023 'टाइम100 रीडर पोल' जीता था, जिसमें पाठकों ने उन व्यक्तियों के लिए मतदान किया था जिन्हें वे टाइम की सबसे प्रभावशाली लोगों की वार्षिक सूची में स्थान के लिए सबसे योग्य मानते थे। इस मतदान में डाले गए कुल 12 लाख से अधिक वोटों में से अभिनेता को चार प्रतिशत मत मिले थे।

राजामौली के लिए, अभिनेत्री आलिया भट्ट ने लिखा है कि 'आरआरआर' निर्देशक 'उन्हें अपने दर्शकों की नब्ज पता है। वह जानते हैं कि कौन सा तार छेड़ना है, कहां और कैसे कैमरा घुमाना है।

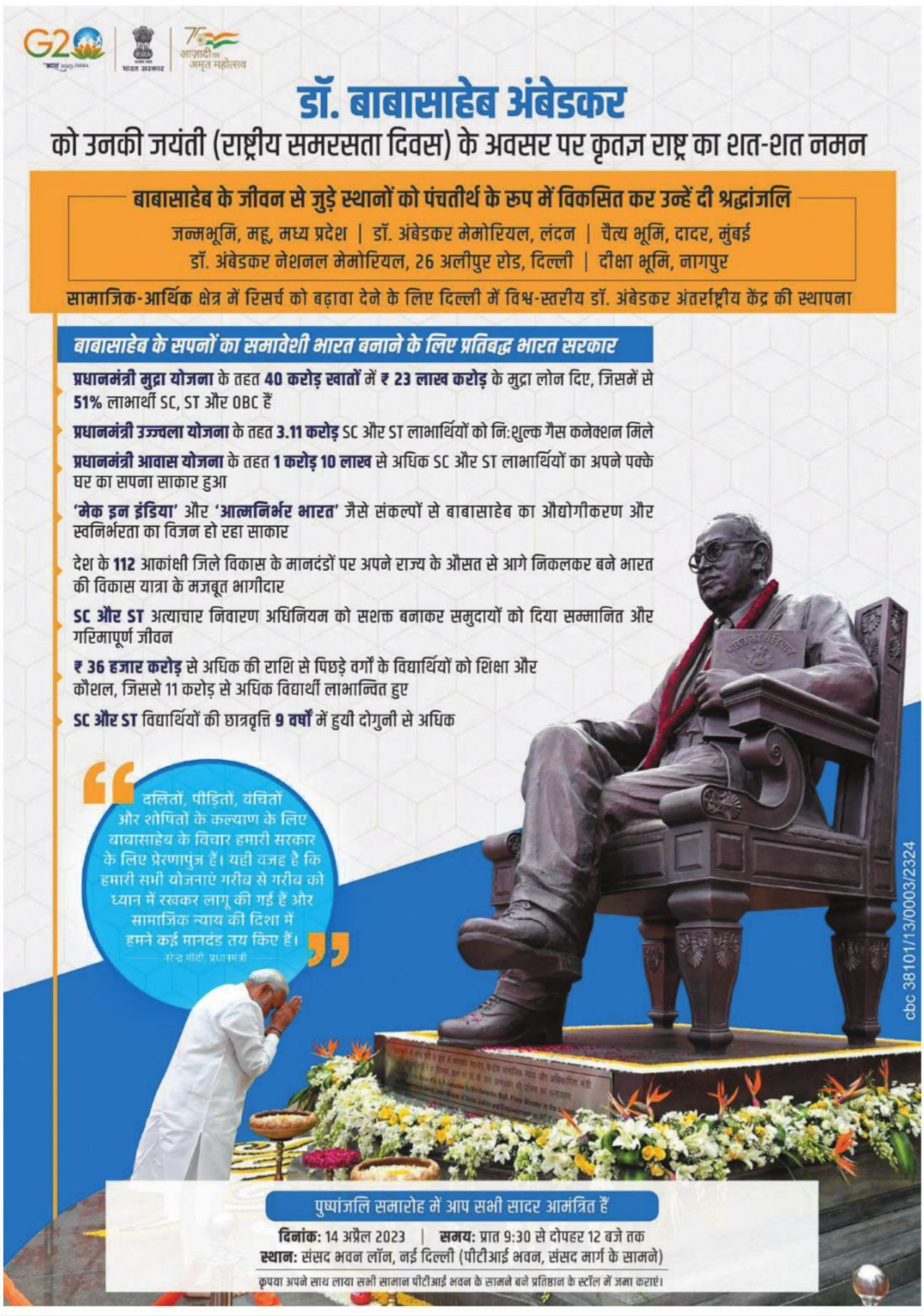

जासूसी के संदेह में नार्वे से 15 रूसी राजनयिक निष्कासित

कोपनहेगन, 13 अप्रैल (एपी)।

नार्वे की सरकार ने गुरुवार को कहा कि वह ओस्लो में रूसी दूतावास में काम करने के दौरान जासूसी करने के संदेह में 15 रूसी राजनयिकों को देश से निष्कासित कर रही है। विदेश मंत्री एनीकेन ह्यूटफेल्ड ने कहा कि यह कदम 'नार्वे में रूसी खुफिया गतिविधियों के दायरे को कम करने और इस तरह हमारे राष्ट्रीय हितों को सुरक्षित करने के लिए एक महत्वपूर्ण उपाय है।' ह्यूटफेल्ड ने कहा कि अवांछित घोषित किए गए रूसियों को 'थोड़े समय के भीतर नॉर्वे छोड़ देना चाहिए।' उन्होंने कहा कि हम नार्वे के वीजा के लिए आवेदन करने वाले खुफिया अधिकारियों को वीजा नहीं देंगे।' नार्वे की सरकार ने कहा कि रूसियों की गतिविधि अवांछित घोषित की गई क्योंकि यह 'उनके राजनयिक दर्जे के साथ असंगत थी'। ' रूस की तास और आरआइए नोवोस्ती समाचार एजंसियों के मुताबिक, रूसी विदेश मंत्रालय ने कहा कि मास्को नार्वे की कार्रवाई का जवाब देगा।

एक साल पहले, नार्वे ने उन तीन रूसी राजनयिकों को निष्कासित कर दिया था जिनकी पहचान खुफिया अधिकारियों के रूप में की गई थी। जिस व्यक्ति पर नार्वे पुलिस सुरक्षा सेवा ने रूस की खुफिया सेवाओं में से एक के लिए काम करते समय झूठे नाम और पहचान का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया था उसे भी पिछले साल गिरफ्तार किया गया था।

अमेरिकी खुफिया दस्तावेज 'लीक' होने से दक्षिण कोरिया के साथ उलझी शिखर वार्ता

वार्तासोल, 13 अप्रैल (एपी)।

दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति की अमेरिका यात्रा से ठीक पहले अमेरिकी खुफिया दस्तावेजों के 'लीक' होने से असहज स्थिति पैदा हो गई है क्योंकि लीक हुए दस्तावेजों में यूक्रेन को लेकर वरिष्ठ दक्षिण कोरियाई अधिकारियों की आपसी बातचीत भी कथित तौर पर शामिल है। इस प्रकार के दस्तावेज संकेत देते हैं कि अमेरिका अपने एक प्रमुख एशियाई सहयोगी देश पर नजर रख रहा था। गौरतलब है कि पिछले साल पदभार ग्रहण करने के बाद राष्ट्रपति यून सुक योल ने उत्तर कोरिया की ओर से बढ़ते परमाणु खतरों और सैन्य चुनौतियों से निपटने के लिए अमेरिका के साथ मजबूत सैन्य साझेदारी को अपनी विदेश नीति के केंद्र में रखा है।

दोनों देशों के बीच आगामी 26 अप्रैल को शिखर वार्ता होने वाली है जिसे सुरक्षा प्रतिबद्धता, आर्थिक और प्रौद्योगिकी नीतियों को लेकर महत्वपूर्ण कदम के रूप में देखा जा रहा है। लीक दस्तावेजों को आनलाइन पोस्ट किया गया जिसे अमेरिकी खुफिया व्यवस्था का उल्लंघन कहा जा रहा है। द एसोसिएटेड प्रेस द्वारा देखे गए इन दस्तावेजों के मुताबिक, अमेरिका ने दक्षिण कोरियाई राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद् को यूक्रेन को गोला-बारूद मुहैया कराने के लिए अनुरोध किया था जिसके बाद मार्च की शुरुआत में दोनों देशों के बीच 'मतभेद' हुए। दक्षिण कोरिया तेजी से उभरता हथियार निर्यातक देश है और उसकी नीति युद्ध के दौरान किसी देश को हथियारों की आपूर्ति नहीं करने की है। हालांकि, दक्षिण कोरिया ने यूक्रेन को सीधे हथियार नहीं दिए हैं, उसने मानवीय सहायता भेजी और रूस के खिलाफ अमेरिकी नेतृत्व वाले आर्थिक प्रतिबंधों में शामिल हुआ।

राजौरी में मार गिराया गया पाकिस्तानी ड्रोन

राजौरी, 13 अप्रैल (भाषा)।

सुरक्षा बलों ने पाकिस्तान से जम्मू-कश्मीर के राजौरी में नियंत्रण रेखा (एलओसी) पार कर भारतीय क्षेत्र में दाखिल हुए एक ड्रोन को मार गिराया और इलाके में व्यापक तलाश अभियान जारी है। अधिकारियों ने गुरुवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि ड्रोन से बांधे गए पैकेट से एके-47 राइफल की पांच मैगजीन, 131 गोलियां, दो लाख रुपए नगद और अन्य सामान बरामद किया गया है। सूत्रों के मुताबिक, उन्हें संदेह है कि कुछ अन्य ड्रोन ने हथियार, विस्फोटक या ऐसी वस्तुएं गिराई होंगी और उन्हें बरामद करने के लिए तलाश शुरू कर दी गई है। रक्षा विभाग के एक प्रवक्ता ने कहा कि 12 और 13 अप्रैल की दरमियानी रात भारतीय सेना के सतर्क जवानों ने पुलिस के साथ मिलकर ड्रोन बरामद किया, जो जिले के सुंदरबनी सेक्टर के बेरी पट्टन इलाके में पाकिस्तान से नियंत्रण रेखा पार कर भारतीय क्षेत्र में घुसा था।

इससे पहले आधिकारिक सूत्रों ने बताया था कि नियंत्रण रेखा से लगे बेरी पाटन और सियोट के इलाकों में हवा में कोई संदिग्ध वस्तु देखी गई, जिसके बाद व्यापक स्तर पर घेराबंदी कर तलाश अभियान चलाया गया। उन्होंने बताया कि सुरक्षा बल इस अभियान में एक ड्रोन को मार गिराने में कामयाब रहे। सूत्रों ने दावा किया कि क्षेत्र के कई गांवों में व्यापक स्तर पर तलाश अभियान चलाया जा रहा है तथा कुछ और बरामदगी की उम्मीद है। एक अधिकारी ने कहा कि हम केवल इतना बता सकते हैं कि एक ड्रोन को सफलतापूर्वक मार गिराया गया है और उससे भेजा गया सामान बरामद कर लिया गया है। विस्तृत जानकारी बाद में साझा की जाएगी।

www.readwhere.com

मांग सूचना

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 (उक्त नियमावली) के नियम 3(1) के साथ पठित वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (उक्त अधिनियम) की धारा 13(2) के अंतर्गत उक्त नियमावली के नियम 3 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आईआईएफएल होम फाइनांस लि. (आईआईएफएल एचएफएल) (पूर्व में इंडिया इन्फोलाइन हाउसिंग फाइनेंस लि.) के प्राधिकृत अधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अंतर्गत मांग सूचना जारी कर ऋणधारकों को उन्हें जारी की गई संबंधित मांग सूचना(ओं) में वर्णित राशि वापस लौटाने का निर्देश दिया। उपरोक्त के सिलसिले में एक बार पुनः एतद्द्वारा ऋणधारकों को निर्देश दिया जाता है कि मांग सूचना की तिथि से भुगतान की तिथि तक आगे के ब्याज के साथ यहां नीचे दर्शाई गई राशि का इस सूचना के प्रकाशन से 60 दिनों के भीतर भुगतान करें। ऋणधारकों, मांग सूचना की तिथि को बकाया राशि तथा ऋण राशि के पुनर्भुगतान के लिये प्रस्तावित प्रतिभूति का विवरण इस प्रकार है:

ऋणधारकों/गारन्टरों का नाम	मांग सूचना तिथि एवं राशि	प्रतिभूत परिसम्पत्ति (अचल सम्पत्ति) का विवरण
श्रीमती अनन्या भारती श्री प्रशांत वर्मा (प्रॉस्पेक्ट नं. IL10302540)	11 अप्रैल 2023, रु. 2432970/- (रु. चौबीस लाख बत्तीस हजार नौ सौ सत्तर मात्र)	सम्पत्ति का सभी भाग तथा हिस्सा: ग्राम नवादा की राजस्व सम्पदा, दिल्ली राज्य, भगवती गार्डन, एक्स्टें. के नाम से विदित कॉलोनी, उत्तम नगर, नई दिल्ली-110059 में खसरा नं. 328 में निर्मित प्रथम तल (फ्रान्ट साइड-एलएचएस) छत के अधिकार के बिना, प्लॉट नं. 100 ए एवं 100 बी, कार्पेट एरिया 477 वर्ग फीट सुपर निर्मित एरिया 531 वर्ग फीट पर निर्मित
श्रीमती रिमझिम कुमारी (प्रॉस्पेक्ट नं. IL10335609)	11 अप्रैल 2023, रु. 26,35,619/- (रु. छब्बीस लाख पैंतीस हजार छः सौ उन्नीस मात्र)	सम्पत्ति का सभी भाग तथा हिस्सा: ग्राम विन्दापुर, उत्तम नगर, नई दिल्ली-110059 की राजस्व सम्पदा में ब्लॉक बी-1, में खसरा नं. 306, संजय एन्क्लेव में निर्मित प्रथम तल आरएचएस, छत/टैरेस अधिकार के बिना, एरिया माप 50 वर्ग यार्ड्स, निर्मित सम्पत्ति सं. 20।

यदि उक्त ऋणधारक उपरोक्त रूप में आईआईएफएल एचएफएल को भुगतान करने में विफल होते हैं तो आईआईएफएल एचएफएल ऋणधारकों की जोखिमों एवं लागत पर उक्त अधिनियम की धारा 13(4) तथा लागू होने वाले नियमों के अंतर्गत उक्त प्रतिभूत परिसम्पत्तियों के विरुद्ध कार्रवाई करेगा। अधिक विवरणों के लिये कृपया **शाखा कार्यालय:** प्लॉट नं. 30/30ई, ऊपरी भूतल, मैन शिवाजी मार्ग, नजफगढ़ रोड, जगुआर शो रूम के बगल में मोती नगर, नई दिल्ली में प्राधिकृत अधिकारी अथवा कॉर्पोरेट कार्यालय: आईआईएफएल टावर, प्लॉट नं. 98, उद्योग विहार, फेज-IV, गुड़गाँव, हरियाणा में सम्पर्क करें।

स्थान : दिल्ली तिथि: 14.04.2023 **हस्ता./- प्राधिकृत अधिकारी आईआईएफएल होम फाइनांस लि. के लिये**

"IMPORTANT"

Whilst care is taken prior to acceptance of advertising copy, it is not possible to verify its contents. The Indian Express (P) Limited cannot be held responsible for such contents, nor for any loss or damage incurred as a result of transactions with companies, associations or individuals advertising in its newspapers or Publications. We therefore recommend that readers make necessary inquiries before sending any monies or entering into any agreements with advertisers or otherwise acting on an advertisement in any manner whatsoever.

हीरो फिनकॉर्प लिमिटेड

HeroFinCorp.

सीआईएन : U74899DL1991PLC046774
पंजीकृत कार्यालय : 34, कम्युनिटी सेंटर, बसन्त लोक, वसन्त विहार, नई दिल्ली-110057
दूरभाष : 011-49487150 फैक्स : 011-49487150
ई-मेल : litigation@herofincorp.com, वेबसाइट : www.herofincorp.com

"परिशिष्ट-IV-ए" [नियम 8(6) के प्रावधान देखें] अचल सम्पत्ति की बिक्री हेतु विक्रय सूचना

प्रतिभूत हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) के साथ पठित वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के सन्दर्भ में अचल सम्पत्ति की बिक्री हेतु ई-नीलामी ई-नीलामी बिक्री सूचना

एतद्द्वारा जनसामान्य को तथा विशेष रूप से कर्जदार(रों) को सूचना दी जाती है कि प्रतिभूत लेनदार (हीरो फिनकॉर्प लिमिटेड) के पास बंधक/प्रभारित नीचे वर्णित अचल सम्पत्ति, जिसका भौतिक कब्जा प्रतिभूत लेनदार (हीरो फिनकॉर्प लिमिटेड) के अधिकृत प्राधिकारी द्वारा कर लिया गया है, कर्जदार से प्रतिभूत लेनदार के नीचे वर्णित राशि के बकाये की वसूली के लिए निम्नलिखित तिथि पर ''जैसा है जहां है आधार'' एवं ''जो भी वहां है आधार'' एवं ''जैसा है जो है आधार'' एवं ''उपचार रहित आधार'' पर बिक्री की जायेगी। आरक्षित मूल्य नीचे उल्लिखित है और जमा की जाने वाली धरोहर राशि क्रमशः उल्लिखित है।

कर्जदार(रों)/जमानती(यों) का नाम तथा पता	नीलामी के तहत कवर प्रभारित प्रतिभूति का पता	आरक्षित मूल्य (आरपी)
1. मैसर्स जय हिन्द फ्लोर मिल (कर्जदार), रेलवे रोड, चौधरी ट्रैक्टर के पीछे, गनौर, सोनीपत-131101, साथ ही : म.नं. 241/13, जैन गली, गनौर मंडी, गनौर, सोनीपत-131101 2. श्री नरेश जैन (सह-कर्जदार), म.नं. 241/13, जैन गली, गनौर मंडी, गनौर, सोनीपत-131101 3. श्री अतुल जैन (सह-कर्जदार), म.नं. 241/13, जैन गली, गनौर मंडी, गनौर, सोनीपत-131101 4. सुश्री मंजू जैन (सह-कर्जदार), म.नं. 241/13, जैन गली, गनौर मंडी, गनौर, सोनीपत-131101	सम्पत्ति मकान नं. 167/13, आबादी देह, जैन मोहल्ला, गनौर, तहसील गनौर, जिला सोनीपत में स्थित, माप 133.3 वर्ग गज उत्तर : दरवाजा एवं अन्य स्वामि दक्षिण : मकान वासुदेव पूर्व : सम्पत्ति पाम पैट आदि पश्चिम : मकान रामेश्वर दास	रु. 30,60,000/- आरक्षित मूल्य का 10% ईएमडी रु. 3,06,000/- वृद्धि राशि रु. 50,000/-

उस राशि की वसूली हेतु बकाया देयताएँ जिसके लिए सम्पत्ति बेची जा रही है	अधिकृत प्राधिकारी के नाम सहित सम्पत्ति के ऑन साइट निरीक्षण की तिथि/समय	ईएमडी तथा भागीदारी का निवेदन पत्र, केवाईसी, दस्तावेज, पैन कार्ड, ईएमडी का प्रमाण आदि जमा करने की अन्तिम तिथि	5 मिनट के स्वतः विस्तार सहित ई-नीलामी की तिथि एवं समय
06.07.2021 तक रु. 52,50,992.58/- (रुपये बावन लाख पचास हजार नौ सौ बानबे एवं अट्ठावन पैसे मात्र)	06.05.2023 को 10.00 बजे पूर्वा. से 5.00 बजे अप. तक अधिकृत प्राधिकारी : श्री कमल शर्मा, मोबाइल : 7876567000 ई-मेल : kamal.sharma@herofincorp.com आप श्री रमेश गिरि, मोबाइल : 9643468804, ramesh.giri@ herofincorp.com से भी सम्पर्क कर सकते हैं।	07.05.2023 को 5.00 बजे अप. तक तथा ईएमडी आरटीजीएस/एनईएफटी के माध्यम से	08.05.2023 समय : 10.00 बजे पूर्वा. से 1.00 बजे अप.

इच्छुक क्रेताओं/संविदाकारों को ईएमडी राशि या तो आरटीजीएस/एनईएफटी के माध्यम से या डिमांड ड्राफ्ट/पे ऑर्डर द्वारा खाता सं. 30310016156, लाभार्थी का नाम : "हीरो फिनकॉर्प लिमिटेड", आईएफएससी कोड : HDFC0000003 में जमा करनी होगी।

ई-नीलामी के नियम एवं शर्तें :

1. ई-नीलामी ''जैसा है जहां है आधार'' एवं ''जो भी यही है आधार'' एवं ''जैसा भी है वहीं है आधार'' एवं ''उपचार-रहित आधार'' पर तथा ''ऑनलाइन'' संचालित की जायेगी।
2. ई-नीलामी मैसर्स ई-प्रोक्योरमेंट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड (हेल्पलाइन नं. : 9173528727, 07961200576/544/594/596/531/583/569, 6351896643 तथा ई-मेल Support@auctiontiger.net/maulik.shrimali@auctiontiger.net) के माध्यम से उनके वेबपोर्टल https://sarfaesi.auctiontiger.net पर आयोजित की जा रही है।
3. प्रतिभूत लेनदार के संज्ञान में सम्पत्ति पर कोई ऋणभार नहीं है। फिर भी, इच्छुक संविदाकारों को अपनी संविदाएँ जमा करने से पूर्व नीलामी पर रखी सम्पत्ति के ऋणभारों, सम्पत्ति के स्वामित्व तथा सम्पत्ति को प्रभावित करने वाले दावों/अधिकारों/बकायों के सम्बन्ध में अपनी स्वतन्त्र पूछताछ कर लेनी चाहिए। इस सम्बन्ध में ई-नीलामी विज्ञापन हीरो फिनकॉर्प लिमिटेड की कोई प्रतिबद्धता अथवा कोई प्रतिनिधान न तो निर्मित करता है और न निर्मित करेगा।
4. अधिकृत प्राधिकारी/प्रतिभूत लेनदार किसी थर्ड पार्टी के दावों/अधिकारों/बकायों के लिए किसी प्रकार उत्तरदायी नहीं होगा। यह बिक्री वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत निर्धारित नियमों/शर्तों के अध्यधीन होगी। ई-नीलामी के नियम एवं शर्तें निम्नलिखित वेबसाइट : https://sarfaesi.auctiontiger.net पर प्रकाशित की जा रही है।

तिथि : 14.04.2023 **हस्ता./-**
स्थान : सोनीपत, हरियाणा **अधिकृत प्राधिकारी**
हीरो फिनकॉर्प लिमिटेड

ARMY PUBLIC SCHOOL DHAULA KUAN

RIDGE ROAD DHAULA KUAN-110010 | www.apsdk.com

TENDER NOTICE

Sealed Tenders are invited from manufacturers/dealers with professional expertise in supplying for procurement of 12 Split Air Conditioners (Cold & Hot) 2 Tons 3 Star.

Tender Form can be collected from School reception from 14 Apr 2023 to 22 Apr 2023 between 9:00AM to 3:00PM @ Rs 500/- Forms duly completed in all respect be submitted to APS Dhaula Kuan by 24 Apr 2023 at 1200 hrs along with DD (EMD) as per RFP in favour of Army Public School, Dhaula Kuan. For any queries contact Adm Officer on 8010136846.

Chairman, APSDK

PUBLIC NOTICE

Land measuring 3154.76 Sq.ft.,situated on GLR Sy. No.11/1/5, known as Plot No.5, Chanan Singh Park, Delhi Cantt is held on lease in Schedule VIII of CLA Rules, 1937 by Sh. Vijay Shankar Goel and Sh. Surender Kumar Goel holding ½ Shares each. The third and last term of the lease is subsisting till 31.01.2037.

Recorded lessee Sh. Surender Kumar Goel vide his letter dated 15.09.2021 has informed this office that his brother Sh. Vijay Shanker Goel had expired on 10.05.2021 and all the legal heirs of Sh. Vijay Shankar Goel has given their NoCs in favour of Sh. Kinshuk Goel S/o Late Sh. Vijay Shankar Goel in respect of 1/2 share held by Sh. Vijay Shankar Goel.

Sh. Surender Kumar Goel further informed that he has released his share i.e. 1/2 of the subject property in favour of his Son Mr. Namith Goel vide released deed dated 03.09.2021 and requested for mutation of the subject property in favour of the following :-

(1) Sh. Kinshuk Goel in place of his deceased father late Sh. Vijay Shankar Goel.
(2) Namith Goel in place of Sh. Surender Kumar Goel.

Therefore, on the basis of requisite document submitted by the applicants and the legal opinion rendered by Sh. Amit Sarkar, Advocate (Legal Advisor) dated 12.04.2023 on the proposed mutation, the names of Sh. Kinshuk Goel and Sh. Namith Goel is being considered to be entered in the General land Register (GLR) in respect of Plot No. 5 Chanan Singh Park, Delhi Cantt.-10.

Any person claiming to have any right or interest in the above property, having any objections to the above mutation, may file his written objections to the undersigned along with documents within 30 days from publication of this notice. The objections received after the expiry of 30 days from the publication of this notice, will not be entertained.

(Abhishek Rathour, I.D.E.S)
Defence Estates Officer
Delhi Circle, Delhi Cantt.

Case File No. 3/306/CH/Plot No.05
Dated 13 April, 2023.

"प्रपत्र सं. आईएनसी-26"

(कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के अनुसरण में क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, दिल्ली
कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 की उपधारा (4) और कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के उपनियम (5) के खंड (अ) के मामले में
तथा
एरो इंफ्रास्टेट प्राईवेट लिमिटेड
(CIN : U70109DL2007PTC159197)
जिसका पंजीकृत कार्यालय : प्लॉट नं. 5, जे ब्लॉक, कम्युनिटी सेन्टर, राजौरी गार्डन, नई दिल्ली-110027, इंडिया
.....याचिकाकर्त्ता

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के तहत सामान्य जनता को यह सूचना दी जाती है कि कंपनी ने 10 अप्रैल, 2023 को आयोजित आसाधारण समान्य आम बैठक में पारित विशेष प्रस्ताव के संदर्भ में कम्पनी रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, एनसीटी ऑफ दिल्ली एण्ड हरियाणा के क्षेत्राधिकार के तहत अपने पंजीकृत कार्यालय को "राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली" से "हरियाणा राज्य" में अपना पंजीकृत कार्यालय बदलने तथा कम्पनी के एसोसिएशन के संगम ज्ञापन को परिवर्तन की पुष्टि के लिए केन्द्र सरकार को आवेदन करने का प्रस्ताव रखती है।

कोई भी व्यक्ति जिसका हित कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय के प्रस्तावित परिवर्तन से प्रभावित होने की संभावना है, वह इस नोटिस के प्रकाशन के चौदह दिनों के भीतर अपने विरोध का कारण और हित की प्रकृति जो शपथ-पत्र द्वारा सहयोगित हो तो वह निवेशक शिकायत प्ररुप फाइल कर एमसीए-21 पोर्टल (www.mca.gov.in) में शिकायत दर्ज कर सकता है या रजिस्टर्ड डाक द्वारा क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र बी-2, विंग, द्वितीय तल, पर्यावरण भवन, सी.जी.ओ कॉम्पलेक्स, नई दिल्ली-110003 को साथ में एक प्रति याचिकाकर्ता कम्पनी को इसके पंजीकृत कार्यालय जो नीचे लिखे विवर्णित पते पर भेज सकता है।

एरो इंफ्रास्टेट प्राइवेट लिमिटेड
प्लॉट नं. 5, जे ब्लॉक, कम्युनिटी सेन्टर,
राजौरी गार्डन, नई दिल्ली-110027, इंडिया
कृते एरो इंफ्रास्टेट प्राइवेट लिमिटेड
हस्ता/-
दिनांक : 14.04.2023 हरलीन सिंह ऑबरॉय
स्थान : नई दिल्ली (निदेशक)
डीआईएन : 08512764
पता : फ्लैट नं 111, शगूफा, प्लॉट नं. 5, सैक्टर 58ए, पाल्म बीच रोड, नेरुल, नवी मुम्बई, महाराष्ट्र-400706

"प्रपत्र सं. यूआरसी-2"

अधिनियम के शीर्षक XXI के भाग 1 के अंतर्गत पंजीकरण के विषय में सूचना देने के लिये विज्ञापन
[कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 374 (बी) तथा कम्पनीज (पंजीकरण के लिए प्राधिकृत) नियमावली, 2014 के नियम 4(1) के अनुपालन में]

1. एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 366 की उप-धारा (2) के अनुपालन मे दिल्ली में कम्पनी रजिस्ट्रार के पास इस सूचना के पन्द्रह दिनों के बाद किन्तु तीस दिनों की समाप्ति से पूर्व इस आशय का एक आवेदन प्रस्तुत करने का प्रस्ताव है कि वर्णमाला टेक्नोलॉजीज एलएलपी, एक एलएलपी को शेयर्स द्वारा एक कम्पनी लिमिटेड के रूप में कम्पनी अधिनियम, 2013 के शीर्षक XXI के भाग 1 के अंतर्गत पंजीकृत की जाये। 2. कम्पनी के प्रमुख उद्देश्य इस प्रकार हैं: सॉफ्टवेयर विकास संसाधन विकास, संचार, दूर-संचार, आर्टिफिशियल इन्टेलिजैन्स, ट्रैनिंग कंसल्टेन्सी, परामर्श, मानव-शक्ति की आपूर्ति सहित आईटी संबंधित सभी प्रकार की सेवाएं उपलब्ध कराना तथा आईटी से जुड़ी सभी प्रकार के हार्डवेयर का व्यापार करना।
3. प्रस्तावित कम्पनी के ड्राफ्ट मेमोरैण्डम तथा आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन की प्रति फ्लैट नं. 303, आरजेडएच 812, राजनगर 2, पार्ट 2, पालम कॉलोनी, नई दिल्ली दक्षिण पश्चिम दिल्ली दिल्ली 110077 में कार्यालय में देखी जा सकती है।
4. एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को इस आवेदन के प्रति कोई आपत्ति हो, वे उसके पंजीकृत कार्यालय में कम्पनी को उसकी एक प्रति के साथ इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से इक्कीस दिनों के भीतर लिखित में अपनी आपत्ति केन्द्रीय पंजीकरण केंद्र (सीआरसी) भारतीय कॉर्पोरेट कार्य संस्थान (आईआईसीए), प्लॉट नं. 6,7,8, सेक्टर 5, आईएमटी मानेसर, जिला गुड़गांव (हरियाणा) पिन कोड-122050 में रजिस्ट्रार के पास जमा करें।

आज, दिनांक, 14 अप्रैल, 2023 को।

हस्ता/-
आवेदकों का नाम
1. सरोजिनी मोहन्ती
2. सुनीता कुमारी

प्रपत्र सं. आईएनसी-25ए

कम्पनी (निगमन) नियमावली, 2014 के नियम 41 के अनुपालन में
सार्वजनिक कंपनी का प्राईवेट कम्पनी में रूपांतरण के लिए समाचार पत्र में प्रकाशन के लिए विज्ञापन
क्षेत्रीय निदेशक, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय, उत्तरी क्षेत्र, दिल्ली के समक्ष कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 14 तथा कम्पनी (निगमन) नियमावली, 2014 के नियम 41 के मामले में
तथा
एनडीजीसी ईजीओवी टेक्नोवेन्चर्स लिमिटेड
(CIN: U72500DL2019PLC344907) जिसका पंजीकृत कार्यालय एच.नं. 173, ख.नं. 81 यूजीएफ, फ्लैट नं. जी-3, सावित्री नगर, नई दिल्ली-110017 में है, के मामले में
.....याचिकाकर्ता/आवेदक

एतद्द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यह कम्पनी उपरोक्त नियमावली के साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 14 के अंतर्गत केंद्र सरकार के पास एक आवेदन करने के लिये इच्छुक है तथा ऐसे रूपांतरण को प्रभावी करने के लिये कम्पनी को सक्षम बनाने के लिए 10 मार्च, 2023 को आयोजित असाधारण आमसभा में पारित विशेष प्रस्ताव के अनुसार कंपनी को एक प्राईवेट लिमिटेड कम्पनी में रूपांतरित करने के लिए इच्छुक है।

कंपनी की स्थिति में इस प्रस्तावित परिवर्तन से यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता हो, वे उसके नीचे वर्णित पते पर पंजीकृत कार्यालय में आवेदक कंपनी को उसकी एक प्रति के साथ इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से चौदह दिनों के भीतर अपने हित की प्रकृति तथा आपत्ति के कारणों का उल्लेख करते हुए एक शपथ पत्र द्वारा समर्थित अपनी आपत्ति क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र के पतेः बी-2 विंग, पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्प्लैक्स, नई दिल्ली-110003 में जमा करें या जमा कराएं या पंजीकृत डाक से भेजें।

एच.नं. 173, ख.नं. 81 यूजीएफ, फ्लैट नं. जी-3,
सावित्री नगर, नई दिल्ली-110017

बोर्ड के लिए तथा उसकी ओर से
एनडीजीसी ईजीओवी टेक्नोवेन्चर्स लिमिटेड
हस्ता./-
सहशा नामदेव
तिथि: 14.4.2023 निदेशक
स्थान: नई दिल्ली DIN: 06746773

गुमशुदा महिला की तलाश

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यह महिला जिसका **नामः** शकीला, **पत्नीः** श्री सज्जाद **निवासीः** डी-19, निर्मल कालोनी, रोड नं0 64, ताहिरपुर, दिल्ली, **उम्रः** 27 साल, **कदः** 4 फुट 2 इंच **रंगः** गोरा, **शरीरः** मजबूत, **चेहराः** गोल, **पहनावाः** हरे रंग का सूट सलवार एवं पैरों में सफेद रंग के जूते पहने हुए है, दिनांक 10.03.2023 को समय लगभग 12.00 बजे दोपहर को अपने घर थाना अन्तर्गत नन्द नगरी, दिल्ली से लापता हो गयी है।

इस संदर्भ में **DD No 41A dated 12.03.2023** थाना-नन्द नगरी दिल्ली में दर्ज किया गया है।

पुलिस द्वारा हर संभव कोशिश के बाद भी अब तक इस लापता महिला के बारे में कोई जानकारी या सुराग नहीं मिल पाया है।

यदि किसी भी व्यक्ति को इस महिला के बारे में कोई जानकारी या सुराग मिले तो अधोहस्ताक्षरी को निम्नलिखित पते पर सूचित करने की कृपा करें।

ईमेल : cic@cbi.gov.in
वेबसाइट : http://cbi.nic.in
फैक्स : 011-24368639
दूरभाष : 011-24368638, 24368641

थाना प्रभारी
थाना- नन्द नगरी, दिल्ली
फोन: 011-22583307, 8750870733
DP/3785/NE/2023

"प्रपत्र सं. आईएनसी-26"

(कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के अनुसरण में क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, दिल्ली
कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 की उपधारा (4) और कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के उपनियम (5) के खंड (अ) के मामले में
तथा
गुड़गांव कंस्ट्रक्ट वैल प्राईवेट लिमिटेड
(CIN : U45200DL2007PTC157581)
जिसका पंजीकृत कार्यालय : प्लॉट नं. 5, जे ब्लॉक, कम्युनिटी सेन्टर, राजौरी गार्डन, नई दिल्ली-110027, इंडिया
.....याचिकाकर्त्ता

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के तहत सामान्य जनता को यह सूचना दी जाती है कि कंपनी ने 10 अप्रैल, 2023 को आयोजित आसाधारण समान्य आम बैठक में पारित विशेष प्रस्ताव के संदर्भ में कम्पनी रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, एनसीटी ऑफ दिल्ली एण्ड हरियाणा के क्षेत्राधिकार के तहत अपने पंजीकृत कार्यालय को "राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली" से "हरियाणा राज्य" में अपना पंजीकृत कार्यालय बदलने तथा कम्पनी के एसोसिएशन के संगम ज्ञापन को परिवर्तन की पुष्टि के लिए केन्द्र सरकार को आवेदन करने का प्रस्ताव रखती है।

कोई भी व्यक्ति जिसका हित कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय के प्रस्तावित परिवर्तन से प्रभावित होने की संभावना है, वह इस नोटिस के प्रकाशन के चौदह दिनों के भीतर अपने विरोध का कारण और हित की प्रकृति जो शपथ-पत्र द्वारा सहयोगित हो तो वह निवेशक शिकायत प्ररुप फाइल कर एमसीए-21 पोर्टल (www.mca.gov.in) में शिकायत दर्ज कर सकता है या रजिस्टर्ड डाक द्वारा क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र बी-2, विंग, द्वितीय तल, पर्यावरण भवन, सी.जी.ओ कॉम्पलेक्स, नई दिल्ली-110003 को साथ में एक प्रति याचिकाकर्ता कम्पनी को इसके पंजीकृत कार्यालय जो नीचे लिखे विवर्णित पते पर भेज सकता है।

गुड़गांव कंस्ट्रक्ट वेल प्राईवेट लिमिटेड
प्लॉट नं. 5, जे ब्लॉक, कम्युनिटी सेन्टर,
राजौरी गार्डन, नई दिल्ली-110027, इंडिया
कृते गुडगांव कंस्ट्रक्ट वेल प्राईवेट लिमिटेड
हस्ता/-
दिनांक : 14.04.2023 हरलीन सिंह ऑबरॉय
स्थान : नई दिल्ली (निदेशक)
डीआईएन : 08512764
पता : फ्लैट नं 111, शगूफा, प्लॉट नं. 5, सैक्टर 58ए, पाल्म बीच रोड, नेरुल, नवी मुम्बई, महाराष्ट्र-400706

फॉर्म सं. 5

ऋण वसूली अधिकरण, लखनऊ

600/1 यूनिवर्सिटी रोड, हनुमान सेतु मंदिर के पास, लखनऊ-226007
(क्षेत्राधिकार - उत्तर प्रदेश का भाग)

प्रकाशन द्वारा उत्तर दाखिल करने और उपस्थिति के लिए समन

ओ.ए. नं. 727/2022 दिनांकः 21.03.2023

मूल आवेदन सं. 727/2022
फेडरल बैंक लिमिटेड
बनाम
मैसर्स आर. के. ट्रेडर्स एवं अन्य

1. मैसर्स आर. के. ट्रेडर्स (उधारकर्ता)
इसके मालिक के माध्यम से
श्री राज किशोर मिश्रा
पता : संतोष विहार, दुबग्गा, लखनऊ-226003, उत्तर प्रदेश।

2. श्री राज किशोर मिश्रा (मालिक)
पुत्र श्री सोन लाल मिश्रा
निवासी : नया न्यू कॉलोनी, संतोष विहार दुबग्गा, लखनऊ-226003, उत्तर प्रदेश

3. श्रीमती नीलम मिश्रा (मृतक)
उसके कानूनी उत्तराधिकारियों के माध्यम से
3ए. श्री राज किशोर मिश्रा (पति)
3बी. श्री श्याम (पुत्र)
निवासी : नया न्यू कॉलोनी, संतोष विहार, दुबग्गा, लखनऊ-226003, उत्तर प्रदेश।

उपरोक्त उल्लिखित आवेदन में, आपको इस ट्रिब्यूनल में व्यक्तिगत रूप से या अपने विधिवत अधिकृत एजेंट या कानूनी पेशेवर के माध्यम से दस्तावेजों और हलफनामों (यदि कोई हो) के साथ दो सेटों में पेपर बुक फॉर्म में जवाब दाखिल करने की आवश्यकता है, सम्मन के प्रकाशन के बाद आवेदक या उसके वकील/विधिवत अधिकृत एजेंट को इसकी प्रति प्रस्तुत करने के बाद और उसके बाद आपको 04.10.2023 को पूर्वाह्न 10.30 बजे ट्रिब्यूनल के समक्ष उपस्थित होना होगा। ऐसा न करने पर आवेदन पर सुनवाई की जाएगी और आपकी अनुपस्थिति में निर्णय लिया जाएगा।

न्यायालय की मुहर

रजिस्ट्रार
ऋण वसूली अधिकरण, लखनऊ

फार्म नं. INC-26

[कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम-30 के अनुसार]
कंपनी के पंजीकृत कार्यालय, एक राज्य से दूसरे राज्य में स्थानांरित करने के लिए समाचार-पत्र में प्रकाशित होने वाला विज्ञापन

केंद्र सरकार, क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, के समक्ष
कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 की उप-धारा (4) और कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के उप-नियम(5) के क्लॉज (ए) के मामले में
और
एन डी ए शेयर ब्रोकर्स लिमिटेड (CIN: U01100DL1993PLC055471) पंजीकृत कार्यालय ई-157 एस/एफ कालकाजी, नई दिल्ली, दक्षिणी दिल्ली, दिल्ली-110019 के मामले में। .....(आवेदक)

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि कंपनी ने दिनांक 26 दिसम्बर, 2022 को आसाधारण आम बैठक में पारित विशेष प्रस्ताव के अनुसार कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में परिवर्तन की पुष्टि के लिए केंद्र सरकार कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13(4) के तहत अधिकार प्राप्त क्षेत्रीय निदेशक के समक्ष आवेदन करने का प्रस्ताव दिया है जिसका उद्देश्य कंपनी को अपना पंजीकृत कार्यालय "राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली" से "हरियाणा राज्य" स्थानांतरित करने में सक्षम बनाना है।

कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के प्रस्तावित परिवर्तन से यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता हो तो इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 14 दिनों के अंदर एमसीए-21 पोर्टल (www.mca.gov.in) पर निवेशक शिकायत फॉर्म भर कर जमा कर सकते है या किसी के द्वारा या पंजीकृत डाक से क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, पता "बी 2 विंग, दूसरा तल, पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्पलेक्स, नई दिल्ली-110003" पर भेज सकते है। शिकायत फॉर्म के साथ आपत्तियां दर्ज करते हुए एक शपथपत्र देना होगा और शिकायत पत्र की एक कॉपी आवेदक कंपनी के ऊपर दिए पंजीकृत पते पर भेजनी होगी।

निदेशक बोर्ड की ओर से
एन डी ए शेयर ब्रोकर्स लिमिटेड
हस्ता/-
तिथि: 14.04.2023 कशिश (निदेशक)
स्थान: दिल्ली DIN: 09064359

प्रपत्र-3 [विनियम -15(1)(क)]/16(3) देखें

ऋण वसूली न्यायाधिकरण, चंडीगढ़ (डीआरटी-2)
प्रथम तल, एससीओ 33-34-35, सेक्टर-17ए, चंडीगढ़, (तृतीय और चतुर्थ तल पर भी अतिरिक्त स्थान आयोंटित)
वाद सं. ओए/2042/2021

अधिनियम की धारा 19 की उप-धारा (4) के साथ पठित ऋण वसूली न्यायाधिकरण (प्रक्रिया) नियमावली, 1993 के नियम 5 के उप-नियम (2क) के तहत सम्मन **Exh. No. 15111**

भारतीय स्टेट बैंक बनाम विवेक चालाना

सेवा में,
(1) विवेक चालाना पुत्री/पत्नी/पुत्र नवलीन चालाना, मकान नं. सी-119, प्रथम तल, सेक्टर 51, नोएडा, गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश **और: श्री विवेक चालाना पुत्र श्री नवलीन चालाना,** मकान नं. 1641, सेक्टर -13, हिसार, हिसार, हरियाणा
(2) पिवोटल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रा. लि., यूनिट 310, तृतीय तल, ए ब्लॉक, इरिश टेक पार्क सोहना रोड, सेक्टर - 48, गुड़गांव, हरियाणा **और: पिवोटल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रा. लि.,** यूनिट 309 तृतीय तल, जेएमडी पैसिफिक स्क्वायर, सेक्टर-15, पार्ट-II, गुड़गांव, हरियाणा, **और:** प्लॉट नं. 12, सेक्टर-4, फरीदाबाद, फरीदाबाद, हरियाणा, **और:** द्वितीय तल, ओम शुभम टॉवर फरीदाबाद, एनआईटी हरियाणा -121001, फरीदाबाद, हरियाणा -121001

सम्मन

जबकि, ओए/2042/2021 माननीय पीठासीन अधिकारी / रजिस्ट्रार के समक्ष **08.12.2022** को प्रस्तुत किया गया था।

जबकि, यह माननीय न्यायाधिकरण रू. **25,57,477/-** के ऋण की वसूली के लिए आपके विरूद्ध दाखिल किए गए (ओ.ए.) के संबंध में, अधिनियम की धारा 19(4) के तहत, उक्त आवेदन पर सम्मन/नोटिस जारी करने का अनुग्रह कर रहा है। (दस्तावेजों आदि की प्रतियों के साथ आवेदन संलग्न)

अधिनियम की धारा 19 की उप-धारा (4) के अनुसार आप प्रतिवादियों को निम्न निर्देश दिया जाता है:-

(i) सम्मन की तामील के तीस दिन के भीतर कारण बताएं कि प्रार्थित राहत क्यों मंजूर नहीं की जाए;
(ii) मूल आवेदन के क्रमांक 3A के तहत आवेदक द्वारा विनिर्दिष्ट सम्पत्तियों तथा आस्तियों के अतिरिक्त सम्पत्तियों अथवा आस्तियों का विवरण, प्रस्तुत करें;
(iii) आप को, सम्पत्ति की कुर्की के लिए आवेदन की सुनवाई तथा आवेदन के निस्तारण के दौरान, प्रत्याभूत आस्तियों अथवा मूल आवेदन के क्रमांक 3A के तहत विनिर्दिष्ट सम्पत्तियों तथा आस्तियों के संबंध में सं

खबर कोना

चैंपियंस लीग में एसी मिलान ने नेपोली को 1-0 से हराया

मिलान, 13 अप्रैल (एपी)।

एसी मिलान ने इस्माइल बेनेसर के गोल की मदद से चैंपियंस लीग फुटबाल प्रतियोगिता के क्वार्टर फाइनल के पहले चरण में नेपोली को 1-0 से पराजित किया। इस्माइल बेनेसर ने 40वें मिनट में गोल दागा जिससे एसी मिलान अपने कट्टर प्रतिद्वंदी पर बढ़त बनाने में सफल रहा। यह एसी मिलान की दो सप्ताह से भी कम समय में नेपोली पर दूसरी जीत है। उसने दो अप्रैल को सीरि ए के मुकाबले में नेपोली को 4-0 से हराया था। नेपोली को मिडफील्डर आंद्रे फ्रैंक ज़ाम्बो एंगुइसा को दूसरा पीला कार्ड मिलने के कारण अंतिम 16 मिनट में 10 खिलाड़ियों के साथ खेलना पड़ा। इन दोनों टीमों के बीच क्वार्टर फाइनल का दूसरा चरण अगले मंगलवार को नेपल्स में खेला जाएगा। इस क्वार्टर फाइनल की विजेता टीम का मुकाबला सेमीफाइनल में इंटर मिलान या बेनफिका से होगा।

फ्रांस में मोंटे कार्लो टेनिस टूर्नामेंट में चिली के निकोलस जैरी विपक्षी खिलाड़ी के खिलाफ रिटर्न शाट लगाते हुए।

संजू सैमसन पर धीमी ओवर गति के लिए 12 लाख रुपए का जुर्माना

चेन्नई, 13 अप्रैल (भाषा)।

राजस्थान रायल्स के कप्तान संजू सैमसन पर चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ इंडियन प्रीमियर लीग (आइपीएल) मैच के दौरान धीमी ओवर गति के लिए 12 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया। आइपीएल में धीमी ओवर गति फिर से बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है क्योंकि अधिकतर मैच चार घंटे से अधिक समय तक खिंच रहे हैं। आइपीएल ने बयान में कहा, 'यह टीम का आइपीएल आचार संहिता के तहत धीमी ओवर गति से जुड़ा पहला अपराध है, इसलिए कप्तान संजू सैमसन पर 12 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है।' इस मैच में चेन्नई सुपर किंग्स को तीन रन से हराया था।

रियाल मैड्रिड ने चेल्सी पर बनाई बढ़त

मैड्रिड, 13 अप्रैल (एपी)।

करीम बेंजेमा ने चेल्सी के खिलाफ एक बार फिर गोल दागा जिससे रियाल मैड्रिड लगातार दूसरे सत्र में इंग्लैंड के क्लब को चैंपियंस लीग फुटबाल प्रतियोगिता से बाहर करने के करीब पहुंच गया है। विनीसियस जूनियर ने रियाल मैड्रिड की तरफ से दोनों गोल करने में मदद की जिससे उनकी टीम ने क्वार्टर फाइनल के पहले चरण में 2-0 से बढ़त बनाकर सेमीफाइनल में पहुंचने की तरफ मजबूत कदम बढ़ाए। बेंजेमा ने 21वें मिनट में पहला गोल किया जबकि मार्को असेनसियो ने 74वें मिनट में बढ़त दोगुनी की। बेंजेमा का यह चेल्सी के खिलाफ पांच मैचों में छठा गोल था। बेन चिलवेल को लाल कार्ड मिलने के कारण चेल्सी को आखिरी आधे घंटे में 10 खिलाड़ियों के साथ खेलना पड़ा। चेल्सी की फ्रैंक लैंपार्ड का अंतरिम कोच का पद संभालने के बाद यह लगातार दूसरी हार है। क्वार्टर फाइनल का दूसरा चरण अगले सप्ताह स्टैनफोर्ड ब्रिज में खेला जाएगा।

फ्रांस में मोंटे कार्लो टेनिस टूर्नामेंट में पोलैंड के हुरकज के खिलाफ रिटर्न शाट लगाते इटली के जननिक सिनर।

कलात्मक

अमन सहरावत ने एशियाई चैंपियनशिप में जीता स्वर्ण

अस्ताना, 13 अप्रैल (भाषा)।

अमन सहरावत ने सीनियर स्तर पर प्रभावी प्रदर्शन जारी रखते हुए गुरुवार को यहां 57 किग्रा वर्ग में किर्गिस्तान के अल्माज समानबेकोव को हराकर भारत को एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में पहला स्वर्ण पदक दिलाया। सहरावत ने फाइनल में समानबेकोव को 9-4 से शिकस्त दी।

दिल्ली के प्रतिष्ठित छत्रसाल स्टेडियम में ट्रेनिंग करने वाले सहरावत ने क्वार्टर फाइनल में जापान के रिकुतो अराई को 7-1 से हराने के बाद सेमीफाइनल में चीन के वानहाओ झू को 7-4 से शिकस्त दी। पिछले साल अंडर-23 विश्व चैंपियनशिप जीतने वाले सहरावत ने 2023 सत्र में दूसरा पोडियम स्थान हासिल किया। उन्होंने फरवरी में जागरेब ओपन में भी कांस्य पदक जीता था। दो अन्य भारतीय पहलवान भी गुरुवार को कांस्य पदक के मुकाबले में जगह बनाने में सफल रहे। दीपक कुकना (79 किग्रा) और दीपक नेहरा (97 किग्रा) अपने सेमीफाइनल मुकाबले हारने के बाद कांस्य पदक के मुकाबले में खेलेंगे।

कुश्ती

आरपी सिंह को चयन समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया

नई दिल्ली, 13 अप्रैल (भाषा)।

भारत के पूर्व अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी और उत्तर प्रदेश के खेल निदेशक आरपी सिंह को हरबिंदर सिंह की जगह हाकी इंडिया की चयन समिति का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। आरपी सिंह को मंगलवार को इस पद पर नियुक्त किया गया और नई समिति 15 अप्रैल से प्रभावी होगी।

आरपी सिंह के अलावा पैनल के अन्य सदस्यों में बलविंदर सिंह, मोहम्मद रियाज, एमएम सोमाया, सुभद्रा प्रधान, सरदार सिंह, बीपी गोविंदा, चिंगलेनसाना सिंह कंजुगम, रजनीश मिश्रा, वीआर रघुनाथ, समीर दाद, युवराज वाल्मीकि, जायदीप कौर और असुंता लाकड़ा शामिल हैं। समिति में राष्ट्रीय पुरुष और महिला टीम के मुख्य कोच, वैज्ञानिक सलाहकार और हाई परफोर्मेंस निदेशक शामिल होंगे। हाकी इंडिया के महासचिव भोला नाथ सिंह ने आरपी सिंह को लिखे पत्र में कहा, '27 मार्च 2023 को आयोजित हाकी इंडिया के कार्यकारी बोर्ड की 98वीं बैठक में हाकी इंडिया समितियों के लिए नियुक्तियों की समीक्षा की गई।' आरपी सिंह 1998 में जूनियर चयन समिति के सदस्य हुआ करते थे और 2021 में हाकी इंडिया की हाई परफोर्मेंस और विकास समिति के अध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया।

हाकी इंडिया

भारत ने सुहल जूनियर विश्व कप के लिए 39 सदस्यीय टीम चुनी

नई दिल्ली, 13 अप्रैल (भाषा)।

भारत ने जर्मनी के सुहल में एक से छह जून तक होने वाली आइएसएसएफ विश्व कप जूनियर राइफल/पिस्टल/शाटगन निशानेबाजी प्रतियोगिता के लिए गुरुवार को 39 सदस्यीय टीम घोषित की। जूनियर विश्व कप के बाद कोरिया में चांगवोन में जुलाई में जूनियर विश्व चैंपियनशिप भी होगी।

एनआरएआइ द्वारा घोषित टीम में कई ऐसे निशानेबाज हैं जो पिछले कुछ समय से जूनियर स्तर पर देश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। इनमें पिस्टल वर्ग में सिमरनजीत कौर बरार, राजकंवर सिंह संधू और समीर तथा राइफल वर्ग में अभिनव साव और धनुष श्रीकांत के अलावा शाटगन वर्ग में शारदुल विहान और प्रीति राजक शामिल हैं। गौतमी भनोट और स्वाति चौधरी (राइफल), अभिनव चौधरी और शुभम बिस्ला (पिस्टल) तथा सबीरा हैरिस और हरमेर सिंह लाली (शाटगन) जैसे उभरते हुए निशानेबाजों को भी टीम में जगह मिली है। मिश्रित टीम एअर राइफल, एअर पिस्टल और ट्रैप स्पर्धाओं के लिए दो मिश्रित टीम जोड़ियों की घोषणा भी की गई।

निशानेबाजी

गिल का अर्धशतक, गुजरात टाइटंस छह विकेट से जीता

मोहाली, 13 अप्रैल (भाषा)।

गत चैंपियन गुजरात टाइटंस ने शानदार गेंदबाजी के बाद सलामी बल्लेबाज शुभमन गिल की 67 रन की अर्धशतकीय पारी से गुरुवार को यहां इंडियन प्रीमियर लीग (आइपीएल) मैच में पंजाब किंग्स को एक गेंद रहते छह विकेट से हराया। पंजाब किंग्स की टीम शुरुआती झटकों और गत चैंपियन गुजरात टाइटंस की शानदार गेंदबाजी के सामने घरेलू मैदान पर आठ विकेट पर 153 रन ही बना सकी। गुजरात टाइटंस गिल की 49 गेंद में सात चौके और एक छक्के जड़ित पारी के बावजूद 19.5 ओवर तक जीत दर्ज कर पाई।

विकेटकीपर बल्लेबाज ऋद्धिमान साहा (30 रन) ने तीसरे ओवर में अर्शदीप सिंह पर चार चौके जड़कर पंजाब किंग्स को पस्त करने की नींव रखी। कागिसो रबाडा ने साहा (19 गेंद, पांच चौके) को आउट कर 100वां आइपीएल विकेट हासिल किया और गिल के साथ पहले विकेट के लिए 48 रन की साझेदारी खत्म की। साई सुदर्शन (19 रन) लय में आ ही रहे थे कि अर्शदीप ने उन्हें आउट कर दिया। इसके बाद कप्तान हार्दिक पंड्या (08) भी पवेलियन पहुंच गए। अंतिम ओवर में टीम को छह गेंद में सात रन चाहिए थे और सैम करन ने गिल को बोल्ड कर दिया। राहुल तेवतिया (05) ने फिर चौका लगाकर अपनी टीम को जीत दिलाई। डेविड मिलर 17 रन बनाकर नाबाद रहे।

बल्लेबाजी के मुफीद पिच पर शानदार फार्म में चल रहे कप्तान शिखर धवन (08) और युवा सलामी बल्लेबाज प्रभसिमरन सिंह धमाल नहीं दिखा सके और सस्ते में आउट हो गए। मैथ्यू शार्ट 36 रन (24 गेंद, छह चौके, एक छक्का) बनाकर शीर्ष स्कोरर रहे। पंजाब किंग्स ने पारी की दूसरी ही गेंद पर पहला विकेट गंवा दिया। प्रभसिमरन खाता भी नहीं खोल सके और शमी की गेंद को फ्लिक करने की कोशिश में आसान सा कैच देकर आउट हुए। पर शार्ट ने क्रीज पर आते ही लगातार दो चौके जड़ दिए।

धवन ने दूसरे ओवर में दो चौके जड़कर अपने इरादे दिखाए और फिर अगले ही ओवर में शार्ट ने शमी पर कवर्स और मिडआफ में लगातार चौके लगाए। लेकिन धवन की बड़ी पारी खेलने की उम्मीद लिटिल ने तोड़ दी। इस गेंदबाज की गुडलेंथ गेंद को मिडआन पर खेलने के प्रयास में वह जोसफ को कैच दे बैठे, इस तरह गुजरात ने बड़ा विकेट हासिल किया।

शुभमन गिल की 67 रन की पारी

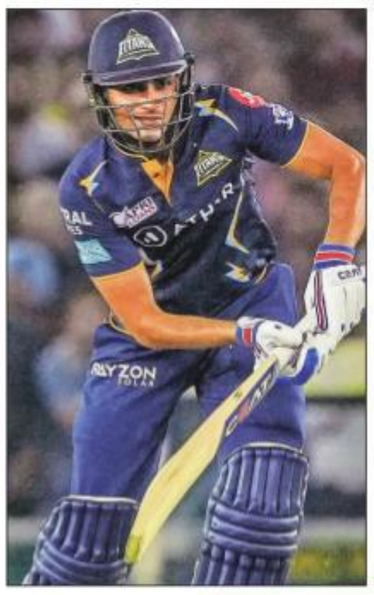

आइपीएल में वापसी करने वाले अनुभवी गेंदबाज मोहित शर्मा ने गुजरात टाइटंस के लिए पहली बार खेलते हुए 18 रन देकर दो विकेट झटककर प्रभावित किया। मोहम्मद शमी (44 रन देकर एक विकेट) ने अपनी टीम को पहले ही ओवर में सफलता दिलाई। राशिद खान, जोश लिटिल और अल्जारी जोसफ को भी एक-एक विकेट मिला। पंजाब किंग्स ने अंतिम पांच ओवर में 54 रन जोड़कर चार विकेट गंवाए जिसमें से दो खिलाड़ी 20वें ओवर में रन आउट हुए। इस स्कोर में उसके विकेटकीपर बल्लेबाज जितेश शर्मा ने 25 रन बनाए।

ओस के कारण गेंद बदलने को लेकर

अंपायरों के फैसले से अश्विन हुए हैरान

चेन्नई, 13 अप्रैल (भाषा)।

राजस्थान रायल्स के स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने हैरानी जताई कि चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ इंडियन प्रीमियर लीग (आइपीएल) मैच के दौरान अंपायरों ने ओस के कारण खुद ही गेंद बदलने का फैसला किया और उन्होंने इस तरह के निर्णय में निरंतरता बनाए रखने की अपील की। एमए चिदंबरम स्टेडियम में बुधवार की रात को खेले गए मैच के दौरान काफी ओस पड़ रही थी जिसके कारण अंपायरों ने स्वयं ही हस्तक्षेप करके दूसरी पारी के दौरान गेंद बदल दी थी जिससे अश्विन हैरान थे। इस आफ स्पिनर ने मैच में 25 रन देकर दो विकेट लिए। राजस्थान में यह मैच तीन रन से जीता।

उन्होंने कहा, 'हमारी टीम गेंदबाजी कर रही थी और हमने गेंद बदलने के लिए नहीं कहा था। लेकिन अंपायरों ने अपनी मर्जी से गेंद बदल दी। मैंने अंपायर से पूछा और उन्होंने कहा कि हम ऐसा कर सकते हैं।'

अश्विन ने कहा, 'इसलिए मुझे उम्मीद है कि जब भी ओस पड़ रही होगी तब वे इसे बदल सकते हैं। आप जो भी करना चाहें कर सकते हैं लेकिन आपको एक मानक तय करने की जरूरत है।' राजस्थान रायल्स के इस स्पिनर ने कहा वह अपने खेल का पूरा लुत्फ उठा रहे हैं।

आइपीएल

अश्विन ने कहा कि उन्होंने इससे पहले ऐसा कभी नहीं देखा जबकि अंपायरों ने बहुत अधिक ओस गिरने पर गेंद बदली हो। उन्होंने मैच के बाद संवाददाता सम्मेलन में कहा, 'यह हैरानी भरा रहा कि अंपायरों ने ओस के कारण अपनी मर्जी से गेंद बदल दी। ऐसा इससे पहले कभी नहीं हुआ था और मैं हैरान था। ईमानदारी से कहूं तो इस बार आइपीएल में मैदान पर लिए गए कुछ फैसलों से मैं थोड़ा आश्चर्यचकित हूं।' मैन आफ द मैच चुने गए अश्विन ने कहा, 'मेरा कहने का मतलब है कि मैं इसलिए हैरान हूं क्योंकि इसके अच्छे या गलत परिणाम निकल सकते हैं। इसलिए मेरा मानना है कि आपको थोड़ा संतुलन बनाने की जरूरत है।'

डब्लूएफआइ प्रमुख के खिलाफ आरोप साबित नहीं हो सके

नई दिल्ली, 13 अप्रैल (भाषा)।

देश के शीर्ष पहलवानों द्वारा शोषण के आरोपों का सामना कर रहे भारतीय कुश्ती महासंघ (डब्लूएफआइ) के प्रमुख बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न का कोई ठोस सबूत नहीं मिला है। सूत्रों ने यह संकेत दिए हैं। एक अभूतपूर्व कदम में विनेश फोगाट, बजरंग पूनिया और साक्षी मलिक जैसे शीर्ष पहलवानों ने जनवरी में दिल्ली के जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन किया था और डब्लूएफआइ प्रमुख पर यौन शोषण और डराने-धमकाने के आरोप लगाए थे। पहलवानों ने मांग की थी कि डब्लूएफआइ को भंग कर दिया जाए और अध्यक्ष को हटा दिया जाए।

खेल मंत्रालय ने 23 जनवरी को महान मुक्केबाज एमसी मैरीकाम की अध्यक्षता में पांच सदस्यीय निगरानी समिति का गठन किया था और उसे एक महीने में अपनी रिपोर्ट सौंपने को कहा था। बाद में समय सीमा दो सप्ताह के लिए बढ़ा दी गई और प्रदर्शनकारी पहलवानों के आग्रह पर बबीता फोगाट को जांच पैनल में छठे सदस्य के रूप में शामिल किया गया।

समिति ने अप्रैल के पहले सप्ताह में अपनी रिपोर्ट सौंप दी थी लेकिन मंत्रालय ने अभी तक इसके निष्कर्षों को सार्वजनिक नहीं किया है। हालांकि कई सूत्रों ने पुष्टि की कि पहलवान कई सुनवाई के बाद डब्लूएफआइ प्रमुख के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोपों को साबित नहीं कर सके।

कुश्ती

पांच छक्के जड़ कर रिंकू ने केकेआर को दिलाई थी जीत | आइपीएल | शार्दुल ठाकुर की तूफानी पारी ने दिखाया कमाल

सनराइजर्स के खिलाफ केकेआर की निगाहें अब जीत की हैट्रिक पर

कोलकाता, 13 अप्रैल (भाषा)।

रिंकू सिंह की तूफानी पारी के बाद उत्साह से लबरेज कोलकाता नाइट राइडर्स (केकेआर) का सामना जब शुक्रवार को सनराइजर्स हैदराबाद से होगा तो उसकी निगाहें इंडियन प्रीमियर लीग (आइपीएल) के वर्तमान सत्र में लगातार तीसरी जीत दर्ज करने पर टिकी होंगी। इस सत्र के अपने पहले मैच में मोहाली में पंजाब किंग्स से हार का सामना करने के बाद केकेआर को दो नए नायक मिले जिन्होंने उसे अगले दोनों मैचों में जीत दिलाई।

पहले रायल चैलेंजर्स बेंगलोर (आरसीबी) के खिलाफ शार्दुल ठाकुर ने अपने बल्ले से कमाल दिखाया और 29 गेंदों पर 68 रन की तूफानी पारी खेलकर केकेआर को 81 रन से जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई। इसके बाद रिंकू सिंह ने गुजरात टाइटंस के खिलाफ अंतिम पांच गेंदों पर छक्के जड़कर अपनी टीम को अप्रत्याशित जीत दिलाई थी। इस तरह से केकेआर की निगाहें जीत की हैट्रिक पूरी करने पर लगी हैं। नियमित कप्तान श्रेयस अय्यर और स्टार आलराउंडर शाकिब अल हसन की कमी केकेआर को खल रही है लेकिन अचानक ही वह मजबूत टीम के रूप में उभर कर सामने आई है।

जहां तक सनराइजर्स का सवाल है तो एडेन मार्कराम की अगुआई वाली टीम हैरी ब्रूक, मयंक अग्रवाल और हेनरिक क्लासेन जैसे खिलाड़ियों की मौजूदगी में कागजों पर मजबूत नजर आती है। सनराइजर्स के पास सीमित ओवरों के कई विशेषज्ञ खिलाड़ी हैं लेकिन वे पहले दो मैचों में अपना प्रभाव छोड़ने में नाकाम रहे। सनराइजर्स ने पिछले मैच में राहुल त्रिपाठी की नाबाद 74 रन की पारी के दम पर पंजाब को आठ विकेट से हराया था।

इस जीत से उत्साह से ओतप्रोत ब्रायन लारा की कोचिंग वाली सनराइजर्स की टीम केकेआर को कड़ी टक्कर देने के लिए मैदान पर उतरेगी। त्रिपाठी फिर से बीच के ओवरों में अहम भूमिका निभा सकते हैं जबकि सनराइजर्स को ब्रूक और क्लासेन से भी अच्छे योगदान की उम्मीद रहेगी। सनराइजर्स के पास वाशिंगटन सुंदर और मयंक मार्कंडेय के रूप में दो उपयोगी स्पिनर हैं।

इसके अलावा उसके पास भुवनेश्वर कुमार और मार्को यानसन जैसे तेज गेंदबाज हैं जिससे वह केकेआर के सामने कड़ी चुनौती पेश कर सकता है। केकेआर अभी अंक तालिका में तीसरे स्थान पर है और इस मैच में जीत से वह शीर्ष पर पहुंच सकता है।

केकेआर की दोनों जीत में उसके स्टार आलराउंडर आंद्रे रसेल और कप्तान नितीश राणा की खास योगदान नहीं रहा और अब टीम प्रबंधन यह सुनिश्चित करने की कोशिश करेगा कि उसे ये जीत संयोग से नहीं मिली थी। रसेल ने पंजाब के खिलाफ पहले मैच में 19 गेंदों पर 35 रन बनाए थे लेकिन अगले दो मैचों में वह शून्य और एक रन ही बना पाए। जमैका का यह आक्रामक बल्लेबाज अब बड़ी पारी खेलने के लिए बेताब होगा। केकेआर ने अभी तक तीनों मैच में अलग-अलग सलामी जोड़ियां आजमाई हैं और फिर से इसमें बदलाव की संभावना है। इंग्लैंड के सलामी बल्लेबाज जेसन राय को अफगानिस्तान के रहमनुल्लाह गुरबाज के स्थान पर अंतिम एकादश में जगह मिल सकती है।

रजिस्ट्रेशन नं. डी.एल.-21047/03-05, आरएनआई नं. 42819/83, वर्ष 40, अंक 147
दि इंडियन एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड के लिए आर. सी. मल्होत्रा द्वारा ए-8, सेक्टर 7, नोएडा- 201301, जिला गौतम बुद्ध नगर (उत्तर प्रदेश) से मुद्रित और मेजनीन फ्लोर, एक्सप्रेस बिल्डिंग, 9-10, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110002 से प्रकाशित। फोनः (0120) 2470700/2470740, ई-मेलः edit.jansatta@expressindia.com, फैक्सः (0120) 2470753, 2470754, **बोर्ड अध्यक्ष : विवेक गोयनका, कार्यकारी संपादकः मुकेश भारद्वाज***, *पीआरबी अधिनियम के तहत खबरों के चयन के जिम्मेवार। कापीराइटः दि इंडियन एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड। सर्वाधिकार सुरक्षित। लिखित अनुमति लिए बगैर प्रकाशित सामग्री या उसके किसी अंश का प्रकाशन या प्रसारण नहीं किया जा सकता।

www.readwhere.com